2017-18

56 वीं वार्षिक रिपोर्ट

मॉयल लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

इस्पात को शक्तिशाली बनाये

दृष्टीकोण, लक्ष्य एवं उद्देश्य

मॉयल लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)

लक्ष्य

हमारा लक्ष्य प्रभावी, सुरक्षित, किफायती और पर्यावरण अनुकूल तरीके से प्राकृतिक संसाधनों के अन्वेशण और विकास के माध्यम से अपने पणधारियों के लिए दीर्घकालीन लाभ उत्पन्न करना।

दृष्टीकोण

रणनितिक गठबंधन और तकनीकी उन्नयन के माध्यम के मैंगनीज उद्योग बाजार में अपनी अग्रणी प्रतिष्ठा को बनाए रखना तथा वैश्विक विविधीकरण उपक्रम बनना।

रणनीतिक उद्देश्य/ प्राथमिकताएं

- २०३० तक अपना उत्पादन ३ एमएन एमटी बढाकर देश में मैंगनीज की मांग को पूरा करने के उद्देश्य के लिए प्रयास करना।
- संबंधित उद्योगों और भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न विविधीकरण विकल्पों को तलाशना तथा पणधारियों को लाभ प्रदान करना।
- कर्मचारियों के जीवन को उँचा उठाना और विकास के उत्तम अवसर उपलब्ध करना।
- अपने खनन क्षेत्रों को हरा-भरा और पर्यावरण अनुकूल बनाना।

विषयवस्तु

कार्यनिष्पादन एक नजर में 4
अध्यक्ष का वक्तव्य 6
मंडल की रिपोर्ट अनुबंधों सहित 8
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट 74

एकल वार्षिक लेखे

एकल वार्षिक लेखों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 76
भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां तुलनपत्र 82
तुलन पत्र 83
लाभ व हानी विवरण 84
नकदी प्रवाह विवरण 86
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 87
लेखो पर टिप्पणियाँ 92
व्यवसाय क्षेत्रों के बारे में सूचना 106

समेकित वार्षिक लेखे

समेकित वार्षिक लेखों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 107
भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां 112
तुलन पत्र 113
लाभ व हानी विवरण 114
नकदी प्रवाह विवरण 116
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 117
लेखो पर टिप्पणियाँ 123

सदस्यों के लिये महत्वपूर्ण सूचना

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनियों को कागजरहित अनुपालनों की अनुमति प्रदान करते हुए कंपनी अभिशासन में पर्यावरण की रक्षा संबंधी पहल की है । सरकार द्वारा पर्यावरण की रक्षा हेतु की गई इस पहल का पूरी तरह से समर्थन करने की दृष्टि से सभी सदस्यों से अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक अपने ई मेल पते दर्ज न कराए हों वे अपनी इलेक्ट्रॉनिक धारित पूंजी (होल्डिंग) के संबंध में अपने ई मेल पते अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी (डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट) के जरिये निक्षेपागार में दर्ज करा दें । जिन सदस्यों के शेयर भौतिक रूप में हों उनसे अनुरोध है कि वे अपने ई मेल पते मॉयल लिमिटेड में या हमारे आर एंड टी एजेंट के पास दर्ज करा दें । पर्यावरण की रक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा की जा रही पहल के अनुरूप कंपनी संक्षिप्त वित्तीय विवरण के मुख्य अंश फॉर्म एओसी–३ए में भेज रही है।

अस्वीकरण– कंपनी ने इन दस्तावेजों के मुद्रण में अत्यंत सतर्कता बरती है । तथापि, शेयरधारकों से अनुरोध है कि किसी भी विसंगति की स्थिति में कंपनी को उससे अवगत कराएं। ऐसी स्थिति में कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित मूल दस्तावेजों में निहित सूचना अभिभावी होगी ।

निदेशक मंडल

श्री एम.पी. चौधरी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

कार्यकारी निदेशक

श्री टी.के. पटनाईक
निदेशक (वाणिज्य)

श्री डी. शोम
निदेशक (उत्पादन एवं योजना)

श्री राकेश तुमाने
निदेशक (वित्त)

सरकारी निदेशक

श्री टी श्रीनिवास
संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार

श्री सुनील पोरवाल
अतिरिक्त मुख्य सचिव – (उद्योग), महाराष्ट्र शासन

स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती सुनंदा प्रसाद

श्रीमती संगीता गैरोला

श्री वी.एम. चरियार

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री शरत चंद्र तिवारी
मुख्य सतर्कता अधिकारी

कार्यकारी निदेशक

श्री रवि वर्मा
कार्यकारी निदेशक(उत्पादन)

श्री पि.व्ही.व्ही. पटनायक
कार्यकारी निदेशक(परियोजना एवं विविधता)

श्री डी.व्ही. राजू
कार्यकारी निदेशक(कार्मिक)

महाप्रबंधक

श्री टी.के. मंडल
महाप्रबंधक (वित्त)

श्री सी.बी.अतुलकर
महाप्रबंधक (खान)

श्री. पि. करैया
महाप्रबंधक(खान)

श्री एन.एम. शेष
महाप्रबंधक (सतर्कता)

श्री एस.सी. राय
महाप्रबंधक (तकनीकी)

श्री आर.के. वर्मा
महाप्रबंधक (यांत्रिकी)

कंपनी सचिव

श्री एन.डी. पाण्डेय
कंपनी सचिव

कार्यनिष्पादन एक नजर में

विवरणके	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
वित्तिय आंकडे (करोडो में)					
परिचलनों से आय	**1323.46**	989.84	634.60	831.16	1028.45
अन्य आय	**177.72**	221.13	252.15	316.61	303.32
कुल आय	**1501.18**	1210.97	886.75	1147.77	1331.77
सकल मुनाफा (ईबीआडीटीए)	**710.37**	516.61	322.72	695.65	804.51
कर पूर्व लाभ	**647.92**	461.90	270.26	650.57	769.33
करोपरांत लाभ	**421.99**	305.83	172.98	428.01	509.56
कुल व्यापक आय	**398.55**	299.27	172.98	428.01	509.56
लाभांश	**159.82**	146.51	84.00	142.80	126.00
इक्विटी शेयर पूंजी	**257.61**	133.19	168.00	168.00	168.00
अन्य ईक्विटी	**2541.59**	2672.16	3285.37	3213.70	2959.33
नेटवर्थ	**2799.20**	2805.35	3453.37	3381.70	3127.33
उधार राशिया	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
सकल खंड	**810.47**	734.56	671.88	610.72	510.07
कार्यशील पूंजी	**2212.72**	2362.78	3061.87	3030.68	2805.27
नियोजित पूंजी	**2560.49**	2688.98	3372.76	3324.59	3054.14
महत्वपूर्ण अनुपात					
नियोजित पूंजी पर कर पूर्व लाभ %	**25.30**	17.18	8.01	19.57	25.19
विक्रि पर कर पूर्व लाभ %	**48.96**	46.66	42.59	78.27	74.80
ईक्विटी अनुपात पर कर्ज	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
(रु. १० के अंकित मूल्य पर प्रति शेयर आय)	**21.08**	20.21	10.30	25.48	30.33
राजकोश में अंशदान (करोड में)					
आयकर	**225.00**	135.00	97.81	193.83	260.87
लाभांश वितरण कर	**32.54**	13.56	17.31	28.55	21.87
विक्री करव वैट, प्रवेश कर, सेवा कर व जीएसटी	**43.97**	27.58	13.61	20.23	26.75
रायल्टी व उपकर, डीएमएफ, एन मेट	**78.95**	58.61	30.57	35.06	39.78
उत्पाद शुल्क	**4.53**	8.26	5.86	7.91	7.17
म.प्र. सडक उपकर	**25.58**	16.40	10.91	14.12	17.81
कुल	**410.57**	259.41	176.07	299.70	374.25
उत्पादन					
मैंगनीज अयस्क (एमटी)	**1201113**	1004845	1032275	1139156	1134508
ईएमडी (एमटी)	**875**	731	612	950	923
फेरो मैंगनजी (एमटी)	**10573**	9950	6519	10045	10042
पवन चक्कियों से बिजली (केडब्ल्यूएच)	**29009933**	32305629	36370789	32808711	33206045

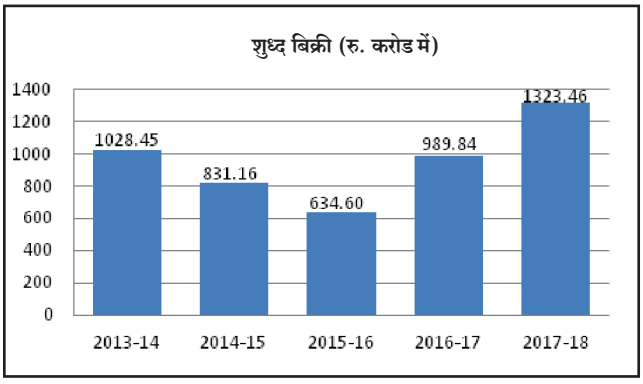

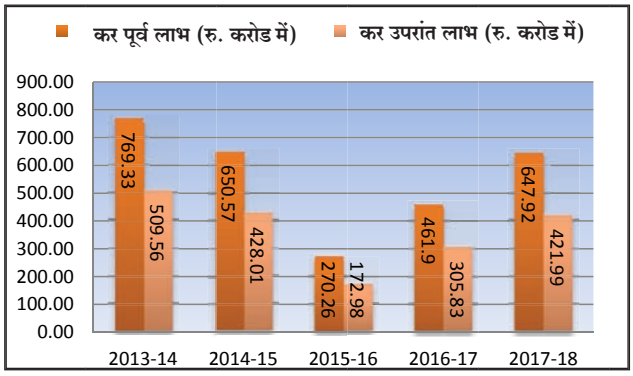

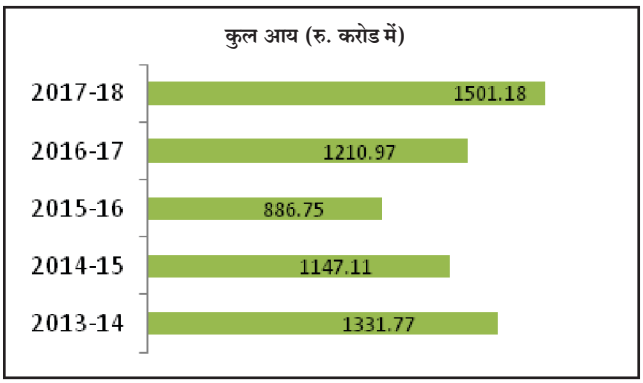

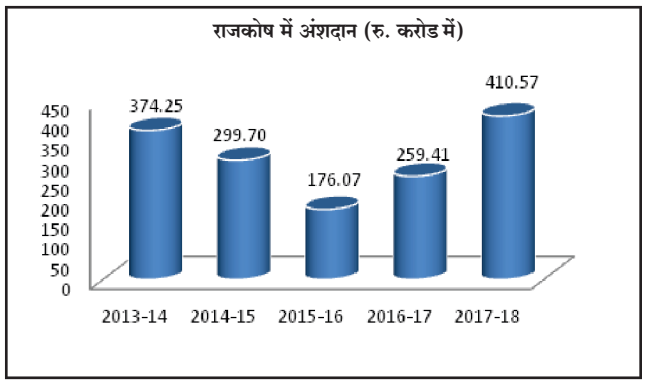

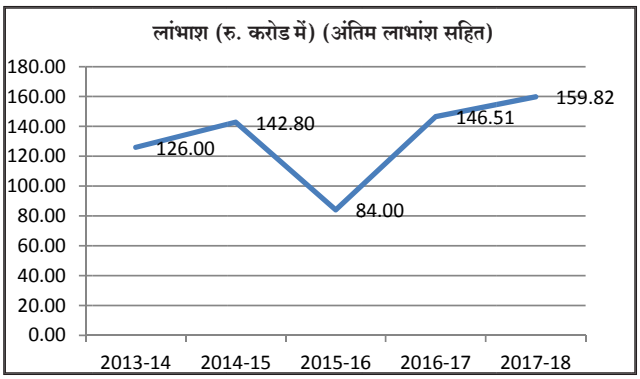

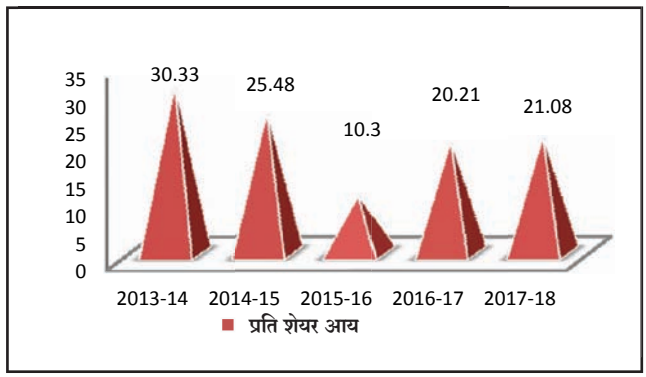

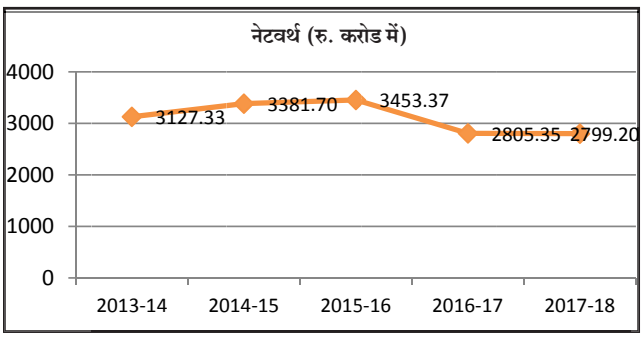

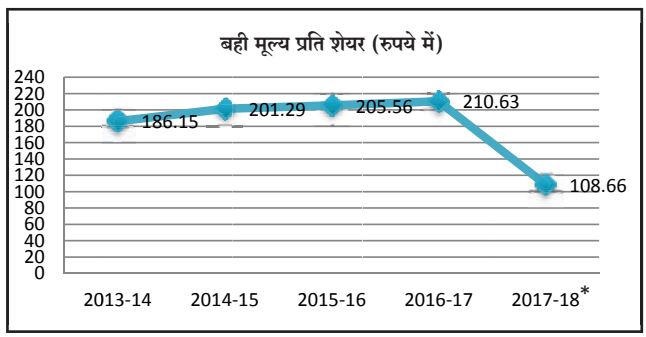

बोनस (1.1) इशु के पश्चात

अध्यक्ष का वक्तव्य

श्री एम.पी. चौधरी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

प्रिय शेयरधारकों,

56वीं वार्षिक सामान्य बैठक के अवसर पर आपसे चर्चा करते हुए और वित्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत गौरव तथा प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है । गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे अब तक के सर्वोच्च पण्यावर्त, अपरिष्कृत धातु की अब तक की सर्वोच्च बिक्री, अपरिष्कृत धातु के अब तक के सर्वोच्च उत्पादन एवम् अब तक के सर्वोच्च पूंजीगत व्यय में आपकी कंपनी के ऐतिहासिक कार्यकलाप आपसे साझा करते हुए मैं वस्तुतः बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ ।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भी धातु एवम् खनन उद्योग में सकारात्मक प्रवृत्ति जारी रही और पिछले वर्षों के मुकाबले अच्छा कार्यनिष्पादन हुआ । यह संपूर्ण इस्पात व पण्य बाजार हेतु एक बेहतर वर्ष रहा जहां विशेषकर धातु क्षेत्र में पण्य बाजार में ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति देखने को मिली । पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष के दौरान मूल्य उच्चतर स्तरों पर रहे और धातु क्षेत्र की कई कंपनियों ने वित्तीय वर्ष के दौरान बेहतर कार्य निष्पादन किया ।

वर्ष 2017-18 का आरंभ मैंगनीज खनन उद्योग में कुछ अनिश्चितताओं के साथ हुआ जिसके फलस्वरूप ज को वर्ष के आरंभ में मैंगनीज धातु के मूल्यों को कम करना पड़ा । बाद में उद्योग में मजबूती दिखायी दी और जून 2017 से वह एक सकारात्मक दिशा में बढ़ने लगा तथा मैंगनीज अयस्क के मूल्यों में भी वृद्धि हुई । औसत बिक्री उगाही पिछले वर्ष के रु.8018 पीएमटी के मुकाबले बढ़ कर चालू वर्ष में रु.10201पीएमटी हो गई जिससे पिछले वर्ष के मूल्यों के मुकाबले 27% की वृद्धि परिलक्षित हुई । बाजार में इस प्रकार के सकारात्मक उतार - चढ़ाव के साथ - साथ विपणन की अच्छी रणनीति, मूल्यन की अच्छी नीति व बेहतर उत्पाद मिश्रण के कारण आपकी कंपनी अपनी गतिविधियों के हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर पायी । कंपनी ने पिछले वर्ष के 10.05 लाख टन के मुकाबले 12.01 लाख टन मैंगनीज अयस्क का उत्पादन किया जो पिछले वर्ष के मुकाबले 20 % अधिक है और पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक उत्पादन है ।

आपकी कंपनी मैंगनीज अयस्क की बिक्री वित्तीय वर्ष 2016-17 के 11.29 लाख एमटी के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2017-18 में 11.87 लाख एमटी तक बढ़ाते हुए 5.13 % की वृद्धि दर्ज कर पायी ।

कंपनी ने सकल बिक्री में 33.70 की रेकॉर्ड वृद्धि दर्ज करते हुए पिछले वर्ष के रु. 989.84 करोड के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान रु. 1323.46 करोड की सकल बिक्री दर्ज की । कंपनी ने पिछले वर्ष के रु.461.90 करोड व 305.83 करोड के कर पूर्व लाभ व करोपरांत लाभ के मुकाबले क्रमशः रु.647.92 करोड व रु. 421.99 करोड का कर पूर्व लाभ व करोपरांत लाभ दर्ज किया ।

मॉयल पिछले कई वर्षों से लाभांश देने वाली कंपनी रही है और मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता होती है कि आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष 2017-18 के लिये 25 % के लाभांश अर्थात रु. 2.50 प्रति ईक्विटी शेयर की सिफारिश की है । इस प्रकार वर्ष 2017 - 18 हेतु कुल लाभांश रु. 5.50 प्रति ईक्विटी शेयर होता है । रु. 5.50 में से आपकी कंपनी ने शेयरधारकों को मार्च 2018 में रु. 3.00 प्रति ईक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश का भुगतान पहले ही कर दिया है ।

आपकी कंपनी हमेशा से ही कंपनी अभिशासन की प्रथाओं यथा विश्वसनीयता संविदा के कार्यान्वयन, आचार संहिता व एक सुपारिभाषित आंतरिक नियंत्रण संरचना को अपनाते हुए कंपनी अभिशासन के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करने के प्रयास करती रही है जिससे कंपनी की व्यावसायिक प्रथाओं में अधिक पारदर्शिता आ सकी है । मॉयल, कंपनी अभिशासन पर सरकारी दिशानिर्देशों व सूचीबद्ध करारों का पालन करती है। तथापि, निदेशकों के रिक्त पदों की भर्ती, जो कंपनी अभिशासन की आवश्यकताओं में से एक है, सरकारी स्तर पर प्रक्रियाधीन है । कंपनी अभिशासन के अनुपालन पर एक रिपोर्ट को बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किया गया है । आपकी कंपनी को कंपनी अभिशासन के विभिन्न मानदंडों के अनुपालन हेतु सरकारी उपक्रम विभाग (डीपीई) से उत्कृष्ट योग्यता - क्रम प्राप्त होता रहा है । मुझे विश्वास है कि वर्ष 2017 - 18 के लिये भी हमें उत्कृष्ट योग्यता क्रम प्राप्त होगा ।

एक अच्छी नागरी कंपनी होने के नाते मॉयल आंतरिक व बाहरी हितधारकों एवम् व्यापक समाज के लोगों के जीवन स्तर का विकास व सुधार करते हुए समाज के जरूरतमंद लोगों के उत्थान हेतु सहायता उपलब्ध कराने में सदैव अग्रणी रही है । कंपनी ने अपने परिचालन के निकटवर्ती क्षेत्रों व अन्य स्थानों पर स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कों /स्कूलों के निर्माण, जलापूर्ति की सुविधाओं व बाह्य विकास तथा खेल- कूद व सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में कई सीएसआर गतिविधियों को अंजाम दिया है । सीएसआर के अंतर्गत मॉयल द्वारा पूर्ण की गई एक प्रमुख परियोजना यथा चिकला में डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल को निकटवर्ती स्थानों के लोगों से उत्कृष्ट प्रतिसाद प्राप्त हुआ है । यह विद्यालय जो कुछ वर्षों पहले 434 विद्यार्थियों के साथ शुरू किया गया था, में अब 985 विद्यार्थी हैं । कंपनी ने ग्रामीण युवाओं के लिये कौशल विकास गतिविधियां शुरू की हैं । कंपनी अपनी मनसर खदान के पास डीएवी के सहयोग से एक और विद्यालय खोलने की योजना बना रहा है ।

मॉयल फाउंडेशन के अंतर्गत बीएआयएफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन, पुणे की एक संस्था महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ट्रांसफर फॉर रूरल एरियाज़ (मित्रा) के साथ मिल करआपकी कंपनी बड़े पैमाने परअपनी खदानों के आस पास के 21 ग्रामों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला रही है जिसमें विभिन्न गतिविधियों जैसे सुधारित कृषि कार्य, भू - स्वास्थ्य कार्ड,मवेशी विकास, जल संसाधन प्रबंधन, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, बायो गैस संयंत्रों की स्थापना, महिला स्व - सहायता समूहों की स्थापना, सौर लैंप लगाना शौचालय निर्माण, महिला सशक्तिकरण योजनाएं व शिक्षण व कौशल विकास कार्यक्रम चला रही है । सीडीपी के अंतर्गत चलाये जा रहे कार्यों की सर्वत्र सराहना हो रही है । कंपनी ने वर्ष 2017-18 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर रु. 9.22 करोड की रकम खर्च की है(जिसमें मॉयल फाउंडेशन को अंतरित निधि शामिल है ।)

आपकी कंपनी के पास दि. 31.03.2018 को महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में 1743.77 हेक्टेयर क्षेत्र के खनन पट्टे उपलब्ध थे । सरकार द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर एव भंडारा जिलों में मैंगनीज अयस्क की संभावनाओं का पता लगाने हेतु मॉयल के पक्ष में 814.71 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की है । इसमें से सरकार ने 11 क्षेत्रों में कुल 599.74 हेक्टेयर भूमि के भावी लाइसेंस (पीएल) प्रदान किये हैं और शेष लाइसेंस प्रक्रियाधीन हैं । मॉयल ने 211.60 हेक्टेयर से अधिक भूमि हेतु खनन लाइसेंस (एमएल) प्रदान करने का आवेदन किया है । 3 खनन लाइसेंस (एमएल) में से दो खनन लाइसेंसों (एमएल) के सैद्धांतिक अनुमोदन की सूचना दी है और एक आवेदन प्रक्रियाधीन है । सरकारी प्राधिकारियों से यथावश्यक अनुमोदन के बाद शेष भावी लाइसेंस के क्षेत्रों पर स्थायी खनन कार्य शुरू किया जाना है । इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश शासन ने भी

मैंगनीज अयस्क के उत्पादन हेतु बालाघाट में मॉयल के पक्ष में 372.701 हेक्टेयर भूमि का आरक्षण किया है । आपकी कंपनी ने इन पट्टों को खनन पट्टों में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक कदम उठाये हैं ताकि ताकि नयी खदाने खोली जा सकें मौजूदा खदानों का विस्तार किया जा सके ।

विश्व की सबसे बड़ी मैंगनीज अयस्क खनन कंपनी बनने की परिदृष्टि लिये और इस्पात उद्योग की मैंगनीज अयस्क की मांग की पूर्ति तथा मैंगनीज अयस्क उत्पादन के क्षेत्र में बाजार को नेतृत्व प्रदान करते रहने का उद्देश्य लिये आपकी कंपनी ने अपनी मौजूदा खदानों के विकास हेतु निवेश की योजना बनायी है । इस दिशा में आपकी कंपनी ने गुमगांव खदान एवम् बालाघाट खदानों में अत्यधिक गति वाले ऊर्ध्वमुखी कूपकों को लगाने का कार्य पहले ही शुरू कर दिया है । वित्तीय वर्ष 2025 तक इन परियोजनाओं का उत्पादन लगभग 3.70 लाख टन से बढ़ कर 7.40 लाख टन तक बढ़ कर दुगुना हो जाने का अनुमान है । इनके अतिरिक्त आपकी कंपनी ने डोंगरी बुजुर्ग खदान में खुले ढलवां विकास कार्य के अलावा चिकला. कांदरी, उकवा और मनसर खदानों पर कूपकों को गहरा करने व गाड़ने की परियोजनाएं हाँथ में ली हैं ।

विशेषकर खदानों में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति एवम् गैर – परंपरागत ऊर्जा व पर्यावरण – अनुकूल ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आपकी कंपनी ने मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की अपनी खदानों में 10.5 मेगा वैट के सौर्य ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु यथावश्यक कार्रवाई की है । इसके अतिरिक्त मॉयल मध्य प्रदेश के राजगढ़ खास में 20 मेगा वैट की सौर्य ऊर्जा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु भी आवश्यक कार्रवाई कर रहा है ।

भारत का इस्पात उत्पादन 6.18 % की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2016 में 95.50 मिलियन टन से बढ़ कर वर्ष 2017 में 101.40 मिलियन टन हो गया जबकि इसी अवधि के दौरान विश्व के इस्पात उत्पादन की वृद्धि केवल 3.81 % रही । कच्चे लोहे के सबसे बड़े उत्पादक चीन ने 2.98% की वृद्धि दर्शायी जबकि दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जापान 0.10 % की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की ।

मैंगनीज खनन उद्योग का कार्य निष्पादन इस्पात उद्योग से संबद्ध रहता है । वर्ल्ड स्टील असोसियेशन (डब्ल्यू एसए) के अनुसार जनसंख्या में बढ़ोतरी, इस्पात के बढ़ते उपयोग और अधिक उन्नत उपयोगों की संभावनाओं को देखते हुए आगामी 50 वर्षों में वैश्विक इस्पात बाजार में 700 मिलियन टन से 1000 मिलियन टन तक की वृद्धि होने की संभावना है और इसी के साथ यह बाजार आज के मुकाबले 60 % अधिक बड़ा हो जाएगा ।

फिलहाल, वर्ष 2017 – 18 हेतु देश के अनुमानित उत्पादन को मुकाबले आपकी कंपनी लगभग 50 % के मैंगनीज उत्पादन सहित देश की सबसे बड़ी मैंगनीज अयस्क उत्पादक कंपनी है । वर्ष 2017 – 18 के दौरान आयात लगभग 87 % की वृद्धि दर्ज करते हुए 1.91 मिलियन टन से बढ़ कर 3.57 मिलियन टन हो गया । इससे मैंगनीज अयस्क की मांग और आपूर्ति में विद्यान भारी अंतर का पता चलता है जिससे मॉयल को विशेषकर उच्च श्रेणी वाले मैंगनीज अयस्क के उत्पादन को बढ़ाने का अवसर प्राप्त होता है ।

सतत रूप से जारी खनन व अन्वेषण कार्यों के कारण आपकी कंपनी मैंगनीज के अपने भंडार व आरक्षित संसाधनों में वृद्धि कर पायी है जो बढ़ कर 90.66 मिलियन टन हो गया है । इसके साथ ही मॉयल अपनी प्रभावपूर्ण स्थिति, मध्यम से उच्च श्रेणी के अयस्क भंडार,खदानों की केंद्रीकृत अवस्थिति तथा कम उत्पादन लागत व मजबूत ग्राहक संबंधों के कारण भारत की इस्पात मांग में वृद्धि से लाभ उठाने की भी स्थिति में है ।

मूलभूत ढाँचागत विकास पर भारत सरकार द्वारा दिये जा रहे ध्यान को देश के आर्थिक एजेंडे में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है । इस दिशा में सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं जैसे सस्ते आवास, सबके लिये आवास, सड़कों एवम् रेलवे के निर्माण तथा स्मार्ट शहरों के विकास की परियोजनाओं हेतु बड़े निवेश आदि । ऐसे कई उद्योग हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मूलभूत ढँचागत विकास पर निर्भर रहते हैं और इस्पात उद्योग इनमें प्रमुख है । यदि ऐसा हुआ तो मैंगनीज अयस्क की मांग भी बढ़ेगी ।

नवीनतम राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के अनुसार भारत ने वर्ष 2030 – 31 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है । मुझे विश्वास है कि इससे देश में मैंगनीज अयस्क की मांग लगभग 10 मिलियन टन तक बढ़ जाएगी((जिसमें निर्यात की मांग शामिल नहीं है) भारत का प्रति व्यक्ति इस्पात उपभोग विश्व के 214 किलोग्राम के औसत उपभोग के मुकाबले 65.20 किलोग्राम के निचले स्तर पर बना हुआ है और इस कारण से भी इस्पात उद्योग को अवसर मिलते हैं । इस प्रकार भारत की इस्पात मांग में वृद्धि की पर्याप्त संभावनाएं हैं । इससे मॉयल को अपना उत्पादन बढ़ाने व अपने बाजार अंश में वृद्धि करने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे ।

इस्पात उद्योग की बढ़ती मांग को पूरा करने व अपने देश में मैंगनीज उद्योग के क्षेत्र में बाजार में अग्रणी स्थान बनाए रखने हेतु मैंगनीज अयस्क का उत्पादन बढ़ाना जरूरी है । तदनुसार मॉयल ने 1.20 मिलियन एमटी के मौजूदा स्तर को बढ़ा कर वर्ष 2021 तक 2.00 मिलियन एमटी,2025 तक 2.50 मिलियन एमटी और वर्ष 2030 तक 3.00 मिलियन एमटी तक बढ़ाने की योजना बनायी है , जिसके लिये एक रणनीतिक योजना पहले ही तैयार कर ली गई है । इस दिशा में आपकी कंपनी ने मौजूदा खदानों के विकास, देश में और देश से बाहर नयी खदानों के अधिग्रहण, खदानों के निकटवर्ती क्षेत्रों में खदानों के अधिग्रहण व मूल्य संवर्धन / विविधीकरण परियोजनाएंआदि स्थापित करने हेतु निवेश करने की योजना बनायी है । जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी कंपनी ने वर्ष 2016 – 17 के मुकाबले अपना उत्पादन 20 % से पहले ही बढ़ा दिया है जिसमें वर्ष 2018 – 19 तक और 15 % बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है ।

आपकी कंपनी देश के उन सरकारी उपक्रमों में से है जिसे पिछले कई वर्षों के दौरान उद्योग में उतार – चढ़ाव के बावजूद सतत रूप से उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिये जाना जाता है ।कंपनी को विभिन्न क्षेत्रों में किये गये अच्छे कार्यों , जैसे गुणवत्ता समूह पुरस्कार, कंपनी अभिशासन उत्कृष्ट रेटिंग, सर्वोत्कृष्ट नियोक्त पुरस्कार, सर्वाधिक वृद्धिशील सरकारी उपक्रम पुरस्कार आदि के रूप में राष्ट्रीय व क्षेत्रीय मान्यताएं प्राप्त होती रही हैं । मुझे सूचित करते हुए प्रसन्नता होती है कि आपकी कंपनी की दो और खदानों को खदान मंत्रालय, भारत सरकार से पाँच सितारा रेटिंग प्राप्त हुई है ।

मैं इस अवसर पर भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय, पर्यावरण एवम् वन मंत्रालय, महाराष्ट्र एवम् मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों, सभी सरकारी विभागों, हमारे बहुमूल्य ग्राहकों, कंपनी के बैंकरों, आपूर्तिकर्ताओं, स्टाफ, कामगार यूनियनों, अधिकारी संघ व सभी मॉयलवासियों को कंपनी के कार्यनिष्पादन में उनके महान योगदान हेतु धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य मार्गदर्शन की भी सराहना करता हूँ जिसके बिना कंपनी को प्रगामी दिशा प्रदान करना संभव ही नहीं होता। मैं कंपनी के सभी हितधारकों से उनके सतत समर्थन एवम् प्रतिबद्धता की कामना करता हूँ ताकि शेयरधारकों का मूल्य संवर्धन करते हुए कंपनी को नयी ऊँचाइयों पर ले जाया जा सके।

एम.पी.चौधरी

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

शेयरधारकों हेतु मंडल की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

निदेशक बोर्ड की ओर से आपकी कंपनी की 56 वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवम् 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है ।

➢ वित्तीय विवरण:

वर्ष 2017 – 18 तथा पिछले वर्ष के वित्तीय परिणाम नीचे दिये गये है:

रु. करोंडे में

विवरण	एकल		समेकित	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
परिचालकों से आय	1323.46	989.84	1323.46	989.84
अन्य आय	177.72	221.13	177.72	221.13
कुल आय	1501.18	1210.97	1501.18	1210.97
ब्याज पूर्व लाभ, मूल्यहास व कर (ईबीआइडीटीए)	710.37	516.61	705.81	518.18
मूल्यहास	62.45	54.71	62.45	54.71
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	647.92	461.90	643.36	463.47
घटाएं कराधान हेतु प्रावधान	225.93	156.07	225.93	156.07
करोपरांत लाभ (पीएटी)	421.99	305.83	417.43	307.40
अवधि हेतु कुल व्यापक आय	398.55	299.28	393.98	300.85
सामान्य प्रारक्षित निधि को अंतरण	220.00	125.00	220.00	125.00

महत्वपुर्ण वित्तीयअनुपात (एकल परिणाम)

अनुपात	2017-18	2016-17
बिक्री पण्यावर्त में ईबीआइडीडीए (%)	53.68	52.19
निवल साख में पीएटी (%)	15.08	10.90
नियोजित औसत पूंजी में ईबीआइडीटीए (%)	27.06	17.04
प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक रु. १० के अंकित मूल्य पर)	21.08	20.21
प्रति शेयर बही मूल्य *	108.66	210.63

*चूँकि कंपनी ने वर्ष 2017 – 18 के दौरान 1 : 1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किये थे अतः शेयरों की संख्या में वृद्धि के कारण प्रति शेयर बहीमूल्य में कमी आथयी है।

➢ लाभांश:

मॉयल कई वर्षों से एक लाभांश अदा करने वाली कंपनी रही है । इस प्रथा को वर्ष 2017 – 18 में भीजारी रखते हुए मार्च 2018 में 30 % की दर से अर्थात रु. 3.00 प्रति ईक्विटी शेयर की दर से अंतरिम लाभांश अदा किया गया । आपके निदेशक बोर्ड ने वर्ष हेतु 25 % की दर से अर्थात रु.2.50 प्रति ईक्विटी शेयर की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की है । इस प्रकार वर्ष 2017 – 18 हेतु कुल लाभांश बढ़े हुए ईक्विटी शेयरों पर रु. 5.50 प्रति ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष रु.11.00) आता है । इस वर्ष का लाभांश बोस पूर्व शेयर पूंजी पर पिछले वर्ष के लाभांश के बराबर है । इस वर्ष हेतु लाभांश वितरण कर सहित कुल लाभांश परिव्यय रु. 173.82 करोड (पिछले वर्ष रु. 176.33 करोड) निकलता है ।

55 वीं वार्षिक साधारण सभा

➢ वित्तीय कार्य निष्पादन:

आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष की रु. म989.84 करोड के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2017 – 18 के दौरान रु. 1323.46 करोड की अब तक की सर्वाधिक सकल बिक्री दर्ज की ।इस वर्ष हेतु कर पूर्व लाभ पिछले वर्ष के रु. 461.90 करोड के मुकाबले इस वर्ष 40.27 % से बढ़ कर रु. रु. 647.92 करोड हो गया । कंपनी ने पिछले वर्ष के रु. 305.83 करोड के मुकाबले इस वर्ष रु. 421.99 करोड का करोपरांत लाभ(पीएटी) दर्ज किया । इस वर्ष की कुल व्यापक आय रु. 398.55 करोड रही । उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि के फलस्वरूप अधिक मात्रा में बिक्री की उपलब्धता, बेरतर उत्पाद /बिक्री मिश्रण व इसके परिणामस्वरूप औसत उगाही में हुई वृद्धि के साथ – साथ वर्ष 2017 – 18 के दौरान बाजार की बेहतर स्थिति इस उत्कृष्ट कार्य परिणामों के प्रमुख कारक रहे । सरकारीदिशानिर्देशों के अनुसार आपकी कंपनी ने अधिशेष निधियों का विनियोजन मीयादी जमाराशियों व म्यूचुअल फंडों में किया तथा ब्याज का अर्जन किया जिसे रु. 160.92 करोड के कुल प्राप्त ब्याज (पिछले वर्ष रु. 185.60 करोड) में शामिल किया गया है, जिसे अन्य आय के अंतर्गत रखा गया है । ब्याज आय में कमी मुख्यतः शेयरों की पुनर्खरीद के कारण रु. 210.40 करोड की नकदी का बहिर्गमन और औसत ब्याज दर में कमी के कारण हुई ।

➢ बिक्री :

वित्तीय वर्ष 2017 – 18 में मॉयल ने 33.70 % से अधिक की वृद्धि दर्ज करते हुए पिछले वर्ष के रु. 989.84 करोड के पण्यावर्त के मुकाबले रु.1323.46 का अब तक का सर्वाधिक पण्यावर्त हांसिल किया ।वित्तीय वर्ष 2017 – 18 के दौरान आम तौर पर आयातित मैंगनीज अयस्क और कच्ची धातु के मूल्यों में ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति देखने में आयी, जिससे भारतीय लौह अयस्क उद्योग में सकारात्मक रुझान आया । मूल्यों में इस ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति से लाभ उठाने तथा बेहतर वसूली उगाही प्राप्त करने की दृष्टि से जब कभी संभव हुआ मॉयल ने तिमाही पुनरीक्षण के बजाए मासिक आधार पर मूल्यों का पुनरीक्षण जारी रखा । वर्ष के दौरान औसत बिक्री उगाही रु.8018 से बढ़ कर रु.10201 हो गयी और कंपनी का बिक्री पण्यावर्त 33.74 % की वृद्धि सहित रु. 905.34 करोड से बढ़ कर रु. 1210.79 करोड हो गया । एक विवेकपूर्ण विपणन एवम् मूल्यन नीति के साथ आपकी कंपनी मैंगनीज अयस्क की बिक्री में लगभग 5.13% की वृद्धि करते हुए उसे वित्तीय वर्ष 2016 – 17 के 11.29लाख एमटी से बढ़ा कर वित्तीय वर्ष 2017 – 18 में रु. 11.87 लाख एमटी कर पायी, जिसमें अपरिष्कृत मैंगनीज अयस्क की अब तक की सर्वाधिक बिक्री भी शामिल है, जो कंपनी का मुख्य व्यवसाय है । बिक्री को बढ़ाने हेतु बाजार की स्थितियों से सर्वोत्कृष्ट लाभ उठाने की दृष्टि से कंपनी ने वर्ष के दौरान विभिन्न सकारात्मक कदम उठाना जारी रखा जैसे दूरदराज के खरीदारों को रेल भड़े की आँशिक प्रतिपूर्ति करना आदि ।

मॉयल की ग्राहक बैठक

कंपनी के निर्मित उत्पादों यथा इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाइ ऑक्साइड (ईएमडी) व फेरो मैंगनीज के संबंध में कुल निवल बिक्री पिछले वर्ष के दौरान रु.76.67 करोड के मुकाबले वर्ष 2017 – 18 के दौरान रु.105.65 करोड थी । अपेक्षातः कम पिछले स्टॉक के फलस्वरूप ईएमडी की मात्रात्मक बिक्री वर्ष 2016 – 17 के 952 एमटी से जरा सा घट कर वर्ष 2017 – 18 में 915 एमटी हो गयी। किंतु फेरो मैंगनीज की मात्रात्मक बिक्री 16.30 % से बढ़ कर वर्ष 2016 – 17 के 9540 एमटी से बढ़ कर वर्ष 2017 – 18 में 11095 एमटी हो गयी ।

➢ उत्पादन व उत्पादकता:

आपकी कंपनी ने मैंगनीज अयस्क की विभिन्न श्रेणियों के पिछले वर्ष के 10.05 लाख टन के उत्पादन के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2017 – 18 में 12.01 लाख टन का उत्पादन किया, जो पिछले 10 वर्षों का सर्वाधिक उत्पादन है । वर्ष के दौरान 0.862 टन के प्रति व्यक्ति पाली (ओएमएस) उत्पादन(पिछले वर्ष 0.722 टन) में भारी सुधार देखने में आया । ईएमडी का उत्पादन 19.70 % वृद्धि दर्ज करते हुए पिछले वर्ष के दौरान 731 टन के मुकाबले बढ़ कर 872 टन हो गया । फेरो मैंगनीज का उत्पादन पिछले वर्ष के 9950 एमटी के मुकाबले 6.26 % से बढ़ कर 10573 एमटी हो गया ।

बालाघाट खदान पर तीव्र गति वाले ऊर्ध्वमुखी कूपक लगाने हेतु भूमि पूजन

➢ शेष माल:

कंपनी के पास दि. 31.03.2017 को रु.81.89 करोड मूल्य के 1.42 लाख टन के मैंगनीज अयस्क के शेष स्टॉक के मुकाबले दि. 31.03. 2018 को रु. 58.70 करोड मूल्य का 1.21 लाख टन मैंगनीज अयस्क का शेष स्टॉक था।

फेरो मैंगनीज का शेष स्टॉक दि. 31.03.2017 के रु. 10.99 करोड मूल्य के 3008 टन के मुकाबले दि. 31.03.2018 को रु.15.74 करोड मूल्य का 2486 टन था । ईएमडी का शेष स्टॉक दि. 31.03.2018 को 33 एमटी (पिछले वर्ष73 एमटी) था, जिसका मूल्य 0.29 करोड (पिछले वर्ष रु.0.58 करोड था।

➢ पूंजी / मूल्य संवर्धन / विविधीकरण परियोजनाए:

भावी आवश्यकताओं को पूरा करने व उद्योग में अपना नेतृत्व बनाए रखने की दृष्टि से मॉयल ने अपना उत्पादन 1.2 मिलियन एमटी के मौजूदा स्तर से बढ़ा कर वर्ष 2021 तक 2.0 मिलियन एमटी, वर्ष 2025 तक 2.5 मिलियन एमटी व वर्ष 2030 तक 3.00 मिलियन एमटी तक करने की योजना बनायी है, जिसके लिये एक रणनीति पहले ही तैयार कर ली गई है ।

इस दिशा में आपकी कंपनी ने मौजूदा खदानों के विकास, देश में और देश से बाहर नयी खदानों के अधिग्रहण, खदानों के निकटवर्ती क्षेत्रों में खदानों के अधिग्रहण व मूल्य संवर्धन / विविधीकरण परियोजनाएंआदि स्थापित करने हेतु निवेश करने की योजना बनायी है । कुछ परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं व कुछ प्रक्रियाधीन हैं । इन परियोजनाओं हेतु वर्ष 2030 तक लगभग रु.2500 करोड का निवेश आवश्यक होगा ।

➢ पूंजीगत व्यय तथा खदान विस्तार परियोजनाए:

उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु मॉयल ने विभिन्न खदान विकास एवम् विस्तार परियोजनाएं हाँथ में ली हैं जिनमें बालाघाट एवम गुड़गांव खदानों में लगभग रु. 460 करोड के कुल निवेश के साथ उच्च गति वाले कूपक लगाना शामिल है ।अपनी गतिविधियों में विविधता लाने की दृष्टि से बालाघाट व गुड़गांव खदानों में लगभग रु. 419 करोड के निवेश से कुल 75000एमटी क्षमता के लौह अयस्क संयंत्र (फेरो एलॉय प्लांट) लगाने का निर्णय लिया गया है ।

चिकला खदान पर 2रा ऊर्ध्वमुखी कूपक

कंपनी की पूंजीगत व्यय योजनाओं में ऊर्ध्वमुखी कूपक लगाने / खनन परियोजनाओं / खनन हेतु नये पट्टों / क्षेत्रों के विकास /नियमित संवर्धन /अचल आस्तियों के प्रतिस्थापन / नगर क्षेत्र, , अनुसंधान, विकास आदि हेतु निवेश की परिकल्पना शामिल है । कुल पूंजीगत व्यय उपयोग पिछले वर्ष के रु.120.74 करोड के मुकाबले वर्ष 2017 – 18 के दौरान रु. 206.74 करोड रहा ।

➢ **पूर्ण की गई परियोजनाएं / कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाएं –**

1) रु.28.30 करोड की लागत से लोडिंग स्टेशन सहित ऊर्ध्वमुखी कूपकों को 135 मीटर तक गहरा करना । कूपक को गहरा करने व लाइनिंग का कार्य पहले ही किया जा चुका है । निचले स्तरों से उत्पादन शुरू हो गया है। पूरक विकास कार्य प्रगति पर है ।

2) रु.48.70 करोड की पूंजीगत लागत से चिकला खदान पर एक अन्य ऊर्ध्वमुखी कूपक को 160 मीटर तक डालने का कार्य – कार्य प्रगति पर है और परियोजना अपनी तय समय सारिणी के अनुसार आगे बढ़ रही है ।

3) रु.14.82 करोड की पूंजीगत लागत से कांदरी खदान पर एक अन्य ऊर्ध्वमुखी कूपक को 60 मीटर तक गहरा करने का कार्य – परियोजना अपनी तय समयसारिणी के अनुसार प्रगति पर है ।

4) रु.51.32 करोड की पूंजीगत लागत से मनसर खदान पर एक अन्य ऊर्ध्वमुखी कूपक को 160 मीटर तक गहरा करने का कार्य – परियोजना अपनी तय समयसारिणी के अनुसार प्रगति पर है ।

5) रु.77.15 करोड की पूंजीगत लागत से उकवा खदान पर एक अन्य ऊर्ध्वमुखी कूपक को 324 मीटर तक गहरा करने का कार्य – परियोजना अपनी तय समयसारिणी के अनुसार प्रगति पर है ।

6) रु.194 करोड की पूंजीगत लागत से गुड़गांव खदान पर एक अन्य ऊर्ध्वमुखी कूपक को 330 मीटर तक गहरा करने का कार्य – परियोजना अपनी तय समयसारिणी के अनुसार प्रगति पर है ।

7) रु.259 करोड की पूंजीगत लागत से बालाघाट खदान पर एक अन्य ऊर्ध्वमुखी कूपक को 750 मीटर तक गहरा करने का कार्य – परियोजना अपनी तय समयसारिणी के अनुसार प्रगति पर है ।

➢ **आगामी / नयी परियोजनाए:**

1) रु.263.82 करोड के निवेश से बालाघाट खदान में 50000 एमटीपीए का फेरो अलॉय संयंत्र

2) रु.155.00 करोड के निवेश से गुड़गांव खदान में 25000 एमटीपीए का फेरो अलॉय संयंत्र

भावी ग्रहकों के साथ संयुक्त उद्यम (जेवी) या उठाव समझौतों (ऑफटेक अग्रीमेंट) के अधीन बोर्ड द्वारा इन परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है ।सांविधिक मंजूरियां प्राप्त कर लेने पर तार्यान्वयन शुरू किया जाएगा ।

➢ **देश के भीतर व बाहरखदानों का अधिग्रहण:**

कंपनी की रणनीतिक प्रबंधन योजना के अनुरूप विदेश के मैंगनीज अयस्क निर्माताओं के साथ रणनीतिक गठबंधन तथा उठाव समझौते करने की योजना है । इस संबंध में प्रस्ताव र्राप्त करने की दृष्टि से कंपनी की वेबसाइट पर एक खुली रुचि अभिव्यक्ति (ईओआइ) प्रदर्शित की गई है । इसमें प्राप्त प्रस्तावों का अगली कार्रवाई हेतु मूल्यांकन किया जाता है ।

➢ **संयुक्तउद्यम वाली कंपनियां (सेल एंड मॉयलफेरो एलॉय प्रा. लि. तथा रिनमॉयल फेरो एलॉय प्रा.लि.)**

फेरो एलॉय संयंत्र की स्थापना हेतु मॉयल के स्टील अथॉरिटी ऋफ इंडिया लिमिटेड (एसएआइएल) व राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेडआरआइएनएल) के साथ दो अलग – अलगसंयुक्त उद्यम (50 : 50 हैं ।एमईसीओएन लिमिटेड द्वारा तैसार टीईएफ आर के अनुसार फिलहाल राज्य विद्युत बोर्डों की ऊर्जा की दरों को देखते हुए ये परियोजनाएँ कार्यक्षम नहीं हैं । इसलिये वर्ष के दौरान दोनों संयुक्त उद्यम वाली कंपनियों में कोई कार्य नहीं हुआ । कंपनी लेखा नियम, 2004 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप धारा (3) के पहले उपबंध के अनुशीलन में सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों की मुख्य मुख्य बातें (फॉर्म एओशी–1) अनुबंध–1 के रूप में संलग्न है ।

➢ **अन्वेषण व्यवसाय**

खदान मंत्रालय, भारत सरकार ने विभिन्न खनिजों के संबंध मेंअन्वेषण करने हेतु एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 4(1) के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर मॉयल को अधिसूचित किया है । इससे मॉयल को इस नये क्षेत्रमें अपने व्यवसाय का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होगा । मॉयल ने प्रच्छादित मैंगनीज अयस्क की रूपरेखा का चित्रण करने हेतु मध्य प्रदेश राज्य के चार जिलों यथा बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर व झाबुआ में जिलों के भीतर दूर संवेदी (रिमोट सेंसिंग) अध्ययन करने हेतु राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र (एन आर एस सी) से समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किये हैं । अध्ययन के बाद, मध्य प्रदेश शासन के साथ किये गये समझौता ज्ञापन के अनुसार अन्वेषण कार्य किया जाएगा ।

➢ **अन्वेषण व छायाचित्रण**

मॉयल अनुसंधान व विकास (आरएंड डी) में क्षमता निर्माण व आंतरिक अध्ययन हेतु शैलवर्णन प्रयोगशाला (पेट्रोग्राफी लैबोरेटरी) सहित एक आंतरिक दूर संवेदी प्रयोगशाला की स्थापना करने जा रहा है ।

➢ अनुसंधान व विकास (आर एंड डी)

मॉयल अपनी खदानेतर गतिविधियों के अंतर्गत मैंगनीज अयस्क की विभिन्न श्रेणियों के अन्वेषण, , दोहन एवम् विपणन के कार्य में संलग्न है तथा मूल्य संवर्धित उत्पादों जैसे इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाइ ऑक्साइड(ईएमडी) और हाई कार्बन फेरो मैंगनीज अयस्कों जैसे उत्पादों का भी उत्पादन करता है ।मॉयल मध्य भारत में दस खदानों का परिचालन करता है जिनमें से तीन खदानों का परिचालन ओपन कास्ट खनन द्वारा और सात खदानों का परिचालन भू खनन की कठिन स्थितियों में मैंगनीज अयस्क के संकीर्ण भूखंडों में भूमिगत खनन द्वारा किया जाता है जहां पर खदानों की दीवारें अत्यंत खराब चट्टानों वाली होती हैं । कंपनी ने देश की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं तथा सीएसआइआर- अनुसंधान व विकास संस्थाओं के साथ विचार - विमर्श करते हुए नयी प्रोद्यौगिकी अपनाते हुए खदानों में सुरक्षा, उत्पादकता व पर्यावरण मानकों में सुधार लाने हेतु अनुसंधान व विकास कार्यों में सहभाग लिया है । अनुसंधान व विकास की 5 विभिन्न परियोजनाओं हेतु मॉयल निम्नलिखित संस्थाओं के साथ मिल कर काम कर रहा है:

फुरुकवा द्वारा निर्मित टिकाऊ व मजबूत वैगन ड्रिल मशीन

सीएसआइआर- सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च सीआइएमएफ आर), नागपुर व धनबाद

सीएसआइआर- नैशनल मेटालर्जिकल लैबोरेटरी, जमशेदपुर

सीएसआइआर नैशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनजीआरआइ), हैदराबाद

सीएसआइआर-नैशनल एनवाइरेनमेंटल एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूबट (एनईईआरआइ), नागपुर

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी(आइआइटी), खड्गपुर

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी(आइआइटी), (भूतपूर्व इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स), धनबाद

नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (एनआइटी), राउरकेला

विश्वेसरैया नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (वीएनआइटी), नागपुर

नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स (एनआइआरएम), कोलार गोल्ड फील्ड्स

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नॉलॉजी (आइआईईएसटी), शिबपुर,

नैशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, हैदराबाद

मॉयल की महत्वपूर्ण अनुसंधान व विकास परियोजनाएं निम्नानुसार है:

1. **खदान का पर्यावरण:**

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी(आइआइटी), खड्गपुर ने मनसर, कांदरी व उकवा की खदानों में गहरे स्तरों पर वायुसंचार पुनर्गठन अध्ययन आयोजित किया । तदनुसार, कांदरी व चिकला की खदानों मेंअधिक व्यास के वायुसंचार पंखे लगाने हेतु नये वायुसंचार संवहन यंत्र विकसित किये जा रहे हैं ।

2. **खदान सुरक्षा- खदान धँसना:**

मनसर खदान हेतु खदान आयोजन व निरूपण विभाग द्वारा आंतरिक रूप से धँसान के परिमापों का वैज्ञानिक त्रिविमितीय विश्लेषण किया गया है । विश्लेषण से इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि खदान में किसी भी लंबकोणीय दिशा में कोई विशेष हलचल नहीं पायी गई है ।

3. **खनिज संरक्षण:**

एनआइआरएम ने मनसर खदान में अनुसंधान व विकास अध्ययन किया है। सुझाये गये ढलान के निरूपण में निचली चट्टान की दीवार में चटखनियों, एक्स कट व इन स्टोप सहित सचालन मार्ग बनाने का समावेश है । इससे मैंगनीज अयस्क के भू भाग में स्वस्थाने दहलीज खंब को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है और दहलीज खंब में फसे खनिज को बचा लिया है । स्टोप के संशोधित निरूपण में भूमिगत खदानों में मैगनीज अयस्क के दोहन की मात्रा में लगभग 20 % की वृद्धि हुई है जिसके कारण बहुमूल्य खनिज संसाधन का संरक्षण संभव हो पाया है ।

4. **खदान प्रोद्यौगिकी:**

1) ढलान:

सीएसआर- सीआइएमएफआर, नागपुर द्वारा गुड़गांव खदान के लिये ढलान के जरिये भूमिगत भराव क्षेत्र में प्रवेश हेतु अनुसंधान व विकास परियोजना तैयार की गई है । आर्थिक मूल्यांकन हेतु व्यवहार्यता अध्ययन जारी है । इससे भराई के परिचालनों के यंत्रीकरण के जरिये उत्पादन , सुरक्षा व उत्पादकता में सुधार लाने में मदद मिलेगी।

2) विस्फोटक की ढुलाई का विकल्प:

डोंगरी बुजुर्ग ओपन कास्ट खदान में शॉक ट्यूब्स के साथ साइट मिक्स इमल्शन (एसएमई)विस्फोटकों का प्रयोग किया जाता है । एसएमई के विस्फोट - उपरांत के परिणाम संतोषजनक पाए गये हैं और इससे कार्यात्मक क्षमता में वृद्धि के अतिरिक्त ध्वनि के स्तर, भू कंपन एवम् चट्टानों के छितराने के स्तर में भी पर्याप्त कमी आयी है ।

5. **शैक्षणिक व अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोगात्मक कार्य:**

1) मॉयल बालाघाट खदान में एनआइआरएम, बेंगलुरू के साथ मिल कर आधुमिक वैज्ञानिक शैल यांत्रिकी उपकरण लगाने हेतु संयुक्तसहयोगात्मक अनुसंधान और विकास परियोजना चला रहा है ।

2) डोंगरी बुजुर्ग खदान में बेहतर सुरक्षा के लिये नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, राउरकेला के साथ मिल कर बेतार संवेदी नेटवर्क का उपयोग करते हुए आधुनिक ढलान अमुप्रवर्तन उपकरणों- टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमेटरी (टीडीआर)हेतु ढलान संतुलन के लिये सहयोगात्मक अनुसंधान जारी है ।

6. आंतरिक अनुसंधान व विकास कार्य:

1) भराई की सामग्री हेतु पर्याय:

खदान आयोजन एवम् निरूपण विभाग ने मनसर खदान में प्रायोगिक आधार पर हाइड्रॉलिक परिवहन द्वारा भूमिगत खदानों में भराई सामग्री के रूप में उपयोग में लाने हेतु अधिभारी सामग्री के संबंध में एक आंतरिक अनुसंधान व विकास अध्ययन किया है और एक पेटेंट भी फाइल कर दिया है ।

ख. पहले से ढले आरसीसी कॉलम व लेक्शन:

संवहन विकास में आंतरिक रूप से विकसित पहले से ढले आरसीसी कॉलम व सेक्शन अत्यंत तीव्रता से लगाये गये हैं जिससे भूमिगत खदानों में संवहन विकास के सुरक्षा मानकों में सुधार हुआ है ।

अनुसंधान व विकास गतिविधियों के संबंध में और अधिक विवरण अनुबंध-2 में दिये गये हैं ।

ऊर्जा संरक्षण:

कंपनी के विभिन्न स्थलों पर विभिन्न ऊर्जा बचत परियोजनाएं चल रही हैं । नयी तकनीक के उपकरणों के कार्यान्वयन, बिजली के उपयोग पर यथोचित निगरानी करते हुए एवम् बर्बादी को टालते हुए द्वारा ऊर्जा बचत के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा ।

ऊर्जा के उपभोग में कमी वइस आशय की भावी योजनाएं निम्नानुसार हैं

1. महाराष्ट्र की खदानों में 5 एमडब्ल्यू की सौर्य परियोजना व मध्य प्रदेश की खदानों में 5.5 एमडब्ल्यू की सौर्य परियोजना पूरी होने वाली हैं ।
2. मध्य प्रदेश के राजगढ़ खास में 20 एमडब्ल्यू की सौर्य ऊर्जा परियोजना प्रस्तावित है ।
3. मॉयल भवन नागपुर में 54 केडब्ल्यू का सौर्य ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है ।
4. सभी खदानों एवम् संयंत्रों के प्रशासनिक प्रखंडों में ऊर्जा की बचत करने वाले प्रकाश लैंप, पंखे, वातानुकूलित यंत्र लगाने का काम प्रगति पर है ।
5. चकला खदान पर भूमिगत खदान हेतु स्वचालित पंपिंग परिचालन का कार्य प्रगति पर है ।
6. डोंगरी बुजुर्ग खदान पर परंपरागत प्रकाश का एलईडी प्रकाश द्वारा प्रतिस्थापन ।
7. इस वर्ष ऊर्जा की बचत करने वाले ट्रांसफॉर्मर, मोटर,हाई मास्ट लैंप लेने का प्रस्ताव है ।
8. बालाघाट खदान में एक बैटरी वाले इंजन (लोकोमोटिव) हेतु सम्पोषक नियंत्रण प्रणाली (रीजनरेटिव कंट्रोल सिस्टम) प्रदान की गई है ।

कंपनी की खदानों संयंत्रों के लिये प्रति टन उत्पादन हेतु बिजली का उपयोग निम्नानुसार है:

क्रम. स.	विवरण	केडब्ल्यूएच उपभोग पीएमटी	
		2017-18	2016-17
1.	मैंगनीज अयस्क	22.12	23.54
2.	फेरो मैंगनीज	3074.92	3062.76
3.	इलैक्ट्रोलिटिक मैंगनिज डाइ ऑक्साइड	3069.00	3425.86

ऊर्जा संरक्षण के विवरण अनुबंध-II में दिये गये हैं ।

- **पवन ऊर्जा निर्माण**

मॉयल के पास इंदौर(म.प्र.) के निकट देवास जिले में 4.8एम डब्ल्यू व 15.2 एमडब्ल्यू के पवन फार्म क्रमशः नागदा हिल्स व रातेडी हिल्स में स्थित हैं ।4.8एम डब्ल्यू के पवन फार्ण से निर्मित ऊर्जा को बालाघाट खदान तक पहुँचाया जाता है और उसका उपभोग खदान में व कंपनी के फेरो मैंगनीज संयंत्र में किया जाता है । 15.2 एमडब्ल्यू के पवन फार्म से निर्मित ऊर्जा उपयोग हेतु यथा मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को बेची जाती है । कंपनी ने वर्ष 2017-18 के दौरान 2.9 करोड केडब्ल्यूएच बिजली निर्मित की (पिछले वर्ष 3.23 करोड केडब्ल्यूएच)।

देवास, म.प्र. के पवन फार्म

- **खनन पट्टा और अन्वेषण :**

मॉयल के पास महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में दि.31.03.2018 को कुल 1743.77 हेक्टेयर का पट्टा क्षेत्र है (जिसमें उकवा, बालाघाट, तिरोडी और डोंगरी बुजुर्ग के वन क्षेत्र शामिल नहीं हैं जिन्हें अभी तक निष्पादित नहीं किया गया। महाराष्ट्र शासन ने नागपुर व भंडारा जिलों में मैंगनीज अयस्क की संभावनाओं का पता लगाने हेतु मॉयल के पक्ष में 814.71 हेक्टेयर के क्षेत्र का आरक्षण किया है। इसमें से राज्य सरकार ने कुल 597.44 हेक्टेयर के 11 क्षेत्रों के भावी लाइसेंस (पीएल) प्रदान कर दिये हैं व शेष प्रक्रियाधीन हैं ।

राष्ट्रीय भू- भौतिकी अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआइ) द्वारा 11 भावी लाइसेंस प्राप्त (पीएल) क्षेत्रों के अंतर्गत गुरुत्वाकर्षी व चुंबकीय पद्धति से भू - भौतिकी सर्वेक्षण कार्य किया था

सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर मॉयल ने 3 भावी लाइसेंस प्राप्त (पीएल) क्षेत्रों में खुदाई का कार्य किया गया था और इन क्षेत्रों के अंतर्गत मैंगनीज अयस्क होने की पुष्टि हुई

है । तदनुसार कंपनी ने 211.60 हेक्टेयर से अधिक के खनन लाइसेंसों (एमएल) हेतु आवेदन कर दिया है व सरकार ने 132.46 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले दो खनन लाइसेंसों की सैद्धांतिक मंजूरी की सूचना दे दी है और एक आवेदन प्रक्रियाधीन है ।सरकारियों से यथापेक्षित अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर शेष भावी लाइसेंस प्राप्त (पीएल) क्षेत्रों पर मुख्य खुदायी का काम शुरू किया जाएगा ।

मॉयल की खदान पर स्थापित अन्वेषण ड्रिलिंग मशीन

उपर्युक्त के अतिरिक्त मध्य प्रदेश सरकार ने भी मैंगनीज अयस्क की संभावनाओं का पता लगाने हेतु तवेझरी मांझरा गांव, जिला बालाघाट, म.प्र. में मॉयल के पक्ष में 372.701 हेक्टेयर के क्षेत्र का आरक्षण किया है । मॉयल ने भी पट्टा क्षेत्र में मुख्य खुदायी करते हुए अन्वेषण कार्य किया है । वर्ष 2017 – 18 के दौरान मॉयल के पट्टा क्षेत्र के अंतर्गत 25147 मीटर की मुख्य खुदायी का कार्य किया गया है जिसमें से 6197 मीटर का खनन कार्य मॉयल के विभाग द्वारा व शेष 18,950 मीटर की खुदायी संविदात्मक साधनों द्वारा की गई ।

खुदायी व अन्वेषण कार्य सतत रूप से जारी रखते हुए आपकी कंपनी ने अपने आरक्षित भंडार व मैंगनीज अयस्क के संसाधनों में वृद्धि करने में सफलता अर्जित की है जो अब बढ़ कर 90.66 मिलियन टन हो गया है । इसके साथ ही, अपनी प्रभावपूर्ण स्थिति, मध्यम से उच्च श्रेणी के आरक्षित अयस्क भंडार, केंद्रीकृत खदानों, उत्पादन की कम लागत तथा मजबूत ग्राहक संबंधों को देखते हुए मॉयल भारत की इस्पात की मांग से लाभ उठाने की मजबूत स्थिति में है ।

➢ सूचना प्रोद्यौगिकी का विकास व उसका उपयोग:

- अपनी सभी खदानों कार्यालयों में संगणक लगाना ।
- प्रधान कार्यालय, नागपुर में विंडोज पर इंटरनेट आधारित लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन) व लाइनक्स प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। कंपनी की सभी खदानों में लैन का निरूपण करते हुए उसे विकसित किया गया है ।
- एनआइसी के सर्वर पर एक गतिशील इंटरनेट वेबसाइट का निरूपण, विकास व निर्माण किया गया है तथा एक आंतरिक इंट्रानेट सर्वर भी बनाया गया है ।
- एप्लीकेशनों, डाटाबेस / सूचना के नियमित रूप से प्रभावी आदान – प्रदान हेतु सभी खदानों एवम् प्रधान कार्यालय को एमपीएलएस वैन तथा वीपीएन के जरिये पट्टाकृत लाइन / ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया है ।
- सतत रूप से जानकारी जुटाने, , ई – मेलिंग व इंटर युनिट डाटा अंतरण की सुविधाओं हेतु प्रधान कार्यालय के सभी संबंधित प्राधिकारियों को ओएफसी पर 40एमबीपीएस (1:1) की इंटरनेट पट्टाकृत लाइन के जरिये इंटरनेट कनेक्शन दिया गया है ।कंपनी की सभी खदानों को पट्टाकृत लाइन / ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन प्रदान किये गये हैं ।

- रु. 2 लाख व अधिक मूल्य वाले सभी माल की अधिप्राप्ति एमएसटीसी के ई – प्रोक्योरमेंट पोर्टल के जरिये की जाती है ताकि अधिप्राप्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता रहे।
- कंपनी में ईआरपी का कार्यान्वयन किया गया ।
- कंपनी में वीडियो कॉनफ्रेंसिंग सुविधा का कार्यान्वयन किया गया।

➢ उद्यम संसाधन आयोजन (ईआरपी)

मॉयल के ईआरपी में सभी व्यावसायिक प्रक्रियाओं के समेकनकी परिकल्पना की गई है जिससे ऐसी जानकारी पर आधारित निर्णय लिये जा सकों जो सभी स्तरों पर दिखायी दें व पारदर्शी हों ।संपूर्ण संगठन में एकल व्यवहार आधार साझा व अद्यतन किये जाने से सभी व्यावसायिक कार्यों का मास्टर डाटा बनाया जा सका है ।

कारपोरेट कार्यालय, नागपुर में ईआरपी हेतु एक अत्याधुनिक डाटा सेंटरतैयार करते हुए चालू किया गया है ।

एसएपी के मुख्य मापांकों (यथा वित्त व नियंत्रण, सामग्री प्रबंधन, बिक्री व वितरण, उत्पादन व आयोजन,संयंत्र रखरखाव, मानव संसाधन) के अतिरिक्त कंपनी ने प्रलेख प्रबंधन प्रणालियों का भी कार्यान्वयन किया है ।

जनवरी 2017 से नेमी स्वरूप के सभी व्यावसायिक व्यवहार पारंपरिक पद्धतियों से एसएपी में अंतरित कर दिये गये हैं और यह पद्धति अब स्थिर हो चुकी है । इसीके साथ, परिचालनों के बेगतर अनुप्रवर्तन व पारदर्शिता हेतु नयी प्रबंध सूचना पद्धति भी विकसित की गई है।

अखिल भारतीय खदान बचाव स्पर्धा 2017 में पुरस्कार

➢ सुरक्षा व व्यावसायिक स्वास्थ्य:

आपकी कंपनी खदानों / संयंत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष महत्व देती है और खनन की नवीनतम तकनीकों की शुरुवात तथा खनन के व्यवहारों के यंत्रीकरण के जरिये सुरक्षा उपकरणों के स्तरों में सतत रूप से सुधार करते हुए दुर्गटनाओं को कम करने हेतु सतत रूप से प्रयत्नशील रहती है। खदानों में सुरक्षा मानकों में सुधार हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गये है:

- कामगारों में सुरक्ष जागरूकता विकसित करने हेतु कामगारों को प्रशिक्षित व पुनर्प्रशिक्षित करना ।
- सुरक्षा समितियों की नियमित रूप से बैठकें आयोजित करना जिनमें हानी की दर को कम करने की दृष्टि से कड़ाईपूर्वक दुर्घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है ।

- सभी स्तरों पर कर्मचारियों से चर्चाएं आयोजित की जाती हैं ताकि दुर्गटनाओं को यथासंभव अधिकाधिक टाला जा सके ।
- हर कर्मचारी को विशेष प्रशिक्षण के अलावा नियमित रूप से व्यावसायिक व पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाता है।
- निरंतर विकास व खनन एवम् पर्यावरण कानून में सुरक्षा की भूमिका पर प्रशिक्षम कार्यक्रम।
- व्यावसायिक स्वास्थ्य एवम् प्रबंधन पद्धतियों के क्षेत्रमें मॉयल को बालाघाट, डोंगरी बुजुर्ग, चिकला, कांदरी, मनसर, गुमगांव, तिरोडी तथा उकवा खदानों के लिये ओएचएसएएस 18001- 2007 प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है ।
- डीजीएमएस की आवश्यकता के अनुसारसुरक्षा प्रबंधन योजना तैयार करना व बाहरी विशेषज्ञों से अपनी सभी भूमिगत व ओपन कास्ट खदानों का जोखिम निर्धारण अध्ययन कराना ।
- खदानों, संयंत्रों, विद्यालयों, अस्पतालों व प्रशासनिक कार्यालयों हेतु आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करना ।
- मॉयल की विभिन्न खदानों को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार (खदान) दिये गये हैं ।

➢ **पर्यावरण सुरक्षा व नवीकरणीय ऊर्जा:**

आज के युग में पर्यावरण संरक्षण महत्वपूर्ण हो गया है । यह आवश्यक है कि किसी समुदाय की विकास प्रक्रिया उसके परिवेश तथा उस समाज की संस्कृति के अनुरूप हो। मॉयल की सभी खदानों व रेत के घाटों को एमओईएफ या उनके द्वारा नामित कार्यालय की पर्यावरण मंजूरी प्राप्त है । निरंतर विकास के लक्ष्य सहित आपकी कंपनी ने भूमंडलीय तापन में कमी हेतु सक्रिय उपाय किये हैं । कंपनी अपने पट्टागत क्षेत्रों के आसपास पर्यावरक्षण संरक्षण के अपने दायित्वों के प्रति सचेत है । विभिन्न खदानों पर दि. 31.03.2018 को संचयी वृक्षारोपण 19.46 लाख है । एक पर्यावरण हितैषी संस्था बनने के लिये मॉयल ने मध्य प्रदेश के देवास जिले में 20 एमडब्ल्यू क्षमता का पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया है । कंपनी ने मॉयल भवन, नागपुर में 48 के डब्ल्यू के छत के ऊपर सौर्य पैनल भी लगाए हैं और खदानों के लिये भी यह प्रक्रिया जारी है । कंपनी की खदानों में 10.50 एम डब्ल्यू क्षमता की सौर्य ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है ।कंपनी ने अपने कई कार्यस्थलों पर परंपरागत लाइट के स्थान पर एलईडी लाइट लगा दी हैं । कंपनी राजगढ़ खास (म.प्र.) में में 20 एम डब्ल्यू का सौर्य ऊर्जा संयंत्र लगाने जा रही है।

आधुनिक पर्यावरण हितैषी हाइड्रो स्टैटिक ड्रिल मशीन

➢ **सतर्कता गतिविधियाँ / आयोजन:**

सतर्कता विभाग के कार्यकलाप में रोकथाम व सक्रिय सतर्कता शामिल है जिसमें मुख्य रूप से संस्था में प्रणालियों के सुधार पर जोर दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न व्यवहारों एवम् प्रयसों से अधिकतम लाभ मिल सके । वर्ष 2017 - 18 के दौरान सतर्कता विभाग की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नानुसार हैं-

1) **आइएसओ-90012015 प्रमाणन:** सतर्कता विभाग को इंटरनैशनल सर्टिफिकेशन सर्विसेज प्रा.लि., मुंबई द्वारा आइएसओ-90012015 प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है जो गुणवत्ता प्रबंध प्रणालियों हेतु आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैड की संयुक्तप्रमाणिकता प्रणाली द्वारा मान्यता प्राप्त है । मॉयल का प्रमाणपत्र दि. 21.05.2020 तक वैध है ।

2) **निरीक्षण:** निष्पादन के दौरान मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने व प्रणाली में सुधार के सुझाव देने हेतु सामान्य / औचक व सीटीई निरीक्षण किये जाते हैं । वर्ष 2017 - 18 के दौरान 61 आवधिक / औचक निरीक्षण व 3 सीटीई प्रकार के निरीक्षण आयोजित किये गये ।

3) **ई-अधिप्राप्त:** न्यूनतम मूल्य (फिलहाल रु.2 लाख) से अधिक की खरीदों व कार्य संविदाओं हेतु ई- अधिप्राप्ति की जाती है ।

4) **सतर्कता की संरचनात्मक बैठक:** केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) एवम् इस्पात मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसारसतर्कता की संरचनात्मक बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं । संदर्भाधीन अवधि के दौरान 3 बैठकें आयोजित की गई जिनमें ई-गवर्नेंस,नियंत्रण तकनीकों, निविदा प्रबंधन, कार्य आबंटन, भर्ती की नितियों पर चर्चा हुई ।

5) **नियंत्रण तकनीक:** आयोग के परिपत्र के संदर्भ में विनियामक, प्रवर्तनकारी गतिविधियों व शिकायतों पर कार्रवाई करते समय वेबसाइट के उपयोग व नियंत्रण तकनीकों पर विशेष जोर दिया जाता है । नियंत्रण तकनीकों के अंतर्गत मुख्यत: माल एवम् संविदाओं की अधिप्राप्ति पर जोर दिया जाता है । ठेकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं को किये गये बिलों के भुगतान की स्थिति भी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है । सभी निविदा प्रलेख, पदोन्नति सूचियां, स्थानांतरण सूचियां, सीएसआर के कार्य, भर्तियों में वरिष्ठता की सूची, सूचनाएं व अन्य प्रारूप कंपनी की वेबसाइट व इंट्रानेट पर प्रदशित किये जाते हैं ।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर परंपरागत रूप से दीप प्रज्वलम करते हुए

6) **मैन्युअलों को अद्यतन करना:** विभिन्न मैन्युअल जैसे खरीद मैन्युअल, कार्य एवम् संविदा मैन्युअल, कार्मिक मैन्युअल आदि कंपनी की वेबसाइट/इंट्रानेट पर प्रदर्शित किये गये हैं । सक्रिय सतर्कता के एक भाग के रूप में मैन्युअलों को अद्यतन किया जाता है और जहां कहीं भी आवश्यक हो, प्रबंधन उनका अनुशीलन करता है ।

7) **प्रशिक्षण कार्यक्रम:** वर्ष 2017 - 18 के दौरान सतर्कता विभाग ने कारपोरेट ट्रेनिंग सेंटर में व मनसर ट्रेनिंग सेंटर में सतर्कता जागरूकता पर 06 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिसमें 209 कर्मचारी (832 घंटे) शामिल हुए ।

8) **कार्य आवर्तन:** संवेदनशील पदों पर 3 वर्षों से अधिक से कार्यरत पदाधिकारियों के आवर्तन हेतु संवेदनशील पदों का अभिनिर्धारण किया गया है और प्रबंधन द्वारा उनका आवर्तन किया जाता है ।

9) **सतर्कता न्यूजलेटर:** सतर्कता की गतिविधियों के संप्रेषण हेतु और मुख्य सतर्कता आयोग व डीओपीटी, मंत्रालय आदि द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवम् परिपत्रों आदि के संबंध में अद्यतन जानकारी देने हेतु सतर्कता विभाग एक मासिक न्यूजलेटर ङ्कविजिलेंस वाणीङ्क प्रकाशित करता है । सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान वार्षिक पत्रिका ङ्कशुचिताङ्क भी प्रकाशित की जाती है ।

10) **कर्मचारी की सतर्कता प्रोफाइल:** वर्ष 2017 - 18 के दौरान विभिन्न प्रयोजनों के लिये 1085 मामलों में कर्मचारियों की सतर्कता प्रोफाइल जारी की गई थी ।

11) **प्रणाली सुधार:** शिकायतों की जाँच, अध्ययन, निरीक्षण आदि के संबंध मेंनिम्नलिखित क्षेत्रों में प्रबंधन को परामर्श व सुझाव दिये गये हैं-

- प्रोद्यौगिकी का उपयोग
- कार्य संविदाओं में अनुमानों व दरों की सूची तैयार करना
- ई एम डी का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण व रीफंड
- कर्मचारियों की वैयक्तिक्र फाइलों और सेवा पुस्तकों को नियमित अद्यतन करना।
- सूचना पद्धति यथा ईआरपी / एसएपी व डाटा आश्रय प्रबंध नियंत्रण की सुरक्षा।
- निगरानी हेतु सीसीटीवीलगाना ।
- खदानों में हाजिरी के लिये बायोमेट्रिक प्रणाली लगाना ।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान शुचिता के 6ठे अंक का प्रकाशन

12) **वार्षिक संपत्ति विवरणी:** मुख्य सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, संस्था के सभी कार्यपालकों ने अपनी वार्षिक संपत्ति विवरणियां प्रस्तुत कर दी हैं और उनमें से हर वर्ष 20% की संवीक्षा की जाती है । तद्नुसार 72 कार्यपालकों की विवरणियों की संवीक्षा वर्ष के दौरान की गई है ।

13) **सतर्कताजागरूक्तासप्ताह:** मॉयलकीसभीखदानों/कार्यालयोंमेंदि. 30अक्तूबर, 2017से4नवंबर, 2017तक सतर्कता जागरूक्ता सप्ताह मनाया गया था। इस अवसर पर सतर्कता विभाग ने सतर्कता मैगजीन शुचिता के 6ठे वार्षिक अंक का प्रकाशन किया जिसका विमोचन अध्यक्ष एवम् प्रबंध निदेशक व निदेशक (वाणिज्य) के साथ मंडल आयुक्त, नागपुर द्वारा किया गया । सप्ताह के दौरान कर्मचारियों, स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थियों व आम जनता के लिये विभिन्न स्पर्धाओं, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों एवम् रैलियों का आयोजन किया गया था ।

14) दि. 24.01.2018 के ओ एम क्र.28(1) 2016-एलईजी.1 में की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2017 - 18 के दौरान निपटाये गये व पेंडिंग सतर्कता के मामलों से संबंधित विवरण निम्नानुसार हैं-

वर्ष 2017-18 के दौरान मामले	मामलों का स्वरुप		कुल
	सतकर्ता संबंधी	प्रशासनिक	
निपटाये गये मामले	31	04**	35
पेंडिंग*	04	NIL	04

* फिलहाल सभी पेंडिंग मामले निपटा दिये गये हैं ।

** सभी प्रशासनिक मामले प्रबंधन के पास उनके स्तर पर निपटाये जाने हेतु अग्रेषित कर दिये गये हैं ।

➢ सूचना के अधिकार (आरटीआइ) का कार्यान्वयन:

भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रारंभ से ही मॉयल ने उसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु प्रमुख पहल की है ।

मॉयल ने अपने कारपोरेट कार्यालय में सीपीआइओ व अपनी सभी खदानों में पीआइओ/ एपीआइओ की नियुक्तिकी है । मुख्य महाप्रबंधक (कार्मिक) को अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त / नामित किया गया है। सभी पीआइओ / एपीआइओ एवम् अपीलीय प्राधिकारी के नाम कंपनी की वेबसाइट WWW.MOIL.NIC.IN पर प्रदर्शित किये गये हैं।

कंपनी और उसके कर्मचारियों आदि के संबंध में जानकारी सूचना अधिकार अधिनियम कीधारा 4(1) में निर्धारित 17 शीर्षों के अंतर्गत तैयार की गई है।मॉयल नियमित रूप से निर्धारित प्राधिकारियों को आवश्यक जानकारी एवम् विवरणियां प्रस्तुत करता है व उन्हें नियमित रूप से अद्यतन करता है।

कर्मचारियों में इस अधिनियम के आशय व सही भावना से अवगत कराने हेतु जागरूकता पैदा की गई है।अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को परिपत्र जारी करते हुए प्रमुखता से प्रसारित किया गया है और यह अनुरोध किया गया है कि दैनंदिन के कामकाज में पारदर्शिता बरती जाए और सभी अभिलेख उचित व सुव्यवस्थित रूप से रखे जाएं । इसके अतिरिक्त कंपनी अपनी ओर से नियमित अंतराल पर जनता के लिये कंपनी की वेबसाइट पर कुछ जानकारी डालती अद्यतन करती रहती है ताकि जनता जानकारी प्राप्त करने हेतु सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों का उपयोग कर सके।

वर्ष के प्रारंभ में 2 आरटीआइ आवेदन पेंडिंग थे, वर्ष के दौरान 68 आरटीआइ आवेदन प्राप्त हुए जिनमे से 39 आवेदन निपटाये गये, 23 निरस्त किये गये व 8 आवेदन दि.31.03.2018 कोपेंडिंग थे। अवधि के दौरान अपीलीय प्राधिकारी को 32 आरटीआइ प्राप्त हुए और सभी का निपटान किया गया है।

➢ प्रशिक्षण कार्यक्रम व कौशल विकास:

वर्ष 2017 – 18 में कर्मचारियों के लिये मनसर प्रशिक्षम केंद्र में 68 कार्यक्रम (आंतरिक व बाहरी) आयोजित किये गये।

गत वर्ष मे प्रशिक्षण मे भाग लेने वालो मे आते है

कायक्रम के विवरण	कार्यक्रम की सं.	कुल सहभागी	कुल कार्य दिवस
मनसर प्रशिक्षण कार्यक्रम	24	671	711
कंपनी के आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	24	526	1108
बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम	20	75	339
कुल	68	1272	2158

प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कंपनी ने शिक्षुओं को भी प्रशिक्षण प्रदान किया ।मॉयल शिक्षुओं को अपने अंतर्निहित कौशल के प्रदर्शन हेतु प्रेरित करती रही है और अपने कौशल के प्रदर्शन हु उन्हें विविध मंच उपलब्ध कराती है ।

कंपनी ने मॉयल की खदानों के आसपास क्षेत्र के औद्योगिक परिवेश के विकास हेतु कुशल मनुष्यबल उपलब्ध कराते हुए कौशल विकासक की पहलों में सहयोग देने हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं । इस कार्यक्रम के अंतर्गत एनएसडीसी के चैनल भागीदारों द्वारा उपस्थिति पंजी पर मौजूद 424 कर्मचारियों, 127 ठेके के कामगारों व खदानों के आसपास के गावों में रहने वाले 119 स्थानीय सुवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। तदनुसार कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 670 सहभागियों को कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

➢ स्वच्छता अभियान:

स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जसमें मॉयल ने माननीय प्रधान मंत्री के आवाहन पर हमारे देश के सबसे बड़े स्वच्छता अभियान में सक्रिय सहभाग लिया । मॉयल ने स्वच्छ भारत के महात्मा गांधी के स्वप्न को पूरा करने में सहभाग लिया । मॉयल स्वच्छ भारत अभियान के इस कल्याणकारी कार्य के आयोजन एवम् कार्यान्वयन में अपने मनुष्य बल का पुनर्विन्यास करने में सक्रिय रूप से सहभागी है ।

मॉयल की सभी खदानों में हर महीने पहले बुधलार को स्वच्छता दिवस मनाया जाता है । कंपनी हर महीने 1 से 15 तारीख तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाती है ।

मॉयल की खदान पर स्वच्छता दिवस का आयोजन

➢ नगद विरहित लेन–देन का स्वागत:

मंत्रालय के निदेशानुसार कंपनी की खदानों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हुए नकदीरहित व्यवहारों को बढ़ावा देने के प्रयास किये जाते हैं । मॉयल द्वारा नगद विरहित व्यवहार को बढ़ावा देने हेतु की गई कार्रवाई निम्नानुसार हैः

- युनिट स्तर पर सामाजिक समूहों द्वारा नगद विरहित व्यवहार का प्रचार – प्रसार ।
- ग्रामीणों में इस संबंध में प्रचार – प्रसार करने हेतु मॉयल की खदानों के आसपास के गावों में नुक्कड़ नाटकों / लघु कार्यशालाओं का आयोजन ।
- एटीएम (डेबिट क्रेडिट कार्ड), मोबाइलवैलेट, मोबाइल ऐप, नेट बैंकिंग,, ईसीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, ई – पेमेंट के जरियेनकदीरहित व्यवहार को बढ़ावा देने हेतु क्षेत्र के बैंकरों के साथ सहयोग करना ।
- सभी प्रमुख स्थलों पर नकदविरहित व्यवहारों के लाभ बताते हुए बैनर / पोस्टर्स और विज्ञापन प्रदर्शित किये गये हैं ।
- सभी कर्मचारियों को पारिश्रमिक, वेतन व अन्य भुगतान बैंक खातों के जरिये ही किये जाते हैं । अधिकतम कर्मचारी अब डेबिट कार्ड व चेक सुविधा का उपयोग करने लगे हैं । 100 % ठेके के कामगारों ने भी अपने व्यक्तिगत बैंक खाते खुलवा लिये हैं और उनका पारिश्रमिक बैंक के जरिये ही अदा किया जाता है ।
- कर्मचारियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान किये जाते हैं ।

➢ कल्याणकारी योजनाएं एवम् सुविधाएं

मॉयल अपने कर्मचारियों तथा खदानों के आसपास रहने वाले लोगों क लाभार्थ कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं यथा आवास, पेय जल, बिजली, अस्पताल, स्वास्थ्य शिबिर, स्कूल, आवास ऋण व आवास ऋणों पर अर्थ साहाय्य आदि चलाता है । इन योजनाओं की मुख्य मुख्य बातें निम्नानुसार हैं–

- कर्मचारियों के जीवन – स्तर में सुधार लाने व उनकी महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अधिकांश कर्मचारियों को आवासीय क्वार्टर उपलब्ध कराए गये हैं ।
- खदान की कॉलनियों में रह रहे कर्मचारियों को पर्याप्त मात्रा में पेय जल उपलब्ध कराया जाता है।
- कॉलोनियों एवम् शिबिरों में प्रकाश की अच्छी व्यवस्था है । कर्मचारियों को अपने आवास हेतु रियायती दर पर बिजली उपलब्ध करायी गई है ।
- सभी खदानों पर अस्पतालों दवाखानो की स्थापना की गई है जिनका रखरखाव योग्य चिकित्सकों द्वारा किया जाता है व उन्हें प्रशिक्षित पराचिकित्सकीय स्टाफ की सहायता प्राप्त रहती है । वहां ओपीडी की सुविधा उपलब्ध है तथा पुरुषों एवम् महिलाओं के लिये अलग – अलग आंतरिक वार्ड उपलब्ध कराए जाते हैं । आपोत की स्थितियों से निपटने हेतु सभी अस्पतालों को ऐम्बुलेंस की सुविधा मुहैया करायी गई है । रोगियों को आवश्यकता नुसार विशेषज्ञ अस्पतालों में उपचार हेतु संदर्भित किया जाता है ।
- कंपनी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा बीमा मौजूद है ।

- दि. 01.01.2007 से सभी कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना लागू है ।
- कुछ खदानों में प्राथमिक स्कूल चलाने हेतु सहायता प्रदान की जाती है जहां नःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है । बच्चों को निकटवर्ती क्षेत्र के स्कूल / कॉलेजों तक लाने- लेजाने हेतु स्कूल बसें उपलब्ध करायी गई हैं ।
- गुणवंत विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति देने की योजना बनायी गई है । पेशेवर पाठ्यक्रमों में शिक्षार्जन हेतु स्टाफ एवम् कामगारों के बच्चों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है ।

➢ अनुसुचित जाती /अनुसुचित जनजाती हेतु कल्याणकारी उपाय:

मॉयल एक मजदूर बहुल संस्था है जिसमें दि. 31.03.2018 को 6080 कर्मचारी हैं जिनमें से लगभग 80 % अनुसुचित जाती/अनुसुचित जनजाती/ओबीसी (अजा 20.23 % अजजा 25.72 % ओबीसी 34.34 % से हैं । कंपनी दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाली जनजातीय आबादी के विकास में भी निम्नलिखित उपाय करते हुएअत्यधिक रुचि लेती है:

- खदानों के पास के गावों को दत्तक लेना व वहां पेय जल की सुविधा उपलब्ध कराते हुए सड़कों का रखरखाव करना ।
- इन गावों में रहने वाले लोगों की आवधिक रूप से चिकित्सा जाँच व उपचार कराना ।
- खदान के क्षेत्र के निकट के स्कूलों को वित्तीय सहायता, स्टेशनरी, पुस्तकें आदि उपलब्ध कराना ।
- कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसुचित जाती/अनुसुचित जनजाती के स्थानीय युवकों के लिये कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ।
- विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना ।

मॉयल में योग दिवस समारोह

➢ महिला सशक्तिकरण:

मॉयल में दि. 31.03.2018 को 738 महिला कर्मचारी ते जो उसके कुल 6080 कर्मचारियों का12.14 % हैं ।

सर्वोच्च न्यायालय के निदेशानुसार भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कार्य स्थल पर महिला कर्मचारियों के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये थे । तद्नुसार, वर्ष 1999 में एक शिकायत समिति का गठन किया गया था जिसे मई 2014 में पुनर्गठित किया गया । कंपनी की किसी भी खदान या उसके कारपोरेट कार्यालय में उत्पीड़न का कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है ।महिला कामगारों में जागरूकता लाने हेतु इन निदेशों का व्यापक रूप से प्रसारण किया गया है ।

कंपनी की सभी खदानों पर महिला मंडल प्रभावी ढंग से कार्यरत हैं । अधिकांशतः दूरदराज के खदान के क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिये विभिन्न सांस्कृतिक ,शैक्षणिक, सामुदायिक गतिविधियां जैसे प्रौढ़ शिक्षा, रक्तदान शिबिर,नेत्र जाँच के शिबिर, परिवार नियोजन आदि का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है । हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं ।कंपनी परिवार नियोजन हेतु प्रसूति छुट्टी व विशेष आकस्मिक छुट्टी भी प्रदान करती है ।

सीएसआर गतिविधियों के एक भाग के रूप में खदानों में स्व - सहायता समूह बनाये गये हैं जिनमें दूरदराज के गावों की महिलाएं शामिल रहती हैं । उन्हें स्वयंनिर्भर बनाने की दृष्टि से उन्हें मोमबत्तियां, वॉशिंग पाउडर,वॉशिंग साबुन,बांस की टोकरियां बनाने, सिलाई व अन्य विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों में प्रशिक्षित किया जाता है । मॉय के इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है और उसे अत्यधिक सफलता मिली है ।

मॉयल का स्थापना दिवस समारोह

➢ कर्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिबंध व निवारण) अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रकटन की आवश्यकता:

कर्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिबंध व निवारण) अधिनियम 2013 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रवधानों का अनुपालन किया है । अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी में यौन उत्पीड़न के अंतर्गत प्राप्त मामलों पर कार्रवाई करने हेतु एक यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति का गठन किया है । समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं-

1.	श्रीमती प्रीति जोशी उ.म.प्र. (विधि)	:	समिति की प्रमुख
2.	श्रीमती डॉ. भारती रंगारी उ.म.प्र.(एमएस)	:	सचिव
3.	श्री नितिन पागनीस उ.म.प्र. (कार्मिक)	:	सदस्य
4.	श्री नीरज पांण्डेय कंपनी सचिव	:	सदस्य
5.	श्रीमती ऊज्वला अभ्यंकर वरि.प्र. (कार्मिक)	:	सदस्य
6.	श्रीमती आशा सिंह भूतपूर्व प्रधानाचार्य	:	स्वतंत्र सदस्य

समिति के सदस्यों के नाम कंपनी की वेबसाइट (www.moil.nic.in) परप्रदर्शित किये गये हैं। वर्ष 2017 – 18 के दौरान यौन उत्पीड़न की शिकायतों का सारांश निम्नानुसार है:

प्राप्त शिकायतो की सं.	निपटाई गई शिकायतो की सं.	पेंडींग शिकायतों की सं.
शून्य	लागू नही	लागू नही

➢ काार्मिक

कंपनी की दि.31.03.2018 की मनुष्य बल संख्या निम्नानुसार है:

लिंग	कार्यपालक	गैर–कार्यपालक	कामगार	कुल
पुरुष	**321**	**2128**	**2893**	**5342**
महिलाएं	**23**	**103**	**612**	**738**
कुल	**344**	**2231**	**3505**	**6080**

दि.31.03.2018 को कर्मचारी संख्या के श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाती	अन्य पिछडा वर्ग	अन्य	कुल
ए	58	11	75	159	303
बी	28	9	50	77	164
सी	298	199	408	374	1279
डी	782	1345	1555	588	4270
सफाई कर्मचारी	64	0	0	0	64
कुल	1230	1564	2088	1198	6080
कुल %	20.23%	25.72%	34.34%	19.70%	100%

➢ नागरिक चार्टर एव शिकायत:

क) कर्मचारियों की शिकायते– कार्यपालकों तथा गैर कार्यपालकों हेतु मॉयल की अपनी शिकायत निवारण प्रणाली है। तदनुसार कर्मचारियों की शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है ।

ख) जनता की शिकायते: कोई भी नागरिक ऑनलाइन केंद्रीकृत जनता शिकायत निवारण एवम् अनुप्रवर्तन प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)के जरिये अपनी व्यथाएं प्रस्तुत कर सकता है।सभी व्यथा निवारण अधिकारियों को जनता की व्यथाओं के निपटान के तरीकों से अवगत कराया गया है ।जनता की व्यथाओं पर कार्रवाई करने हेतु विभिन्न् प्राधिकारियों से विगत में प्राप्त अनुदेशों के आधार पर प्रणाली अपनायी गई है ।

ग) मॉयल में शिकायत के निवारण हेतु मौजूद तंत्र में हर युनिट खदान में एक शिकायत निवारण अधिकारी होता है। प्रभावी निष्पादन हेतु प्रधान कार्यालय हेतु नामित व्यथा निवारण अधिकारी युनिट / खदान के व्यथा निवारण अधिकारियों से समन्वय करता है।

घ) खदानों एवम् कारपोरेट कार्यालय में नामित जनता व्यथा निवारण अधिकारी मासिक / त्रैमासिक रूप से व्यथाओं का पुनरीक्षण करते हैं, उन पर कार्रवाई करते हैं और एक माह की निर्धारित अवधि में उनका निपटान करते हैं।

ड) युनिटों खदानों से संबंधित डाटा युनिट खदान के व्यथा निवारण अधिकारी द्वारा प्रधान कार्यालय को विवरणियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। उसकी जाँच की जाती है और उन्हें मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है।

दि.01.04.2017 से दि.31.03.2018तक की अवधि में प्राप्त जनता व स्टाफ की व्यथाओं की स्थिति:

क्रम सं.	व्यथाएं	दिनांक 01.04.2017 को बकाया व्यथाएं	वर्ष के दौरान प्राप्त व्यथाएं	निमटाये गये मामलों की सं.	दि. 31.03.2018 को पेंडिग मामलों की सं.
1	जनता	----	6	6	-----
2	स्टाफ	शून्य	8	8	0
	कुल	**शून्य**	**14**	**14**	**0**

➢ कारपोरेट सामाजिक दायित्व व निरंतरता:

मॉयल में सीएसआर एक सतत प्रक्रिया है । मॉयल कई वर्षों से एक संकल्प के तौर पर सीएसआर गतिविधियां कर रहा है।कंपनी ने निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित एक सीएसआर नीति बनायी है । सीएसआर के अंतर्गत कई योजनाएं चलायी जा रही हैं, जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल है:

- शिक्षण एवम् कौशल विकास के क्षेत्र में मॉयल मध्य प्रदेश के बालाघाट एवम् महाराष्ट्र के भंडारा जिलों में अपनी खदानों के विभिन्न निकटवर्ती स्कूलों को सहायता प्रदान करता है ।
- ग्रामीण बच्चों को दर्जेदार शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मॉयल ने डीएवी के साथ मिल कर भंडारा जिले के सीता सावंगी गांव में एक बड़े स्कूल का निर्माण किया है।

- सीतासावंगी में डीएवी – मॉयल के स्कूल को प्राप्त जबरदस्त प्रतिसाद को देखते हुए कंपनी मनसर, जिला नागपुर में इस स्कूल की एक और शाखा खोलने की प्रक्रिया में है जो ग्रामीण बच्चों की दर्जेदार शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता को पूरा करेगा।
- कौशल विकास कार्यक्रमः राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एनएसडीसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार संभार तंत्र कौशल पर प्रशिक्षण, खदान मित्र व विस्फोटक का प्रशिक्षण 119 स्थानीय युवकों एवम् 127 ठेके के कामगारों को प्रदान किया गया है।
- दूरदराज के क्षेत्रों को नलकूपों के जरिये पीने का पानी मुहैया कराना।
- कंपनी ने महात्मे आइ बैंक और एस एम एम द्वारा संचालित आइ वेलफेयर ट्रस्ट, लता मंगेशकर अस्पताल आदि के साथ मिल कर जरूरतमंद लोगों के लिये नःशुल्क मोतियाबिंद शल्यक्रियाएं का आयोजन किया ।

कारपोरेट सामाजिक दायित्वों के अंतर्गत समुदाय विकास कार्यक्रम

- कंपनी ने एक पेशेवर एजेंसी बीएआइएफ तथा बीएआइएफ, पुणे की एक सहायक संस्था महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ट्रांसफर फॉर रूरल एरियाज (मित्राज) के साथ मिल कर एक गठबंधन स्थापित किया है जिसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाने की व्यापक अनुभव प्राप्त है। मॉयल ने मित्रा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं जिन्होंमे परियोजना की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है ।प्रारंभ में महाराष्ट्र में नागपुर के 21गांव, भंडारा के 11 गांव तथा मध्य प्रदेश में बालागाट के 5 गावों का अभिनिर्धारण किया गया बै। विकासात्मक गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र निम्नानुसार हैं–

• जिविका	• शिक्षण
• महिला सशक्तिकरण	• आंगनवाड़ी आदारित मध्यस्थता
• जल संसाधन प्रबंधन	• सामुदायिक संसाधन विकास
• कृषि प्रशिक्षण	• स्वास्थ्य, स्वच्छता व आरोग्य
• जीवन स्तर	

- कंपनी ने अभिनिर्धारित गावों में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 534 शौचालय बनवाए हैं और समेकित सौर स्ट्रीट लाइटें लगवायी है।
- मॉयल ने अपनी खदानों के परिचालनगत क्षेत्रों के आसपास विभिन्न ढँचागत निर्माण कार्य जैसे गांव की सड़क निर्माण, वैयक्तिक शौचालय निर्माण, सामुदायिक सभागृह निर्माण, वृक्षारोपण में सहयोग आदि जैसे कार्य हाँथ में लिये हैं । कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत की गई आवश्कता के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर एक रिपोर्ट अनुबंध – III में दी गई है ।

कारपोरेट सामाजिक दायित्वों के अंतर्गत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

➢ **सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत खरीदी:**

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 की अपेक्षानुसार और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपनी कुल वार्षिक खरीद व प्राप्त सेवाओं का न्यूनतम 20 प्रतिशत सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों से अधिप्राप्त करना होगा व इस 20 प्रतिशत में से 4 प्रतिशत अनुसूचित जाति या जनजाति के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों से अधिप्राप्त करना होगा। यह भी अपेक्षा है कि सरकारी उपक्रम उपर्युक्त अधिप्राप्ति से संबंधित लक्ष्यों एवम् लक्ष्यपूर्ति को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सूचित करें ।

वर्ष 2017 – 18 के दौरान कुल रु.70.53 करोड(पिछले वर्ष रु.47.99 करोड) की कुल अधिप्राप्ति की गई जिसमें से कुल वार्षिक अधिप्राप्ति का 42 प्रतिशत सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों द्वारा निर्मित था ।

- इस प्रकार कंपनी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 की अपेक्षाओं की पूर्ति करती है। वित्तीय वर्ष 2018 – 19 हेतु भी मॉयल ने सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवम् सेवाओं की अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा है जैसा कि उपर्युक्त परिच्छेद में बताया गया है ।

➢ **हिंदी का प्रगतीशील प्रयोग:**

मॉयल की खदानों में लगभग 97 प्रतिशत कार्य हिंदी में किया जाता है । कंपनी के सभी संगणकों परयुनिकोड की व्यवस्था है ।कंपनी ने संगणकों पर हिंदी भाषा के सॉफ्टवेयर लगाए हैं ताकि मॉयल के कर्मचारी अपने दैनंदिन के कार्यों में हिंदी का उपयोग कर सकें ।

राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु कंपनी सतत रूप से हिंदी स्पर्धाओं जैसे हिंदी निबंध स्पर्धा, आलेखन व टिप्पण स्पर्धा, आदि का आयोजन करती है व कविताएं व लेख मंगवाती है जिन्हें विभिन्न मैगजीनों में प्रकाशित कराया जाता है। कर्मचारियों को गृह मंत्रालय की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण व पुनर्प्रशिक्षण दिया जाता है। अब तक 312 कर्मचारियों को प्राज्ञ स्तर तक का प्रशिक्षण दिया जा चुका है जो कंपनी में एक सतत प्रक्रिया है।

कंपनी ने नगर राजभाषा समिति, बालाघाट द्वारा प्रकाशित हिंदी मैगजीन वैनगंगा तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नागपुर द्वारा प्रकाशित मैगजीन राजभाषा दर्पण में भी अपना

योगदान दिया है ।

कंपनी अपने कार्य निष्पादनों, उपलब्धियों, गतिविधियों आदि को प्रदर्शित करते हुए हिंदी अंग्रेजी में एक द्विभाषिक गृह पत्रिका संकल्प का भी प्रकाशन करती है।मॉयल के कर्मचारी समन्वय समिति द्वारा आयोजित विभिन्न स्पर्धाओं में सहभागी होते हैं।

कंपनी के कर्मचारियों को अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित हिंदी स्पर्धाओं में भी भाग लेने हेतु प्रेरित किया जाता है ।

गृह मंत्रालय ने पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन, नागपुर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के वार्षिक दिन समारोह का आयोजन किया था जिसमें सरकारी व निजी क्षेत्र की विभिन्न संस्थाओं ने सहभाग लिया था । मॉयल के सतर्कता विभाग की आंतरिक गृह पत्रिका शुचिता को उसकी बेहतर सामग्री हेतु 3 रा पुरस्कार प्राप्त हुआ।गृह मंत्रालय के उप निदेशक ने उसकी सराहना की।

पुरस्कार व प्रशंशा:

मॉयल देश का एक ऐसा सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है जिसे उत्कृष्ट कार्यकलाप हेतु जाना जाता है।गतिविधियों के लगभग सभी क्षेत्रों में अच्छे कार्य हेतु राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर मान्यता मिलती रही है। नीचे कुछ ऐसी ही मान्यताओं का उल्लेख किया जा रहा है जो उसे राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त हुई हैं।

सबसे तेज गति से विकास करने वाली संस्था हेतु हिंदुस्तान रत्न

- खदान मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली मेंआयोजित 3रे राष्ट्रीय खदान अधिवेशन में मॉयल की डोंगरी बुजुर्ग ओपन कास्ट खदान एवम् चिकला भूमिगत खदान को माननीय खदान राज्य मंत्री श्री हरिभाई चौधरी के हाथों 5 – सितिरा प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ ।
- जांबादोबा खदान, धनबाद में आयोजित अखिल भारतीय खदान राहत प्रतियोगिता में धातु क्षेत्र में बेस्ट फ्रेश एयर बेस श्रेणी में 2रा पुरस्कार व बेस्ट रेस्क्यू व रिकवरी टीम के रूप में 2रा पुरस्कार ।
- गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के पुरस्कार वितरण समारोह में उत्कृष्ट विषयवस्तु की श्रेणी में सतर्कता विभाग द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिका शुचिता को 3 रा पुरस्कार।
- जेएसएस साइंस एंड टेक्नॉलॉजि युनिवर्सिटी, मैसूर में आयजित क्वालिटी कंसेप्ट्स – 2017 (एनसीक्यूसी) के31 वें राष्ट्रीय अधिवेशन में मॉयल को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए–
  - क. तिरोडी खदान को गुणवत्ता समूह का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार व व्यंग्य नाटिका स्पर्धा में पहला पुरस्कार।
  - ख. फेरो मैंगनीज संयंत्र, बालाघाट को गुणवत्ता समूह का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार व मॉडेल स्पर्धा में पहला पुरस्कार।
  - ग. आइएमडी संयंत्र,डोंगरी बुजुर्ग खदान को गुणवत्ता समूह का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार।
  - घ. ईएमडी संयंत्र, डोंगरी बुजुर्ग खदान को गुणवत्ता समूह का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार।

➢ **निदेशक:**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान श्रीमती उर्विला खटी(नामित निदेशक, भारत सरकार) एवम् श्री एम.एल.दुबे(नामित निदेशक, मध्यप्रदेश सरकार) कंपनी के निदेशक नहीं रहे। बोर्ड उनके निदेशक रहने की अवधि के दौरान उनके बहुमूल्य योगदान एवम् मार्गदर्शन की सराहना करता है।

भारत सरकार ने क) श्री दीपंकर शोम की निदेशक(उत्पादन व योजना) के रूप में पाँच वर्ष हेतु ख) श्री डी.एस.अहलुवालिया–अतिरिक्त प्रभार निदेशक , (वित्त) के स्थान पर श्री राकेश तुमाने की नियुक्ति निदेशक(वित्त) के रूप में पाँच वर्ष हेतु ग) श्री टी श्रीनिवास (नामित निदेशक, भारत सरकार) के रूपमें,घ) श्री वीएमचरियार की नियुक्ति स्वतंत्र निदेशक के रूप में 3 वर्ष हेतु और च) श्री सुनील पवार की नियुक्ति (नामित निदेशक, महाराष्ट्र सरकार) के रूप में कर दी है।

सभी स्वतंत्र निदेशकों ने यह घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) व एसईबीआइ(लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स,2015 के अंतर्गत स्वतंत्रता के मानदंड की पूर्ति करते हैं।स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति आम तौर पर तीन वर्षों के लिये की जाती है।

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम(8)(5)(iv) व धारा 203(1) के साथ पठित धारा 134(3)(9) के अनुशीलन में बोर्ड ने अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (मुख्य कार्यपालक अधिकारी), निदेशक (वित्त)–(मुख्य वित्त अधिकारी)(सीएफओ) व कंपनीसचिव को मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के रूप में नामित किया है।

सर्वोत्कृष्ट नियोक्ता पुरस्कार

➢ **नियुक्ति, कार्यनिष्पादन व पारिश्रमिक नीति:**

एक केंद्रीय सरकारी स्तर का उपक्रम होने के नाते निदेशकों की नियुक्ति, अवधि, कार्यनिष्पादन, परिलब्धियों आदि का निर्धारण भारत सरकार के द्वारा किया जाता है।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने दि.5 जून, 2015 की अधिसूचना के द्वारा कंपनी अधिनियम के कुछ प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट दी है। उपर्युक्त अधिसूचना के

अनुसार नामांकन व पारिश्रमिक समिति को अब निदेशकों की नियुक्ति करने, उनके पारिश्रमिक नीति बनाने व उनके कार्यों का निष्पादन करने की आवश्यकता नहीं है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते निदेशकों की नियुक्ति एवम् उनके कार्यों के मूल्यांकन का कार्य प्रशासनिक मंत्रालय यथा इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है, अतः बोर्ड के द्वारा अपने स्वयं के कार्यों, अपनी समितियों के कार्यों व निदेशकों के कार्यों का मूल्यांकन करना लागू/ आवश्यक नहीं है।

अधिकारियों का पारिश्रमिक सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार वेतन संशोधन होने पर किया जाता है और गैर – कार्यपालकों के पारिश्रमिक का निर्णय उनकी यूनियनों के साथ समय समय पर हुए पारिश्रमिक समझौता करारों के अनुसार किया जाता है।कर्मचारियों की नियुक्तियां / पदोन्नतियां बोर्ड द्वारा अनुमोदित भर्ती व पदोन्नति नीति के अनुसार की जाती हैं।

➢ जोखिम प्रबंधन नीतिः

मॉयल इस बात को स्वीकार करता है कि जोखिम किसी भी व्यावसायिक गतिविधि का एक अंतर्निहित भाग है और जोखिम का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना कंपनी के मौजूदा व भावी सफलता हेतु महत्वपूर्ण है।कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति में एक ऐसी प्रणाली को स्थापित किया गया है जो जोखिमों पर निगरानी रखने व महत्वपूर्ण व्यावसायित जोखिमों के प्रबंधन के साथ – साथ कंपनी के आंतरिक नियंत्रण में भी सहायक होती है।इसे कंपनी की वेबसाइट www.moil.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

➢ निदेशकों का दायित्व कथनः

आपके निदेशक यह उल्लेख करते हैं कि

1) वित्तीय विवरणों के निर्माण में प्रचलित लेखा मानकों का पालन किया गया है और उनमें कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं किया गया है।

2) उन्होंने ऐसी लेखा नीतियां चुनी व अपनायी हैं तथा उन्हें सतत रूप से प्रयुक्त करते हुए निर्णय व अनुमान लगाये हैं जिनसे कंपनी के कार्यों की दि. 31.03.2018 की तथा कंपनी की उस दिनांक को समाप्त लाभ व हानी की सही व उचित स्थिति ज्ञात हो सके।

3) उन्होंने कंपनी की संपत्ती की रक्षा हेतु व धोखादडीं व अन्य अनियमितताओं का पता लगाने व उनके रोकथाम हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन के अभिलेखों के रखरखाव का समुचित व पर्याप्त ध्यान रखा है।

4) उन्होंने लाभदायी प्रतिष्ठान– आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किये हैं।

5) उन्होंने कंपनी द्वारा अपनाये जाने हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किये हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं व प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं।

6) उन्होंने सभी प्रयोज्य विधियों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रणालियां बनायी हैं तथा ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

निदेशकों द्वारा खदान को भेंट

➢ सांविधिक लेखा परीक्षकः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक ने वर्ष 2017 – 18 हेतु कंपनी की लेखा परीक्षा हेतु मे, जे.एस.उबेराय एंड कं.,सनदी लेखाकार, नागपुर की सनदी लेखाकार के रूप में नियुक्ति की है। अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (12) के अंतर्गत लेखा परीक्षकों ने वर्ष 2017 – 18 हेतु किसी भी जालसाजी की रिपोर्ट नहीं की है। सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट संलग्न है जो स्वयंस्पष्ट है। भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक ने निरंक रिपोर्ट दी है। भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2018 – 19 हेतु मे.डेंबले रमणी एंड कंपनी की सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति की है।

➢ सचिवीय लेखा परीक्षकः

बोर्ड ने लर्ष 2017 – 18 हेतु की मे.ए.मेहता एंड कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति की है। उनकी रिपोर्ट संलग्न है जो स्वयंस्पष्ट है। रिपोर्ट में कंपनी के बोर्ड के गठन के अतिरिक्त और कोई शर्त नहीं है सरकारी कंपनी होने के कारण निदेशको की नियुक्ती भारत सरकार द्वारा की जाती है। आपके बोर्ड को यह विश्वास है कि भारत सरकार मॉयल के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में निदेशकों की नियुक्ति करेगी।

➢ संबंधित पक्ष व्यवहारः

कंपनी ने ऐसे कोई संबंधित पक्ष व्यवहार नहीं किये हैं जो कंपनी के हितों के विरुद्ध हों। फिर भी, संबंधित पक्षों से व्यवहारों का प्रकटन लेखा टिप्पणियों की टप्पणी क्र.11 के मद्दा 23 में किया गया है। अतः कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ पठित धारा134(3) की अपेक्षानुसारफॉर्म एओसी – 2 में कोई प्रकटन नहीं किया गया है।कंपनी की संबंधित पक्ष व्यवहार नीति है जिसे उसकी वेबसाइट www.moil.nic.in पर अपलोड किया गया है।

➢ सतर्कता तंत्रः

कंपनी क एक व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी है जिसे उसकी वेबसाइट www.moil.nic.in पर अपलोड किया गया है।

कंपनी में एक सक्षम व स्वतंत्र सतर्कता विभाग है व किसी भी प्रकार के अनैतिक व्यवहार,वास्तविक या संदिग्ध जालसाजी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता की नीति के उल्लंघन पर निगरानी हेतु एक मुख्य सतर्कता अधिकारी उसके प्रमुख हैं। सभी कर्मचारियों को अपनी शिकायतों, व्यथाओं आदि के लिये सतर्कता विभाग तक प्रवेश प्राप्त है।उचित चिंताजनक मामलों को रिपोर्ट करने हेतु निदेशकों एवम् कर्मचारियों के लिये एक सतर्कता तंत्र स्थापित किया गया है। ऐसे तंत्र का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किये गये हैं।

➢ लागत लेखा परीक्षाः

कंपनी अधिनियम, 20134 की धारा 148 की उप धारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार के निर्धारण के अनुसार कंपनी को लागत अभिलेखों का रखरखाव करना होता है और तदनुसार ऐसे लेखे व अभिलेख तैयार किये जाते हैं व उनका रखरखाव किया जाता है। दि. 31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु लागत लेखा अभिलेखों की लेखा परीक्षा के लिये मे. फाटक पालीवाल एंड कंपनी, नागपुर को कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। दि. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट फाइल करने का अंतिम दिनांक 27 सितंबर, 2018 है। रिपोर्ट निर्धारित अवधि में प्रस्तुत की जाएगी। वर्ष 2016 – 17 हेतु लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट एवम् अनुपालन रिपोर्ट कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर फाइल कर दी गई थीं।

➢ समेकित वित्तीय विवरण:

आपकी कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है। तथापि उसके दो संयुक्त उद्यम हैं यथा रिनमॉयल फेरो एलॉएज प्राइवेट लिमिटेड व सैल एंड मॉयल फेरो एलॉएज प्राइवेट लिमिटेड ।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(3) के प्रावधानों का अनुशीलन करते हुए, जैसा कि लागू है व आवश्यकतानुसार यथावश्यक टिप्पणियों,, अनुबंधों व प्रकटनों सहित विधिवत् लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण एतद्वारा प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

दोनों संयुक्त उद्यमों ने अभी तक परियोजना / परिचालन शुरू नहीं किये हैं।

➢ अन्य प्रकटन:

1) **अमुसंधान व विकास तथा प्रोद्यौगिकी आमेलन आदि के संबंध में विवरण:** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एम) के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई अपेक्षानुसर अमुसंधान व विकास तथा प्रोद्यौगिकी आमेलन आदि के संबंध में विवरण, जो इस रिपोर्ट का एक भाग हैं, इस रिपोर्ट के अनुबंध–II के रूप में संलग्न हैं।

2) **विदेशी मुद्रा अर्जन व खर्च:** कंपनी ने वर्ष 2017 – 18 के दौरान अपने मैंगनीज अयस्क या अन्य उत्पादों का निर्यात नहीं किया था। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने विदेशी मुद्रा में पिछले वर्ष के रु.13.50 लाख के मुकाबले रु.14.14 लाख की रकम खर्च की।

3) **कर्मचारियों के विवरण:** समय – समय पर यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति व पारिश्रमिक)2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के अधिकार क्षेत्र के भीतर कोई कर्मचारी शामिल नहीं है।

4) **जमाराशिया:** समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मॉयल ने अधिनियम के अंतर्गत किये गये प्रावधानों के अनुसार कोई जमाराशियां स्वीकार नहीं की हैं।

5) **ऋण, गारंटियां व निवेश:** अधिनियम की धारा 186 के अंतर्गत कोई ऋण, गारंटियां व निवेश नहीं हैं।

6) **लेखा परीक्षा समिति की संरचना:** लेखा परीक्षा समिति की संरचना के संबंध में विवरण कारपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के खंड क्र.3.1(ए) में दिये गये हैं, जो इस रिपोर्ट का एक भाग हैं।

भूमिगत एकल बूमर क्रॉलर

7) **बोर्ड की बैठकों की संख्या:** के संबंध में विवरण कारपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के खंड क्र.2.2 में दिये गये हैं, जो इस रिपोर्ट का एक भाग हैं।

8) **वार्षिक विवरणी के सार:** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियम, 2014 के नियम12(1) के अनुशीलन में दि. 31.03.2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी (फॉर्म एमजीटी–9) अनुबंध–IV के रूप में संलग्न है।

9) कागज की बचत करने व सरकार की पर्यावरण संबंधी पहल में योगदान हेतु कंपनी ने सारंशीकृत वित्तीय विवरण (एओसी–3ए) भेजने का विकल्प चुना है।

➢ संदिग्ध खाते में अंशो के विवरण:

संदिग्ध खाते में अंशो के विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	अंशधारकों की सं.	अंशो की सं.
दि.01.04.2017को उचंत खाते में मौजूद अंशधारकों व बकाया अंशो की सं.	12	204
वर्ष के दौरान उचंत खाते से अंशो के अंतरण हेतु कंपनी से संपर्क करने वाले अंशधारक	04	68
वर्ष के दौरान शेयरधारक जिन्हें उचंत खाते से अंश अंतरित किये गय	04	68
अदावाकृत उचंत खाते को अंतरित अंश	0	0
दि. 31.03.2018 को उचंत खाते में अंशधारकों की कुल सं. व बकाया अंश	08	272

टिप्पणी– वर्ष के दौरान कंपनी ने 1 : 1 के अनुपात में बोनस अंश जारी किये। तदनुसार, अंशो की संख्या में वृद्धि हुई है।

दि.31.03.20128 को संदिग्ध खाते में मौजूद इन अंशो के वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध रहेंगे जब तक की ऐसे अंशो के वास्तविक स्वामी उन्हे क्लेम नहीं कर लेते।

➢ समझौता ज्ञापन:

मॉयल 20 वर्षों से अधिक से इस्पात मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करता रहा है। समझौता ज्ञापन (एमओयू) में विभिन्न लक्ष्य एवम् कार्य निष्पादन के

परिमाप निर्धारित किये जाते हैं जिनका वित्तीय वर्ष के समापन पर मूल्यांकन किया जाता है।वर्ष 1995 – 96 से ही कंपनी को उत्कृष्ट योग्यता क्रम (रेटिंग) प्राप्त होता रहा है (सिवाय दशक की सबसे अधिक खराब बाजार की स्थिति के कारण वर्ष 2015 – 16 व 2016 – 17 के) । वर्ष 2017 – 18 का योग्यता क्रम (रेटिंग) अभी तक जारी नहीं किया गया है। इस प्रथा को जारी रखते हुए मॉयल ने वर्ष 2017 – 18 हेतु भी इस्पात मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

- **कारपोरेट अभिशासन:**

कंपनी कारपोरेट अभिशासन का अत्यंत उच्च स्तर प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील रहती है।कारपोरेट अभिशासन पर एक अलग खंड जोड़ा गया है जो बोर्ड की रिपोर्ट की रिपोर्ट का एक भाग है व अनुबंध–V के रूप में संलग्न है।कारपोरेट अभिशासन की रिपोर्ट के साथ कारपोरेट अभिशासन पर एक प्रमाणपत्र भी जोड़ा गया है जो स्वयंस्पष्ट है। प्रमाणपत्र में कंपनी के बोर्ड की संरचना के अतिरिक्त और कोई शर्त नहीं है।बोर्ड को यह विश्वास है कि जब भी आवश्यक होगा भारत सरकार मॉयल के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में निदेशकों की नियुक्ति करेगी।

- **प्रबंधन विवेचण व विश्लेषण तथा व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट:** प्रबंधन विवेचण व विश्लेषण पर एक रिपोर्ट अनुबंध–VI के रूप में रखी गई है। सेबी(लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स,2015 के विनियम34 के अनुपालन में व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट भी अनुबंध–VII में संलग्न है।

- **औद्योगिक संबंध:**

वर्ष 2017 – 18 के दौरान मॉयल में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण व शांतिपूर्ण बने रहे। कंपनी में कोई भी काम रोकने या श्रमिक आंदोलन जैसी घटना नहीं हुई। बेहतर उत्पादन व उत्पादकता का माहोल बनाये रखा गया।संस्था के सुचारू रूप से कार् संचालन हेतु विभिन्न विषयों पर बातचीत के लिये खदान स्तर पर एवम् कारपोट स्तर पर विभिन्न समितियां बनायी गई हैं और शीघ्र निर्णय लेते हुए व्यथाओं के निवारण की प्रक्रिया संतोषप्रद ढंग से चल रही है।

- **बोनस शेयर:**

आपकी कंपनी ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षित विवरणों के अनुसार रु.133,18,78,040 की संचित प्रारक्षित निधि को पूंजीकृत करते हुए 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किये हैं। उक्त रकम शेयर पूंजी को अंतरित कर दी गई है और रु.10 प्रत्येक के बोनस शेयरों के आबंटन हेतु प्रयुक्त की गई है।

- **अंशों का बायबॅक:**

आपकी कंपनी ने वर्ष 2017 – 18 के दौरान रु.10 प्रतिशेयर के पूर्णतः प्रदत्त रु. 87,66,720 के ईक्विटी शेयरों(जो ईक्विटी शेयरों की कुल संख्या में 3.29 % का प्रतिनिधित्व करते हैं) की पुनर्खरीद रु.210,40,12,800 से अनधिक के सकल प्रतिफल हेतु नकद में देय रु.240 प्रतिशेयर के मूल्य पर की है। यह पुनर्खरीद कंपनी अधिनियम, 2013 व सेबी (बायबॅक ऑफ सेक्युरीटीज) विनियम1998 में निहित प्रावधानों के अनुसार की गई है। भारत सरकार (कंपनी के प्रवर्तक) ने शेयरों की पुनर्खरीद में भाग लिया था।

- **अभिस्वीकृती:**

आपके निदेशक भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय, पर्यावरण एवम् वन मंत्रालय, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों, सभी सरकारी विभागों,कंपनी के शेयरधारकों, बैंकरों, बहुमूल्य ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं तथा सभी हितधारकों से प्राप्त समर्थन, सहयोग एवम् मार्गदर्शन हेतु आभार व्यक्त करते हैं।

कंपनी के कर्मचारियों ने उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन जारी रखा। आपके निदेशक इस अवसर पर कर्मचारियों के बहुमूल्य योगदान हेतु सराहना करते हैं और आगामी वर्षों में उनसे और अधिक उत्साह व समर्पण भाव से अपनी सेवाएं प्रदान करने की कामना करते हैं ताकि कंपनी को और अधिक ऊँचाइयों तक पहुँचाया जा सके।

दिनांकः 02.08.2018

स्थानः नई दिल्ली

निदेशक बोर्ड की ओर से

एम.पी.चौधरी

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

डोंगरी बुजुर्ग खदान का ओपन कास्ट मनोहारी दृश्य

अनुबंध-I

फॉर्म ए ओ सी – 1

कंपनी (लेखा) नियम,2014 के नियम5 के साथ पठित धारा 129 की उप धारा (3) के पहले उपबंध के अनुशीलन में

सहायक कंपनियों संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य – मुख्य बातों का विवरण

भाग – ए: सहायक कंपनियां

(राशी रु. में)

क्रम सं.	विवरण	विवरण
1.	सहायक कंपनी का नाम	चूँकि कोई सहायक कंपनी नहीं है अतःलागू नहीं ।
2.	दिनांक जब से सहायक कंपनी का अधिग्रहण किया गया	
3.	संबंधित सहायक कंपनी हेतु रिपोर्टिंग अवधि, यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो	
4.	यदि विदेशी सहायक कंपनी हो तो संबंधित वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनांक को रिपोर्टिंग मुद्रा व विनिमय दर	
5.	शेयर पूंजी	
6.	रिजर्व व अधिशेष	
7.	कुल संपत्तियाँ	
8.	कुल देयताए	
9.	निवेश	
10.	कारोबार	
11.	कर पूर्व लाभ	
12.	कर हेतु प्रावधान	
13.	कर पश्चात लाभ	
14.	प्रस्तावित लाभांश	
15.	धारणाधिकार का प्रतिशत (प्रतिशत में)	

कृते मे. जे.एस. उबेरॉय एंड कं.
सनदी लेखाकार,
फर्म का पंजीकरण क्रमांक: 111107 **W**

सी ए अमरजीत सिंह संधू
भागीदार
सदस्यता क्रमांक:108665

नीरज पाण्डेय
कंपनी सचिव

राजेश तुमाने
निदेशक (वित्त)
डीआइएन:06639859

मुकुंद पी चौधरी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआइएन:05339308

स्थान: नागपुर
दिनांक:22.06.2018

भाग – बी: सहायक संयुक्त उद्यम

सहायक कंपनियों एवम् संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा129 (3) के अनुशीलन में विवरण

क्रम सं	संयुक्त उद्यम का नाम	सैल एंड मॉयल फेरो एलॉए प्राइवेट लिमिटेड	रिनमॉयल फेरो एलॉए प्राइवेट लिमिटेड
1	नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन त्र का दिनांक	31.03.2018	31.03.2018
2	संयुक्त उद्यम के अधिग्रहण का दिनांक	31.07.2008	29.07.2009
3	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संयुक्त उद्यम के शेयर	1,00,000	1,00,000
	शेयरों की सं.	रु.10,00,000	रु.10,00,000
	संयुक्त उद्यम में निवेश की रकम		
	धारण की मात्रा %	50 %	50 %
4	महत्नपूर्ण प्रभाव होने के विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
5	संयुक्त उद्यम को समेकित न करने के कारण	लागू नहीं क्योंकि समेकन विचाराधीन है।	लागू नहीं क्योंकि समेकन विचाराधीन है।
6	नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारण को निर्धारण योग्य नेटवर्थ	(623.58)	6.60
7	वर्ष हेतु लाभ / हानी	(914.66)	(1.69)
i	समेकन हेतु ध्यान में लिया गया	(457.33)	(0.84)
ii	समेकन हेतु ध्यान में न लिया गया	(457.33)	(0.84)

टिप्पणिया:

1. कोष्ठक में दिये गये आंकड़े हानी दर्शाते हैं।
2. उपर्युक्त दोनों संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक परिचलन शुरू किया जाना शेष है।
3. उपर्युक्त क्रम सं.7(ii) अन्य संयुक्त उद्यम भागीदार के अंश का प्रतिनिधित्व

कृते मे. जे.एस. उबेरॉय एंड कं.
सनदी लेखाकार,
फर्म का पंजीकरण क्रमांक: 111107 **W**

नीरज पांण्डेय
कंपनी सचिव

राजेश तुमाने
निदेशक (वित्त)
डीआइएन:06639859

सी ए अमरजीत सिंह संधू
भागीदार
सदस्यता क्रमांक:108665

मुकुंद पी चौधरी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआइएन:05339308

स्थान: नागपुर
दिनांक:22.06.2018

शेयरधारकों को बोर्ड की रिपोर्टका अनुबंध–II

कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १३४(३)(एम) के अंतर्गत की गई अपेक्षानुसार ऊर्जा के संरक्षण एवम् प्रौद्योगिकी अवशोषण के संबंध में विवरणों का प्रकटन

क) ऊर्जा संरक्षण

कम सं.	विवरण	ब्योरे	
1.	उठाये गये कदम या ऊर्जा संरक्षण पर प्रभाव	बिजली का उपभोग बचाने की सतत प्रक्रिया के रूप में वीएफडी लगाने,ऊर्जा बचत मोटर व ट्रांसफॉर्मर लगाने का काम प्रक्रियाधीन है। चरणवार बदलाव अगले 5 वर्षों में किया जाएगा।	
2.	ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग हेतु कंपनी द्वारा उठाये गये कदम	रु. 32.18 करोड की लागत से म.प्र. की खदानों में 5.50 MW के सौर्य ऊर्जा परियोजनाएं व रु. 29.65 करोड की कुल लागत से महाराष्ट्र की खदानों में 5.00 MW की सौर्य परियोजनाएं अंतिम चरण में हैं व आगामी माहों में पूरी हो जाने की अपेक्षा है।	
		पुरानी एयर कंडीशनर की प्रतिस्थापन, ऊर्जा कुशल क्वांटमेंट के साथ छत पंखे रेत रोशनी ईईएसएल के माध्यम से प्रक्रिया में है, अगले छह महीनों में काम पूरा होने की उम्मीद है।	
3.	ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर पूंजीगत निवेश	कार्य का विवरण	निवेश (लाख रु. में)
		खदानों हेतु एलईडी आधारित हाई मास्ट लाइटें	104.65312
		खदानों हेतु एलईडी आधारित स्ट्रीट लाइटें	39.00
		ऊर्जा बचत करने वाले ट्रांसफॉर्मर	201.40
		खदानों हेतु एलईडी आधारित लाइटें	61.45
		कुल निवेश	**406.50312**

ख) प्रोद्यौगिकी अवशोषण

1) कंपनी द्वारा अपमे अनुसंधान व विकास (आरएंड डी) कार्यों के अंतर्गत किये गये प्रयास व उनसे हुए लाभ निम्नानुसार हैं–

कम सं.	क्षेत्र	उठाये गये लाभ
1	खदान का परिवेश	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड्गपुर द्वारा मनसर, कांदरी व उकवा खदानों पर अत्यंत गहरायी में वायु संचार पुनर्गठन अध्ययन किये गये हैं। कांदरी खदान में वायुसंचार कूपक को रीलोकेट किया गया है। इससे अग्रभाग के वायुसंचार एवम् भूमिगत प्रखंडों के परिचालन में मदद मिलती है।
2.1	खनन प्रोद्यौगिकी– अवतलन	मॉयल द्वारा खदान अवतलन के परिमापों का 3 डी विश्लेषण किया गया है और यह पाया गया है कि मनसर खदान में किसी भी लंबकोणीय दिशा में स्पष्ट हलचल देखने में नहीं आयी है।
2.2	खनन प्रोद्यौगिकी– विस्फोटक	विस्फोट उपरांत परिमापों जैसे भू कंपन, ध्वनि एव चट्टानो के छितराने को कम करने हेतु डोंगरी बुजुर्ग ओपन कास्ट खदान में नियमित रूप सेशॉक ट्यूब समहित साइट मिक्स इमलशन (एसएमई) का उपयोग किया गया था। इससे भूकंपन व चट्टानों के छितराने में कमी आयी।
3	खनिज संरक्षण	नैशनलइंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मेकैनिक्स(एनआइआरएम),केजीएफ ने मनसर खदान में अनुसंधान व विकास अध्ययन किया है। सुझाये गये ढलान के निरूपण में निचली चट्टान की दीवार में चटखनियों, एक्स कट व इन स्टोप सहित सचालन मार्ग बनाने का समावेश है । इससे मैंगनीज अयस्क के भू भाग में स्वस्थाने दहलीज खंब को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है और दहलीज खंब में फसे खनिज को बचा लिया है । स्टोप के संशोधित निरूपण में भूमिगत खदानों में मैगनीज अयस्क के दोहन की मात्रा में लगभग 20 % की वृद्धि हुई है।
4	खनिज धातु परिष्करण	मॉडर्न मिनरल प्रोसेसिंग लैबोरेटरी एवम् पायलट प्लांट, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स द्वारा खनिज अपशेषों (मिनरल रिजेक्ट्स) के उपयोग हेतु बालाघाट खदान के ब्लैक डंप मैंगनीज अपशेषों का अनुसंधान व विकास अध्ययन किया गया है।
5	धातुविज्ञानी अध्ययन	बालाघाट खदान के हाइ कार्बन फेरो मैंगनीज (एचसीएफ इएमएन) एलॉय की उत्पाद गुणवत्ता में सुधार हेतुसीएसआइआर– नैशनलमेटालर्जिकल लैबोरेटरी(एनएमएल), जमशेदपुर में न्यूनतम परिमाप पर (एचसीएफइएमएन) एलॉय के डी फॉसफोरायजेशन हेतु प्रक्रिया प्रवाह अध्ययन (प्रोसेस फ्लो स्टडीज) किया गया है।
6	खदान सुरक्षा(स्टोप डिजाइन)	बेहतर सुरक्षा व उत्पादकता हेतु एनआइआरएम द्वारा बालाघाट खदान के यंत्रीकृत सहायक प्रणाली हेतु स्टोप डिजाइन बनाया जा रहा है।

7	खदान सुरक्षा (शैल यांत्रिकी उपकरण	बालाघाट खदान में 12 वें स्तर के नीचे स्तर अंतराल को 30मीटर से बढ़ा कर 45 मीटर कर दिया गया है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च (सीआइएमएफआर), नागपुर के सहयोग से स्ट्रेन बारों की मदद से भूमिगत कार्यों की सुरक्षा हेतु शैल यांत्रिकी उपकरणों का परीक्षण व डाटा अनुप्रवर्तन किया जा रहा है।
8	निरंतर विकास संरचना(पर्यावरण)	निरंतर विकास संरचना (एसडीएफ) हेतु भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसारइंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी (आआइईएसटी, शिबपुर द्वारा कांद्री एवम् मनसर में वआसपासपर्यावरण के परिमापों का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जा रहा है। इससे आसपास के गावों के विकाल में नदद निलेगी।
9	भूमिगत यंत्रीकरण	स्टोप में खनिज के अपशेष के यांत्रिक रखरखाव हेतु गुमगांव की खदन में प्रायोगिक आधार पर एसडीएल का आरंभ किया गया है। इससे खनिजों के अपशेष को अधिक तेजी से निकालने में नदद मिली है।
10	अन्वेषण व शैल विज्ञान	मॉयल आंतरिक अध्ययन हेतु अनुसंधान व विकास में क्षमता निर्माण के लिये शैल विज्ञानी प्रयोगशाला सहित आंतरिक दूर संवेदी व जीआइएस प्रयोगशाला बनाने जा रहा है।
11	अयस्क भंडार का अन्वेषण	यह एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंपनी की खुदाई मशीनों द्वारा खदान के आसपास के पट्टा गत क्षेत्रों में जमीन में सुराख करते हुए अन्वेषण किया जाता है। इसके अलावा अधिक गहरायी में खुदायी का कार्य आउटसोर्स करते हुए किया जाता है। ऐसा करने से कंम्पनी हर वर्ष अपने भंडार में वृद्धि कर रही है।
12.1	सीमेंट काँक्रीट में आंतरिक अनुसंधान व विकास	भूमिगत खुदाइयों में काँक्रीटिंग के कार्यों के लिये पहले से ढाले गये कॉलम व बीम तैयार किये गये हैं। इससे भूमिगत खदानों में सुरक्षा मानकों में सुधार हुआ है व भूमिगत खदानों मेंकाँक्रीट के संभरण बनाने में लगने वाले समय में बचत होती है।
12.2	सुरक्षा हेतु सहयोगात्मक अनुसंधान	मॉयल बालाघाट की खदानों में आधुनिक वैज्ञानिक शैल यांत्रिकी उपकरणों की स्थापना हेतु एनआइआरएम, बेंगलुरू के साथसहयोगात्मक अनुसंधान व विकास परियोजना चला रहा है।
12.3	रेत के स्थान पर वैकल्पिक भरण सामग्री हेतु अनुसंधान व विकाल	खदान आयोजन एवम् निरूपण विभाग द्वारा मनसर की प्रायोगिक आधार पर हाइड्रॉलिक परिवहन द्वारा भूमिगत खदानों में भरण सामग्री के रूप में किसी अधिभारी सामग्री के उपयोगपर अनुसंधान व विकास कार्य किया गया है व इसके लिये पेटेंट भी फाइल किया गया है।
13	एक्सआरएफ विश्लेषक	कंपनी ने खदानों पर व कारपोरेट कार्यालय, नागपुर में एक्सआरएफ विश्लेषक सफलतापूर्वक लगाए हैं। इससे ग्राहक संतोष में सुधार हुआ है।

इस प्रकार की प्रमाणित प्रोद्यौगिकी एवम् प्रयासों से खनन कार्यों की सुरक्षा, उत्पादकता व पर्यावरण के मानकों में सुधार दिखायी दिया है। अनुसंधान व विकास की इन परियोजनाओं से तीव्र गति से प्रोद्यौगिकी, जैसे निकास हेतु अत्यंत गरारी खुदायी,स्टोप्स में एसडीएल द्वारा खनिज अपशेष का यांत्रिक रखरखाव, खनन कार्यों में अपशेष रखरखाव का एलएचडी द्वारा रखरखाव,बेहतर सुरक्षा हेतु ओपनकास्ट में एसएमई विस्फोट आदि को अपनाने में मदद मिलती है।भू-भोतिकी पूर्वेक्षण (जियोफिजिकल प्रॉस्पेक्टिंग) से नये पट्टागत क्षेत्रों में मैंगनीज वाले क्षेत्रों का अभिनिर्धारण किया जा सका है।

(ii)	आयातित प्रोद्यौगिकी के विवरण	शून्य
(iii)	अनुसंधान व विकास पर व्यय(रु.करोड में)	9.64

अनुबंध–III

कारपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. **प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों के विहंगम अवलोकन सहित कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा तथा सीएसआर नीति एवम् परियोजनाओं या कार्यक्रमों का वेब संबंध**

(क) सीएसआर नीति की रूपरेखा

- सीएसआर एवम् निरंतरता कारपोरेट अभिशासन के अभिन्न अंग हैं। मूल रूप से सीएसआर तो व्यवसाय व समाज के बीच के अंतर्संबंधों का दर्शन या उसकी परिदृष्टि है। व्यवसाय की यह सतत प्रतिबद्धता है कि वह नैतिक रूप से कार्य करे व कर्मचारी दल व उनके परिवारों तथा स्थानीय समुदाय व बृहत्तर समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाते हुए आर्थिक विकास में अपना योगदान दे।
- सीएसआर के माध्यम से मॉयल की परिदृष्टि निरंतर बदलाव व सामाजिक एकीकरण की प्रक्रियाओं के समर्थन से सामाजिक प्रतिबद्धताओं के जरिये शिक्षित, कुशल व एक धारणीय समाज निर्माण में सहायता करते हुए एक स्वस्थ व प्रसन्न समाज का निर्माण करने की रही है।
- सीएसआर एवम् निरंतरता बनाए रखने हेतु की जाने वाली गतिविधियों का बल मुख्य रूप से क्षमता निर्माण, समुदाय के सशक्तिकरण, सर्व समावेशी सामाजिक – आर्थिक विकास, पर्यावरण रक्षण, पर्यावरण हितैषी ऊर्जा बचत की प्रोद्यौगिकी संवर्धन , पिछड़े क्षेत्रों का विकास तथा सामान्यतः समाज के व विशेषकर परियोजना क्षेत्र में आने वाले कमजोर व दुर्बल वर्गों के उत्थान पर होगा।
- नीति का मुख्य उद्देश्य कंपनी के लिये ऐसे दिशानिर्देश बनाने का होगा ताकि सीएसआर को सीएसआर व निरंतरता के सभी पहलुओं सहित समाज एवम् पर्यावरण के निरंतर विकास की प्रमुख व्यावसायिक प्रक्रिया बनाया जा सके, जिसमें उसके आंतरिक परिचालनों, गतिविधियों व प्रक्रियाओं के साथ – साथ समान रूप से समाज के ग्रामीण / शहरी विकास हेतु सामुदायिक परिसंपत्ति के निर्माण जैसे बाहरी दायित्वों का निर्वहन करते हुए सीएसआर व निरंतरता के सभी पहलुओं के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण निहित हो।
- मॉयल की सीएसआर गतिविधियो का विस्तार कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत किये गये प्रावधनो, उसके अंतर्गत बनाये गये नियमें और समय समय पर सरकार द्वारा जारी व संशोधितपरिपत्र व दिशानिर्देशों के के अनुसार होगा।किसी भी कंपनी द्वारा की जाने वाली सीएसआर गतिविधियां अधिनियम की मौजूदा अनुसूची–7 के अनुसार हो सकते हैं।
- सीएसआर गतिविधियां बोर्ड के समग्र पर्यवेक्षण में की जाती हैं।मॉयल में एक आंतरिक व्यवस्था भी है जिसमें एक मुख्य अधिकारी (सीएसआर) होता है एवम् समूह स्तरीय सीएसआर समिति होती है।
- सीएसआर के अंतर्गत की जाने वाली पहल (वार्षिक व्यय का कम से कम 80 %) प्राथमिक रूप से मॉयल की खदानों, संयंत्रों व युनिटों के प्रभाव क्षेत्रों में की जाएगी, जिसे स्थानीय क्षेत्र कहा जा सकता है।
- सीएसआर व निरंतरता बजट का निर्धारण अधिनियम, नियम एवम् दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा जो तत्काल पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ के 2 % से कम नहीं होगा। किसी भी सीएसआर गतिविधि के चयन से पहले आधारभूत आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण किया जाना चाहिये।
- सीएसआर गतिविधियों का कार्यान्वयन मॉयल फाउंडेशन द्वारा स्वयं कंपनी के संसाधनों का उपयोग करते हुए या किसी अभिनिर्धारित उपयुक्त एजेंसी के जरिये या जिला प्रशासन के जरिये या कंपनी अधिनियम, 2013 व कंपनी(कारपोरेट सामाजिक दायित्व नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार समान गतिविधि करने वाले किसी एनजीओ / विशेषज्ञ एजेंसी / ट्रस्ट / संस्थान / फाउंडेशन / सोसायटी/ निकाय आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए किया जाएगा ।
- मॉयल फाउंडेशन / मुख्य अधिकारी (सीएसआर विभाग के प्रमुख) हर स्तर पर सीएसआर गतिविधियों के अनुप्रवर्तन हेतु जिम्मेदार होंगे। कंपनी परिचालन के क्षेत्रों में सीएसआर कार्यों के अनुप्रवर्तन हेतु समूह स्तर की स्थानीय समिति / दल का गठन करेगी जो नियनित रूप से आंतरिक समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।;चूँकि गतिविधियों का अनुप्रवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है अतः सीएसआर समिति कार्यान्वयन पर पैनी नजर रखेगी व कार्यों की प्रगति की आवधिक रूप से समीक्षा करेगी।
- सीएसआर विभाग के मुख्य अधिकारी परियोजना के पूर्णत्व को प्रमाणित करेंगे व निर्धारित दिनांक को उसे उपयोगकर्ता को सौंपेंगे। । सभी परियोजनाओं का मूल्यांकन अपेक्षित परिणामों के संबंध में वस्तुपरक रूप से किया जाता है। चुनिंदा परियोजनाओं का एवम् आवश्यकतानुसार संघात सर्वेक्षण अन्य पक्षों से कराया जाएगा।संघात मूल्यांकन सर्वे क्षण कराए जाने हेतु कार्य का प्रारंभिक मूल्य न्यूनतम रु.1.00 करोड या समय समय पर बोर्ड द्वारा किये गये अनुमोदन के अनुसार हो सकता है।

(ख) विकासात्मक गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र निम्नानुसार होंगेः

- कृषि विकासः भू परीक्षण, भू स्वास्थ्य कार्ड का वितरण,कृमि खाद प्रणालियों को बढ़ावा देना फसल विविधता, धान से चावल के पैदावार की सुनियोजित वृद्धि(एसआरआइ) आदि।
- जल संसाधन विकास के क्षेत्र में स्थायी रोक बाँधों का पुनरुद्धार करना, जल स्रोतों को गाद मुक्त करना, कुओं को गहरा करना आदि।
- दूध उत्पादन बढ़ाने व पशुओं की उन्नत नस्लों की दृष्टि से मवेशी विकास कार्य जैसे कृत्रिम गर्भाधान, बाँझपन व स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना।
- स्व सहायता समूहों को मजबूत करते हुए महिला सशक्तिकरण ।
- नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविर आयोदित करते हुए व जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजनों के जरिये जागरूकता फैलाते हुए समुदाय के स्वास्थ्य पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित करते हुए जीवन – गुणवत्ता के कार्यक्रमों का आयोजन।
- कंपनी मॉयल फाउंडेशन के साथ मिल कर मित्रा(महाराष्ट्रइंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ट्रांसफर फॉर रूरल एरियाज)21 अभिनिर्धारित गावों यथा नागपुर जिले के 5, भंडारा जिले के 11 और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के 5 गावों में समुदाय विकास कार्यक्रम जारी रखेगी।

- शिक्षण व कौशल विकास को बढ़ावा।
- ग्रामीण संरचना विकास परियोजनाएं।
- निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य रक्षण, स्वच्छता को बढ़ावा देना व पेयजल उपलब्ध कराना।
- सहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित करना।

(ग) वेबलिंकःhttp://moil.nic.in/writeraddata/pdf/csršandšsustainabilityšpolicyšofšmoil.pdf

२. सीएसआर समिति की संरचना(दि.३१.०३.२०१८ को)

१	सुश्री संगीता गैरोला	स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
२	सुश्री सुनंदा प्रसाद	स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
३	श्री वीएम चरियार	स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
४	श्री दीपंकर शोम निदेशक	(उत्पादन व योजना) – सदस्य

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत निवल लाभः रु.460.91 करोड(लगभग) ।

4. निर्धारित सीएसआर व्ययः रु.9.22 करोड(लगभग) (अर्थात पिछले 3 वित्त वर्षों के औसत निवल लाभ का 2 %

5. वित्तीय वर्ष 2017 – 18 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के विवरण

(क)वित्तीय वर्ष हेतु व्यय की जाने वाली कुल रकम रु.9.22 करोड (मॉयल की आधारभूत निधि में रु.1.50 करोड के अंशदान सहित) (मॉयल द्वारा स्थापित सोसायटी जैसा कि कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम,2014) में वर्णित है (विशेषतः सीएसआर गतिविधियां चलाने हेतु)

ख)व्यय न हुई रकम, यदि कोई होः शून्य

ग)वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई रकम का विवरण निम्नानुसार हैः

1	2	3	4	5	6	7	18.727 π
क्रम सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजनाया गतिविधि	क्षेत्र, जिसके अंतर्गत परियोजना शामिल है	परियोजनाएं य कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य(2) राज्य या जिले काउल्लेख करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम चलाए गये थे	रकम का परिव्यय(बजट) परियोजना या कार्यक्रमवार	परियोजनाओं / या कार्यक्रमों पर खर्च की गई रकम। उपशीर्ष (1) प्रत्यक्ष खर्च परियोजनाओं / या कार्यक्रमों पर (2) ऊपरीखर्च	रिपोर्टाधीन अवधि तक का संचयी व्यय	खर्च की गई रकमः प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन कर्ता एजेंसी के जरिये
9ए)							
1	डीएवी पब्लिक स्कूल हेतु व्यय	शिक्षण व कौशल विकास को बढ़ावा	सीतासावंगी जिला,भंडारा(महा.)	242.00	242.00	242.00	मॉयल
2	बालाघाट, उकवा,(म.प्र.), चिकला व डोंगरी बुजुर्ग(महा.)		बालाघाट, उकवा,(म.प्र.), चिकला व डोंगरी बुजुर्ग(महा.)	33.50	33.50	33.50	मॉयल
3	कौशल विकास कार्यक्रम		जिला नागपुर व भंडारा(महा.) के गांव	40.00	22.02	22.02	मे. आनंद माइन टूल्स, नागपुर
4	शिक्षण को बढ़ावा देने से संबंधित अन्य कार्य			12.88	12.88	12.88	
	क)ग्रामोत्थान परिषद, नागपुर द्वारा संचालित 4 एकल विद्यालयको वित्तीयसहायता		उकपा के पास गाव, जिला बालाघाट				मॉयल
	ख)गुरुदेव ग्राम शिक्षा एवम् समाज कल्याण समिति, बैतुल, जिला बैतुल(म.प्र,)		बैतुल, जिला बैतुल(म.प्र,)				मॉयल
	ग)रामकृष्ण मिशन स्कूल, कांपटी, जिला नागपुर(महा.) को डेस्क व बेंचों की आपूर्ति		कांपटी, जिला नागपुर				मॉयल

1	2	3	4	5	6	7	18.727 π
क्रम सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजनाया गतिविधि	क्षेत्र, जिसके अंतर्गत परियोजना शामिल है	परियोजनाएं य कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य(2) राज्य या जिले काउल्लेख करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम चलाए गये थे	रकम का परिव्यय(बजट) परियोजना या कार्यक्रमवार	परियोजनाओं / या कार्यक्रमों पर खर्च की गई रकम। उपशीर्ष (1) प्रत्यक्ष खर्च परियोजनाओं / या कार्यक्रमों पर (2) ऊपरीखर्च	रिपोर्टाधीन अवधि तक का संचयी व्यय	खर्च की गई रकमः प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन कर्ता एजेंसी के जरिये
	घ) मूक व बधिर विद्यालय, सावनेर, जिला नागपुर(महा.) को डेस्क व बेंचों की आपूर्ति	शिक्षण व कौंसल विकास को. बढावा	सावनेर, जिला नागपुर(महा.)				मॉयल
	च)आरएनटी स्कूल के व्यय						मॉयल
	उप जोड़(क)			328.38	310.40	310.40	
(ख)							
5	आरएनटी स्कूल में 6 कक्षा भवन व छात्र व छात्राओं हेतु शौचालयों का निर्माण	ग्रामीण विकास की परियोजनाएं	उकवा, जिला बालाघाट, म.प्र.	40.00	18.54	18.54	मे.साईकृपा कॉंट्रैक्ट वर्क्स
6	सरकारी स्कूल में अहाते की दीवार का निर्माण		चकहेटी,जमरापानी, तहसील कटंगी, जिला बालाघाट, म.प्र.	7.00	7.00	7.00	मे.खान ब्रदर्स
7	सरकारी स्कूल में अहाते की दीवार का निर्माण		गोंडीटोला व भारवेली गांव, जिला बालाघाट,(म.प्र.)	28.00	28.22	28.22	मे.खान ब्रदर्स
8	सरकारी स्कूल में अहाते की दीवार का निर्माण		घुबडगोंडी, जिला बालाघाट,(म.प्र.)	16.00	16.00	16.00	मे.खान ब्रदर्स
9	डीएवी के साथ नये स्कूल का निर्माण		मनसर, जिला बालाघाट,(म.प्र.)	100.00	3.82	3.82	मे.रिनायसेंस प्लानर्स
10	बालाघाट, बैहर रोड के टी पॉइंट से सेंट्रल स्कूल तक सड़क का डामरीकरण		भारवेली गांव, जिला बालाघाट,(म.प्र.)	50.00	57.06	57.06	मे.अल्ताफ अहमद
11	सीमेंट काँक्रीट सड़क का निर्माण		जगपुर गांव,जिला बालाघाट, (म.प्र.)	23.00	23.00	23.00	मे.अल्ताफ अहमद
12	सीमेंट काँक्रीट सड़क का निर्माण		चरे गांव, जिला बालाघाट, (म.प्र.)	18.00	20.88	20.88	मे.अल्ताफ अहमद
13	सीमेंट काँक्रीट सड़क का निर्माण		रट्टा, जिला बालाघाट (म.प्र.)	11.50	11.50	11.50	मे.अल्ताफ अहमद
14	नलकूप सहित समुदाय भवन का निर्माण		घुबडगोंडी, जिला बालाघाट, (म.प्र.)	40.00	37.57	37.57	मे.खान ब्रदर्स
15	सीमेंट काँक्रीट सड़क का निर्माण		भाटेरा, जिला बालाघाट, (म.प्र.)	70.00	68.24	68.24	मे. अल्ताफ अहमद
16	सीमेंट काँक्रीट सड़क का निर्माण		भंडारा जिले(महा.) के गांव	19.50	18.13	18.13	में हामिद सय्यद
17	सीमेंट काँक्रीट सड़क का निर्माण		जिला भंडारा व बनपुरी, जिला नागपुर (महा.) में गुदरी, करमुड़ा	26.00	27.19	27.19	में हामिद सय्यद
18	डोंगरी, जिला भंडारा में समुदाय भवन का निर्माण		डोंगरी, जिला भंडारा (महा.)	42.50	42.23	42.23	मे.के.सी.दास
19	ग्रामीण विकास से जुड़े अन्य कार्य			5.54	5.54	5.54	
	क)आदर्श स्कूल, मनसर मेंअहाते की दीवार का निर्माण		मनसर, जिला नागपुर,(महा.)				मे.दीपंकर मंडल
	उप जोड़ (ख)			497.04	384.92	384.92	

1	2	3	4	5	6	7	18.727 ग
क्रम सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजनाया गतिविधि	क्षेत्र, जिसके अंतर्गत परियोजना शामिल है	परियोजनाएं य कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य(2) राज्य या जिले काउल्लेख करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम चलाए गये थे	रकम का परिव्यय(बजट) परियोजना या कार्यक्रमवार	परियोजनाओं / या कार्यक्रमों पर खर्च की गई रकम। उपशीर्ष (1) प्रत्यक्ष खर्च परियोजनाओं / या कार्यक्रमों पर (2) ऊपरीखर्च	रिपोर्टाधीन अवधि तक का संचयी व्यय	खर्च की गई रकमः प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन कर्ता एजेंसी के जरिये
(ग)							
20	हमारी खदानों के आसपास के क्षेत्रों में नलकूपों की खुदायी व हैंड पंप लगाना	निवारक स रक्षण सहित स्वास्थ्य रक्षण, स्वच्छता को बढ़ावा देना व पेय जल मुहैया कराना।	जिला बालाघाट,(म.प्र.) के गांव तथा भंडारा व नागपुर (महा.)	50.00	40.12	40.12	मे.निशा बोरवेल्स
21	कचरा इकट्ठा करने की ट्रॉली की आपूर्ति निकटवर्ती गावों में प्रत्येक को चार		जिला बालाघाट,(म.प्र.) के गांव तथा भंडारा व नागपुर (महा.)	5.50	5.50	5.50	मे.इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन्स
22	चिकला में जल आपूर्ति योजना पाइप लाइन सहित तथा नलकूपों पर ऊपरी पानी की टंकी तथा पेय जल उपलब्ध कराने हेतु स्टैंड पोस्ट का प्रावधान		चिकला, जिला भंडारा (महा.)	14.50	12.76	12.76	मे.साई असोसियेट
23	अन्य संबंधित कार्य			42.62	42.62	42.62	
	क)खदानों के निकटवर्ती क्षेत्रों में स्वाइन फ्लू हेतु निःशुल्क दवाइयों का वितरण		तिरोडी, जिला बालाधाट(म.प्र.)चिकला व डोंगरी जिला भंडारा(महा.)				मॉयल
	ख)सामुदायिक नेत्र चिकित्सा परियोजना, जरूरतमंद रोगियों की मोतियाबिंद शल्यक्रिया		नागपुर व भंडारा (महा.) के गांव				मे. लता मंगेशकर अस्पताल
	ग)सामुदायिक नेत्र चिकित्सा परियोजना, जरूरतमंद रोगियों की मोतियाबिंद शल्यक्रिया		नागपुर व भंडारा (महा.) के गांव				मे.सूरज आइ इंस्टीट्यूट, नागपुर
	घ)नेत्र शिविरों का आयोजन व मोतियाबिंद के रोगियों की शिनाख्त करते हुए मोतियाबिंद शल्यक्रिया		नागपुर व भंडारा (महा.) के गांव				एसएमएम आइ वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट, नागपुर द्वारा संचालितमे.महात्मे आइ बैंक
	च)क्लिप लेफ्ट व लेफ्ट पैलैट सर्जरी हेतु 35 रोगियो को प्रायोजित करना।		नागपुर				मे.रोटरी नागपुर वेस्ट लर्विस ट्रस्ट
	छ)अर्थी वाहन बीमा आदि की व्यवस्था		वणी, जिला यवतमाल(महा.)				
	ज)गणेशपुर ग्राम पंचायत, जिला भंडारा को कार्ड व कॉइन बॉक्स सहित रिवर्स ऑस्मॉसिस कम्युनिटी वॉटर फिल्टर उपलब्ध कराना।		गणेशपुर, जिला भंडारा (महा.)				मे.
	झ)बनपुरी में ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना		बनपुरी, जिलानागपुर (महा.)				फिनिश सोसायटी
	ट)पानी के तलाव से गाद निकालना		रामटेक, जिला नागपुर				मॉयल

1	2	3	4	5	6	7	18.727 π
क्रम सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजनाया गतिविधि	क्षेत्र, जिसके अंतर्गत परियोजना शामिल है	परियोजनाएं य कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य(2) राज्य या जिले काउल्लेख करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम चलाए गये थे	रकम का परिव्यय(बजट) परियोजना या कार्यक्रमवार	परियोजनाओं / या कार्यक्रमों पर खर्च की गई रकम। उपशीर्ष (1) प्रत्यक्ष खर्च परियोजनाओं / या कार्यक्रमों पर (2) ऊपरीखर्च	रिपोर्टाधीन अवधि तक का संचयी व्यय	खर्च की गई रकमः प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन कर्ता एजेंसी के जरिये
	ठ)केशव सेवा समिति को वाणिज्यिक दर्जे की वॉशिंग मशीन उपलब्ध कराना		मलकानगिरी, हैदराबाद, तेलांगना				मॉयल
	ड)पेय जल उपलब्ध कराने हेतु विद्युत खर्च		अवालाझरी, जिला बालाघाट (म.प्र.)				मॉयल
	ढ)लोकबिरादरी प्रकल्प को दवाइयां दान करना।		हेमालकासा, जिला गढ़चिरोली (महा.)				मॉयल
	उप जोड़ (ग)			112.62	101.00	101.00	
(घ)							
24	खदान के निकटवर्ती क्षेत्र मेंवृक्षारोपण के साथ ट्री गार्ड की आपूर्ति व लगाना।	पर्यावरणकी निरंतरता सुनिश्चित करना।	जिला बालाघाट, भंडारा व नागपुर के गांव	18.20	15.31	15.31	मे. इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन्स
	उप जोड़ (घ)			18.20	15.31	15.31	
25	मॉयल फाउंडेशन को अंशदान				150.00	150.00	
	वित्तीय वर्ष 2017 – 18 हेतु सीएसआर कार्यों पर कुल व्यय			956.24	961.63	961.63	

6. निर्धारित रकम खर्च न करने के कारण– लागू नहीं

कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रु.1.50 करोड की रकम मॉयल फाउंडेशन को अंतरित कर दी गई है जिसका उपयोग वर्ष 2018 – 19 में जारी परियोजनाओं के लिये किया जाएगा। अभिनिर्धारित कार्यों के विवरण निम्नानुसार हैः

क्रम सं.	कार्य के विवरण	वर्ष 2018–19 में देय शेष रकम
1	घुबड़गोंडी, जिला बालाघाट में सामुदायिक भवन का निर्माण	11.36
2	आरएनटी, उकवा, जिला बालाघाट में 6 कमरों का निर्माण	17.40
3	जाम– कांदरी, जिला भंडारा में सामुदायिक भवन का निर्माण	49.75
4	लुगमा, गुडमा व उकवा, जिला बालाघाट में शौचालयों का निर्माण	16.25
5	महाराष्ट्र के 5 गांवों में वॉटर फिल्टर लगाना।	22.87
6	मनसर में डीएवी स्कूल	24.18
7	सौर्य स्ट्रीट लैंप लगाना।	41.94
कुल		183.75

उपर्युक्त के अलावा मे.मित्रा को सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों के लिये मई, 2018 माह सेहर एकांतर माह में रु.50.00 लाख प्रति माह की किश्त से रु.3.00 करोड का भुगतान करना है।

7. दायित्व कथन

कंपनी के निदेशक बोर्ड की कारपोरेट सामाजिक दायित्वों व अभिशासन समिति (सीएसआरएंडजी) का दायित्व कथन नीचे उद्धृत किया जा रहा हैः

कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति का कार्यान्वयन व अनुप्रवर्तन कंपनी के सीएसआर उद्येश्यों एवम् नीति के अनुरूप हैं।

एम.पी.चौधरी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

संगीता गैरोला
अध्यक्ष – सीएसआर समिति

अनुबंध–IV

वार्षिक विवरणी का सार

दि.31.03.2018 को समाप्त वर्ष को
(कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 92(3) व कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन नियम,2014) के नियम12(1) अनुशीलन में)

फॉर्म नं.एमजीटी – 9

ख. पंजीकरण व अन्य विवरण:

आइएन	एल99999एमएच1962जी ओआय012398
पंजीकरण दिनांक	22.06.1962
कंपनी का नाम	मॉयल लिमिटेड
कंपनी कीश्रेणी,उपश्रेणी:	पब्लीक कंपनी/शेयरों द्वारा सीमित
पंतीकृत कार्यालय का पता व संपर्क के विवरण:	1–ए,काटोल रोड,नागपुर– 440013 टेलीफैक्स – 0712 2806182/100 ई–मेलश्र: compliancemoil.nic.in वेबसाइट: www.moil.nic.in
क्या सूचीबद्ध कंपनी है	हां
रजिस्ट्रार व अंतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता व संपर्क विवरण	
	बिगशेयर सर्विसेज प्रा.लि. 1ली मंजिल,भारत टिन वर्क्स बिल्डिंग, वसंत ओएसिस के सामने मकवाना रोड, मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई –400 059. टेली. 022 62638200 फैक्स : 022 62638299 ई – मेल: investorbigshareonline.com

II. कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधि

कंपनी के कुल पण्यावर्त में 10% का अंशदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख करना होगा।

क्रम सं.	मुख्य उत्पाद / सेवाओं का नाम व विवरण	उत्पाद / सेवाओं का एनआइसी कोड	कंपनी के कुल पण्यावर्त में%
1	मैंगनीज अयस्क	072	91.49%

III. धारण, आनुषंगिक व सहायक कंपनियों के विवरण–

क्रम सं.	कंपनी का नाम व पता	सीआइएन जीएलएन	धारण/ आनुषंगिक/ सहायक	धारित शेयरों की सं.	लागू धारा
1	रिनमॉयल फेरो एलॉय प्रा.लि., तल मंजिल,ओल्ड हेल्थ सेंटर, सेक्टर–2 उक्कूनगरम, विशाखापट्टणम आंध्र प्रदेश–530031	यू27101एपी2009पीटीसी064546	सहायक	50%	2(6)
2	सेल ॲण्ड मॉयल फेरो एलॉय प्रा. लि. रु. नं. 3 बी, सी ई झेड गैरेज कंपाउंड, इक्विपमेंट स्केअर, भिलाई स्टील प्लांट भिलाई छ.ग. 490 001	यू27101सीटी2008पीटीसी020786	सहायक	50%	2(6)

IV. शेयरधारण का स्वरूप (कुल ईक्विटी में ईक्विटी शेयर पूंजी विश्लेषण की प्रतिशत मात्रा)

(i) श्रेणीवार शेयर धारण

शेयरधारक की श्रेणी		दि.01/04/2017 को वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की सं.				31/03/2018 को वर्ष के अंत में मेंधारित शेयरों की सं.				
		डीमैट	भौतिक	कुल	कुल %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल %	वर्ष के दौरान% परिवर्तन
(क)प्रवर्तक व प्रवर्तक समूह की शेयर पूंजी										
1.भारतीय										
(क)	व्यक्ति /हिंदू अवि.परि.	0	0		0	0.00	0	0	0	0.00
(ख)	केंद्र/राज्य सरकारें	87342422	0	87342422	65.58	16922667	0	1692267	65.69	0.11
(ग)	निगमित निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(घ)	वित्तीय संस्थाएं / बैंक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(च)	कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)									
(ळ)	समूह की कंपनियां	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ळळ)	ट्रस्ट	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ळळळ)	निदेशकों के संबंधी	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
कुल जोड़ (क)(1) :		87342422	0	87342422	65.58	169226667	0	169226667	65.69	0.11
2.विदेशी										
(क)	कॉरपरेट बॉडीज	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ख)	व्यक्तिगत	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ग)	संस्थाएं	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(घ)	योग्यविदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(च)	कोईअन्य (विनिर्दिष्ट करें)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप जोड़ (क)(2) :		0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
प्रवर्तकों हेतु कुल शेयर धारण										
(क)=(क)(1)+(क)(2)	(-)=(-)(1)+(-)(2)	87342422	0	87342422	65.58	169226667	0	16922667	65.69	0.11
(ख) जनता की शेयर पूंजी										
1.संस्थाएं										
(क)	केंद्र / राज्य सरकारें	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ख)	वित्तीय संस्थाएं / बैंक	12817683	0	12817683	9.62	23624348	0	23624348	9.17	(0.45)
(ग)	म्यूचुअल फंड / यूटीआइ	1600325	0	1600325	1.20	1625524	0	1625524	0.63	(0.57)

शेयरधारक की श्रेणी		दि.01/04/2017 को वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की सं.				31/03/2018 को वर्ष के अंत में मेंधारित शेयरों की सं.				
		डीमैट	भौतिक	कुल	कुल %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल %	वर्ष के दौरान% परिवर्तन
(घ)	जोखिम पूंजी	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(च)	बीमा कंपनियां	1186234	0	1186234	0.89	1344389	0	1344389	0.52	(0.37)
(छ)	एफआइआइफ़एस	6530189	0	6530189	4.90	8594694	0	8594694	3.34	(1.57)
(ज)	विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ट)	योग्य विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ठ)	कोई अन्यी विनिर्दिष्ट करें)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ड)	विदेशी पोटफ ोलिओ निवेशक	3285952	0	3285952	2.47	9632853	0	9632853	3.74	1.27
(ढ)	वैकल्पिक निवेश निधि	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
कुल जोड़ (ख)(1) :		25420383	0	25420383	19.09	44821808	0	44821808	17.40	(1.69)
2.गैर - संस्थाएं										
(क)	बॉडीज कॉरपरेट	3953017	0	3953017	2.97	3913172	0	3913172	1.52	(1.45)
(ख)	व्यक्तिगत									
(i)	(रु. 1 लाख तक पूंजी)	1370159	276	13709435	10.29	30846515	1212	30847727	11.97	1.68
(ii)	(रु. 1 लाख से अधिक पूंजी)	1770934	0	1770934	1.33	6368724	0	6368724	2.47	1.14
(ग)	कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)									
(i)	ट्रस्ट	71462	0	71462	0.05	103731	0	103731	0.04	(0.01)
(ii)	समाशोधन सदस्य	327636	0	327636	0.25	500256	0	500256	0.19	(0.05)
(iii)	अनिवासी भारतीय (छठख)	157396	0	157396	0.12	18416	0	18416	0.01	(0.11)
(iv)	अनिवासी भारतीय (प्रत्यावर्तनीय))	240400	0	240400	0.18	1086429	0	1086429	0.42	0.24
(v)	अनिवासी भारतीय (अप्रत्यावर्तनीय))	126005	0	126005	0.09	610796	0	610796	0.24	0.14
(vi)	निदेशकों के संबंधी	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(vii)	कर्मचारी	43766	0	43766	0.03	80354	0	80354	0.03	(0.00)
(viii)	विदेशी बॉडीज कॉरपरेट	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ix)	संदिग्ध लेखा जिसका दावा नही किया गया	204	0	204	0.00	272	0	272	0.00	(0.00)
()	आइईपीएफ	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00

शेयरधारक की श्रेणी		दि.01/04/2017 को वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की सं.				31/03/2018 को वर्ष के अंत में मेंधारित शेयरों की सं.				
		डीमैट	भौतिक	कुल	कुल %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल %	वर्ष के दौरान% परिवर्तन
(घ)	योग्य विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
		24744	0	24744	0.02	30536	0	30536	0.01	(0.01)
उप जोड़ (ख)(2) :		20424723	276	20424999	15.34	43559201	1212	43560413	16.91	1.57
जनता की कुल शेयर पूंजी	(ख)=(ख)(1) + (ख)(2)	45845106	276	45845382	34.42	88381009	1212	88382221	34.31	(0.11)
(ग)अभिरक्षकों द्वारा धारित शेयर जिसके विरुद्ध निक्षेपागार रसीदें जारी की गई हैं										
(क)	अभिरक्षकों द्वारा धारित शेयर	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
(i)	प्रवर्तक व प्रवर्तक समूह	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
(ii)	जनता	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
उप जोड़ (ग)(1) :		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
कुल जोड़ (क) + (खइ) + (ग)		133187528	276	133187804	100.00	257607676	1212	257608888	100.00	0.0

(ii) **प्रवर्तकों की शेयर पूंजी**

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	दि. 01/04/2017 के प्रारंभ में शेयर धारण			31/03/2018 के अंत में शेयर धारण			वर्ष के दौरानशेयर धारण में%बदलाव
		शेयरों की सं.	कंपनी के% शेयर	कुल शेयरों में बंधक / भारग्रस्त शेयरों का%	शेयरों की सं.	कंपनी के% शेयर	कुल शेयरों में बंधक / भारग्रस्त शेयरों का%	
1	भारत के राष्ट्रपति	74869435	56.2134	0.0000	144280693	56.0077	0.0000	-0.2057
2	महाराष्ट्र के राज्यपाल	6066067	4.5545	0.0000	12132134	4.7095	0.0000	0.1550
3	मध्य प्रदेश के राज्यपाल	6406920	4.8104	0.0000	12813840	4.9741	0.0000	0.1637
	कुल	87342422	65.5783	0.0000	169226667	65.6913	0.0000	0.1130

(iii) प्रवर्तकों के शेयरधारण में बदलाव

क्रम सं.		दि. 01/04/2017 के प्रारंभ में शेयर धारण		31/03/2018 के अंत में शेयर धारण	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों में%	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों में%
	वर्ष के प्रारंभ में	87342422	65.58	87342422	–
	वही 31/03/2017	–	–	–	–
	वृद्धि 06/10/2017	87342422	33.91	174684844	67.81
	कमी 30/03/2018	5458177	2.12	169226667	65.69
	वही 31/03/2018	0	0.00	169226667	65.69
	वर्ष के अंत में	–	–	169226667	65.69

(iv) सर्वोच्च दस शेयरधारकों के शेयरधारण का स्वरूप (निदेशकों, प्रवर्तकों व जीडीआर तथा एडीआर धारकों के अतिरिक्त):

क्रम सं.		वर्ष के दौरान शेयरधारण में दिनांकवार वृद्धि / कमी, वृद्धि कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए(उदा. आबंटन / अंतरण / बोनस / अतिरिक्त ईक्विटी आदि)					वर्ष के दौरान संचयी शेयर धारण	
	सर्वोच्च दस शेयरधारकों में से प्रत्येक हेतु	वर्ष के प्रारंभ / अंत में शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का%	दिनांक	शेयरधारण में वृद्धि / कमी	कारण	शेयरों की कुल सं.	कंपनी के कुल शेयरों का%
1	**भारतीय जीवन बीमा निगम**	9,899,959	3.84	31-मार्च-17	0	**अंतरण**	9,899,959	3.84
			3.83	15-सितम्बर-17	-28031	**अंतरण**	9,871,928	3.83
			3.75	20-सितम्बर-17	-214288	**अंतरण**	9,657,640	3.75
			3.66	22-सितम्बर-17	-232405	**अंतरण**	9,425,235	3.66
			3.56	28-सितम्बर-17	-263072	**अंतरण**	9,162,163	3.56
			7.11	06-अक्तूबर-17	9,162,163	**बोनस**	18,324,326	7.11
		18,324,326	7.11	31-मार्च-18	0	**अंतरण**	18,324,326	7.11
2	**एमएफएस इंटरनैशनल न्यू डिस्कवरी फंड**	3,971,364	1.54	31-मार्च-17	0	**अंतरण**	3,971,364	1.54
			3.08	06-अक्तूबर-17	3971364	**बोनस**	7,942,728	3.08
			2.99	17-नवम्बर-17	-230989	**अंतरण**	7,711,739	2.99
			2.75	24-नवम्बर-17	-629395	**अंतरण**	7,082,344	2.75
			2.60	01-दिसम्बर-17	-372184	**अंतरण**	6,710,160	2.60
			2.40	08-दिसम्बर-17	-540328	**अंतरण**	6,169,832	2.40
			2.36	15-दिसम्बर-17	-79287	**अंतरण**	6,090,545	2.36
		6,090,545	2.36	31-मार्च-18	0	**अंतरण**	6,090,545	2.36
3	**युनाइटेड इंडिया इंश्योरंस कंपनी लिमिटेड**	1,430,967	0.56	31-मार्च-17	0	**अंतरण**	1,430,967	0.56
			1.11	06-अक्तूबर-17	1430967	**बोनस**	2,861,934	1.11
			1.09	31-अक्तूबर-17	-50000	**अंतरण**	2,811,934	1.09
			1.05	30-मार्च-18	-116544	**अंतरण**	2,695,390	1.05
		2,695,390	1.05	31-मार्च-18	0	**अंतरण**	2,695,390	1.05
4	**दि ओरिएंटल इंश्योरंस कंपनी लिमिटेड**	319,771	0.12	31-मार्च-17	0	**अंतरण**	319,771	0.12
			0.13	28-अप्रैल-17	25280	**अंतरण**	345,051	0.13
			0.16	05-मई-17	75000	**अंतरण**	420,051	0.16
			0.19	12-मई-17	60000	**अंतरण**	480,051	0.19
			0.21	19-मई-17	57364	**अंतरण**	537,415	0.21
			0.24	26-मई-17	72500	**अंतरण**	609,915	0.24
			0.24	02-जून-17	9856	**अंतरण**	619,771	0.24
			0.48	06-अक्तूबर-17	619771	**बोनस**	1,239,542	0.48
			0.46	30-मार्च-18	-42012	**अंतरण**	1,197,530	0.46
		1,197,530	0.46	31-मार्च-18	0	**अंतरण**	1,197,530	0.46

5	नैश्नल इंश्योरंस कंपनी लिमिटेड	809,981	0.31	31-मार्च-17	0	अंतरण	809,981	0.31
			0.63	06-अक्तूबर-17	809981	बोनस	1,619,962	0.63
			0.53	29-दिसम्बर-17	-254268	अंतरण	1,365,694	0.53
			0.49	05-जनवरी-18	-100000	अंतरण	1,265,694	0.49
			0.43	30-मार्च-18	-169776	अंतरण	1,095,918	0.43
		1,095,918	0.43	31-मार्च-18	0	अंतरण	1,095,918	0.43
6	यूटीआइ मिड कैप फंड	952,915	0.37	31-मार्च-17	0	अंतरण	952,915	0.37
			0.36	23-जून-17	-14439	अंतरण	938,476	0.36
			0.73	06-अक्तूबर-17	938476	बोनस	1,876,952	0.73
			0.66	27-अक्तूबर-17	-181377	अंतरण	1,695,575	0.66
			0.37	08-दिसम्बर-17	-730916	अंतरण	964,659	0.37
			0.00	15-दिसम्बर-17	-964659	अंतरण	0	0.00
			0.00	31-मार्च-18	0	अंतरण	0	0.00
7	केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरंस कंपनी लिमिटेड	890,348	0.35	31-मार्च-17	0	अंतरण	890,348	0.35
			0.35	07-अप्रैल-17	-1359	अंतरण	888,989	0.35
			0.35	14-अप्रैल-17	-243	अंतरण	888,746	0.35
			0.34	21-अप्रैल-17	-6229	अंतरण	882,517	0.34
			0.34	28-अप्रैल-17	160	अंतरण	882,677	0.34
			0.34	05-मई-17	-9726	अंतरण	872,951	0.34
			0.33	12-मई-17	-11997	अंतरण	860,954	0.33
			0.33	19-मई-17	-275	अंतरण	860,679	0.33
			0.33	26-मई-17	-8603	अंतरण	852,076	0.33
			0.33	02-जून-17	-1447	अंतरण	850,629	0.33
			0.33	09-जून-17	-1573	अंतरण	849,056	0.33
			0.33	23-जून-17	-2470	अंतरण	846,586	0.33
			0.33	30-जून-17	-2187	अंतरण	844,399	0.33
			0.33	07-जुलाई-17	-4431	अंतरण	839,968	0.33
			0.27	14-जुलाई-17	-150994	अंतरण	688,974	0.27
			0.26	21-जुलाई-17	-29966	अंतरण	659,008	0.26
			0.26	28-जुलाई-17	-1131	अंतरण	657,877	0.26
			0.09	04-अगस्त-17	-436861	अंतरण	221,016	0.09
			0.09	11-अगस्त-17	-1653	अंतरण	219,363	0.09
			0.00	18-अगस्त-17	-207041	अंतरण	12,322	0.00
			0.00	01-सितम्बर-17	-12322	अंतरण	0	0.00
			0.00	31-मार्च-18	0	अंतरण	0	0.00
8	डीबी इंटरनैशनल (एशिया)लि.	853,348	0.33	31-मार्च-17	0	अंतरण	853,348	0.33
			0.33	14--pr-17	-10127	अंतरण	843,221	0.33
			0.33	21--pr-17	16826	अंतरण	860,047	0.33
			0.33	19-मई-17	-15635	अंतरण	844,412	0.33
			0.28	16-जून-17	-131440	अंतरण	712,972	0.28
			0.27	23-जून-17	-14891	अंतरण	698,081	0.27
			0.20	30-जून-17	-180938	अंतरण	517,143	0.20
			0.20	08-सितम्बर-17	-2474	अंतरण	514,669	0.20
			0.20	20-सितम्बर-17	-8541	अंतरण	506,128	0.20
			0.39	06-अक्तूबर-17	508369	बोनस	1,014,497	0.39

			0.39	13-अक्तूबर-17	-13831	अंतरण	1,000,666	0.39
			0.38	03-नवंबर-17	-28120	अंतरण	972,546	0.38
			0.36	10-नवंबर-17	-53578	अंतरण	918,968	0.36
			0.21	17-नवंबर-17	-381934	अंतरण	537,034	0.21
			0.18	24-नवंबर-17	-71306	अंतरण	465,728	0.18
			0.16	01-दिसम्बर-17	-42015	अंतरण	423,713	0.16
			0.14	08-दिसम्बर-17	-62512	अंतरण	361,201	0.14
			0.14	15-दिसम्बर-17	-7659	अंतरण	353,542	0.14
			0.14	22-दिसम्बर-17	800	अंतरण	354,342	0.14
			0.14	29-दिसम्बर-17	-800	अंतरण	353,542	0.14
			0.00	09-फरवरी-18	-351280	अंतरण	2,262	0.00
			0.00	30-मार्च-18	-303	अंतरण	1,959	0.00
		1,959	0.00	31-मार्च-18	0	अंतरण	1,959	0.00
9	**दि न्यू इंडिया इंश्योरंस कंपनी लिमिटेड**	403,705	0.16	31-मार्च-17	0	अंतरण	403,705	0.16
			0.31	06-अक्तूबर-17	403705	बोनस	807,410	0.31
			0.32	09-मार्च-18	22500	अंतरण	829,910	0.32
			0.33	16-मार्च-18	7500	अंतरण	837,410	0.33
			0.31	30-मार्च-18	-45277	अंतरण	792,133	0.31
		792,133	0.31	31-मार्च-18	0	अंतरण	792,133	0.31
10	**एलएसवी इमर्जिंग मार्केट्स स्मॉल कैप ईक्विटी फंड, एलपी**	0	0.00	31-मार्च-17		अंतरण	0	0.00
			0.00	16-जून-17	11300	अंतरण	11,300	0.00
			0.01	23-जून-17	21813	अंतरण	33,113	0.01
			0.02	30-जून-17	11307	अंतरण	44,420	0.02
			0.02	07-जुलाई-17	15300	अंतरण	59,720	0.02
			0.03	14-जुलाई-17	17496	अंतरण	77,216	0.03
			0.04	21-जुलाई-17	22128	अंतरण	99,344	0.04
			0.05	28-जुलाई-17	21794	अंतरण	121,138	0.05
			0.06	04--ug-17	41921	अंतरण	163,059	0.06
			0.07	11--ug-17	24098	अंतरण	187,157	0.07
			0.08	18--ug-17	11617	अंतरण	198,774	0.08
			0.09	25--ug-17	27579	अंतरण	226,353	0.09
			0.10	01-सितम्बर-17	29677	अंतरण	256,030	0.10
			0.12	08-सितम्बर-17	48800	अंतरण	304,830	0.12
			0.14	13-सितम्बर-17	44880	अंतरण	349,710	0.14
			0.14	15-सितम्बर-17	16200	अंतरण	365,910	0.14
			0.15	20-सितम्बर-17	29340	अंतरण	395,250	0.15
			0.16	22-सितम्बर-17	16300	अंतरण	411,550	0.16
			0.17	28-सितम्बर-17	38350	अंतरण	449,900	0.17
			0.35	06-अक्तूबर-17	449900	बोनस	899,800	0.35
			0.30	30-मार्च-18	-120697	अंतरण	779,103	0.30
		779,103	0.30	31-मार्च-18	0	अंतरण	779,103	0.30
11	**स्टेट स्ट्रीट इमर्जिंग मार्केट्स स्मॉल कैप ऐक्टिव नॉव लेंडिंग क्यूआइबी कॉमन ट्रस्ट फंड**	263,963	0.10	31-मार्च-17	0	अंतरण	263,963	0.10
			0.11	08-सितम्बर-17	18301	अंतरण	282,264	0.11

			0.22	06-अक्तूबर-17	282264	बोनस	564,528	0.22
			0.36	22-दिसम्बर-17	352457	अंतरण	916,985	0.36
			0.35	05-जनवरी-18	-18265	अंतरण	898,720	0.35
			0.30	30-मार्च-18	-120552	अंतरण	778,168	0.30
		778,168	0.30	31-मार्च-18	0	अंतरण	778,168	0.30
12	गोल्डमैन सैच्स (सिंगापुर)पीटीई	38,474	0.01	31-मार्च-17	0	अंतरण	38,474	0.01
			0.02	07अप्रैल-17	6915	अंतरण	45,389	0.02
			0.02	14 अप्रैल-17	8548	अंतरण	53,937	0.02
			0.02	21अप्रैल-17	7116	अंतरण	61,053	0.02
			0.03	28 अप्रैल-17	17252	अंतरण	78,305	0.03
			0.06	05-मई-17	68796	अंतरण	147,101	0.06
			0.08	12-मई-17	65470	अंतरण	212,571	0.08
			0.09	19-मई-17	21682	अंतरण	234,253	0.09
			0.09	26-मई-17	-4977	अंतरण	229,276	0.09
			0.09	02-जून-17	-1819	अंतरण	227,457	0.09
			0.09	23-जून-17	-4371	अंतरण	223,086	0.09
			0.09	30-जून-17	-2578	अंतरण	220,508	0.09
			0.08	07-जुलाई-17	-9807	अंतरण	210,701	0.08
			0.08	14-जुलाई-17	-4381	अंतरण	206,320	0.08
			0.06	21-जुलाई-17	-42524	अंतरण	163,796	0.06
			0.06	28-जुलाई-17	-2098	अंतरण	161,698	0.06
			0.06	04--ug-17	-353	अंतरण	161,345	0.06
			0.06	11--ug-17	-703	अंतरण	160,642	0.06
			0.06	01-सितम्बर-17	-1013	अंतरण	159,629	0.06
			0.06	08-सितम्बर-17	1168	अंतरण	160,797	0.06
			0.07	13-सितम्बर-17	16556	अंतरण	177,353	0.07
			0.07	15-सितम्बर-17	1489	अंतरण	178,842	0.07
			0.07	20-सितम्बर-17	-2598	अंतरण	176,244	0.07
			0.07	22-सितम्बर-17	235	अंतरण	176,479	0.07
			0.07	28-सितम्बर-17	-149	अंतरण	176,330	0.07
			0.14	06-अक्तूबर-17	176330	बोनस	352,660	0.14
			0.14	06-अक्तूबर-17	-37	अंतरण	352,623	0.14
			0.17	13-अक्तूबर-17	91418	अंतरण	444,041	0.17
			0.17	20-अक्तूबर-17	-15492	अंतरण	428,549	0.17
			0.13	27-अक्तूबर-17	-90724	अंतरण	337,825	0.13
			0.12	03-नवंबर-17	-18164	अंतरण	319,661	0.12
			0.12	10-नवंबर-17	-10088	अंतरण	309,573	0.12
			0.12	17-नवंबर-17	-4015	अंतरण	305,558	0.12
			0.11	24-नवंबर-17	-22534	अंतरण	283,024	0.11
			0.11	01-दिसम्बर-17	1343	अंतरण	284,367	0.11
			0.11	08-दिसम्बर-17	2392	अंतरण	286,759	0.11
			0.11	15-दिसम्बर-17	2751	अंतरण	289,510	0.11
			0.12	22-दिसम्बर-17	18578	अंतरण	308,088	0.12
			0.12	29-दिसम्बर-17	8280	अंतरण	316,368	0.12
			0.15	05-जनवरी-18	79175	अंतरण	395,543	0.15

			0.29	12-जनवरी-18	341579	अंतरण	737,122	0.29
			0.35	19-जनवरी-18	170846	अंतरण	907,968	0.35
			0.38	26-जनवरी-18	71043	अंतरण	979,011	0.38
			0.41	02-फरवरी-18	69308	अंतरण	1,048,319	0.41
			0.42	09-फरवरी-18	24296	अंतरण	1,072,615	0.42
			0.42	16-फरवरी-18	3018	अंतरण	1,075,633	0.42
			0.41	02-मार्च-18	-12681	अंतरण	1,062,952	0.41
			0.34	09-मार्च-18	-178395	अंतरण	884,557	0.34
			0.30	30-मार्च-18	-124235	अंतरण	760,322	0.30
		760,322	0.30	31-मार्च-18	0	अंतरण	760,322	0.30
13	एमवी एससी आइएफ मॉरिशियस	0	0.00	31-मार्च-17		अंतरण	0	0.00
			0.06	16-जून-17	142131	अंतरण	142,131	0.06
			0.16	23-जून-17	264116	अंतरण	406,247	0.16
			0.15	07-जुलाई-17	-20796	अंतरण	385,451	0.15
			0.15	21-जुलाई-17	-6932	अंतरण	378,519	0.15
			0.15	11--ug-17	4707	अंतरण	383,226	0.15
			0.14	13-सितम्बर-17	-13952	अंतरण	369,274	0.14
			0.14	20-सितम्बर-17	-14743	अंतरण	354,531	0.14
			0.14	28-सितम्बर-17	1154	अंतरण	355,685	0.14
			0.28	06-अक्तूबर-17	355685	बोनस	711,370	0.28
			0.28	27-अक्तूबर-17	11480	अंतरण	722,850	0.28
			0.29	31-अक्तूबर-17	13338	अंतरण	736,188	0.29
			0.29	03-नवंबर-17	20007	अंतरण	756,195	0.29
			0.30	10-नवंबर-17	26644	अंतरण	782,839	0.30
			0.31	15-दिसम्बर-17	6653	अंतरण	789,492	0.31
			0.30	22-दिसम्बर-17	-9481	अंतरण	780,011	0.30
			0.30	12-जनवरी-18	-6599	अंतरण	773,412	0.30
			0.29	09-फरवरी-18	-32974	अंतरण	740,438	0.29
			0.29	16-फरवरी-18	3429	अंतरण	743,867	0.29
			0.28	16-मार्च-18	-13208	अंतरण	730,659	0.28
			0.27	23-मार्च-18	-35384	अंतरण	695,275	0.27
		695,275	0.27	31-मार्च-18	0	अंतरण	695,275	0.27
14	एपी इनवेस्ट कैपिटलफोरेनिंग	659,877	0.26	31-मार्च-17	0	अंतरण	659,877	0.26
			0.20	30-जून-17	-135525	अंतरण	524,352	0.20
			0.15	07-जुलाई-17	-131306	अंतरण	393,046	0.15
			0.14	14-जुलाई-17	-34230	अंतरण	358,816	0.14
			0.11	25--ug-17	-73242	अंतरण	285,574	0.11
			0.11	01-सितम्बर-17	-9519	अंतरण	276,055	0.11
			0.21	06-अक्तूबर-17	276055	बोनस	552,110	0.21
			0.17	27-अक्तूबर-17	-122080	अंतरण	430,030	0.17
			0.02	10-नवंबर-17	-377259	अंतरण	52,771	0.02
			0.00	17-नवंबर-17	-52771	अंतरण	0	0.00
			0.00	31-मार्च-18	0	अंतरण	0	0.00
15	राम (लक्स) सिस्टेमैटिक फंड्स – इमर्जिंग मार्केट्स ईक्विटीज	440,387	0.17	31-मार्च-17	0	अंतरण	440,387	0.17
			0.15	07--pr-17	-49267	अंतरण	391,120	0.15

			0.12	14--pr-17	-73743	अंतरण	317,377	0.12
			0.11	21--pr-17	-39205	अंतरण	278,172	0.11
			0.09	28--pr-17	-34447	अंतरण	243,725	0.09
			0.08	05-मई-17	-28820	अंतरण	214,905	0.08
			0.07	12-मई-17	-42027	अंतरण	172,878	0.07
			0.04	19-मई-17	-58135	अंतरण	114,743	0.04
			0.03	26-मई-17	-28284	अंतरण	86,459	0.03
			0.03	30-जून-17	-10204	अंतरण	76,255	0.03
			0.03	07-जुलाई-17	-6728	अंतरण	69,527	0.03
			0.02	14-जुलाई-17	-18722	अंतरण	50,805	0.02
			0.01	25--ug-17	-19385	अंतरण	31,420	0.01
			0.01	01-सितम्बर-17	-12416	अंतरण	19,004	0.01
			0.00	13-सितम्बर-17	-19004	अंतरण	0	0.00
			0.01	27-अक्तूबर-17	19413	अंतरण	19,413	0.01
			0.02	31-अक्तूबर-17	37832	अंतरण	57,245	0.02
			0.03	03-नवंबर-17	19256	अंतरण	76,501	0.03
			0.08	10-नवंबर-17	126334	अंतरण	202,835	0.08
			0.11	17-नवंबर-17	78779	अंतरण	281,614	0.11
			0.13	24-नवंबर-17	64725	अंतरण	346,339	0.13
			0.16	01-दिसम्बर-17	61206	अंतरण	407,545	0.16
			0.19	08-दिसम्बर-17	89593	अंतरण	497,138	0.19
			0.21	15-दिसम्बर-17	43875	अंतरण	541,013	0.21
			0.19	12-जनवरी-18	-47066	अंतरण	493,947	0.19
			0.19	26-जनवरी-18	-14181	अंतरण	479,766	0.19
			0.18	02-फरवरी-18	-20262	अंतरण	459,504	0.18
			0.17	09-फरवरी-18	-22934	अंतरण	436,570	0.17
			0.16	16-फरवरी-18	-20419	अंतरण	416,151	0.16
			0.16	23-फरवरी-18	-16706	अंतरण	399,445	0.16
			0.15	02-मार्च-18	-18570	अंतरण	380,875	0.15
			0.13	09-मार्च-18	-45882	अंतरण	334,993	0.13
			0.10	16-मार्च-18	-69971	अंतरण	265,022	0.10
			0.09	30-मार्च-18	-40139	अंतरण	224,883	0.09
		224,883	0.09	31-मार्च-18	0	अंतरण	224,883	0.09
16	**मॉर्गन स्टैनली, मॉरिशियस कंपनी लिमिटेड**	429,410	0.17	31-मार्च-17	0	अंतरण	429,410	0.17
			0.16	07--pr-17	-7785	अंतरण	421,625	0.16
			0.16	14--pr-17	-9478	अंतरण	412,147	0.16
			0.16	21--pr-17	-1254	अंतरण	410,893	0.16
			0.15	28--pr-17	-14250	अंतरण	396,643	0.15
			0.15	05-मई-17	-1955	अंतरण	394,688	0.15
			0.15	12-मई-17	-16485	अंतरण	378,203	0.15
			0.14	19-मई-17	-15489	अंतरण	362,714	0.14
			0.14	26-मई-17	-9647	अंतरण	353,067	0.14
			0.13	02-जून-17	-6604	अंतरण	346,463	0.13
			0.11	09-जून-17	-61760	अंतरण	284,703	0.11
			0.10	16-जून-17	-14703	अंतरण	270,000	0.10

			0.10	04-अगस्त-17	-19719	**अंतरण**	250,281	0.10
			0.10	11-अगस्त-17	-55	**अंतरण**	250,226	0.10
			0.05	18-अगस्त-17	-122757	**अंतरण**	127,469	0.05
			0.00	01-सितम्बर-17	-127469	**अंतरण**	0	0.00
			0.00	31-मार्च-18	0	**अंतरण**	0	0.00

(v) **निदेशकों व महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारियों की शेयर पूंजी :**

कंपनी में निम्नलिखित निदेशकों व महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारियों की शेयर पूंहै जिसके विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम सं	हर निदेशक व महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारी हेतु	दि. 01.04.2017को प्रारंभ में शेयरधारण	वर्ष के दौरान शेयरधारण में दिनांकवार वृद्धि / कमी, वृद्धि कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए(उदा. आबंटन / अंतरण / बोनस / अतिरिक्त ईक्विटी आदि)				वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारण
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का%	दिनांक	वृद्धि/ कमी/	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का%
1	श्री दीपंकर शोम	226	06-अक्तूबर-17	226	बोनस	452	0
2	श्री राकेश तुमाने	10	06-अक्तूबर-17	10	बोनस	20	0
3	श्री नीरज दत्त पांण्डेय (कंपनी सचिव)	1	06-अक्तूबर-17	1	बोनस	2	0

V. ऋणग्रस्तता:

कंपनी की ऋणग्रस्तता, बकाया उपचित ब्याज सहित ,जो भुगतान हेतु देय नहीं- शून्य

	जमानती ऋण जमाराशियां छोड़कर	गैर - जमानती ऋण	जमाराशियां	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता i) मूलधन की रकम ii)देय किंतु अदत्त ब्याज iii)उपचित किंतु अदेय ब्याज	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)				
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में बदलाव वृद्धि कमी				
निवल परिवर्तन वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में बदलाव (i) मूलधन की रकम (ii) उपचितकिंतुअदेयब्याज (iii) उपचितकिंतुअदेयब्याज ब्याज	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	-	-	-	-

VI. निदेशकों एवं महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों की परिलब्धियां

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा / या प्रबंधक की परिलब्धियां:

क्रम सं.	परिलब्धियों के विवरण	निदेशकों के नाम / प्रबंध संचालक / पूर्ण कालीन निदेशक				कुल
		श्री एम.पी.चौधरी अ सह प्र.नि.	श्री टी.के.पटनाईक निदेशक (वाणिज्य)	श्री दीपंकर शोम निदेशक (उत्पादन एवं योजना)	श्री राकेश तुमाने निदेशक (वित्त)	
1	सकल वेतन					
	(क)आय कर अधिनियम ,1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	5058547.00	4788010.00	2365541.00	1739509.00	13951607.00
	(ख) आय कर अधिनियम ,1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत संपत्ति का मूल्य	617518.00	581595.00	8376.00	20925.00	1228414.00
	(ल) आय कर अधिनियम ,1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	स्टॉक का विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	अतिरिक्त ईक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	- लाभ के % के रूप में					
	- अन्य, विनिर्दि,ट करें(कार्य संबद्ध प्रोत्साहन)					
5	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (क)	5676065.00	5369605.00	2373917.00	1760434.00	15180021.00
	अधिनियम के अनुसार सीमा	लागू नहीं				

इ. अन्य निदेशकों को परिलब्धियां:

क्रम सं.	परिलब्धियों के विवरण	स्वतंत्र निदेशकों के नाम			
		सुश्री सुनंदा प्रकाश	सुश्री संगीता गैरोला	श्री वी.एम.चरियार	कुल
	1.स्वतंत्र निदेशक				
	बोर्ड / समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क	440000	440000	20000	900000
	कमीशन	-	-	-	-
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	-	-	-	-
	कुल(1)	440000	440000	20000	900000
	2.अन्य गैर - कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	बोर्ड / समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क				
	कमीशन				
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें				
	कुल(2)	440000	440000	20000	900000

* रु. 30,000 स्वतंत्र निदेशकों को मई माह में आयोजित बैठक के बैठक शुल्क के रूप में अदा किये गये हैं, जिसका उल्लेख उपर्युक्त बैठक शुल्क में शामिल नहीं है।.

C. प्रबंध निदेशक / प्रबंधक / पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों को परिलब्धियां

क्रम सं.	परिलब्धियों के विवरण	महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक		
		कंपनी सचिव श्री एन.डी. पाण्डेय	मु.वि.अधि.* श्री एन.पी.कजरेकर	कुल
1	सकल वेतन			
	(क)आय कर अधिनियम ,1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	1824173	1091025	2915198
	(ख) आय कर अधिनियम ,1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत संपत्ति का मूल्य	7199	1000	8199
	ल) आय कर अधिनियम ,1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	शून्य	शून्य	शून्य
2	स्टॉक का विकल्प	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	अतिरिक्त ईक्विटी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	कमीशन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	लाभ की% के रूप में			
	-अन्य, विनिर्दिष्ट करें			
5	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल	1831372	1092025	2923397

*दि. 14.11.2017 तक मु.वि.अधि. रहे।

VII. दण्ड / सजा / अपराधों को छिपाना

क.कंपनी	
दंड	लागू नहीं
सजा	
अपराध छिपाना	
ख.निदेशक	
दंड	लागू नहीं
सजा	
अपराध छिपाना	
ग.अन्य चूकग्रस्त अधिकारी	
दंड	लागू नहीं
सजा	
अपराध छिपाना	

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त ब्योरा	दंड / सजा / अपराध छिपाने के विवरण लगाया गया शुल्क	प्राधिकरण / (आरडी एनसीएलटी / कोर्ट)	की गई अपील, यदि कोई हो(विवरण दें)
शून्य					

अनुबंध – V

कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

कारपोरेट अभिशासन कंपनी के प्रबंधन, उसके बोर्ड, शेयरधारकों व अन्य हितधारकों के बीच संबंधों का एक मेल है ।कारपोरेट अभिशासन एक ऐसा ढाँचा प्रदान करता है जिसके जरिये कंपनी के उद्देश्यों व उनकी पूर्ति के साधनों व कार्य निष्पादन के मूल्यांकन का निर्धारण होता है।

ऑर्गनाइजेशन फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट

मॉयल, ''जो एक अनुसूचि-ए मिनिरत्न श्रेणी-1'' कंपनी, एक कुशल, एकीकृत, ईमानदार, उत्तरदायी और नैतिक तरीके से व्यवसाय करने के लिए प्रतिबद्ध है और मानती है कि कॉर्पोरेट शासन कानून के दायरे से बाहर है। यह प्रबंधन की संस्कृती और मानसिकता से शुरू हौता है, और अकेले कानून द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता है।

1. कारपोरेट अभिशासन का दर्शनः

एक अच्छे कारपोरेट अभिशासन में विधि से आगे बढ़ कर संपूर्ण कंपनी के प्रति प्रतिबद्धता नजर आती है।यह प्रतिबद्धता निदेशक बोर्ड से प्रारंभ होती है, जो कंपनी की रणनीतिगत व परिचालनगत उत्कृष्टता का उपयोग सभी हितधारकों के सर्वाधिक हितों को ध्यान में रखते हुए सभी के दीर्घकालिक लाभ को देखते हुए अत्यंत संतुलित ढंग से करता है।

कारपोरेट अभिशासन एक ऐसी यात्रा है जिसमें सतत रूप से मूल्य संवर्धन होता रहता है व लक्ष्य सदैव ऊपर की ओर बढ़ता है। एक विनियामक व अनुपालन की आवश्यकता के रूप में अभिशासन की परंपरागत दृष्टि का स्थान कंपनी की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बने अभिशासन ने ले लिया है। एक सूचीबद्ध कंपनी हेतु सूचीबद्ध विनियामकों ने आधारभूत अनुपालन नियम निर्धारित कर दिये हैं और अभिशासन का आधार अब भई बना हुआ है ।मॉयल न केवल सूचीबद्ध विनियामकों का पालन करता है अपितु विश्व भर की नवीनतम प्रथाओं को भी अपनाने का प्रयास करता है। हमारा यह प्रयास रहता है कि रणनीतिक कार्यान्वयन में प्रबंधन को सावधान करते हुए मार्गदर्शन किया जाए व जोखिम प्रबंधन करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए ।

2. निदेशक मंडल

मॉयल, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अर्थ में एक सरकारी कंपनी है ।मॉयल के संघ के अंतर्नियमों के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास निहित होता है । तदनुसार, मॉयल के मंडल के सभी निदेशकों की नियुक्ति इस्पात मंत्रालय के जरिये भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई है।दि. 31 मार्च, 2018 को मॉयल के निदेशक मंडल में 9 निदेशक हैं, जिनमें से 4 पूर्णकालिक निदेशक हैं, जिनमें अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक शामिल हैं, 2 सरकारी निदेशक हैं, जो भारत व महाराष्ट्र सरकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 3 स्वतंत्र निदेशक हैं।मॉयल के बोर्ड की संरचना सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशनडिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम,2015 के प्रावधानों तथा कारपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है क्योंकि तीन और स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता थी।

2.1 मॉयल के निदेशक बोर्ड की संरचनाः

1. श्री एम.पी.चौधरी, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
2. श्री टी.के. पटनाईक, निदेशक (वाणिज्य)
3. श्री दीपंकर शोम, निदेशक (उत्पादन एव योजना)
4. श्री राकेश तुमाने, निदेशक (वित्त)

प्रवर्तक नामित निदेशक

1. श्री टी. श्रीनिवास,भारत सरकार के नामिती
2. श्री सुनील पोरवाल, महाराष्ट्र सरकार के नामिती

स्वतंत्र निदेशक

1. सुश्री सुनंदा प्रसाद
2. सुश्री संगीता गैरोला
3. श्री विजयराघवन एम.चरियार

2.2 वर्ष 2017 – 18 के दौरान बैठक, अंतिम सर्वसाधारण बैठक में हर निदेशक, कंपनी के अन्य निदेशकों व सदस्यों / अध्यक्षों की उपस्थिति

वर्ष 2017–18 के दौरान, सात (7) बोर्ड मीटिंग 05.05.2017, 30.05.2017, 10.08,2017, 14.11.2017, 05.02.2018, 09.02.2018, 08.03.2018 को आयोजित की गई थी।

निदेशक का नाम (31.03.2018 को)	अवधि के दौरान हुई बैठकें	बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति की सं.	पिछली सर्वसाधारण बैठक में उपस्थिति	अन्य निदेशकों की सं.	समिति के अध्यक्ष	समिति के सदस्य
दि.31.03.2018 को						
पूर्णकालिक निदेशक						
श्री एम.पी. चौधरी अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	7	7	हां	शून्य	शून्य	शून्य
श्री टी.के. पटनाईक निदेशक (वाणिज्य)	7	7	हां	2	शून्य	2
श्री दीपंकर शोम, निदेशक (उत्पादन एव योजना 12.09.2017 से)	4	4	हां	2	शून्य	शून्य
श्री राकेश तुमाने, निदेशक(वित्त)(28.09.2017से)	4	4	लागू नहीं	2	शून्य	1
सरकार द्वारा नामित निदेशक						
श्री टी.श्रीनिवास (भारत सरकार के नामिती)	4	4	लागू नहीं	1	शून्य	शून्य
श्री सुनील पोरवाल (महाराष्ट्रशासन के प्रतिनिधि) (16.03.2018 से)	0	0	लागू नहीं	5	शून्य	1
श्री मनोहर लाल दुबे (मध्य प्रदेश सरकार के नामिती) दि.07.03.2018 तक)	6	1	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
स्वतंत्र निदेशकः						
सुश्री सुनंदा प्रसाद	7	7	हां	शून्य	1	1
सुश्री संगीता गैरोला	7	7	हां	शून्य	1	1
श्री विजयराघवन एम.चरियार (16.11.2017 से)	3	0	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य निदेशक						
श्री डी.एस.अहलूवालिया (28.09.2017 तक)	3	3	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

*इनमें लेखा परीक्षा समिति की सदस्यता / अध्यक्षता व मॉयल लिमिटेड व अन्य कंपनियों की हितधारक व्यथा समिति का विचार किया गया है।

3 समितियां

मंडल की समितियां कुछ विशिष्ट क्षेत्रों पर ही ध्यान केंद्रित करती हैं और उन्हें प्रत्यायोजित अधिकारों के अनुसार सोच – समझ कर निर्णय लेती हैं।बोर्ड की हर समिति अपने अधिकार पत्र के अनुसार काम करती है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार और कारपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों एवम् सूचीबद्ध दिशानिर्देशों के अनुसार उनकी संरचना, गुंजाइश, अधिकारों व भूमिका को परिभाषित करता है । फिलहाल कंपनी की निम्नलिखित बोर्ड समितियां हैः

3.1 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति लेखांकन की गुणवत्ता व विश्वसनीयता पर निगरानी रखने की बोर्ड की जिम्मेदारी के निर्वहन में उसकी मदद करता है।समिति का प्रयोजन कंपनी की लेखांकन व वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं, कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा, सांविधिक निदेशकों की स्वतंत्रता, कार्य निष्पादन व परिलब्धियों पर व कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों आदि पर निगरानी रखना है।

क. संरचना, सदस्यों व अध्यक्ष के नाम

वर्ष 2017 – 18 में लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन हुआ था । फिलहाल, समिति में चार सदस्य हैं जिनमें से तीन सदस्य स्वतंत्र हैं और एक सदस्य कार्यरत निदेशक है। लेखा परीक्षा की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 व सूचीबद्ध नियामकों के विनियम18 की आवश्यकता की पूर्ति करती है। दि.31.03.2018 को समिति के निम्नलिखित सदस्य थेः

1. सुश्री संगीता गैरोला- अध्यक्ष
2. सुश्री सुनंदा प्रसाद- सदस्य
3. श्री विजयराघवन एम. चरियार- सदस्य
4. श्री टी.के.पटनाईक- सदस्य

कंपनी सचिव समिति के सदस्य के रूप में कार्य देखते हैं ।

8. **वर्ष के दौरान बैठकें व उपस्थिति:**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की 7 बैठकें हुईं जिनके दिनांक थे-04.05.2017, 30.05.2017, 10.08.2017, 19.09.2017, 13.11.2017, 087.02.2018 और 07.03.2018 जिसके विवरण निम्नानुसाह हैं।

सदस्य का नाम	समिति के सदस्य की अवधि के दौरान हुई बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थित रहे
सुश्री संगीता गैरोला- अधयक्ष	7	7
सुश्री सुनंदा प्रसाद- सदस्य	7	7
श्री टी.के.पटनाईक सदस्य (14.11.2017 तक व 08.03.2018 से)	5	5
श्री दीपंकर शोम (08.03.2018 तक)	2	2
श्री विजयराघवन एम. चरियार-सदस्य (08.03.2018 तक)	0	0

विचारार्थ विषय

लेखा परीक्षा समिति की भूमिका में निम्नलिखित शामिल है:

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का जायजा लेना व वित्तीय जानकारी का प्रकटन करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त व विश्वसनीय हैं।
2. बोर्ड को सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, पुर्नियुक्ति और आवश्यक होने पर उनके प्रतिस्थापन या हटाने के संबंध में सिफारिश करना व लेखा परीक्षा शुल्क का निर्धारण करना, जैसा कि लागू हो।
3. सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदत्त किसी भी अन्य सेवा हेतु भुगतान का अनुमोदन करना ।
4. बोर्ड के अनुमोदन से पूर्व निम्नलिखित के विशेष संदर्भ में वार्षिक वित्तीय विवरणों की प्रस्तुतीकरण से पूर्व समीक्षा करना
   - क. कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले निदेशक दायित्व कथन में शामिल किये जाने वाले मामले ।
   - ख. लेखांकन की नीतियों एवं प्रथाओं में प्रभार, यदि कोई हो व उसके कारण ।
   - ग. लेखांकन की प्रमुख प्रविष्टियां, जिनमें प्रबंधन के निर्णयों के आधार पर अनुमान शामिल हों ।
   - घ. लेखा - परीक्षा के निष्कर्षों से पैदा होने वाले वित्तीय विवरणों में किये गये महत्वपूर्ण समायोजन
   - ङ. वित्तीय विवरणों से संबंधित लिस्टिंग व अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन ।
   - च. किसी भी पक्ष के व्यवहारों का प्रकटन ।
   - छ. मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कोई शर्त ।
5. बोर्ड को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा ।
6. किसी निर्गम (सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमानी शेयर आदि) के जरिये जुटायी गई निधियों के उपयोग व अनुप्रयोग , प्रस्ताव प्रलेख, विवरण पत्र, नोटिस आदि में वर्णित निधियों के उपयोग से इतर उपयोग के विवरण की समीक्षा करना तथा किसी सार्वजनिक या अधिकार निर्गम के आगमों के उपयोग पर निगरानी रखने वाली अनुप्रवर्तक एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना व यथोचित सिफारिशें करना ।
7. प्रबंधन के साथ सांविधिक व आंतरिक लेखा परीक्षकों के कार्यों, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की समीक्षा करना।
8. आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य के पर्याप्तता की समीक्षा करना, जिसमें विभाग की आंतरिक लेखा परीक्षा, संरचना व स्टाफिंग व विभाग प्रमुख की वरिष्ठता व रिपोर्टिंग संरचना की व्याप्ति व आंतरिक लेखा परीक्षा की आवृत्ति शामिल है ।
9. किसी भी महत्वपूर्ण बात के संबंध में आंतरिक और / या सांविधिक लेखा परीक्षकों से चर्चा करना व उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना ।
10. आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई ऐसी किसी भी जाँच के निष्कर्षों की समीक्षा करना, जहां जालसाजी का संदेह हो या अनियमितता हो या आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में कोई महत्वपूर्ण स्वरूप की विफलता हो व बोर्ड को उसकी जानकारी देना ।
11. चिंता के क्षेत्रों, यदि कोई हों, के निर्धारण हेतु लेखा परीक्षा की व्याप्ति के बारे में व लेखा उपरांत विषयों पर चर्चा करना ।
12. जमाकर्ताओं, शेयरधारकों, डिबेंचरधारकों और लेनदारों, यदि कोई हों, के भुगतान में हुई बड़ी चूकों (घोषित भुगतानों का भुगतान न करने के मामलों में) के कारणों का पता लगाना।
13. सचेतक यंत्रणा, यदि कोई हो, के कार्यकलाप की समीक्षा करना ।
14. उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, पृष्ठभूमि आदि का मूल्यांकन करने के बाद या वित्त कार्य करने वाले या ऐसे कर्तव्यों का निर्वाह करने वाले किसी व्यक्ति को मुख्य वित्तीय अधिकारी (अर्थात पूर्णकालिक निदेशक, वित्त के रूप में) पदनामित करना ।

15. सीएंडएजी की लेखा परीक्षा में की गई अभ्युक्तियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना ।
16. संसद की सरकारी उपक्रमों की समिति, (सीओपीयू) यदि कोई हो, की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की पुनरीक्षा करना ।
17. स्वतंत्र लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक व बोर्ड के बीच संप्रेषण का खुला मंच उपलब्ध कराना ।
18. लेखा परीक्षा की व्याप्ति की संपूर्णता, अनावश्यक प्रयासों में कमी व लेखा परीक्षा के सभी संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ लेखा परीक्षा के सभी प्रयासों का समन्वय करना
19. स्वतंत्र लेखा परीक्षक एवम् प्रबंधन के साथ निम्नलिखित का विचार करना व पुनरीक्षण करना।
    क. आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता जिसमें संगणकीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण व सुरक्षा शामिल हैं और
    ख. संबंधित निष्कर्ष व स्वतंत्र लेखा परीक्षकों एवम् आंतरिक लेखा परीक्षकों की सिफारिशें प्रबंधन के प्रतिसाद सहित ।
20. प्रबंधन , आंतरिक लेखा परीक्षक एवम् स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के साथ निम्नलिखित का विचार करना व पुनरीक्षण करना।
    क. लेखा परीक्षकों की पिछली सिफारिशों की स्थिति सहित वर्ष के दौरान प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्ष ।
    ख. लेखा परीक्षा कार्य में आने वाली कोई भी कठिनाई, जिसमें आवश्यक सूचना प्राप्त करने व गतिविधियों पर प्रतिबंध शामिल हैं।
21. लेखा परीक्षा समिति के कार्य क्षेत्र में उल्लिखित या मंडल द्वारा निर्देशित कोई अन्य कार्य करना ।

3.2 नामांकन व पारिश्रमिक समिति

समिति का गठन कंपनी अधिनियम की धारा178 व लिस्टिंग विनियमावली तथा इस संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

क. कार्य क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण

समिति से अपेक्षा है कि–

1. कार्यपालकों व यूनियन विहीन पर्यवेक्षकों के बीच निर्धारित सीमाओं में वितरण हेतु वार्षिक बोनस, परिवर्तनीय वेतन पूल व वितरण की नीति के संबंध में निर्णय ले।
2. ऐसे अन्य दायित्वों का निर्वहन करना जो कंपनी अधिनियम, 2013, डीपीई दिशानिर्देशों व अन्य सरकारी दिशानिर्देशों में शामिल हों ।

एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते निदेशकों की नियुक्ति, अवधि, कार्य निष्पादन, मूल्यांकन, पारिश्रमिक आदि का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है ।

ख. दि. 31.03.2018 को समिति के निम्नलिखित सदस्य थे:

1 सुश्री सुनंदा प्रसाद,(स्वतंत्र निदेशक) – अध्यक्ष
3. सुश्री संगीता गैरोला (स्वतंत्र निदेश) सदस्य
4. श्री विजयराघवन एम.चरियार (स्वतंत्र निदेशक) सदस्य

ग. समिति की बैठकें

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति की तीन बैठकें दि.09.08.2017, 02.11.2017 व11.01.2018 को संपन्न हुईं।

सदस्य का नाम	समिति के सदस्य की अवधि के दौरान समिति की बैठकें	बैठक जिनमें उपस्थित रहे
सुश्री सुनंदा प्रसाद – सदस्य	3	3
सुश्री संगीता गैरोला – अध्यक्ष	3	3
श्री एम.एल.दुबे– सदस्य (दि.08.03.2018 तक)	3	1
श्री विजयराघवन एम.चरियार (08.03.2018 से)	0	0

घ. पारिश्रमिक नीति

एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते मॉयल के निदेशकों की नियुक्ति, , अवधि का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

अधिकारियों के पारिश्रमिक का निर्धारण वेतन संशोधन पर सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार व कंपनी के अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक का निर्णय उनकी यूनियनों से हर 10 वर्ष पर होने वाले पारिश्रमिक समझौता करार के अनुसार किया जाता है।

च. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक व अन्य कार्यात्मक निदेशकों द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक

वित्तीय वर्ष 2017 – 18 के दौरान अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक व अन्य कार्यात्मक निदेशकों द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक के विवरण,

क्रम सं.	निदेशकों के नाम	वेतन	लाभ	भ.नि.व अन्य निधियां	निष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन	कुल
1	श्रीएम.पी.चौधरी अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	2263654	1414982	327984	1669445	5676065
2	श्री टी.के.पटनाईक निदेशक (वाणिज्य)	2217571	1404796	318057	1429181	5369605
3	श्री दीपंकर शोम निदेशक(उत्पादन एवं योजना)	1217754	524331	154506	477326	2373971
4	श्री राकेश तुमाने निदेशक (वित्त)	1111846	515166	133422	0	1760434

बोनस / कमीशनः शून्य, स्टॉक विकल्प- कोई स्टॉक विकल्प नहीं।

गैर कार्पालक निदेशकों का कंपनी के साथ, उनके द्वारा उपस्थित बोर्ड / समिति की बैठकों के शुल्क / प्रतिपूर्तियों के अलावा और कोई आर्थिक संबंध या व्यवहार नहीं हैं

कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा पद के ग्रहण के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि या उनके सेवानिवृत्ति के दिनांक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, की जाती है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति आम तौर पर तीन वर्षों के लिये की जाती है।

स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड की हर बैठक के लिये रु.20,000 (बीस हजार) का बैठक शुल्क तथा दि.14.11.2017 तक आयोजित समिति की हर बैठक के लिये रु.,15,000 (पंद्रह हजार) अदा किया जाता है । तदनुसार स्वतंत्र निदेशकों को उसका भुगतान किया गया है। इससे संबंधित विवरण फॉर्म एमजीटी -9 की मद क्र.4 में दिये गये हैं, जो अनुबंध -IV के रूप में संलग्न है। स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV के अनुसार आयोजित स्वतंत्र निदेशकों की बैठक के लिये भी बैठक शुल्क अदा किया जाता है ।

निदेशकों को भुगतान करने हेतु मानदंड मॉयल लिमिटेड की वेबसाइट पर दिये गये हैं ।

3.3 हितधारक संबंध समिति

समिति पर शेयरों के अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, लाभांश प्राप्त न होने आदि जैसे हितधारकों व निवेशकों के अनुरोधों / शिकायतों पर ध्यान देने का दायित्व है ।समिति कंपनी के रजिस्ट्रार एवम् शेयर अंतरण एजेंट के कार्य निष्पादन व सेवाओं का भी मूल्यांकन करती है और निवेशकों के सेवा स्तरों में सुधार हेतु सतत रूप से मार्गदर्शन करती है।बोर्ड ने प्रतिभूतियों के अंतरण के अधिकार आरटीए और / या कंपनी सचिव को प्रदान किये हैं ।

क. विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

समिति के दायित्व निम्नानुसार हैं-

(1) निवेशकर्ताओं की शिकायतों का निवारण

(2) शेयरों का आबंटन, सेयरों, डिबेंचरों या किन्हीं अन्य प्रतिभूतियों के अंतरण / प्रेषण का अनुमोदन

(3) विभाजन, समेकन या नवीकरण आदि पर डुप्लीकेट या नये प्रमाणपत्रों को जारी करना।

(4) घोषित लाभांशों, कंपनी के तुलन पत्रों का प्राप्त न होना ।

(5) बोर्ड द्वारा समय समय पर प्रासंगिक रूप में निर्धारित किये गये अन्य मामले

ख. समिति की संरचना

1. सुश्री सुनंदा प्रसाद - अध्यक्ष
2. सुश्री संगीता गैरोला - सदस्य
3. श्री टी.के. पटनाईक - सदस्य
4. श्री राकेश तुमाने - सदस्य

ग. बैठक व उपस्थितिः

वर्ष 2017 - 18 के दौरान हितधारक संबंध समिति की 3 बैठकें दि.29.05.2017, दि.09.08.2017, दि.08.02.2018 को संपन्न हुईं । बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैः

सदस्य का नाम	समिति के सदस्य की अवधि के दौरान समिति की बैठकें	बैठक जिनमें उपस्थित रहे
सुश्री सुनंदा प्रसाद - अध्यक्ष	3	3
सुश्री संगीता गैरोला - सदस्य	3	3
श्री टी.के. पटनाईक - सदस्य	3	3
श्री राकेश तुमाने - सदस्य (14.11.2018 से)	1	1

घ. अनुपालन अधिकारी का नाम व पदनामः

श्री नीरज दत्त पाण्डेय, कंपनी सचिव कंपनी के अनुपालन अधिकारी हैं ।

च निवेशकों की व्यथाओं का सारांश

दि. 31 मार्च, 2018 के वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी एवम् रजिस्ट्रार ने शीघ्रता से निवेशकों की व्यथाओं पर ध्यान दिया सिवाए उन मामलों के जिनमें विवाद या तानूनी वाद था । शिकायतों ते विवरण निम्नानुसार हैः

क्रम सं.	विवरण	शिकायतों की सं.
1	दि.1 अप्रैल, 2017 को शेष	1

2	वर्ष के दौरान प्राप्त	83
3	वर्ष के दौरान परिचारित / निवारित	83
4	दि.31 मार्च, 2018 को पेंडिंग	1

3.4 कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति

उक्त समिति का गठन कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एवम् निरंतरता नीति के निर्माण / नवीकरण हेतु किया गया है। सभी कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एवम् निरंतरता के प्रस्ताव बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व समिति को प्रस्तुत किये जाते हैं और उचित पाए जाने पर समिति बोर्ड को कार्य की सिफारिश करती है।

ख. विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

समिति के दायित्व निम्नानुसार हैः

(1) आवश्यक होने पर कंपनी की कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एवम् निरंतरता नीति का पुनरीक्षण ।

(2) कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एवम् निरंतरता नीति पर डीपीई दिशानिर्देशों या किसी भी प्रचलित विधि के अंतर्गत अनुपालन का पुनरीक्षण ।

(3) मॉयल के बोर्ड द्वारा अनुमोदित कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एवम् निरंतरता परियोजनाओं के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण ।

(4) कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एवम् निरंतरता नीति के अंतर्गत शुरू किये जाने वाले कार्यक्रमों / परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु सिफारिश करना ।

(5) बोर्ड द्वारा समय समय पर कंपनी अधिनियम, 2013, डीपीई दिशानिर्देशों में लागू व निर्धारित निर्धारित कोई अन्य मामले

ख समिति की संरचना

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समिति का पुनर्गठन किया गया । दि.31.03.2018 को समिति के निम्नलिखित सदस्य हैः

1. सुश्री संगीता गैरोला – अध्यक्ष
2. सुश्री सुनंदा प्रसाद – सदस्य
3. श्री विजयराघवन एम. चरियार – सदस्य
4. श्री दीपांकर शोम – सदस्य

कंपनी के कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

ग. समिति की बैठकें

वित्तीय वर्ष के दौरान कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति की चार बैठकें दि.29.05.2017, दि.09.08.2017, दि.19.09.2017 व दि.08.02.2018 को हुईं । सदस्यों के विवरण और बैठकों में उनकी उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं।

सदस्य का नाम	समिति के सदस्य की अवधि के दौरान हुई बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थित रहे
सुश्री संगीता गैरोला– अध्यक्ष	4	4
सुश्री सुनंदा प्रसाद– सदस्य	4	4
श्रीटी.के.पटनाईक – सदस्य(दि.14.11.2017 तक)	3	3
श्री दीपंकर शोम– सदस्य(दि.14.11.2017 से)	1	1
श्री विजयराघवन एम.चरियार(दि.08.03.2018 से)	0	0

3.5 जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी के निदेशक बोर्ड ने एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है । बोर्ड ने जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिकाएं व दायित्व परिभाषित किये हैं व समिति को जोखिम प्रबंधन योजना का अनुप्रवर्तन व पुनरीक्षण प्रत्यायोजित किया है।

घ. विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

समिति के दायित्व निम्नानुसार हैः

(क) यह बोर्ड के सदस्यों को जोखिम निर्धारण व फन्हें न्यूनतम करने की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देने हुए कार्यविधियों का निर्धारण करेगी ।

(ख) उस पर कंपनी के लिये जोखिम प्रबंधन योजना तैयार करने, कार्यान्वित करने व उनुप्रवर्तन करने का दायित्व होगा ।

समिति की संरचना

वर्ष के दौरान विघटन से पूर्व समिति की संरचना

(1) श्री एम.पी. चौधरी – अध्यक्ष

(2) श्री टी.के. पटनाईक – सदस्य

(3) श्री सी.बी. अतुलकर – सदस्य (बोर्ड से नीचे वरिष्ठ प्रबंधन)

ग. समिति की बैठकें

वित्तीय वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की एक बैठक दि.27.06.2017 को संपन्न हुई थी । सदस्यों व बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों के विवरण निम्नानुसार हैं–

सदस्य का नाम	समिति के सदस्य की अवधि के दौरान हुई बैठकों	बैठकों में उपस्थिति
श्री एम.पी.चौधरी – अध्यक्ष	1	1
श्री टी.के. पटनाईक – सदस्य	1	1
श्री सी.बी.अतुलकर, सदस्य	1	1

चूँकि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार जोखिम प्रबंधन समिति अनिवार्य नहीं है अतः बोर्ड ने उसे विघटित कर दिया ।

4. साधारण सभा बैठक

4.1 कंपनी की अंतिम तीन सर्वसाधारण सभाओं की बैठकों के विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	विशेष संकल्प
2016 – 17	20सितंबर,2017	प्रातः11.30	मॉयल लिमिटेड,गोल्डन जुबिली हॉल,वेस्ट कोर्ट प्रीमाइसेस,जेडपी के सामने,(भूतपूर्व सरकारी)हाई स्कूल, काटोल रोड, नागपुर–440013	हां
2015 – 16	30अगस्त,2016	प्रातः11.30	मॉयल लिमिटेड,गोल्डन जुबिली हॉल,वेस्ट कोर्ट प्रीमाइसेस,जेडपी के सामने,(भूतपूर्व सरकारी)हाई स्कूल, काटोल रोड, नागपुर–440013	शून्य
2014–15	31अगस्त,2015	प्रातः11.30	मॉयल लिमिटेड,गोल्डन जुबिली हॉल,वेस्ट कोर्ट प्रीमाइसेस,जेडपी के सामने,(भूतपूर्व सरकारी)हाई स्कूल, काटोल रोड, नागपुर–440013	शून्य

4.2 रिपोर्टाधीन वर्ष 2017 – 18 के दौरान डाक मतदान के जरिये कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया था । आगामी वार्षिक सर्वसाधारण सभा की बैठक में कोई विशेष संकल्प पारित करने का प्रस्ताव नहीं है ।

5. सहायक / संयुक्त उद्यम / सहायक कंपनी की जानकारी

मॉयल की कोई सहायक कंपनी नहीं है । किंतु उसके दो संयुक्त उद्यम हैं यथा सैल एंड मॉयल फेरो एलॉएज प्रा.लि. और रिनमॉयल फेरो एलॉएज प्रा.लि. । दोनों कंपनियों में कोई परिचालन नहीं हैं।

6. प्रकटन

1) कंपनी ने ऐसे कोई महत्वपूर्ण व्यवहार नहीं किये हैं जिनसे कंपनी के हितों के साथ कोई संभावित विवाद हो सके । फिर भी, संबंधित पक्षों से व्यवहारों का प्रकटन लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी क्र.14.4 की मद क्र.5 में किया गया है । कंपनी की अपनी संबंधित पक्ष व्यवहार नीति है जिसे उसकी वेबसाइट www.moil.nic.in पर अपलोड किया गया है ।

2) बोर्ड की संरचना के अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 1956 / 2013 के प्रावधानों या स्टॉक एक्सचेंज या एसईबीआइ या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण के नियमों एवम् विनियमों तथा दिशानिर्देशों की अवहेलना का कोई भी मामला नहीं हुआ है । इन प्राधिकरणों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में कंपनी पर कोई आलोचना या दंड जारी नहीं किया है .वर्ष के दौरान निदेशक बोर्ड की संरचना से संबंधित प्रावधान के अतिरिक्त लिस्टिंग विनियमों की आवश्यकताओं व कारपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है ।

3) कंपनी में गैर कार्यपालक निदेशकों का कोई शेयर या परिवर्तनीय लिखत नहीं है ।

4) कंपनी के किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति से संपर्क करने से रोका नहीं गया है ।

5) सचेतक नीतिः कंपनी की एक सचेतक नीति है जिसे उसकी वेबसाइट www.moil.nic.in पर अपलोड किया गया है । कंपनी के पास एक सक्षम व स्वतंत्र सतर्कता विभाग है जिसके प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं जो किसी भी अनैतिक आचरण, वास्तविक या संदिग्ध जालसाजियों या कंपनी के आचार संहिता के उल्लंघन पर निगरानी रखते हैं । कंपनी के सभी कार्मिक अपनी शिकायतों एवम् व्यथाओं आदि हेतु सतर्कता विभाग से संपर्क कर सकते हैं ।

6) रिपोर्ट में बताये गये अनुसार बोर्ड की संरचना को छोड़ कर निदेशक बोर्ड, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन व पारिश्रमिक समिति,हितधारक संबंध समिति,जोखिम प्रबंधन समिति, सतर्कता यंत्रणा, संबंधित पक्ष व्यवहारों, स्वतंत्र निदेशकों,निदेशकों व वरिष्ठ प्रबंधन से संबंधित प्रतिबद्धताओं के संबंध में विनियम17 से27 में विनिर्दिष्ट कारपोरेट अभिशासन की आवश्यकताओं का पालन मॉयल लिमिटेड द्वारा किया गया है ।,

7) मॉयल लिमिटेड की वेबसाइट पर प्रकटन के संबंध में विनियम 46 के उप विनियम(2) के खंड(बी) से (आइ) में विनिर्दिष्ट कारपोरेट अभिशासन की आवश्यकताओं का भी अनुपालन किया गया है ।

सेबी (एलओडीआर)विनियमावली, 2015 की अनिवार्य व गैर – अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाना

मॉयल ने लिस्टिंग विनियमावली की सभी आवश्यकताओं का पालन किया है।(सिवाए उनके, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है)। लिस्टिंग विनियमावली की अनुसूची 5 में निर्धारित गैर– अनिवार्य आवश्यकताओं के संबंध में कंपनी द्वारा अपनाये गये / पालन किये गये क्षेत्र निम्नानुसार हैं–

1. चूँकि अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक कंपनी की पूर्णकालिक नियुक्ति में हैं अतः अध्यक्ष के कार्यालय का अलग से रखरखाव आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति इस्पात मंत्रालय द्वारा तीन वर्षों की अवधि हेतु की गई है अतः किसी भी स्वतंत्र निदेशक की सेवा दस वर्ष से अधिक अवधि हेतु नहीं हुई है ।
2. वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की बैठक दि. 08.02.2018 को संपन्न हुई थी ।

   कंपनी एक अग्रणी अंग्रेजी समाचार पत्र में त्रैमासिक अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम प्रकाशित करती है जैसा कि संप्रेषम के उपाय शीर्ष के अंतर्गत बताया गया है ।ये अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.moil.nic.in पर भी प्रदर्शित किये जाते हैं । कंपनी अपनी प्रमुख घटनाओं, उपलब्धियों आदि को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्रों व अपनी वेबसाइट के जरिये भी संप्रेषित करती है।
3. कंपनी का सदैव यह प्रयास रहता है कि बिना शर्त वित्तीय विवरण प्रस्तुत किये जाएं।
4. एक सरकारी कंपनी होने के नाते अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक समेत सभी निदेशकों की नियुक्ति इस्पात मंत्रालय के जरिये भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
5. जब भी आवश्यक हो, आंतरिक लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करते हैं।

संप्रेषण के उपाय

7.1 आमतौर पर कंपनी अग्रणी राष्ट्रीय समाचार पत्रों यथा टाइम्स ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र टाइम्स, मिंट, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन, बिजनेस स्टैंडर्ड, हितवाद, मराठी लोकमत, नागपुर, नवराष्ट्र व हिंदी दैनिक समाचार पत्र जैसे नवभारत, दैनिक भास्कर, लोकमत समाचार आदि) में अपने त्रैमासिक अलेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम प्रकाशित करती है।

7.2 इन अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को कंपनी की वेबसाइट www.moil.nic.in पर भी प्रदर्शित किया जाता है ।

7.3 कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्रों और इसकी वेबसाइट के माध्यम से आधिकारिक समाचार, प्रमुख घटनाओं, प्रदर्शन, उपलब्धियों, प्रस्तुतियों आदि को संचारित करती हैं।

8. सामान्य शेयरधारक सूचना

8.1 वार्षिक साधारण सभा

दिनांक	दिन	समय	स्थान
27 सितंबर, 2018	गुरुवार	प्रातः11.30	मॉयल लिमिटेड,गोल्डन जुबिली हॉल,वेस्ट कोर्ट प्रीमाइसेस,जेडपी के सामने,(भूतपूर्व सरकारी)हाई स्कूल, काटोल रोड, नागपुर–440013

8.2 वित्तीय वर्ष

कंपनी ने उस वित्तीय वर्ष को अपनाया है जो हर वर्ष 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है।

8.3 बही समापन का दिनांक

कंपनी ने बहियों का समापन नहीं किया है किंतु अंतिम लाभांश के भुगतान का रेकॉर्ड दिनांक 14 सितंबर, 2018 रहेगा ।

8.4 लाभांश भुगतान का दिनांक

घोषणा के दिनांक से 30 दिनों के भीतर शेयरधारकों को लाभांश अदा कर / भेज दिया जाता है ।

8.5 स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टिंग

मॉयल के शेयर दि. 15 दिसंबर, 2010 को सूचीबद्ध किये गये थे ।एक्सचेंजों एवम् स्टॉक कोड के विवरण निम्नानुसार हैं–

स्टॉक एक्सचेंज	शेयरों के प्रकार	स्टॉक कोड
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	ईक्विटी शेयर	533286
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	ईक्विटी शेयर	मॉयल – ईक्यू

उपर्युक्त दोनों एक्सचेंजों को वर्ष 2017 – 18 का शुल्क अदा किया गया है ।

बाजार मूल्य डाटाः पिछले वित्तीय वर्ष 2017 – 18 के दौरान उच्च, न्यून

माह	राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज		बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज	
	उच्च	न्यून	उच्च	न्यून
अप्रैल, 2017	346.70	303.30	346.20	300.00
मई 2017	340.00	294.00	340.00	295.00
जून, 2017	352.45	313.05	352.30	313.10
जुलाई,2017	360.95	318.00	360.50	317.00
अगस्त,2017	371.75	323.40	375.00	324.05
सितंबर,2017	425.25	179.70	427.40	180.05
अक्तूबर, 2017	285.85	191.85	285.50	192.60
नवंबर,2017	284.00	243.90	283.75	242.60
दिसंबर,2017	250.00	214.60	250.00	214.05
जनवरी,2018	261.50	235.35	261.55	236.60
फरवरी,2018	246.50	209.00	245.60	209.45
मार्च,2018	229.00	180.05	228.65	180.10

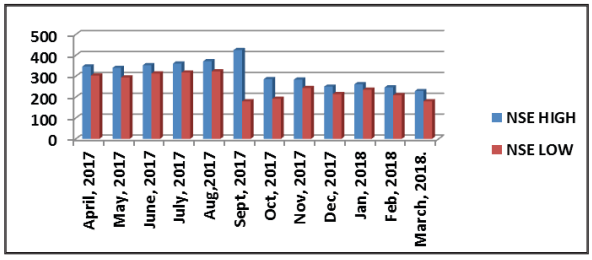

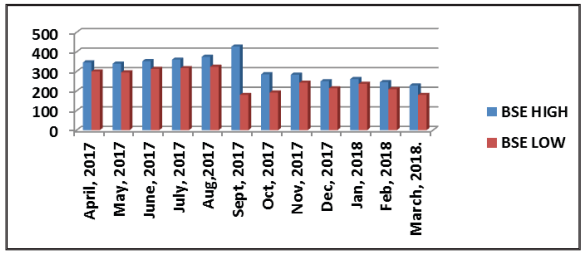

8.6 राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज व बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर स्थूलाधारित सूचकांकों कते मुकाबले कार्य निष्पादन

माह	राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज		बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज	
	निफ्टी	मॉयल	निफ्टी	मॉयल
अप्रैल, 2017	9304.05	315.25	29918.40	315.20
मई 2017	9621.25	330.35	31145.80	329.85
जून, 2017	9520.90	319.20	30921.61	320.05
जुलाई,2017	10077.10	353.95	32514.94	353.50
अगस्त,2017	9917.90	361.20	31730.49	362.05
सितंबर,2017	9788.60	190.80	31283..72	189.65
अक्तूबर, 2017	10335.30	264.40	33213.13	264.90
नवंबर,2017	10226.55	246.10	33149.35	246.70
दिसंबर,2017	10530.70	242.50	34056.83	242.35
जनवरी,2018	11027.70	242.45	35965.02	241.80
फरवरी,2018	10492.85	221.35	34184.04	221.15
मार्च,2018	10113.70	195.65	32968.68	195.75

8.7 **शेयर एवम् अंतरण एजेंट का नाम व पता**

बिगशेयर सर्विसेज प्रा. लि., 1 ली मंजिल,
भारत टिन वर्क्स बिल्डिंग,
वसंत ओएसिस के सामने, मकवाना रोड, मरोल,
अंधेरी पूर्व मुंबई - 400059
टेलीफोनः91 - 22 - 022 - 62638200 /68,
फैक्स - 91 - 22 - 022 - 62638299
ई मेल - investorbigshareonline.com

8.8 **शेयर अंतरण प्रणाली**

भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत संपूर्ण शेयर अंतरण गतिविधियां बिगशेयर सर्विसेज प्रा.लि. द्वारा चलायी जाती हैं । शेयर अंतरण प्रणाली में अंतरितियों से अंतरण विलेख फॉर्म, उनकी जाँच, अंतरण ज्ञापन निर्माण,आदि सहित शेयर अंतरण की प्राप्ति जैसी गतिविधियां शामिल रहती हैं। शेयर अंतरण/ प्रेषण का अनुमोदन उप समिति / प्राधिकृत व्यक्तियों (कंपनी सचिव) द्वारा किया जाता है। शेयरों के अंतरण / प्रेषण का सारांश हितधारक समिति बोर्ड के सामने रखा जाता है । कंपनी लिस्टिंग विनियमावली के विनियम 40(10) के अंतर्गत आवश्यक एक कार्यरत कंपनी सचिव से शेयर अंतरण की औपचारिकताओं सहित अनुपालन का अर्ध वार्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त करती है और स्टॉक एक्सचेंज में उक्त प्रमाणपत्र की एक प्रति दायर कर देती है ।

8.9 **मंडल एवम् लेखा परीक्षा समिति की बैठक का अनंतिम कैलेंडरः**

निम्नलिखित को समाप्त तिमाही	बैठक का अपेक्षित दिनांक
30 जून, 2018	अगस्त,2018 का प्रथम सप्ताह
30 सितंबर,2018	नवंबर,2018 का प्रथम सप्ताह
31 दिसंबर,2018	फरवरी,2019 का प्रथम सप्ताह
31 मार्च,2019	मई,2019 का तृतीय सप्ताह

उपर्युक्त के अतिरिक्त बैठकें आवश्यक होने पर आययोजित की जाती हैं ।

8.10 शेयरधारण का वितरण

क. आकार के अनुसार दि.31 मार्च,2018 को धारण की प्रतिशत मात्रा

शेयरों की सं.	शेयरधारकों की सं.	शेयरधारकों का %	शेयरों की कुल सं.	शेयरों का %
1 - 5000	283183	96.4313	18127708	7.0369
5001 - 10000	5576	1.8988	4335164	1.6828
10001 - 20000	2640	0.8990	3961411	1.5378
20001 - 30000	840	0.2860	2085069	0.8094
30001 - 40000	377	0.1284	1351749	0.5247
40001 - 50000	223	0.0759	1026291	0.3984
50001 -100000	420	0.1430	3039457	1.1799
100001 व अधिक	404	0.1376	223682039	86.8301
कुल	2936663	100.0000	257608888	100.0000

दि.31 मार्च, 2018 को शेयरधारण का श्रेणीवार सारांश

Category	No. of Shares Held	% of Shareholding
केंद्र राज्य सरकार	169226667	65.6913536
जनता(व्यक्तिगत)	37216451	14.44688158
विदेशी संस्था. निवेशक	8594694	3.33633442
वित्तीय पोटफोलीओ	9632853	3.73933255
विदेशी संस्थाएं	23521285	9.130618583
निगमित निकाय	3913172	1.519036098
बॉडीज गैर(एनएफबीसी)	68	0.0000263
बॉडीज कारपोरेट (एनएफबीसी)	30468	0.011827232
बीमा कंपनियां	1344389	0.521872134
राष्ट्रीयकृत बैंक	950	0.000368776
गैर - राष्ट्रीयकृत बैंक	102113	0.039638772
म्यूचुअल फंड	1625524	0.631004626
अनिवासी भारतीय	1715641	0.665986726
समाशोधन के सदस्य	500256	0.194192058
कर्मचारी	80354	0.031192247

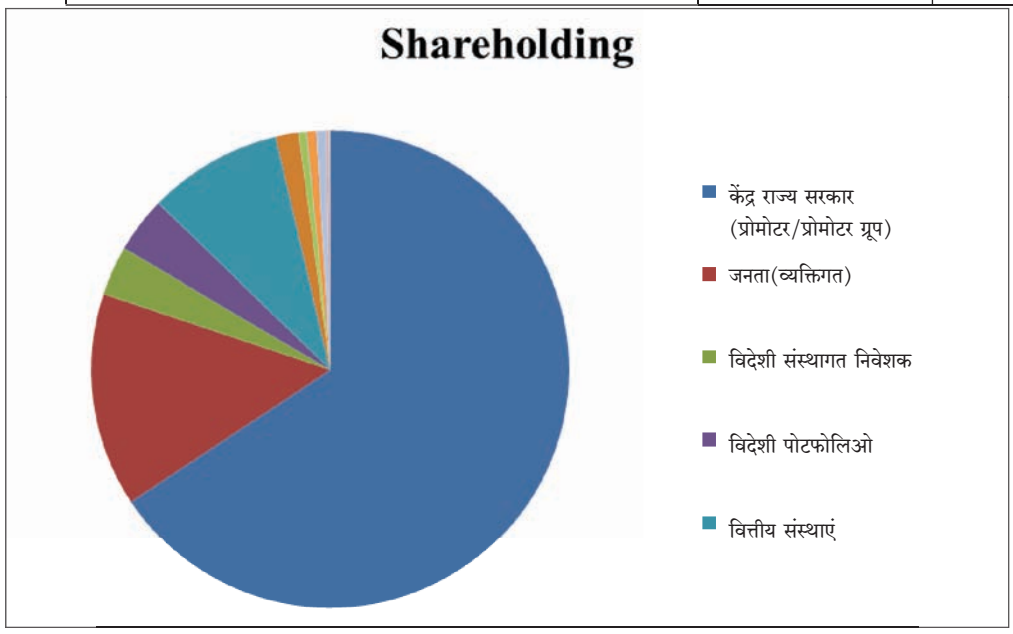

8.11 शेयरों का विभौतीकरण एव नगदीकरण

कंपनी के शेयर नैशनल सेक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिट

(एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के पास विभौतीरण किया जाता है ।

दि.31.03.2018 को अमूर्तिकृत व भौतिक रूप में शेयरों की सं.

श्रेणी	शेयरों की सं.	कुल जारी पूंजी में %
सीडीएसएल के पास अमूर्तिकृत रूप में शेयर	14494382	5.63
एनएसडीएल के पास अमूर्तिकृत रूप में शेयर	243113294	94.37
भौतिक रूप में शेयर	1212	0.00
कुल	257608888	100.00

कंपनी के ईक्विटी शेयर तरल व सक्रियता से व्यापारित भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में से हैं ।

8.12 बकाया जीडीआर / एडीआर / वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन का दिनांक व ईक्विटी पर संभावित प्रभाव ।

कंपनी द्वारा कोई भी जीडीआर / एडीआर / वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, जारी नहीं किये गये हैं।

8.13 संदिग्ध खाते में मौजूद शेयरों के विवरण:

संदिग्ध खाते में मौजूद शेयरों के विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	शेयरधारकों की सं.	शेयरों की सं.
शेयरधारकों की कुल सं. व दि.01.04.2017 को बकाया शेयर	12	204
शेयरधारकों की सं. जिन्होंने वर्ष के दौरान कंपनी से शेयरों के अंतरण हेतु संपर्क किया	4	68
शेयरधारकों कती सं. जिन्हे वर्ष के दौरान उचंत खाते से से शेयरों का अंतरण किया गया।	4	68
अदावाकृत उचंत खाते को अंतरित शेयर	0	0
शेयरधारकों की कुल सं. तथा दि.31.03.2018 को उचंत खाते में बकाया शेयर	8	272

टिप्पणी: वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने 1 : 1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किये तदनुसार, शेयरों की संख्या बढ़ गयी ।

जब तक ऐसे शेयरों के स्वामी शेयरों का दावा नहीं करते तब तक दि.31.03.2018 को उचंत खाते में मौजूद इन शेयरों के मतदान के अधिकार अवरुद्ध रहेंगे ।

8.14 खदानों, संयंत्रों व पवन चक्कियों के स्थान

खदानों की सूची

क्रम सं.	खदान का नाम व पता
महाराष्ट्र	
1.	चिकला खदान, डाक.चिकला,तह.तुमसर, जिला भंडारा, महाराष्ट्र, पिन-441904
2.	डोंगरी बुजुर्ग खदान, तह.तुमसर, जिला भंडारा, महाराष्ट्र, पिन441907
3.	बेलडोंगरी खदान, डाक सातुक, तह.रामटेक, जिला नागपुर, महाराष्ट्र, पिन-440401
4.	कांदरी खदान, डाक कांदरी, तह.रामटेक, जिला नागपुर, महाराष्ट्र, पिन-441401
5.	मनसर खदान, डाक मनसर, तह.रामटेक, जिला नागपुर, महाराष्ट्र, पिन-441106
6.	गुमगांव खदान, डाक खापा, तह.सावनेर, जिला नागपुर, महाराष्ट्र, पिन-441101
मध्य प्रदेश	
7.	बालाघाट खदान डाक भारवेली, जिला बालाघाट, म.प्र.,पिन-481102
8.	उकवा खदान, डाक उकवा, जिला बालाघाट, म.प्र. पिन-481105

9.	तिरोड़ी खदान, डाक तिरोड़ी, जिला बालाघाट, म.प्र., पिन-481449
10.	सीतापातोर खदान, डाक सुकली, जिला बालाघाट, म.प्र. पिन-418449
संयंत्र	
11.	फेरो मैंगनीज संयंत्र10000(टीपीवी)क्षमता, बालाघाट
12.	इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाइ ऑक्साइड(ईएमडी) संयंत्र(1000टीपीवी)क्षमता, डोंगरी बुजुर्ग

पवन चक्कियों की सूची

नागदा हिल्स, जिला देवास,म.प्र.	क्षमता 4.8 मे वॉट
रातेड़ी हिल्स, जिला देवास, म.प्र.	क्षमता 15.2 मे वॉट

8.15 पत्र व्यवहार हेतु पता

पंजीकृत कार्यालयः
कंपनी सचिव,
मॉयल लिमिटेड,
मॉयल भवन,
1 - ए, काटोल रोड, नागपुर - 440013
टेलीफैक्स - 0712 2806182 / 100
E-Mail: compliancemoil.nic.in
Website : www.moil.nic.in

आचार संहिता

मॉयल के कर्मचारियों हेतु आचार के अत्युच्च मानक निर्धारित करने के अपने प्रयासों के एक भाग के रूप में सभी बोर्ड के कार्मिकों एवम् उच्च प्रबंधन के कार्मिकों के लिये एक व्यावसायिक आचार संहिता निर्धारित की गई है। उक्त आचार संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट्.ोळश्र.पळल.ळप पर प्रदर्शित की गई है ।बोर्ड के सभी सदस्यों एवम् वरिष्ठ प्रबंधन के कार्मिकों ने वित्तीय वर्ष 2017 - 18 हेतु मॉयल की व्यावसायिक आचार संहिता का पालन करने की पुष्टि की है।

घोषणा

स्टॉक एक्सचेंजों के पास लिस्टिंग विनियमावली के अनुसूची 5 के भाग V के अंतर्गत कंपनी के सभी बोर्ड के सदस्यों एवम् वरिष्ठ प्रबंधन ने वर्ष 2017 - 18 हेतु व्यावसायिक आचार संहिता के पालन की पुष्टि की है ।

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 02.08.2018

कृते मॉयल लि.
एम.पी.चौधरी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

---

10. सीईओ / सीएफओ स्पष्टीकरण

लिस्टिंग विनियमावली के विनियम17(8) के अंतर्गत, कंपनी के सीईओ / सीएफओ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र कारपोरेट अभिशासन की रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।

11. निदेशकों हेतु परिचय कार्यक्रम

बोर्ड के सदस्यों को आवश्यक प्रलेख / विवरणिकाएं, रिपोर्ट व आंतरिक नीतियां उपलब्ध करायी जाती हैं ताकि वे कंपनी की कार्यविधियों व प्रथाओं से परिचित हो सकें । कंपनी अपने निदेशकों को विभिन्न बाहरी एजेंसियों द्वारा आयोजित संगोष्ठियों व प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी नामित करती है ।कंपनी के अद्यतनकार्य निष्पादन, व्यावसायिक रणनीति व शामिल जोखिमों के संबंध में बोर्ड के सामने व बोर्ड की बैठकों में आवधिक रूप से प्रस्तुतीकरण किये जाते हैं ।वर्ष के दौरान आयोजित स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठकों में भी कंपनी के व्यावसायिक पैमानों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण किये जाते हैं ।निदेशकों को संबंधित सांविधिक परिवर्तनों से भी अद्यतन रखा जाता है । निदेशकों के लिये विभिन्न खदानों को भेंट देने के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं ताकि वे कंपनी के परिचालनों को समझ सकें ।इस प्रकार के परिचय कार्यक्रमों के विवरण कंपनी की वेबसाइट http//moil.nic.in/writeraddata/pdf/trg..progšindšdir.pdf पर देखे जा सकते हैं ।

12. लागू विधियों के अनुपालन का पुनरीक्षण

बोर्ड ने सभी लागू नियमों की अनुपालन रिपोर्टों का पुनरीक्षण किया है और सभी लागू विधियों का अनुपालन सुनिश्चित किया है ।

13. लेखा परीक्षक का अनुपालन प्रमाणपत्र

लिस्टिंग विनियमावली की अनुसूची - V के अंतर्गत निर्धारित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए कंपनी के लेखा परीक्षक व एक कार्यरत कंपनी सचिव सीएस अमित राजकोटिया का प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।

सीईओ व सीएफओ का अधिप्रमाणन

सेवा में,

निदेशक बोर्ड,
मॉयल लिमिटेड,
नागपुर

(क) हमने दि. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के मॉयल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों एवम् नकदी प्रवाह विवरण की जाँच की है हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवम् विश्वास के अनुसारः

(1) इन विवरणों में कोई महत्वपूर्ण रूप से असत्य कथन शामिल नहीं है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य निकाला नहीं गया है या ऐसा कोई कथन शामिल नहीं है जो भ्रामक हो ;

(2) ये विवरण कंपनी के कामकाज का सही व उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं और वे लेखांकन के मौजूदा मानकों, प्रयोज्य विधियों एवम् विनियमों के अनुरूप हैं ।

(ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवम् विश्वास के अनुसार वर्ष 2017 – 18 के दौरान कंपनी ने ऐसे कोई व्यवहार नहीं किये हैं जो कपटपूर्ण हों, गैर कानूनी हों या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करते हों ।

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित करने व निर्वहन करने का दायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभाविकता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखा परीक्षकों एवम् लेखा परीक्षा समिति को हमें ज्ञात ऐसी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के स्वरूप या परिचालन में कमियों, यदि कोई हों, तथा उन कमियों के परिशोधन हेतु उठाये गये या उठाये जाने वाले कदमों से अवगत करा दिया है ।

(घ) हमने लेखा परीक्षकों एवम् लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित संकेत दिये हैं–

(1) वर्ष 2017 – 18 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन ;

(2) वर्ष 2017 – 18 के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उन्हें वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है, और

(3) महत्वपूर्ण कपटपूर्ण कृत्य, जो हमें ज्ञात हुए, और उनमें प्रबंधन या कंपनी में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने वाले किसी कर्मचारी की संलिप्तता , यदि कोई हो , की घटनाएं ।

निदेशक (वित्त)
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः24.05.2018

एम.पी.चौधरी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

कारपोरेट अभिशासन अनुपालन प्रमाणपत्र

मॉयल लिमिटेड के सदस्य,
मॉयल लिमिटेड
सीआइएन - एल99999एमएच1962जीओआय012398
1 - ए, काटोल रोड,
नागपुर - 440013

मैंने वित्तीय वर्ष 2017 - 18 हेतु एसईबीआइ (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियमावली, 2015 और भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, नई दिल्ली द्वारा केंद्र सरकार के उपक्रमों हेतु कारपोरेट अभिशासन पर जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के अधिप्रमाणन हेतु मॉयल लिमिटेड के सभी प्रासंगिक अभिलेखों की जाँच कर ली है । मैंने वह सभी जानकारी एवम् स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं जो मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवम् विश्वास के अनुसार अदिप्रमाणन के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे ।

कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है । मेरी जाँच कंपनी द्वारा अपनायी गयी कार्यविधि व कार्यान्वयन प्रक्रिया तक सीमित थी ताकि भारत सरकार, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस(डीपीई), नई दिल्ली द्वारा केंद्रीय सरकारी उपक्रमों हेतु कारपोरेट अभिशासन पर जारी दिशानिर्देशों तथा कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके । यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही कंपनी द्वारा कंपनी के कामकाज चलाने की क्षमता या कार्यकुशलता का ।

मेरी राय में व मुझे प्रदत्त स्पष्टीकरणों एवम् जानकारियों के अनुसार मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि कंपनी ने दि.31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्षके दौरान बोर्ड की संरचना से संबंधित प्रावधानों को छोड़ कर उक्त सेबी (लिस्टिंग बाध्यता व प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 की अनुसूची II में निर्धारित कारपोरेट अभिशासन की सभी अनिवार्य आवश्यकताओं, भारत सरकार, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस(डीपीई), नई दिल्ली द्वारा केंद्रीय सरकारी उपक्रमों हेतु कारपोरेट अभिशासन पर जारी दिशानिर्देशों का पालन किया है ।

दिनांकः19 जुलाई,2018
स्थानः नागपुर

अमित के.राजकोटिया
कंपनी सचिव
एफसीएस5561 सीपीनं.5162

अनुबंध–IV

प्रबंधकीय विवेचन तथा विश्लेषण रिपोर्ट वर्ष 2017–18 के लिए

प्रस्तावना

प्रबंधन पर विवेचन तथा विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर) का उद्देश्य व्यावसायिक परिवेश में विकास, पिछली रिपोर्ट की तुलना में कंपनी के कार्य निष्पादन तथा भावी संभावनाओं का विवेचन करना है । प्रबंधन पर विवेचन तथा विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर) बोर्ड की रिपोर्ट का ही एक भाग है । एक कंपनी का कार्य निष्पादन मांग, आपूर्ति, मौसम की स्थितियों, राजनीतिक स्थितियों सरकार के विनियमों एवम् नीतियों, कराधान व प्राकृतिक आपदाओं सहित विभिन्न घटकों से संबद्ध होता है, जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर होते हैं और कंपनी के परिचालन पर पर्याप्त असर डाल सकते हैं । इसके कारण इस रिपोर्ट में अनुमानों, संभावना, अपेक्षाओं,प्राक्कलनों आदि के संबंध में किये गये कुछ कथन वास्तविकता से अलग हो सकते हैं ।

क. औद्योगिक संरचना और बाजार का परिदृश्य

भारत बड़ी आबादी के साथ एक उभरती हुई अर्थ व्यवस्था है । आर्थिक विकास की शक्तियों की यह मांग है कि नये बुनियादी ढाँचे में, नये बड़े छोटे शहरों में, मशीनरी व उत्पादन में लगातार निवेश किया जाए ताकि अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके व अर्थ व्यवस्था को आगे ले जाया जा सके।

भारत का इस्पात उत्पादन वर्ष 2016 में 95.50मिलियन टन से बढ़ कर वर्ष 2017 में 6.18 % की वृद्धि दर्ज करते हुए 101.40 मिलियन टन हो गया, जबकि इसी अवधि के दौरान विश्व का इस्पात उत्पादन मात्र 3.81 % था । कच्चे लोहे के सबसे बड़े उत्पादक चीन ने 2.98 % की वृद्धि दर्शायी जबकि दूसरे सबसे बड़े उत्पादक जापान ने 0.10% की नकारात्मक वृद्धि दर्शायी ।

मैंगनीज अयस्क उद्योग का कामकाज इस्पात उद्योग के कामकाज से संबद्ध रहता है ।वर्ल्ड स्टील असोसियेशन (डब्ल्यू एस ए) के अनुसार जनसंख्या में अपेक्षित वृद्धि, इस्पात के नये – नये अनुप्रयोगों व अत्याधुनिक उपयोगों को देखते हुए वैश्विक इस्पात बाजार के आगामी 50 वर्षों में लगभग 700 से 1000 मिलियन टन तक बढ़ जाने की संभावमा है । इसके साथ ही यह आज के मुकाबले 60 % अधिक बड़ा हो जाएगा ।

एक अध्ययन के अनुसार भारत में आगामी वर्षों में इस्पात उद्योग में दोहरे अंकों में विकास अपेक्षित है जिससे मैंगनीज अयस्क की मांग में निश्चित वृद्धि होगी ।

वर्ष 2017 – 18 के दौरान भारत 23.12 % बढोतरी के साथ इस्पात का निर्यातक बना रहा जबकि आयात में पिछले वर्ष के मुकाबले केवल 5.4% की वृद्धि हुई ।

ख. अवसर व खतरे

अवसर

- सरकार घरेलू व विदेशी दोनों स्रोतों से भारतीय इस्पात क्षेत्र में निवेश आमंत्रित करने और निवेश के प्राप्त प्रस्तावों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु कटिबद्ध है ताकि घरेलू मांग की पूर्ति की जा सके व राष्ट्रीय इस्पात नीति के अनुसार पूर्वानुमानित उत्पादन के स्तर को प्राप्त करने हेतु कच्चे इस्पात के अपेक्षित क्षमता स्तर तक पहुँचा जा सके व महत्वपूर्ण निविष्टियों की उपलब्धता सरलता से सुनिश्चित करते हुए यथावश्यक संरचना को भी प्रप्त किया जा सके ।
- भारत ने वर्ष 2030–31 हेतु 300 एमटी कच्चे इस्पात का लक्ष्य निर्धारित किया है जिससे मैंगनीज अयस्क की भारी मांग पैदा होगी ।
- भारत का सबसे बड़ा मैंगनीज अयस्क का उत्पादक होने के नाते मॉयल देश के लगभग 46 % मैंगनीज अयस्क का उत्पादन करता है । अपनी प्रभावशाली स्थिति, मध्यम – उच्च श्रेणी के मैंगनीज अयस्क के भंडार, प्रमुख स्थलों पर खदानों की मौजूदगी व एक मजबूत व बढ़ते जा रहे ग्राहक आधार के कारण वह मात्रात्मक रूप से भारत की इस्पात की मांग से लाभ उठाने की अच्छी स्थिति में है ।
- इस्पात के उत्पादन में सिलिको – मैंगनीज के लगातार बढ़ते जा रहे उपयोग के कारण मध्यम – उच्च श्रेणी के मैंगनीज अयस्क हेतु बाजार की अच्छी संभावनाएं हैं ।
- मजबूत वित्तीय स्थिति यथा पर्याप्त नकदी प्रारक्षित निधि होने के कारण मॉयल को बड़ी निवेश योजनाओं को लागू करने का अवसर मिलता है । मॉयल ने पहले ही अपनी मौजूदा खदानों में विकास हेतु बड़े निवेशों की योजना बनायी है जिससे मैंगनीज अयस्क की भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाया जा सकेगा । उसने बालाघाट व गुमगांव खदानों में फेरो एलॉय संयंत्र स्थापित करते हुए अपने फेरो एलॉय के कारोबार को बढ़ाने का भी निर्णय लिया है ।
- केंद्र सरकार ने नागपुर व भंडारा जिलों में मॉयल के पक्ष में 814.71 हेक्टेअर भूमि का क्षेत्रफल आरक्षित कर दिया है । आवश्यक मंजूरियां प्राप्त हो जाने व औपचारिकताएं पूरी कर लेने पर मैंगनीज अयस्क की मांग को पूरा करने व भारत की इस्पात की मांग में वृद्धि से लाभ उठाने के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे ।राज्य सरकार ने 597.44 हेक्टेअर भूमि के भावी लाइसेंस पहले ही प्रदान कर दिये हैं ।
- साथ ही, भारत सरकार ने देश भर में विभिन्न खनिजों हेतु अन्वेषण करने की अनुमति देने हेतु मॉयल को अधिसूचित कर दिया है ।इस संबंध में म.प्र. के चार जिलों में ऐसे अन्वेषण कार्य करने हेतु कंपनी ने म.प्र. सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं ।
- खदान के क्षेत्र में विशाल अनुभव के साथ कंपनी अन्य खनिजों के क्षेत्र में विस्तार की भी योजना बना सकती है।
- एक वैश्विक उपस्थिति दर्ज करने की दृष्टि से मॉयल विदेशों में भी कुछ खदानों के अधिग्रहण की संभावनाओं का पता लगा रहा है ।

मॉयल की स्पर्धात्मक ताकत

- उच्च / मध्यम श्रेणी के मैंगनीज अयस्क के बड़ी मात्रा में भंडार सहित मात्रात्मक रूप में मैंगनीज अयस्क के देश के सबसे बड़े उत्पादक।
- मॉयल के पास देश में उच्च / मध्यम श्रेणी के मैंगनीज अयस्क के कुल प्रदर्शित भंडारमें से अधिकांश को धारण करने की क्षमता है ।
- अत्युच्च नेटवर्थ व शून्य ऋण समेत मजबूत वित्तीय स्थिति ।
- अच्छी कार्य संस्कृति व औद्योगिक संबंधों के साथ यथोग्यता प्राप्त तकनीकी रूप से कुशल मनुष्य बल की उपलब्धता ।
- कंपनी के भंडार केंद्रीय भारतीय मैंगनीज क्षेत्र में हैं जहां आम तौर पर नियमित आकार के निक्षेप पाए जाते हैं ।

- कंपनी को संभार तंत्र के फायदे प्राप्त हैं क्योंकि उसकी सभी खदाने राज्य व राष्ट्रीय महामार्गों से अच्छी तरह से जुड़ी हैं । उसकी अधिकांश खदाने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रेल नेटवर्क पर स्थित हैं व उन्हें रेलवे की साइडिंग की सुविधा प्राप्त है ।
- मॉयल एक कार्यक्षम व पर्यावरण हितैषी कंपनी बनी हुई है ।

खतरे

- सस्ती कीमतों पर मैंगनीज अयस्क का आयात कंपनी के लाभ मार्जिन पर सबसे बड़ा खतरा है ।अंतर्राष्ट्रीय कीमतें मुख्यतः चीन के मांग उपलब्धता परिदृश्य पर निर्भर रहती हैं ।
- मैंगनीज की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट से उसकी घरेलू कीमतों में गिरावट आती है जिसके कारण मैंगनीज अयस्क की घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ता है ।
- मॉयल का प्रमुख उत्पादन भूमिगत (यूसी) खदानों से होता है जहां उत्पादन की लागत ओपन कास्ट (ओसी) खदानों के मुकाबले अधिक होती है व उसमें बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है ।भूमिगत खनन की लागत में हुई कोई भी वृद्धि मार्जिन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है ।
- विनियामक अनुमोदनों में होने वाले विलंब भी कंपनी के विकास पर दीर्घकालिक असर डाल सकते हैं ।
- विशेशकर भूमिगत खदानों के विकास की परियोजनाओं को समय पर पूरा करना व उसमें आने वाली लागत अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इसमें आयी कोई भी कमी लक्षित कार्य निष्पादन को प्रभावित कर सकती है ।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यतः चीनी बंदरगाहों पर मैंगनीज अयस्क के माल की अत्यधिक उपलब्धता उसके व्यवसाय पर असर डाल सकती है ।
- मैंगनीज अयस्क की मांग में कमी व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसके स्टॉक का बढ़ना ।

कमजोरी

- एक खनन कंपनी होने के कारण मॉयल को लोगों के स्वास्थ्य व सुरक्षा एवम् पर्यावरण से संबंधित व्यापक विनियमों का पालन करना होता है ।विनियामक मानकों के सतत प्रादुर्भाव तथा बढ़ती हुईसमुदायिक अपेक्षाओं के कारण कंपनी को वर्धित अनुपालना लागत व पर्यावरण संबंधी अपरिहार्य उपचारात्मक व्ययों का वहन करना पड़ता है ।
- खनन के नये पट्टे मिलने में विलंब के फलस्वरूप नयी खदानों को शुरू करने में विलंब होता है और कंपनी की निवेश योजना प्रभावित होती है ।
- चूँकि कंपनी एकल उत्पाद वाली कंपनी है अतः मैंगनीज अयस्क उद्योग पर पड़ने वाला कोई भी प्रतिकूल प्रभावकंपनी की लाभप्रदता पर असर डाल सकता है ।
- मॉयल की खदानें अत्यधिक पुरानी हैं और उनका पूर्ण यंत्रीकरण अपेक्षातः कठिन है ।
- अधिक गहरे होते जा रहे भंडार, नियमित कर्मचारियों के वेतन संशोधन तथा ठेके के कर्मचारियों के न्यूनतम पारिश्रमिक में संशोधन के कारण भी उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी ।

ग. दृष्टिकोण

मैंगनीज व फेरो एलॉय उत्पादों की मांग प्रत्यक्ष रूप से इस्पात उद्योग के दृष्टिकोण पर निर्भर रहती है जो सर्वांगीण अर्थ व्यवस्था के विकास पर निर्भर है । मैंगनीज के विश्व उत्पादन के 95 % से अधिक का उपयोग इस्पात की शक्ति को बढ़ाने हेतु सम्मिश्रण के लिये किया जाता है । तद्नुसार इस्पात के उत्पादन में वृद्धि के साथ ही मैंगनीज अयस्क की मांग में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है ।

वर्ल्ड स्टील असोसियेशन का यह पूर्वानुमान है कि वर्ष 2018 में भारतीय इस्पात की मांग 5.5 % से बढ़ जाएगी जबकिइस्पात की वैश्विक मांग में वर्ष 2018 में 1.5 % की वृद्धि का अनुमान है ।

देश में बुनियादी ढाँचे के विकास के प्रति सरकार की कटिबद्धता को देखते हुए इस्पात की मांग में वृद्धि की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप देश में मैंगनीज अयस्क उद्योग को भी बड़े अवसर प्राप्त होंगे ।

भविष्य में मैंगनीज अयस्क की मांग को पूरा करने व अपना नेतृत्व बनाये रखने हेतु मॉयल ने 1.20 मिलियन टन के अपने मौजूदा उत्पादन स्तर को बढ़ा कर वित्तीय वर्ष 2020 – 21 तक 2.0 मिलियन टन तथा वर्ष 2030 तक 3.0 मिलियन टन तक बढ़ाने की योजना बनायी है जिसके लिये कंपनी ने रणनीतिक योजना तैयार कर ली गई है । इस दिशा में कंपनी अपनी मौजूदा खदानों के विकास व यंत्रीकरण पर ध्यान दे रही है और नये पट्टे भी जोड़ रही है ताकि लक्ष्य प्राप्त किये जा सकें ।

देश में अभी भी प्रति व्यक्ति इस्पात उपयोग लगभग 65.20 कि.ग्रा. है जो 214 कि.ग्रा. के वैश्विक उपयोग के मुकाबले काफी कम है । वस्तुतः कई विकसित देशों में यह 300 कि.ग्रा से भी अधिक है ।अतः देश में इस्पात उद्योग के विकास तथा उसके परिणामस्वरूप मैंगनीज अयस्क के मांग में वृद्धि की पर्याप्त गुंजाइश है ।

इसके अलावा न केवल घरेलू इस्पात उत्पादन में वृद्धि को पूरा करने हेतु अपितु मैंगनीज आधारित एलॉयज के निर्यात हेतु भी मैंगनीज अयस्क की घरेलू मांग में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है । इसके कारण भारत मैंगनीज अयस्क का निवल आयातक बन गया है ।इंडियन ब्यूरो माइन्स (आइबीएम) के अनुसार वर्ष 2017 – 18 के दौरान देश में मैंगनीज अयस्क का उत्पादन जनवरी 18 तक लगभग 2.31मिलियन टन था । भारत में उच्च श्रेणी वाले मैंगनीज अयस्क की कमी के कारण उत्पादक नियमित रूप से मैंगनीज अयस्क का आयात कर रहे हैं । वर्ष 2016 – 17 के दौरान आयात लगभग 1.91 मिलियन टन व वर्ष 2017 – 18 में लगभग 3.57 मिलियन टन था ।

ग. जोखिम व चिंताएं

मैंगनीज अयस्क उद्योग का प्रत्यक्ष संबंध इस्पात उद्योग से है जिसका स्वरूप चक्रीय व जो मैंगनीज अयस्क की मांग को प्रभावित करता है।इस्पात बाजार में मांग में आयी मंदी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सस्ती दरों पर अत्यधिक आपूर्ति का प्रतिकूल असर भारतीय इस्पात उद्योग पर पड़ेगा ।मॉयल एक श्रमिक बहुल संस्था है ।हालांकि कंपनी में औद्योगिक संबंध हमेशा से उत्कृष्ट रहे हैं किंतु श्रम से जुड़े जोखिम के घटकों की उसकी उत्पादन क्षमता के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है ।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मैंगनीज अयस्क की अत्यधिक आपूर्ति चिंता का प्रमुख क्षेत्र बना रहेगा व यदि अत्यधिक आपूर्ति होती रही तो मैंगनीज की घरेलू कीमतों में गिरावट जारी रहेगी।

च. क्षेत्रवार या उत्पाद वार निष्पादन

बिक्री निष्पादन

वर्ष 2017 –18 के दौरान मैंगनीज अयस्क की निवल बिक्री 33.74 % से बढ़ करपिछले वर्ष के रु.905.34करोड के मुकाबले बढ़कर 1210.79 करोड हो गई ।कंपनी ने अपनी विवेकपूर्ण विपणन व मूल्यन नीति के साथ लगभग 5.13 % की वृद्धि दर्ज करते हुए पिछले वर्ष के 11.29 लाख टन के मुकाबले वर्ष 2017 –18 में 11.87 लाख टन मैंगनीज अयस्क की बिक्री की । इसके अतिरिक्त कंपनी ने बेहतर बिक्री उगाही के लिये उच्च श्रेणी वाले (फेरो ग्रेड)मैंगनीज अयस्क की बिक्री पर ध्यान दिया ।

समग्र बाजार की स्थिति के कारण भी ईएमडी व फेरो मैंगनीज की बिक्री में सुधार हुआ । कंपनी के निर्मित उत्पादों यथा ईएमडी,फेरो मैंगनीज व फेरो मैंगनीज स्लैग के संबंध में निवल बिक्री पिछले वर्ष के रु.76.67 करोड की बिक्री के मुकाबले बढ़ कर वर्ष 2017 – 18 के दौरान रु.105.65 करोड रही ।इलेक्ट्रो मैंगनीज डाइ ऑक्साइड (ईएमडी) की बिक्री पिछले वर्ष के952 टन के मुकाबले 915 टन रही जबकि फेरो मैंगनीज की बिक्री पिछले वर्ष के 9540 टन के मुकाबले 11095 टन रही ।

उत्पादन

कंपनी ने चालू वर्ष में 12.01 लाख टन विभिन्न ग्रेड मैंगनीज अयस्क का उत्पादन किया हैं, जबकि पिछले वर्ष के दौरान 10.05 लाख टन उत्पादन हुआ था। इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइट (ईएमडी) का उत्पादन 875 टन (पिछले वर्ष 731 टन) था, जबकि इसने पिछले वर्ष 9950 टन की तुलना में 10573 टन के फेरो मैंगनीज का उत्पादन किया था। इसने वर्ष के दौरान 14665 टन फेरो एमएन स्लैग पैदा किया है, जो पिछले वर्ष 14009 टन था। पिछले साल की 323.06 लाख किलोवाट इकाइयों की तुलना में पवन टरबाइन जनरेटर ने वर्ष के दौरान 290.10 लाख किलोवाट पैदा किया है।

छ. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली व उनकी पर्याप्तता

मॉयल ने सभी आवश्यक आंतरिक नियंत्रण स्थापित किये हैं और वे पर्याप्त पाए गये हैं । कंपनी के बोर्ड ने भी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किये हैं ।

ज. परिचालनगत निष्पादन के संबंध में वित्तीय कार्य निष्पादन पर चर्चा

देश में मैंगनीज अयस्क के बाजार में पिछले वर्ष यथा 2016 – 17 के मुकाबले वर्ष2017 – 18 के दौरान सुधार हुआ । वर्ष के दौरान कंपनी के वित्तीय व भौतिक कार्य निष्पादन निम्नानुसार है

वित्तीय कार्य निष्पादन

विवरण	एकल		समेकीत	
	2017–18	2016–17	2017–18	2016–17
परिचालनों से आय	1323.46	989.84	1323.46	989.84
अन्य आय	177.72	221.13	177.72	221.13
कुल आय	1501.18	1210.97	1501.18	1210.97
कुल व्यय	790.81	694.36	795.37	692.79
सकल मुनाफा	710.37	516.61	705.81	518.18
मूल्यह्रास	62.45	54.71	62.45	54.71
वर्ष हेतु कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	647.92	461.90	643.36	463.47
अवधि हेतु कुल सघन आय	398.55	299.28	393.98	300.85
प्रारंभिक शेष	100.71	6.58	100.71	5.00
लाभांश व लाभांश कर	192.36	80.15	192.36	80.15
सामान्य प्रारक्षित निधि को अंतरण	220.00	125.00	220.00	125.00
लाभ का शेष आगे ले जाया गया	86.89	100.71	82.32	100.70

कंपनी की कुल आय 23.97 % से बढ़ कर पिछले वर्ष के रु.1210.97 करोड के मुकाबले रु.1501.18 करोड हो गई । बाजार की अपेक्षातः अनुकूल स्थितियों के कारण कंपनी का पण्यावर्त 33.70 % से बढ़ कर पिछले वर्ष के रु.989.84 करोड के मुकाबले वित्तीय वर्ष के दौरान रु.1323.46 करोड हो गया, जो कंपनी के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक है । कंपनी 12.01 लाख टन का अब तक का अपना रेकॉर्ड उत्पादन कर पायी है ।बाजार की समग्र स्थिति , मांग व आपूर्ति को देखते हुए वर्ष के दौरान कंपनी का कामकाज उत्कृष्ट रहा।

उत्पादन की समीक्षा

कंपनी का मुख्य व्यवसाय भूमिगत व ओपन कास्ट खदानों से मैंगनीज अयस्क का खनन करना है । कंपनी ने मैंगनीज अयस्क की विभिन्न श्रेणियों के 12.01 लाख टन का उत्पादन किया है , जिसमें पिछले वर्ष के 10.05 लाख टन के मुकाबले अपरिष्कृत मैंगनीज अयस्क का अब तक का सर्वोच्च उत्पादन शामिल है । इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाइ ऑक्साइड (ईएमडी) का उत्पादन 875 टन(पिछले वर्ष 731 टन) रहा और कंपनी ने पिछले वर्ष के 9950 टन के मुकाबले 10573टन फेरो मैंगनीज का उत्पादन किया । अपरिष्कृत धातु का उत्पादन पिछले वर्ष के 172596 टन के मुकाबले चालू वर्ष में 220102 टन रहा ।कंपनी का प्रति व्यक्ति शिफ्ट उत्पादन 0.862 टन (पिछले वर्ष 0.722 टन) हो गया ।

झ. मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध मोर्चे पर महत्वपूर्ण प्रगति, नियुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या सहित

मॉयल के कर्मचारी कंपनी के प्रति समर्पित एवम् निष्ठावान हैं । आम तौर पर कर्मचारी कंपनी के कठिन समय में भी उसके साथ रहे हैं । जहां तक प्रबंधन का संबंध है वह अपने कर्मचारियों की समग्र सुख सुविधाओं को सुनिश्चित करता रहा है, जिसमें सभी स्तरों पर आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण शामिल है ।

यह उल्लेख करना उचित होगा कि वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे । यदि कोई समस्याएं होती हैं तो यथोचित स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत के जरिये उनका समाधान कर लिया जाता है । इस संबंध में कामगार यूनियनों के प्रतिनिधित्व में कामगारों का सहयोग व समर्थन सराहनीय है ।

विकास क्रम को जारी रखते हुए महाराष्ट्र राज्य के नागपुर व भंडारा क्षेत्रों में 814.71 हेक्टेअर भूमि मैंगनीज अयस्क की खोज हेतु मॉयल के पक्ष में आरक्षित की गई है । 814.71 हेक्टेयर क्षेत्रफल में से महाराष्ट्र शासन ने 11 भावी लाइसेंस(पीएल) क्षेत्रों में मैंगनीज अयस्क का पता लगाने हेतु 597.44 हेक्टेअर भूमि प्रदान की है व शेष क्षेत्र प्रक्रियाधीन हैं । 11 भावी लाइसेंस(पीएल) क्षेत्रों में से मॉयल ने तीन क्षेत्रों में विस्तृतअन्वेषण कार्य किया है और पट्टा खनन हेतु तीन आवेदित क्षेत्रों यथा गुमगांव, सतकब्लॉक-1 व ब्लॉक-II के भीतर मैंगनीज के भंडार का पता लगाया है ।खनन पट्टे के तीन आवेदनों में से महरा3ष्ट्र शासन ने दो क्षेत्रों में पट्टे की सैद्धांतिक मंजूरी दी है । सतक का एक क्षेत्र महाराष्ट्र शासन के विचाराधीन है ।

खदान मंत्रालय, भारत सरकार ने देश भर में विभिन्न खनिजों के अन्वेषण हेतु भी मॉयल को अधिसूचित किया है । इससे मॉयल को अपने व्यवसाय का विस्तार करने का अवसर मिलता है । इस क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाते हुए मॉयल ने मध्य प्रदेश के चार जिलों में अन्वेषण हेतु मध्य प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं ।

कंपनी ने बालाघाट व गुमगांव की खदान में फेरो एलॉए संयंत्र लगाने की भी योजना बनायी है ।

कंपनी में हो रही इस प्रगति के लिये आने वाले दिनों में विशेष कौशल व जानकारी प्राप्त कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी ।अपेक्षित ज्ञान व कौशल युक्त कर्मचारी प्राप्त करने हेतु मॉयल अपने मौजूदा मनुष्य बल को प्रभावी रूप से प्रशिक्षित करने व आवश्यकतानुसार नयी भर्ती करने की भी योजना बना रहा है ।

दि.31.03.2018 को मॉयल में नियुक्त कुल कर्मचारी संख्या 6080 थी ।

मॉयल लिमिटेड

व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट

खंड क: कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

1.	कंपनी का कारपोरेट आयडेंटिटी नंबर(सीआइएन)	एल99999एमएच1962जीओआय012398
2.	कंपनी का नामः	मॉयल लिमिटेड
3.	पंजीकृत पताः	मॉयल भवन, 1ए, काटोल रोड, नागपुर – 440013
4.	वेबसाइटः	www.moil.nic.in
5.	ई–मेल आइडी	compliance@moil.nic.in
6.	रिपोर्ट किया गया वित्तीय वष	एप्रिल1,2017 – मार्च31,2018

7. क्षेत्र , जिनमें कंपनी कार्यरत है(औद्योगिक गतिविधि कोड वार) कंपनी मैंगनीज अयस्क, फेरो मैंगनीज, इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाइ ऑक्साइड (ईमडी) के उत्पादन व बिक्री तथा पवन ऊर्जा निर्माण में लगी है ।

विवरण	समूह	वर्ग	उप वर्ग
मैंगनीज अयस्क	072	0729	07293
फेरो मैंगनीज	241	2410	24104
इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाइ ऑक्साइड (ईमडी)	242	2420	24204
विद्युत ऊर्जा निर्माण(पवन)	351	3510	35106

8. तीन महत्वपूर्ण उत्पादों / सेवाओं की सूची दें जिन्हें कंपनी उत्पादित / प्रदान करती है।

मैंगनीज अयस्क, फेरो मैंगनीज व पवन ऊर्जा

9. स्थलों की कुल संख्या जहां कंपनी व्यावसायिक गतिविधि चलाती है।

राष्ट्री स्थलों की सं. दो(2) – महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश

10. कंपनी जिन बाजारों में व्यवहार करती हैः स्थानीय / राज्य / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीयः मॉयल मैंगनीज अयस्क, फेरो मैंगनीज ,इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाइ ऑक्साइड की बिक्री करते हुए राष्ट्रीय बाजार में व्यवहार करता है ।

खंड I : कंपनी के वित्तीय विवरण

(1)	समादत्त पूंजी(आइएनआर)	257.61 करोड
(2)	कुल पण्यावर्त(आइएनआर)	1323.46 करोड
(3)	सतत परिचालन से करोपरांत लाभ(पीएटी)	421.99 करोड
(4)	कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)	9.22 करोड (बजट)
	व्यय रु.9.62 करोड	
	[पिछले तीन वर्षे के कर पुर्व (पीबीटी) लाभ के ओंसतन 2%]	

(5) गतिविधियों की ची जिनमें उक्त 4 में उल्लिखित व्यय किये गये हैं–

मॉयल ने अपने उद्येश्य पूर्ति हेतु एक व्यापक कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति बनायी है और कार्यान्वयन व अनुप्रवर्तन की रणनीतियों सहित कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अभिनिर्धारण हेतु ध्यानाकर्षण के क्षेत्र, संगठनात्मक यंत्रणा व दिशानिर्देश निर्धारित किये हैं ।जिन प्रमुख क्षेत्रों में व्यय किये गये वे निम्नानुसार है–

- ग्रामीण बुनियादी ढाँचा विकास
- स्वास्थ्य रक्षण एवम् आरोग्य
- शिक्षा व कौशल विकास
- पेय जल
- पर्यावरण निरंतरता

खंड ग: अन्य व्यवसाय

(1) क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी / कंपनियां हैं?

नहीं

(2) सहायक कंपनी / कंपनियां मूल कंपनी की बीआर पहल में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनी की संख्या इंगित करें।

लागू नहीं

(3) कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेने के साथ कंपनी कोई अन्य इकाई / संस्थाएं करती है जो कंपनी व्यवसाय करती है? यदि हां, तो ऐसी इकाई / संस्थाओं का प्रतिशत इंगित करें? (30% से कम, 30–60% से अधिक)

नहीं

खंड घ: व्यवसाय दायित्व सूचना

(1) डीआइएन नंबर 07081231

(2) नाम श्री तन्मय के.पटनाईक

(3) पदनाम निदेशक (वाणिज्य)

(ग) बीआर शीर्ष के विवरण

क्रम सं.	विवरण	ब्योरे
1	डीआइएन नंबर (यदि लागू हो)	07081231
2	नाम	श्री तन्मय के. पटनाईक
3	पदनाम	निदेशक (वाणिज्य)
4	टेलीफोन नंबर	0712-2592272
5	ई-मेल आइ डी	tkpattnaikmoil.nic.in

(2) सिद्धांतवार(एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति / नीतियां

कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा व्यवसाय के सामाजिक, पर्यावरण संबंधी व आर्थिक दायित्वों (एनवीजी) पर जारी दिशानिर्देशों में व्यावसायिक दायित्वों के नौ क्षेत्र अपनाये गये हैं। वे क्षेत्र संक्षेप में निम्नानुसार हैं-

पी1	व्यवसाय नैतिकता, पारदर्शिता व जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिये।
पी2	व्यवसाय को सुरक्षित माल व सेवाएं प्रदान करनी चाहिये व उनके संपूर्ण जीवन चक्र के दौरान निरंतरता में योगदान देना चाहिये।
पी3	व्यवसाय को सभी कर्मचारियों के कल्याण का संवर्धन करना चाहिये।
पी4	व्यवसाय को सभी हितधारकों के हितों का ध्यान रखना चाहिये तथा विशेषकर वंचित, असुरक्षित व गरीबों क् प्रति संवेदनशील होना चाहिये।
पी5	व्यवसाय को मानवाधिकारों की रक्षा करनी चाहिये।
पी6	व्यवसाय को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहते हुए उसका रक्षण करना चाहिये व उसे बचाने के प्रयास करने चाहिये।
पी7	सार्वजनिक व विनियामक नीतियों को प्रभावित करने वासे व्यवसायों को जिम्मेदारी के साथ ऐसा करना चाहिये।
पी8	व्यवसाय को सर्व समावेशी विकास का समर्थन करना चाहिये।
पी9	व्यवसाय को जिम्मेदार ढंग से अपने ग्राहकों एवम् उपभोक्ताओं का मूल्य संवर्धन करना चाहिये।

(क) अनुपालन के विवरण(उत्तर हां ना में)

क्रम सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	क्या आपके पास हेतु नीति नीतियां हैं।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2	क्या संबंधित हितधारक सेविचार विमर्श कर के नीति बनायी गई है।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3	क्या नीति किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप है।यदि हां तो विनिर्दिष्ट करें	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
4	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है। यदि हां तो क्या वह प्र.नि./ ओनर / सीईओ/ यथोचित बोर्ड के निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5	क्या नीति के कार्यान्वयन पर नजर रखने हेतु कंपनी में बोर्ड की कोई विशिष्ट समिति/ निदेशक /अधिकारी है।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6	नीति को ऑनलाइन देखने हेतु कोई लिंक है।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
7	क्या नीति सभी संबंधित आंतरिक व बाहरी हितधारकों को संप्रेषित की गई है।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8	क्या कंपनी के पास नीति / नीतियों के कार्यान्वयन हेतु आंतरिक ढाँचा है।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9	क्या नीति नीतियों के संबंध में हितधारकों की व्यथाओं पर ध्यान देने हेतु कोई व्यथा निवारण तंत्र है।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10	क्या कंपनी ने इस नीति के कामकाज के मूल्यांकन हेतु स्वतंत्र जाँच / मूल्यांकन कराया है।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां

संबंधित स्पष्टीकरण जानकारी लिंक इस रिपोर्ट के अनुबंध में दिये गये हैं।

(ख) यदि क्रम सं.1 में किसी सिद्धंत का उत्तर नहीं हो तो स्पष्टीकरण दें।

लागू नहीं।

(3) बीआर से संबंधित शासनः

(क) कृपया बताएं कि निदेशक बोर्ड या सीईओ कंपनी के बीआर निष्पादन का मूल्यांकन कितनी बार करते हैं। 3 महीने के भीतर, 3 – 6 महीने, वार्षिक रूप से, 1 वर्ष से अधिक ।

(ख) वार्षिक रूप से।

क्या कंपनी बीआर या निरंतरता रिपोर्ट प्रकाशित करती है। इस रिपोर्ट को देखने हेतु हाइपरलिंक क्या है।

यह बीआर विवरण वार्षिक रिपोर्ट का ही एक भाग है। वित्तीय वर्ष 2017 – 18 हेतु वार्षिक रिपोर्ट देखने हेतु हाइपर लिंक हैः– http://www.moil.nic.in/AR_MOIL_2017-18.pdf

खंड चः सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन

सिद्धांत1 नैतिकता, पारदर्शिता व दायित्व :

1. क्या नैतिकता, घूसखोरी व भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी से संबंधित है। हां / नहीं

क्या वह समूह संयुक्त उद्यमों आपूर्तिकर्ताओं ठेकेदारों एनजीओ अन्यों पर लागू है।

हां, मॉयल व उसके सहयोगी सरकार, व्यवसाय व सिविल सोसायटी के हितधारकों के साथ मिल कर कार्य करने हेतु कृतसंकल्प हैं ताकि अच्छे अभिशासन को बढ़ावा मिले, खनिज संपदा का जिम्मेदारी से उपयोगसुनिश्चित हो सके व भ्रष्टाचार पर रोक लग सके । मॉयल ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनैशनल इंडिया (टीआइआइ) के साथ एक विश्वसनीयता समझौते पर भी हस्ताक्षर किये हैं ।मॉयल का सतर्कता विभाग भेदभाव रहित, स्वच्छ व पारदर्शई निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा देने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करता है और एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ एहतियाती सतर्कता बरतने को प्राथमिकता देता है ।

2. विगत वित्तीय वर्ष में हितधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं व प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषपूर्वक समाधान किया गया ।

सभी का संतोषप्रद ढंग से समाधान कर लिया गया है सिवाए एक के जो सक्षम न्यायालय में पेंडिंग है ।मॉयल ने नैतिक, नीतिगत और विधिक व्यावसायिक आचरण के हर संभव सर्वोच्च मानकों को प्राप्त करने हेतु व एक खुले व पारदर्शी संप्रेषण के प्रति अपनी कटिबद्धता को और मजबूत बनाने हेतु एक सचेतक नीति तैयार की है ।

3. **सिद्धांत 2व्यवसाय को सुरक्षित वस्तुएं व सेवाएं प्रदान करनी चाहिये व उनके संपूर्ण जीवन चक्र के दौरान निरंतरता में योगदान देना चाहिये।**

(1) अपने ऐसे तीन उत्पादों सेवाओं की सूची बनाएं, जिनके स्वरूप में सामाजिक या पर्यावरण की चिंताओं, जोखिमों और / या अवसरों को स्थान दिया गया हो ।

मॉयल अपने खनन परिचालनों में सहने योग्य खनन प्रथाओं को तथा अपने अन्य उत्पादों, जैसे फेरो मैंगनीज व ईएमडी के लिये भी पर्यावरण हितैषी उत्पादन प्रक्रियाओं को अपनाता है । पर्यावरण के मानकों जैसे वायु, जल,भूमि व ध्वनि तथा जैव विविधता के रक्षण हेतु यह अपने सभी खनन परिचालनों में पर्यावरण संबंधी यथोचित उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है ।मॉयल अपने परिचालनों में न्यून कार्बन उत्सर्जन प्रक्षेपण पथ अपनाना चाहता है । इस दिशा में अपनाये गये कुछ उपाय हैं–धातुशोधन हेतु पानी का पुनर्उपयोग, उन्नत निर्माण कार्य जैसे मुंडेर की मजबूत दिवारें बनाना, अपनी सभी खदानों के पास वनीकरण, सभी खदानों में संसाधित जल के पुनर्उपयोग हेतु द्वितीयक कचरा प्रबंधन, भूस्खलन टालने हेतु खाइयों के नक्शे बनाना व शैल अपशेष ढेर के जैविक भूमि उद्धार व बाँध निर्माण तथा जल प्रदूषण टालने हेतु निस्सरण संसाधन संयंत्र (एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) व मल निर्यास संयंत्र (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) बनाना । धुएं में कमी लाने हेतु ईएमडी संयंत्रों मेंवायु मार्जक यंत्र (एयर स्क्रबर) की स्थापना ।

पर्यावरण की रक्षा के साथ – साथ मॉयल अपने खदान क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों की भी सहायता करता है । उसके यहां सीएसआर विभाग द्वारा तैयार की गई एक सुपरिभाषित सीएसआर नीति है .सीएसआर दल खनन क्षेत्र के आसपास के स्थानीय समुदाय से विचार विमर्ष करते हुए तथा संबंधित जिला प्रशासन से चर्चा करते हुए ध्यानाकर्षण के प्रमुख क्षेत्रों का अभिनिर्धारण करता है व सीएसआर की विभिन्न गतिविधियों का कार्यान्वयन करता है । उसने अनेकानेक गतिविधियां करते हुए जैसे स्कूल के अहाते की दीवार का निर्माण, मोतियाबिंद शल्यक्रिया का आयोजन, कृषि विकास, मवेशी विकास,बायोगैस संयंत्र की स्थापना, शौचालय निर्माण, स्ट्रीट लाइट लगाना, स्थानीय जनजातियों को निःशुल्क चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराना , गांवों का विद्युतीकरण कराना व इस प्रकार की अनेकों पहल करते हुए समाज के प्रति अपना योगदान दिया है ।

(2) ऐसे प्रत्येक उत्पाद हेतु संसाधन उपयोग (ऊर्जा,, जल, कच्चा माल आदि) के संबंध में प्रति युनिट उत्पाद हेतु निम्नलिखित विवरण प्रदान करें (वैकल्पिक)

1. पिछले वर्ष से मूल्य श्रृंखला में सोर्सिंग / उत्पादन / वितरण के दौरान आयी कमी ?

मॉयल बिजली, इंधन, चिकनाई व पानी के ईष्टतम उपयोग में विश्वास करता है । वह पानी और ऊर्जा के विशिष्ट उपभोग हेतु लक्ष्य निर्धारित करता है ।इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वह ऊर्जा जाँच का आयोजन करता है ।ऊर्जा जाँच से ऊर्जा की बचत से संबंधित तकनीकी उपायों व बचत के अवसरों के अभिनिर्धारण में व इस संबंध में प्राथमिकता तय करने में भी मदद मिलती है ।ऊर्जा में बचत के उपायों के कार्यान्वयन से उसके परिचालनों में विशिष्ट ऊर्जा उपभोग में सुधार हुआ है । हालांकि पानी का उपभोग कम है मॉयल जल प्रबंधन में विश्वास करता है और सभी परियोजना स्थलों पर वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाये गये हैं । सभी परियोजना स्थलों पर पानी को संसाधित करते हुए उसका प्रक्रिया में पुनर्उपयोग किया जाता है ।

2. पिछले वर्ष के बाद से उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग (ऊर्जा, पानी) में कमी ?

मॉयल के अंतिम उत्पाद की मात्रा थोक में होती है ? और उपभोक्ता द्वारा उपयोग के दौरान कमी का निर्धारण कर पाना एक जटिल प्रक्रिया होती है । फिर भी, जहां भी संभव होता है वह पानी एवम् ऊर्जा की बचत पर जागरूकता फैलाने का काम करता है।

(3) क्या निरंतर सोर्सिंग (परिवहन समेत) हेतु कंपनी में कार्यविधियां तैयार की गई हैं ? यदि हां तो आपकी कितने प्रतिशत निविष्टियों को सोर्स किया गया था कृपया 50 शब्दों में उसके विवरण दें।

हां, मॉयल में सहने योग्य सोर्सिंग नीतियां हैं । वह वैकल्पिक इंधन और कच्चे माल का उपयोग करता है जिससे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद मिलती है और ऐसे विक्रेताओं के जरिये मा लिया जाता है जो सहने योग्य प्रथाओं का पालन करते हैं ।.जहां तक परिवहन का संबंध है अधिकांश थोक सामग्री की ढुलाई रेल व सड़क मार्ग से यथोचित कवर एवम् छत के साथ किया जाता है । मॉयल ने माल को लादने व उतारने के दौरान होने वाली धूल प्रदूषण के नियंत्रण की भी उचित व्यवस्था की है ।

(4) क्या कंपनी ने कार्यस्थल के आसपास के समुदायों सहित,स्थानीय व छोटे व्यापारियों से माल व सेवाएं प्राप्त करने हेतु कदम उठाए हैं ? यदि हां तो स्थानीय व छोटे उत्पादकों की क्षमता व योग्यता में सुधार हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

हां, मॉयल माल व सेवाएं प्राप्त करने में स्थानीय व छोटे व्यापारियों की सहभागिता को बढ़ावा देता है । वित्तीय वर्ष 2017 – 18 के दौरान मॉयल नागपुर की एमएसएमई, डी ई संस्था द्वारा आयोजित राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय व्यापारी विकास कार्यक्रम में सहभागी हुआ था, जिसमें मॉयल द्वारा भावी एमएसई को मॉयल की आवश्यकताओं के बारे में बताया गया था ।

(5) क्या कंपनी के पास उत्पादों व अपशिष्ट पदार्थों के पुनर्उपयोग की कोई यंत्रणा है ? यदि हां तो उत्पादों के पुनर्उपयोग का प्रतिशत कितना है, अलग- अलग बताएं (यथा-5%, 5 -10 %, 10 %,)।उसके विवरण भी लगभग 50 शब्दों में दें ।

हां, मॉयल खनन व खनिज संसाधन के सुरक्षित , वैज्ञानिक, पर्यावरण हितैषी तरीके अपनाता है । वह पर्यावरण को संभावित रूप से हानी पहुँचाने व सामाजिक प्रभावों को टालने के उद्येश्य से अपनी अपषिष्ट प्रबंधन योजना में 4आर नीति लागू करने का प्रया1स करता है – (रेड्यूस, रीचार्ज,, रीसायकल व रीयूज) मॉयल की खदानों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे गौण उत्पादों के पुनर्उपयोग के साथ – साथ सतत रूप से उत्पादकता सुधार उपायों व अपशिष्ट में कमी लाने की पहलों में सतत रूप से अनुसंधान, विकास व कार्यान्वयन करते रहें । खदानों में उपयोग में लाये जाने वाले विभिन्न तेलों व चिकनाई में से जले हुए तेलों व चिकनाई का निपटान प्राधिकृत एजेंसी द्वारा किया जाता है, जिसका उनके द्वारा पुनर्उपयोग किया जाता है .

सिद्धांत 3 व्यवसाय को कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिये ।

1. कृपया दि.31.03.2018 को कर्मचारियों की कुल संख्या बताए:

श्रेणी	कार्यपालक	गैर – कार्यपालक	पी.आर.कामगार	कुल
पुरुष	321	2128	2893	5342
महिलाएं	23	103	612	738
कुल	344	2231	3505	6080

2. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं जिन्हें अस्थायी / संविदात्मक / आकस्मिक आधार पर लिया गया हो:

संविदात्मक मजदूर-5109

3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं-

स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या 738 है।

4. कृपया विकलांग स्थायी कर्मचारियों की संख्या बताएं-

विकलांग स्थायी कर्मचारियों की संख्या 21 है ।

5. क्या आपके यहां कर्मचारी संगठन है जिसे प्रबंधन की मान्यता हो:

हां,

- परियोजना स्तर पर अधिकांश यूनियनों ने मॉयल कामगार संगठन (एमकेएस) नामक स्वतंत्र शीर्ष संगठन बनाया है ।
- कार्यपालकों का अपना अलग संगठन (मॉयल कार्यपालक संघ) है ।

6. आपके स्थायी कर्मचारियों में कितने प्रतिशत इस मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं ।

62.15 % कर्मचारी इस मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं ।

7. खृपया कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त व इस वित्तीय वर्ष के अंत में पेंडिंग बाल मजदूर, बलात् मजदूर, अस्वैच्छिक मजदूर,यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या बताएं

वित्तीय वर्ष 2017 – 18 में बाल मजदूर, बलात् मजदूर, अस्वैच्छिक मजदूर, भेदभावपूर्ण रोजगार व यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या शून्य थी ।निर्धआरित प्रारूप में अपेक्षित जानकारी नीम्नानुसार है:

क्रम सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतें	वित्तीय वर्ष के अंत में पेंडिंग शिकायतें
1	बाल मजदूर / बलात् मजदूर / अस्वैच्छिक मजदूर	शून्य	शून्य
2	यौन उत्पीड़न	शून्य	शून्य
3	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य

8. पिछले वर्ष आपके यहां के कितने उल्लिखित कर्मचारियों को सुरक्षा व कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया था ।

कर्मचारियों को सुरक्षा प्रशिक्षण मॉयल में व्यावसायिक व सुरक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है । हमारा लक्ष्य है मानव संसाधन, सामग्री व मशीनों के ईष्टतम उपयोग द्वारा उच्चतर उत्पादन व प्रेषण सहित शून्य दुर्घटना की स्थिति को प्राप्त करना ।

वर्ष 2017 – 18 में जिन कर्मचारियों को सुरक्षा व कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया था, उनका प्रतिशतः

क्रम सं.	विवरण	प्रतिशत	
		सुरक्षा प्रशिक्षण	कौशल उन्नयन प्रशिक्षण
1	स्थायी कर्मचारी	20%	32.16 %
2	स्थायी महिला कर्मचारी	20%	20.05 %
3	आकस्मिक अस्थायी संविदात्मक कर्मचारी	20%	4.00 %
4	विकलांग कर्मचारी	5%	33.33 %

सिद्धांत 4 व्यवसाय को सभी हितधारकों, विशेषकर वंचित, असुरक्षित व कमजोर हितधारकों के हितों की रक्षा करते हुए उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिये।

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक व बाहरी हितधारकों की रूपरेखा तैयार की है। हां / नहीं

हां, मॉयल ने अपने आंतरिक व बाहरी हितधारकों की रूपरेखा तैयार की है ।मुख्य श्रेणियां निम्नानुसार हैं–

- सरकार व विनियामक प्राधिकरण
- ग्राहक
- निवेशकर्ता
- कर्मचारी
- स्थानीय समुदाय
- एनजीओ व अन्य हितधारक

मॉयल अपने अभिनिर्धारित हितधारकों के संपर्क में रहता है और अपने प्रमुख पर्यावरण संबंधी, सामाजिक व सामुदायिक विकास से संबंधित अपनी पहलों के बारे में अलग – अलग ढंग से संप्रेषण करता है व भावी पहलों एवम् कार्यक्रमों के निर्धारण में हितधारकों की प्रतिसूचना पर विचार करता है ।

2. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में क्या कंपनी ने वंचित, असुरक्षित व कमजोर शेयरधारकों का अभिनिर्धारण किया है ?

हां, मॉयल ने अपनी सीएसआर नीति गत उद्देश्यों के एक भाग के रूप मेंआयोजित आधारभूत सर्वेक्षण के जरिये समुदाय के सामाजिक – जनसांख्कीय डाटा की मदद से वंचित, असुरक्षित व कमजोर शेयरधारकों का अभिनिर्धारण किया है ।

3. क्या कंपनी ने वंचित, असुरक्षित व कमजोर शेयरधारकों के संबंध में कोई विशेष पहलें की हैं ? यदि हां तो लगभग 50 शब्दों में उसके विवरण दें ।

4. हां, मॉयल द्वारा लागू प्रमुख सीएसआर गतिविधियों में से एक है समुदाय विकास कार्यक्रम, जिससे वंचित, असुरक्षित व कमजोर शेयरधारक लाभान्वित हुए हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है–

कंपनी ने समुदाय विकास कार्यक्रम हेतु बीएआइएफ की एक सहायक संस्था महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर रूरल एरियाज (मित्राज) के साथ एक समझौता ज्ञापन करते हुए एक मॉयल फाउंडेशन का गठन किया है ।इस परियोजना में जीवन की बेहतर गुणवत्ता हेतु ग्राम स्तर पर ही संसाधन विकसित करने का प्रयास किया जाता है । मॉयल की खदानों के आसपास 21 गांवों को समुदाय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अभिनिर्दारित किया गया है, जिनमें 5 गांव नागपुर जिले में, 11 गांव महाराष्ट्र के भंडारा जिले में, 5 गांव मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में हैं जहां ग्राम संसाधनों के विकास हेतु एक विस्तृत सूक्ष्म योजना तैयार की गई है ।

परियोजना का उद्देश्य कृषि आधारित अन्वेषणों के जरिये सहभागी परिवारों की जीविका में सुधार लाना व स्वास्थ्य, ग्राम की मूलभूत संरचना में सुधार तथा महिला सशक्तिकरण के जरिये जीवन स्तर में सुधार लाना है । परियोजना में सरकारी विभागों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने पर ध्यान दिया जाता है । ताकि परियोजना के समापन के बाद भी विकास की प्रक्रिया निर्बाध रूप से जारी रहे ।

कार्यक्रम के अंतर्गत मॉयल ने विभिन्न कार्यक्रम शुरू किये हैं जैसे कृषि विकास (भू – स्वास्थ्य कार्ड, एसआरआइ प्रदर्शन, सब्जी पैदावार प्लॉट,फसल विविधता, कृमी खाद, ड्रिप सिंचाई, किसान मेळावा),जल संसाधन विकास(कुंओं को गहरा करना, जल भंडारों का नवीकरण, बाँधों में से गाद निकालना आदि) मवेशी विकास (गर्भाधान, गर्ब निदान,मवेशियों हेतु स्वास्थ्य शिबिर,बाँझपन के मामलों की जाँच,मवेशी विकास पर किसान प्रशिक्षण, टीकाकरण,कृमी नाशन आदि) । जीवन स्तर में सुधार, समुदाय स्वास्थ्य, (स्वास्थ्य जागरूकता शिविर, स्वच्छ रसोई, बायोगैस स्थापना, शौचालय निर्माण आदि)स्व सहायता समूहों के जरिये महिला सशक्तिकरण, शिक्षण (स्कूलों में डिजिटल ई – लर्निंग, ग्रंथालय, जल शुद्धिकरण, प्रणाली आदि) ।

सिद्धांत 5– व्यवसाय को मानवाधिकारों का ध्यान रखना चाहिये व उनका संवर्धन करना चाहिये

1. क्या मानवाधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी पर लागू होती है या समूह / संयुक्त उद्यम/ आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) / अन्यों पर भी लागू होती है ?

हां, मॉयल की कोई सहायक संस्थाएं नहीं हैं ।वह अच्छे अभिशासन को बढ़ावा देने, खनिज संपदा का दायित्वपूर्ण ढंग से उपयोग करने व भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु सरकार, व्यवसाय तथा सिविल सोसायटी के हितधारकों के साथ मिलकर कार्य करने हेतु कृत संकल्प है ।मॉयल ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनैशनल इंडिया (टीआइआइ)के साथ एक विश्वसनीयता समझौता पर भी हस्ताक्षर किये हैं ।मॉयल का सतर्कता विभाग निर्णय लेने की भेदभाव रहित, उचित व पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ावा देता है और सकारात्मक दृष्टिकोण सहित ऐहतियाती सतर्कता को प्राथमिकता देता है ।

2. विगत वित्तीय वर्ष में हितधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं व उनमें से कितने प्रतिशत का प्रबंधन द्वारा संतोषजनक ढंग से समाधान किया गया ?

वित्तीय वर्ष 2017 – 18 के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन के शून्य मामले हैं ।

सिद्धांत 6– व्यवसाय को पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील रहते हुए उसके संरक्षण हेतु प्रयत्नशील रहना चाहिये ।

1. क्या सिद्धांत-6 से संबंधित नीति केवल कंपनी पर लागू होती है या समूह / संयुक्त उद्यम/ आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) / अन्यों पर भी लागू होती है ?

मॉयल में पर्यावरण प्रबंधन उसकी कारपोरेट पर्यावरण नीति द्वारा नियंत्रित होती है ।यह नीति केवल मॉयल तक ही सीमित है क्योंकि उसकी कोई सहायक कंपनी नहीं है व संयुक्त उद्यम परिचालनाधीन नहीं हैं ।

2. क्या पर्यावरण संबंधी वैश्विक मामलों , जैसे मौसम परिवर्तन, वैश्विक तापमान वृद्धि आदि पर ध्या देने हेतु कंपनी के पास कोई रणनीति उपाय हैं । हां / नहीं । कृपया वेब पृष्ठ आदि हेतु हायपर लिंक प्रदान करें ।

हां, मॉयल मौसम परिवर्तन के उसके व्यवसाय, पर्यावरण और समुदाय पर पड़ने वाले असर को समझता है और वह एक निरंतर विकास हेतु खनन तथा खनिजों के प्रक्रमण हेतु पर्यावरण के प्रति और अधिक दायित्वपूर्ण भूमिका हेतु वचनबद्ध है । मॉयल पर्यावरण में प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण हेतु तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु व अनुपालन सुनिश्चित करने व उसके अनुप्पवर्तन हेतु व पर्यावरण में सुधार लाने हेतु प्रतिबद्ध है । वह पर्यावरण के रक्षण व पर्यावरण की रक्षा के प्रति अपने कर्मचारियों व समुदायों को शिक्षित करने और पर्यावरण के नकारात्मक प्रभावों को कम करने व रोकने हेतु प्रबंधन की समयसिद्ध प्रथाओं को लागू करने हेतु कृतसंकल्प है ।

मॉयल इस बात में विश्वास करता है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन आधुनिक व्यवसाय हेतु पर्यावरण की कीमत की प्रमुख चिंताओं में से एक है । एक पर्यावरण हितैषी संस्था बने रहने हेतु मॉयल ने अपनी खदानों में कुल 20 मे. वॅट, 10.5 मे. वॅट क्षमता के सौर्य ऊर्जा परियोजनाओं वाले पवन ऊर्जा के फार्म स्थापित किये हैं । राजगढ़ खास, म. प्र. में 20 मे. वॅट, क्षमता की सौर्य ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है । उसने अपने प्रधान कार्यालय में भी 48 कि. वॅट के रूफ टॉप सौर्य पैनल लगाए हैं और उसकी सभी खदानों पर स्थित प्रशासकीय भवनों में भी यह कार्य प्रगति पर है ।

http://moil.nic.in/writeraddata/pdf/Environment_policy.pdf

3. क्या कंपनी ने संभावित पर्यावरण जोखिमों का अभिनिर्धारण व मूल्यांकन किया है ।

हां / नहीं ।

हां, मॉयल ने संभावित पर्यावरण जोखिमों का अभिनिर्धारण व मूल्यांकन करने की पद्धतियां तय की हैं । वह अपनी खदानों के निकटवर्ती क्षेत्रों के पर्यावरण पर परिचालनों / गतिविधियों के प्रभावों का मूल्यांकन करता है व तदनुसार उन्हें कम करने के उपाय करता है । सभी खदानों में पर्यावरण पर प्रभावों का मूल्यांकन किया गया है और तदनुसार उन्हें कम करने हेतु उपाय किये गये हैं । कार्यान्वित उपायों की प्रभाविकता की जाँच करने हेतु तथा सीपीसीबी कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पर्यावरण के परिमापों पर सतत रूप से निगरानी रखी जाती है ।

सभी प्रमुख खदाने व संयंत्र ओएचएसएएस18001-2007 आय एस ओ 9001: 2015 प्रमाणित हैं जो उद्येश्यों व लक्ष्यों के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण गतिविधियों के अभिनिर्धारण के लिये सभी परिचालनों एवम् गतिविधियों के पहलू – प्रभाव अध्ययन आयोजित करता है । इस प्रणाली की (प्रमाणित आंतरिक जाँचकर्ताओं द्वारा की जाने वाली आवधिक जाँच के अलावा) बाहरी जाँचकर्ताओं से द्विवार्षिक जाँच कराई जाती है ताकि प्रणाली प्रभाविकता व पर्याप्तता की जाँच की जा सके व आवश्यक होने पर उद्येश्यों, लक्ष्यों व प्रबंधन की योजनाओं में बदलाव का अभिनिर्धारण किया जा सके ।

4. क्या कंपनी की निर्बाध विकास यंत्रणा से संबंधित कोई परियोजना है ? यदि हां तो लगभग 50 शब्दों में उसके विवरण दें और यह भी बताएं कि क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दायर की गई है ?

हां, मॉयल की निर्बाध विकास यंत्रणा से संबंधित परियोजना है । यह 2006 – 2007 में स्थापित 20 मे. वॅट की एक पवन परियोजना है। इस परियोजना को युनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के साथ पंजीकृत किया गया है ।

5. क्या कंपनी ने निर्बाध प्रौद्योगिकी, ऊर्जा बचत, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य उपाय किये हैं । हां / नहीं । यदि हां तो कृपया वेब पृष्ठ का हायपरलिंक प्रदान करें ।

हां, मॉयल पर्यावरण हितैषी प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने हेतु कृतसंकल्प है । मॉयल के अनुसंधान और विकास केंद्रों के पास कार्यक्षम खनिज प्रक्रमण से संबंधित तकनीक विकास के अभियान चलाने की क्षमता भी है, कृपया नीचे दिया गया हायपरलिंक देखें–

http://moil.nic.in/writeraddata/pdf/MOIL_ren_en_proj.pdf

6. क्या रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के उत्सर्जन / अपशेष की मात्रा सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा प्रदत्त अनुमेय सीमा के भीतर है ?

हां, कंपनी के उत्सर्जन / अपशेष की मात्रा की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है और वह सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा निर्धारित अनुमेय सीमा के भीतर है । आवश्यकता के अनुसार सांविधिक प्राधिकरणों में विवरणियां दर्ज की जाती हैं ।

7. क्या रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी / एसपीसीबी से कारण बताओ / कानूनी नोटिस प्राप्त हुईं, जो पेंडिंग हों (अर्थात जिनका संतोषजनक ढंग से समाधान न हुआ हो)

शून्य ।

सिद्धांत7 सार्वजनिक व विनियामक नीतियों के प्रभावित करने वाले व्यवसायों का आचरण जिम्मेदार होना चाहिये ।

1. क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार या चेम्बर या संघ की सदस्य है । यदि हां तो केवल उन प्रमुख संघों के नाम बताएँ जिनसे आपकी कंपनी व्यवहार करती हो।

हां, मॉयल नीचे दिये गये कुछ चेंबरों संघों का सदस्य है–

- फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली ।
- स्टैंडिंग कॉन्फरेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, नई दिल्ली ।
- इंटरनैशनल मैंगनीज इंस्टीट्यूट, पैरिस ।

2. क्या आपने जन - कल्याण में सुधार हेतु उपर्युक्त संघों के माध्यम से समर्थन / दबाव डाला । हां / नहीं । यदि हां तो प्रमुख क्षेत्र बताएं (ड्रॉप बॉक्सः अभिशासन व प्रशासन, आर्थिक सुधार,समावेशी विकास नीतियां,ऊर्जा सुरक्षा, , जल, खाद्यान्न सुरक्षा, निरंतर व्यवसाय सिद्धांत, अन्य)

हां, निम्नलिखित क्षेत्र प्रमुख हैं-

- सहने योग्य खनन प्रथाएं
- ऊर्जा संरक्षण
- समावेशी विकास

सिद्धांत8 व्यवसाय को समावेशी व सम्यक विकास को बढ़ावा देना चाहिये

1. क्या कंपनी के पास सिद्धांत 8 के अनुशीलन में कोई निश्चित कार्यक्रम / उपाय / परियोजनाएं हैं । यदि हां, तो उसके विवरण दें ।

हां मॉयल सीएसआर नीति में पारिभाषित कई कार्यक्रम / उपाय / परियोजनाएं हैं । सीएसआर के अंतर्गत की गईंकुछ प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं-

साक्षरता व शिक्षण

- मॉयल का डीएवी विद्यालय
- कंपनी की खदानों के आसपास शिक्षा प्रदान करने वाले कई विद्यालयों को समर्थन
- कंपनी की खदानों के पास विभिन्न सरकारी विद्यालयों में कक्षा भवनों का निर्माण

स्वास्थ्य रक्षण

- निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य जाँच शिविर
- मोतियाबिंद शल्य क्रिया, क्लेफ्ट लिप व पैलेट शल्यक्रिया
- रुग्णवाहिका

ग्रामीण विकास व बुनियादी ढाँचा

- सड़क व पुलिया निर्माण
- ग्रमों का विद्युतीकरण व सौर्य स्ट्रीट लाइटों का प्रावधान
- पेयजल प्रदान करना
- किसान विकास योजनाएं
- शौचालय निर्माण
- नागपुर, भंडारा व बालाघाट जिलों के 21 गांवों में समुदाय विकास कार्यक्रम
- सामुदायिक भवनों का निर्माण

2. क्या कार्यक्रम / परियोजनाएं आंतरिक दल स्वतः के फाउंडेशन बाहरी गैर सरकारी संस्थाओं(एनजीओ) सरकारी संरचनाओं / किसी अन्य संस्था के जरिये चलाये जाते हैं ?

मॉयल विभिन्न सीएसआर गतिविधियां एक आंतरिक दल के जरिये व गैर सरकारी संस्था (एनजीओ), राज्य जिला प्राधिकरणों व ट्रस्टों के साथ भागीदारी में करता है, जो प्रस्तावित गतिविधियों की विशिष्टताओं पुर निर्भर होता है । भागीदारी के जरिये चलायी जाने वाली सीएसआर गतिविधियों कासीएसआर विभाग एवम् भागीदारी करने वाली संश्था द्वारा संयुक्त रूप से मूल्यांकन व अनुप्रवर्तन किया जाता है ।

3. क्या आपने अपने द्वारा की गई पहलों के प्रभाव का मूल्यांकन किया है ?

हां, कंपनी के प्रमुख सीएसआर कार्यों के प्रभाव का मूल्यांकन तृतीय पक्ष द्वारा किया जाता है । इसके अतिरिक्त मॉयल ने सीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित विद्यालय का प्रभाव मूल्यांकन भी किया है ।

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है - कृपया आइएनआर में रकम व चलायी गई परियोजनाओं के विवरण दें ।

मॉयल ने वित्तीय वर्ष 2017 - 18 में निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत विकास परियोजनाओं में रु.9.62 करोड की रकम खर्च की -

1) शिक्षा (2) पेय जल (3) स्वास्थ्य व आरोग्य (4)निःशुल्क चिकित्सा शिविर (5) बुनियादी ढाँचा (6) वित्तीय सहायता (7) ग्रामीण विकास (8)स्वच्छता

5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाए हैं कि सामुदायिक विकास की यह पहल सफलतापूर्वक अपनायी गई है ? कृपया लगभग 50 शब्दों में स्पष्ट करें ।

व्यापारिक गतिविधियों व स्थलों के दौरों से समुदाय में और विशेषतः कृषि विकास में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलती है । अन्यों द्वारा गतिविधियों का प्रत्युत्तर जारी है जिससे गतिविधियों के सकारात्मक प्रभाव दिखायी देता है ।

मॉयल का सीएसआर दल सुधार की गुंजाइश व प्रभाव, यदि कोई हों, जानने हेतु लाभार्थियों से प्रतिसूचनाएं प्राप्त करता है । इसी प्रकार मॉयल के सीएसआर दल के साथ - साथ

अन्य पक्षों द्वारा आयोजित प्रभाव मूल्यांकन से समुदाय विकास परियोजनाओं की प्रभाविकता व कार्यों के बारे में समुदाय के लोगों के प्रतिसाद प्राप्त करता है ।इसके अतिरिक्त किसान विकास कार्यक्रम की सरकार में सर्वोच्च स्तरों पर सराहना हुई है ।

सिद्धांत 9 व्यवसाय को ग्राहकों एवम् उपभोक्ताओं का मूल्य संवर्धन करते हुए उनके साथ जिम्मेदारी से पेश आना चाहिये

1. वित्तीय वर्ष के अंत में कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें / उपभोक्ता मामले पेंडिंग हैं ।

   वित्तीय वर्ष के अंत में कोई भी ग्राहक शिकायत पेंडिंग नहीं हैं ।

2. क्या कंपनी स्थानीय विधि में मौजूद अनिवार्यता से अधिक उत्पाद के लेबल पर उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करती है । हां / नहीं / अभ्युक्तियां (अतिरिक्त जानकारी)।

   लागू नहीं । हमारा उत्पाद एक थोक उत्पाद होने के नाते उत्पाद की विशेषताओं का उल्लेख कंपनी की वेबसाइट www.moil.nic.in पर और मूल्य सूची / संविदाओं के जरिये ग्राहकों को सूचित किया जाता है ।

3. क्या कंपनी के विरुद्ध पिछले 5 वर्षों के दौरान हितधारकों द्वारा अनुचित व्यापार प्रथाओं, गैर जिम्मेदाराना विज्ञापनों और या अस्पर्धात्मक आचरण के सूबंध में कोई मुकदमा दायर किया गया है, जो वित्तीय वर्ष के अंत में पेंडिंग हो । यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में उसके विवरण दें ।

   नहीं

4. क्या आपकी कंपनी ने कोई ग्राहक सर्वेक्षण / उपभोक्ता संतोष प्रवृत्ति जानने का आयोजन किया ।

   हां, मॉयल विभिन्न स्थानों पर ग्राहकों की बैठकें आयोजित करते हुए व नियमित आधार पर ग्राहकों को भेंट देते हुए ग्राहक संतोष सर्वेक्षण आयोजित करता है ।हालांकि इस प्रकार के सर्वेक्षण विशेष रूप से आयोजित नहीं किये गये हैं, किंतु ग्राहकों के साथ होने वाली बैठकों में ग्राहक संतोष के अत्युच्च स्तर के संकेत मिलते हैं । ऐसे संकेत नियमित आधार पर हमारे व्यावसायिक भागीदार बने रहने के ग्राहक आचरण से भी मिलते हैं ।

<table>
<tr><td>पी1</td><td colspan="2">क्रम सं.3- मॉयल में कंपनी की जालसाजियों के रोकथाम की एक नीति है , आचार संहिता, नैतिकता व सचेतक नीति । जाल,जी की रोकथाम की नीति में जालसाजी का पता लगाने व रोकथाम, पायी गई या संदिग्ध जालसाजी की रिपोर्टिंग व जालसाजी के मामलों के संबंध में उचित कार्रवाई करने की प्रणाली है । इसके अलावा सेबी (एलओडीआर) विनियमा 2015 के अंतर्गत कारपोरेट अभिशासन की आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी ने पेशेवर व नैतिक मानकों के आधार पर आचार संहिता बनायी है और कंपनी को यह विश्वास है कि उसके सभी कर्मचारियों को उसे अपनाना चाहिये । इसके अतिरिक्त, सतर्कता की यंत्रणा के एक अंतर्निहित भाग के रूप में मॉयल की सचेतक नीति बनायी गई है ताकि मॉयल के निदेशकों एवम् कर्मचारियों को अनैतिक आचरण, वास्तविक या संदिग्ध जालसाजी या कंपनी के आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में अपनी उचित चिंताओं व व्यथाओं की रिपोर्ट करने के अधिकार प्राप्त हो सकें । इसके अतिरिक्त कंपनी ने संबंधित पक्ष व्यवहारों के महत्व और संबंधित पक्ष व्यवहार नीति(आरपीटी नीति) भी बनाई है जिसमें ऐसे पक्षों से व्यवहार करने से पहले पर्याप्त कार्यविधियों का पालन करना होता है और प्रकटन करने होते हैं ।</td></tr>
<tr><td></td><td>नीति का नाम</td><td>वेबलिंक</td></tr>
<tr><td></td><td>जालसाजी के रोकथाम हेतु नीति</td><td>http://moil.nic.in/writereaddata/pdf/Fraud%20Prevention%20Policy_MOIL-FinalB.pdf</td></tr>
<tr><td></td><td>व्टीसल ब्लोअर नीती</td><td>http://moil.nic.in/WRITEREADDATA/PDF/Whistle_Blower_Policy_of_MOIL.pdf</td></tr>
<tr><td></td><td>आचार संहिता व नैतिकता</td><td>http://moil.nic.in/writereaddata/oldsite/coc.pdf</td></tr>
<tr><td></td><td>संबंधित पक्ष व्यवहार के महत्व पर नीति व संबंधित पक्ष से व्यवहार</td><td>http://moil.nic.in/WRITEREADDATA/PDF/Related_Party_Transaction_Policy.PDF</td></tr>
<tr><td></td><td>घटनाओं के महत्व के निर्धारण हेतु या स्टॉक एक्सचेंजों को जानकारी के प्रकटन हेतु मानदंडों पर नीति</td><td>http://moil.nic.in/writereaddata/pdf/Policy_on_Disclosure_Information.pdf</td></tr>
<tr><td></td><td>लाभांश वितरण नीति</td><td>http://moil.nic.in/writereaddata/PDF/Dividend_Policy_MOIL.PDF</td></tr>
<tr><td>पी2</td><td colspan="2">कंपनी आर्थिक पर्यावरण व सामाजिक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए निरंतर व्यवसाय की प्रथाओं का अनुसरण करती है ताकि विकास एवम् निरंतरता के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके । .कंपनी अपने उत्पादों व सेवाओं का नियंत्रण करने वाले विनियमों का अनुपालन करती है और उसने समावेशी विकास एवम् पर्यावरण की निरंतरता को बढ़ावा देने हेतु उपाय किये हैं ।
क्रम सं.6- कारपोरेट सामाजिक दायित्व व निरंतरता नीति कंपनी के निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है-
http://moil.nic.in/writereaddata/PDF/CSR_and_Sustainability_Policy_of_MOIL.pdf
http://moil.nic.in/writereaddata/pdf/Environment_Policy.pdf</td></tr>
<tr><td>पी3</td><td colspan="2">सामान्य विधि और विनियमावली तथा राष्ट्रीय स्तर पर अपनायी जाने वाली दृढ़ नैतिक प्रथाओं के अनुरूप कंपनी ने कर्मचारी उन्मुख नीतियां अपनायी हैं जैसे-कर्मचारी लाभ, व कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, जिससे रक्षा व सौहार्द का वातावरण बनता है और व्यावसायिक आकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर मिलता है ।
क्रम सं.6- ये नीतियां भौतिक रूप से या ऑनलाइन केवल कर्मचारियों द्वारा ही देखी जा सकती हैं ।</td></tr>
</table>

पी4	इस सिद्धांत में सभी हितधारकों, विशेषकर वंचित, असुरक्षित व कमजोर हितधारकों के प्रति संवेदनशील रहने का प्रतिपादन किया गया है और कंपनी में इस उपलक्ष्य में कोई विशिष्ट नीति नहीं है । तथापि कंपनी ने इन उद्येश्यों की पूर्ति हेतु प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं । इसके अतिरिक्त कंपनी अपनी कारपोरेट दायित्व व निरंतरता नीति के अनुशीलन में समावेशी विकास हेतु कुछ क्षेत्रों में काम कर रही है ,जैसे–रोजगार निर्माण हेतु कौशल विकास,शिक्षण, स्वास्थ्य रक्षण, वृद्ध व विकलांग व्यक्तियों की परिचर्या, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, गैर – परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा आदि ।। क्रम सं.6– कारपोरेट सामाजिक दायित्व व निरंतरता नीति कंपनी के निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है– link : http://moil.nic.in/writereaddata/PDF/CSR_and_Sustainability_Policy_of_MOIL.pdf
पी5	क्रम सं3– कंपनी द्वारा अपनायी गई बोर्ड के सदस्यों व वरिष्ठ प्रबंधन हेतु व्यवसाय की आचार संहिता व नैतिकता संहिता इस सिद्धांत की अपेक्षाओँ को पूरा करती है । संहिता में रोजगार की उचित प्रथाओं व विविधता, स्वस्थ स्पर्धा,कार्य स्थल पर उत्पीड़न निषेध व डाँट – डपट निषेध एवम् सुरक्षा पर बल दिया जाता है । क्रम सं6– व्यावसायिक आचार संहिता नीचे दिये गये लिंक पर उपलब्ध है– link: http://moil.nic.in/writereaddata/oldsite/coc.pdf http://moil.nic.in/writereaddata/pdf/safety_policy.pdf
पी6	इस सिद्धांत के अंतर्गत समाविष्ट पहलू कंपनी के व्यवसाय के स्वरूप के अनुसार प्रासंगिक नहीं हैं ।कंपनी अपने परिसर व परिचालनों के संबंध में पर्यावरण क् प्रयोज्य विनियमो का अनुपालन करती है । इसके अतिरिक्त कंपनी पर्यावरण की समस्याओं के समाधान हेतु किये जाने वाले प्रयत्नों में सहभागी होती है । कंपनी अपने परियोजना ऋणों के उधारकर्ताओं से भी यह अपेक्षा करती है कि वे पर्यावरण सूबंधी विभिन्न राष्ट्रीय मानकों / अपेक्षाओँ का अनुपालन करें ।
पी7	हालांकि इस सिद्धांत हेतु कोई विशिष्ट नीति नहीं बनायी गई है , फिर भी कंपनी राज्य सरकारों व अन्य संस्थाओँ के साथ मिल कर कौशल विकास के क्षेत्र में उपायों को बढ़ावा दे रही है जिनसे रोजगार निर्माण, शिक्षण, स्वास्थ्य रक्षण, ग्रामीण विकास परियोजनाएं, गैर – परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संवर्धन, के अवसर पैदा हो रहे हैं । अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक व पूर्णकालिक निदेशक इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों एवम् कार्यदलों की बैठकों में भाग लेते हैं ।.
पी8	मॉयल अपनी कारपोरेट सामाजिक दायित्व व निरंतरता नीति के अनुशीलन में समावेशी व सम्यक विकास सुनिश्चित करने का प्रयास करता है ।वित्तीय वर्ष 2017 – 18 के दौरान मॉयल ने इस संबंध में विभिन्न पहलें कीं जिनमें जीविका का सृजन करने वाले महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम / बुनियादी ढाँचागत विकास कार्यक्रम / चुनिंदा स्वास्थ्य प्रदायी संस्थाओं में सुविधाएं प्रदान करना / चुनिंदा ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल सुविधा देना / ग्रामीण जीवन स्तर के उत्थान हेतु किसान केंद्रित समन्वित जल विभाजन विकास कार्यक्रम शामिल हैं ।) क्रम सं.6– कारपोरेट सामाजिक दायित्व व निरंतरता नीति कंपनी के निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है– link: http://moil.nic.in/writereaddata/PDF/CSR_and_Sustainability_Policy_of_MOIL.pdf
पी9	क्रम सं.3– कंपनी में एक व्यावसायिक आचार संहिता एवम् नैतिकता संहिता है तथा व्यथा निवारण मंच है । क्रम सं.6– उपर्युक्त संहिता फॉर्म को निम्नलिखित लिंक पर ऑनलाइन देखा जा सकता है । http://moil.nic.in/writereaddata/oldsite/coc.pdf http://moil.nic.in/InvestorsFeedback.aspx?PageMasterID=40&AntiSpam1=uYVA4OFNHKt
	सभी नीतियां एवम् प्रक्रियाएं कंपनी द्वारा समय – समय पर आंतरिक रूप से किये जाने वाले जाँच एवम् पुनरीक्षण के अधीन हैं ।

फॉर्म नं.एम.आर.3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

दि.31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा204(1) व कंपनी(प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति व पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियमक्र.9 के अनुशीलन में)

सेवा में,
सदस्य,
मॉयल लिमिटेड,
(एल99999एमएच1962जीओआय12398)
मॉयल भवन, 1ए, काटोल रोड,
नागपुर- 440013

हमने प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों एवम् अच्छी कारपोरेट प्रथाओं के मॉयल लिमिटेड(जिसे इससे आगे कंपनी कहा गया है) द्वारा पालन के संबंध में सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित की थी । सचिवीय लेखा परीक्षा इस ढंग से आयोजित की गई थी ताकि हमें कारपोरेट आचरण के मूल्यांकन / सांविधिक अनुपालनों के निर्धारण व उन पर अपनी राय व्यक्त करने का एक तर्कसम्मत आधार प्राप्त हो सके ।

दि. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष की सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान, कंपनी की बहियों, कागजात,कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों व दर्ज की गई विवरणियों तथा कंपनी द्वारा रखे गये अन्य अभिलेखों की जाँच के आधार पर एवम् कंपनी, उसके पदाधिकारियों, एजेंटों व प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदत्त जानकारी की अपनी जाँच के आधार पर हम यह एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने नीचे सूचीबद्ध प्रावधानों का पालन किया है तथा कंपनी में यथोचित बोर्ड प्रक्रियाएं एवम् अनुपालन यंत्रणा निम्नलिखित रिपोर्टिंग की मात्रा तक व उसके अधीन उपलब्ध हैं ।

हमने निम्नलिखित में किये गये प्रावधानों के अनुसार व कंपनी की बहियों, कागजात,कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों व दर्ज की गई विवरणियों तथा कंपनी द्वारा रखे गये अन्य अभिलेखों की जाँच की है:

1. कंपनी अधिनियम, 3013 एवम् उसके अंतर्गत बनाये गये नियम।
2. प्रतिभूति संविदा(विनियम) अधिनियम व उसके अंतर्गत बनाये गये नियम।
3. डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 व उसके अंतर्गत बनाये गये विनियम व उप नियम।
4. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम,1999 व उसके अंतर्गत बनाये गये नियम व विनियम, विदोशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश व विदेशी वाणिज्यिक उधारों की सीमा तक।
5. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम,1992 (सेबी एक्ट) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम एवम् दिशानिर्देश-
   - (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण व समामेलन)विनियम,2011
   - (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इन साईडर ट्रेडिंग प्रतिबंध) विनियम,2015
   - (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम व प्रकटीकरण आवश्यकता)विनियम,2009
   - (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना व कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश,1999, जो कंपनी पर लेखा परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं हैं ।
   - (ड) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम व लिस्टिंग) विनियम,2008 जो कंपनी पर लेखा परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं हैं ।
   - (च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के पंजीकर्ता व शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम,1993 कंपनी अधिनियम व ग्राहक से व्यवहार के संबंध में ।
   - (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ईक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग)विनियम,2009, जो कंपनी पर लेखा परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं हैं ।
   - (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बायवॅक) विनियम,1998
   - (झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यता व प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम,2015
6. इसके अतिरिक्त हमने भौतिक अनुपालन रिपोर्टिंग प्रणाली की भी जाँच की है जिसे मॉयल लिमिटेड द्वारा 31 मार्च, 2018 के वित्तीय वर्ष हेतु निम्नलिखित विधियों के प्रयोज्य अनुपालनों के मामलों में संतोषजनक ढंग से रखा गया है ।
   - (1) खदान अधिनियम,1952
   - (2) खदान व खनिज(विकास व विनियम) अधिनियम,1957
   - (3) लौह अयस्क खान,मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम,1976

हमने निम्नलिखित के प्रयोज्य खंडों के अनुपालन की भी जाँच की है ।

(1) भरतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक,

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित अभ्युक्तियों के अधीन उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

1 कंपनी के निदेशक बोर्ड के विधिवत गठन हेतुस्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के जरिये निर्धारित आवश्यकताओं के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यता व प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम,2015 के विनिमय17 के अनुपालन के संबंध में कंपनी ने दि.1 अप्रैल, 2017 सेदि. 31 मार्च, 2018 तक निदेशक बोर्डके गठन से संबंधित प्रावधान को छोड़ कर शेष शर्तों का पालन किया है ।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

कंपनी के निदेशक बोर्ड का कार्यपालक निदेशकों, गैर – कार्यपालक निदेशकों एवम् संवतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन सहित विधिवत् गठन किया गया है ।समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक बोर्ड की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए किया गया है ।

बोर्ड की बैठकों के आयोजन हेतु सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है , कार्यसूची व कार्य सूची पर विस्तृत टिप्पणियां कम से कम सात दिन पहले ही भेज दिये गये थे और बैठकों में सार्थक सहभाग हेतु और अधिक जानकारी प्राप्त करने व बैठक से पहले कार्यसूची की मदोंपर स्पष्टीकरण मांगनेकी प्रणाली मौजूद है ।

बोर्ड की बैठकों एवम् समितियों की बैठकों में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिये जाते हैं, जैसा कि यथास्थिति बोर्ड की बैठकों और बोर्ड की समितियों की बैठकों में रेकॉर्ड किया जाता है । हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार एवम् परिचालनों के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां तथा प्रक्रियाएं मौजूद हैं ताकि प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों का अनुप्रवर्तन व अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान,

1. कंपनी ने रु.10/– प्रति शेयर के 87,66,720 ईक्विटी शेयरों का बायवॅक.240/– प्रति ईक्विटी शेयर के दर से की जो कंपनी के समादत्त शेयर पूंजी में कुल ईक्विटी शेयरों का 3.29 % हैं ।
2. कंपनी ने रु.10/– प्रति ईक्विटी शेयर हेतु रु. 10/– प्रति नये ईक्विटी शेयर के अनुपात में रु.10/– के 13,31,87,804(तेरह करोडइकतीस लाख सतासी हजार आठसौ चार) बोनस शेयर जारी व आबंटित किये हैं । किये हैं।

स्थानः इन्दौर
दिनांकः 02.08.2018

कृते ए.मेहता एंड कं.

ह/–
अशोक मेहता
(प्रोप्रायटर)
एफसीएस नं.2566
सीपी नं.2028

स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट

सेवा में,
मॉयल कंपनी के सदस्य,
नागपुर

एकल वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने मॉयल लिमिटेड (कंपनी) के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की जाँच की है, जिसमें दि.31 मार्च, 2018 का तुलन पत्र, लाभ – हानी विवरण (अन्य सघन आय सहित), नकदी प्रवाह विवरण और तत्समय समाप्त वर्ष हेतु ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवम् महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश व अन्य विवेचनात्मक जानकारियां शामिल हैं (जिन्हें इससे आगे एकल वित्तीय विवरण कहा गया है) ।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का दायित्व

इन एकल वित्तीय विवरणों के निर्माण एवम् प्रस्तुतीकरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिये कंपनी का निदेशक मंडळ जिम्मेदार है, जो कंपनी(भारतीय लखांकन मानक) नियम,2015 व भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन के अन्य सिद्धांतों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन के भारतीय मानकों(इंड ए एस) के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति,अन्य सघन आय,नकदी प्रवाह व कंपनी की ईक्विटी में परिवर्तनों समेत वित्तीय कार्य निष्पादन का सही व स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं ।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ती की रक्षा हेतु व जालसाजियों व अन्य अनियमितताओं का पता लगाने व उन्हें रोकने हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखांकन के पर्याप्त अभिलेख रखना, यथोचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग करना, तर्कसम्मत व विवेकपूर्ण निर्णय लेना व पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का स्वरूप तैयार करना, उन्हें कार्यान्वित करना व रखरखाव करना भी शामिल है, जो लेखांकन के अभिलेखों की सटीकता व संपूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे व एकल वित्तीय विवरण बनाने व प्रस्तुत करने में प्रासंगिक थे, जो एक सही व स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं व किसी भी महत्वपूर्ण गलत बयानी से मुक्त हैं, चाहे वह जालसाजी के कारण हो या चूक के कारण ।

लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन एकल वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है । अपनी लेखा परीक्षा करने में हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन व लेखा परीक्षा के मानकों, अधिनियम व उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के प्रवधानों के अनुसार लेखा परीक्षा में शामिल किये जाने वाले विषयों तथा अधिनियम की धारा143(11) के अंतर्गत जारी आदेश का विचार किया है ।

हमने एकल वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन के मानकों के अनुसार आयोजित की है । उन मानकों की यह अपेक्षा है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और लेखा परीक्षा का आयोजन व निष्पादन यह तर्कसम्मत आश्वासन प्राप्त करने हेतु करें कि एकल वित्तीय विवरण किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं अथवा नहीं ।

लेखा परीक्षा में एकल वित्तीय विवरणों की रकमों एवम् प्रकटन के बारे में लेखा परीक्षा के साक्ष्य जुटाने हेतु कार्यविधियां करना शामिल होता है । चयनित कार्यविधियां लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं , जिनमें एकल वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिम का निर्धारण शामिल है, चाहे वह जालसाजी के कारण हो या चूक के कारण हो । ऐसे जोखिम निर्धारणों में, लेखा परीक्षक कंपनी के एकल वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को ध्यान में रखता है, जो उन परिस्थितियों में आवश्यक लेखा परीक्षा की कार्यविधियों के स्वरूप के निर्धारण में एक सही व स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करें । लेखा परीक्षा में उपयोग में लायी गई लेखांकन की नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन व कंपनी के निदेशकों द्वारा किये गये लेखांकन के प्राक्कलनों के औचित्य का निर्धारण तथा एकल वित्तीय विवरण के शमग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है ।

हमें विश्वास है कि एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर अपनी राय देने हेतु हमने जो लेखा परीक्षा के साक्ष्य जुटाए हैं वे पर्याप्त हैं और लेखा परीक्षा की हमारी राय बनाने हेतु एक उचित आधार प्रदान करते हैं ।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी व हमें प्रदत्त स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम में अपेक्षित जानकारी यथापेक्षित ढंग में प्रदान करते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन के सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के दि.31 मार्च,2018 के कार्यों का व उस दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु उसके लाभ, कुल व्यापक आय, ईक्विटी में परिवर्तनों और उसके नकदी प्रवाह का सही व स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं ।

अन्य विधिक व विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1) कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 143(5) की अपेक्षानुसार लेखा परीक्षा उस पर की गई कार्रवाई व कंपनी के खातों एवम् एकल वित्तीय विवरण पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में सुझायी गयी प्रथा के अनुपालन के बाद हम **अनुबंध "क"** में भारत के नियंत्रक एवम् महा लेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं ।

2) अदिनियम की धारा 143(11) के अनुसारभारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश,2016 (आदेश) में की गई अपेक्षानुसारहम **अनुबंध "ख"** में आदेश के परि.3 व 4 में निर्धारित मामलों पर प्रयोज्य सीमा तक लागू एक विवरण दे रहे हैं ।

3) अधिनियम की धारा 243(3) की अपेक्षा के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि –

   (क) हमने अपनी हमने वह सभी जानकारियां व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं, जो सर्वोत्तम जानकारी एवम् विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे ।

   (ख) हमारी राय में कंपनी द्वारा लेखों की यथोचित बहियां रखी गई हैं जिन्हें विधि द्वारा रखना अपेक्षित है, जैसा कि हमारे द्वारा उन बहियों की गई जाँच से प्रतीत होता है ।

   (ग) तुलन पत्र, लाभ हानी विवरण (अन्य व्यापक आय सहित),नकदी प्रवाह विवरण और ईक्विटी में परिवर्तनों का विवरण, जिनकी चर्चा इस रिपोर्ट में की गई है, खाता बहियों के साथ मेल खाती हैं ।

(घ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दि. 5 जून, 2015 के अधिसूचना क्र.जीएसआर463(ई) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) कंपनी पर लागू नहीं है ।

(ङ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में **अनुबंध "ग"** में दी गई हमारी अलग रिपोर्ट देखें और

(च) कंपनी (लेखा परीक्षा व लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसारलेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में व हमारी सर्वोत्तम जानकारी व हमें दिये गये स्पष्टिकरणों के अनुसार–

1) कंपनी ने अपने एकल वित्तीय विवरण में(देखें टिप्पणी 14.4.7) अपनी वित्तीय स्थिति पर पेंडिंग मुकदमे के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है ।

2) कोई दीर्घकाविक संविदाएं(व्युत्पन्न संविदाओं सहित) नहीं हैं जिनके लिये महत्वपूर्ण परिहार्य हानियों हेतु प्रावधान आवश्यक हो ।

3) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षण व संरक्षण निधि को अँतरित की जाने वाली रकम को अंतरित करने में कोई विलंब नहीं हुआ ।

कृते मे.जे.एस.उबेरॉय एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण क्र.–111107डब्ल्यू

सीए अमरजीत सिंह संधू
भागीदार
सदस्यता क्र.108665

हस्ताक्षर का स्थानः नई दिल्ली
रिपोर्ट का दिनांक– 24 मई, 2018

वित्तीय वर्ष 2017 – 18 हेतु मॉयल कंपनी की स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध क

(भारत के नियंत्रक एवम् महा लेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत जारी निर्देशों के विवरण पर हमारी रिपोर्ट की विधिक व विनियामक आवश्यकताओं की रिपोर्ट के परि.1 में दिये गये संदर्भ के अनुसार)

क्रम सं.	निर्देश	उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास पूर्ण स्वामित्व वाली व पट्टेवाली भूमि हेतु क्रमशः स्पष्ट हक / पट्टा विलेख हैं । यदि नही, तो कृपया पूर्ण स्वामीत्व और पट्टेवाली भूमी का श्रेत्र बताए जिसके लिए शिर्षक/पट्टा उपलब्ध नही है।	हां, कंपनी के पास पूर्ण स्वामित्व वाली व पट्टेवाली भूमि हेतु क्रमशः स्पष्ट हक / पट्टा विलेख हैं ।
2.	क्या ऋणों / ब्याज आदि से छूट देने / बट्टे खाते डालने के कोई मामले हुए हैं । यदि हां, तो उसके कारण व उसमें शामिल रकम बताएं	जैसा कि सूचित किया गया है व हमारी लेखा परीक्षा के दौरान पता चला है, ऋणों / ब्याज आदि से छूट देने / बट्टे खाते डालने के कोई मामले नहीं हुए हैं । हालांकि, ग्राहकों को व्यावसायिक शर्तों पर उधार पर्चियां जारी की गई हैं ।
3.	1) क्या अन्य पक्षों के पास पड़े माल हेतु व सरकार तथा अन्य प्राधिकरणों से प्राप्त उपहारों का उचित अभिलेख रखा गया है ।	(क) हां। (ख) सरकार अन्य प्राधिकरणों से कोई उपहार प्राप्त नहीं हुए ।

कृते मे.जे.एस.उबेरॉय एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण क्र.–111107डब्ल्यू

सीए अमरजीत सिंह संधू
भागीदार
सदस्यता क्र.108665

हस्ताक्षर का स्थानः नई दिल्ली
रिपोर्ट का दिनांक– 24 मई, 2018

मॉयल लिमीटेड के स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध "ख" वर्ष 2017 – 2018 लीए

(भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(11) के अनुसार जारी कंपनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2016 की विधिक व विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट के परि.2 में दिये गये संदर्भ के अनुसार)

हमारे द्वारा चाही गई व कंपनी द्वारा प्रदत्त जानकारियों व स्पष्टीकरणों के अनुसार व सामान्य लेखा परीक्षा के दौरान हमारे द्वारा जाँची गई बहियों व अभिलेखों के अनुसार व हमारी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के अनुसार हम यह उल्लेख करते हैं कि–

(1) कंपनी की स्थायी संपत्तीयों के संबंध में–

(क) कंपनी पूर्ण मात्रात्मक विवरण देते हुए व स्थायी संपत्तीयो की स्थिति दर्शाते हुए उचित अभिलेख रखती है ।

(ख) जैसा कि हमें बताया गया है, प्रबंधन ने भौतिक रूप से स्थायी संपत्तीयों की जाँच की है और ऐसी जाँच करने पर कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पायी गई है । हमारी राय में कंपनी के आकार और संपत्तीयो के स्वरूप को देखते हुए वर्श के अंत में की गई स्थायी संपत्तीयो की जाँच उचित है ।

(ग) हमें प्रदत्त जानकारी व स्पष्टीकरणों के अनुसार व कंपनी के अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई जाँच के आधार पर अचल संपत्ति के हक विलेख कंपनी के नाम पर हैं ।

(2) कंपनी अपने माल की नियमित रूप से भौतिक जाँच करती है, वर्ष के दौरान इस प्रकार की जाँच की गई थी व ऐसी जाँच करने पर कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पायी गई ।

(3) हमें प्रदत्त जानकारियों व स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी नेकंपनियों, सीमित देयता वाली भागीदारी फर्मों या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में शामिल अन्य पक्षों को कोई जमानती या गैर – जमानती ऋण नहीं दिया है ।

(4) हमारी राय में व हमें प्रदत्त जानकारियों एवम् स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने ऋणों, निवेशों, गारंटियों व प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 185 व 186 के प्रावधानों का पालन किया है ।

(5) हमें प्रदत्त जानकारियों एवम् स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 या उसके अंतर्गत बनाये गये किसी भी नियम के अंतर्गत कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है ।

(6) केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उप धारा (1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों का रखरखाव निर्धारित किया है और प्रथम दृष्ट्या निर्धारित लागत अभिलेख रखे गये हैं । किंतु हमने लागत अभिलेखों की इस दृष्टि से विस्तृत जाँच नहीं की है कि यह पता लगाया जा सके कि वे सही व पूर्ण हैं या नहीं ।

(7) (क) हमें प्रदत्त जानकारियों एवम् स्पष्टीकरणों के अनुसार व हमारे द्वारा की गई बहियों की जाँच के आधार पर, कंपनी आम तौर पर यथोचित प्राधिकारियों को अविवादित सांविधिक देय रकमों जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर,सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर तथा वर्ष के दौरान उस पर लागू अन्य सांविधिक देय रकमों को नियमित रूप से जमा करती रही है ।

हमें प्रदत्त जानकारियों एवम् स्पष्टीकरणों के अनुसार भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर,सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर व अन्यसांविधिक रूप से देय रकमें दि.31 मार्च, 2018 को देय दिनांक से 6 माह से अधिक अवधि हेतु बकाया नहीं थी ।

(ख) निर्धारण देय से संबंधित विभिन्न विवादों के कारण कंपनी द्वारा जमा न की गई आय कर, प्रवेश करव मूल्य वर्धित कर तथा उत्पाद शुल्क की देय रकमों का विवरण निम्नानुसार है–

कानून का नाम	मांगी गई रकम(रु. लाख में)	आपत्ति सहित अदा की गई रकम (रु. लाख में)	अवधि जिससे रकम संबंधित है	वह फोरम जहां विवाद लंबित है।
आयकर अदिनियम, 1961	384.82 451.79 60.01 584.96 45.01	384.82 451.79 60.01 584.96 45.01	2006-07 2008-09 2009-10 2009-10 2010-11	उच्च न्यायालय
	116.99 310.23 45.61 82.62 169.53	116.99 310.23 45.61 82.62 169.53	2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16	आयकर आयुक्त (अपील)
आयकर आयुक्त (अपील), 1975	13.68 6.28	6.70 6.28	2008-09 2012-13	म.प्र.वाणिज्यिक कर,अपीलीय बोर्ड, भोपाल
	2.86	0.72	2013-14	म.प्र.वाणिज्यिक कर,अपील, जबलपुर
महा.रा..वैट अदि, 2002	13.68 0.40 2.01	0.00 0.00 0.00	2009-10 2010-11 2011-12	बिक्री कर अपीलीय, महा.रा.
म.प्र.वैट अधि, 2002	2.28 3.68 9.15	0.65 1.47 6.66	2010-11 2011-12 2012-13	म.प्र.वाणिज्यिक कर,अपीलीय बोर्ड, भोपाल
महा.रा.सीएसटी अधि,1956	3.24 0.71	1.08 0.47	2010-11 2011-12	बिक्री कर अपीलीय(महा.रा.)
महा.रा.सीएसटी अधि,1956	6.10	1.53	2013-14	म.प्र.वाणिज्यिक कर,अपील, जबलपुर
म,प्र.प्रवेश कर अधिनियम,1975	21.75 10.72	2.18 1.07	2014-15 2015-16	म.प्र.वाणिज्यिक कर,अपील, जबलपुर

(8) कंपनी का किसी भी वित्तीय संस्था,बैंक, सरकार या डिबेंचर धारक से ऋण या उधार नहीं है । तदनुसार, आदेश का परि.3(9) लागू नहीं है ।

(9) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आइपीओ) या आगे के सार्वजनिक प्रस्तावों (ऋण लिखतों सहित) के रूप में कोई रकम नहीं जुटाई है । तदनुसार, आदेश का परि.3(9) लागू नहीं है।

(10) हमें प्रदत्त जानकारियों एवम् स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी के किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा कंपनी पर कोई जालसाजी नतो पायी गई और न ही रिपोर्ट की गई ।

(11) हमें प्रदत्त जानकारियों एवम् स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी को अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधानों से छूट प्राप्त है ।

(12) हमारी राय में व हमें प्रदत्त जानकारियों एवम् स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी निधि कंपनी नहीं है । तदनुसार, आदेश का परि.3(12) लागू नहीं है।

(13) हमें प्रदत्त जानकारियों एवम् स्पष्टीकरणों के अनुसार व हमारे द्वारा की गई कंपनी के अभिलेखों की जाँच के आधार पर संबंधित पक्षों से किये गये व्यवहार अधिनियम की धारा 177 व 188 के अनुसरण में हैं जहां प्रयोज्य लेखांकन के मानकों के अनुसार एकल वित्तीय विवरण में, जहां भी लागू हो, ऐसे व्यवहारों के विवरण प्रकट किये गये हैं ।

(14) हमें प्रदत्त जानकारियों एवम् स्पष्टीकरणों के अनुसार व हमारे द्वारा की गई कंपनी के अभिलेखों की जाँच के आधार पर कंपनी ने कोई अधिमानी आबंटन नहीं किये हैं या वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्णतः या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों का निजी तौर पर आबंटन नहीं किया है ।

(15) हमें प्रदत्त जानकारियों एवम् स्पष्टीकरणों के अनुसार व हमारे द्वारा की गई कंपनी के अभिलेखों की जाँच के आधार पर कंपनी ने निदेशकों या निदेशकों से संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर – नकदी व्यवहार नहीं किया है अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते ।

(16) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934के अंतर्गत पंजीकृत करना आवश्यक नहीं है ।

कृते मे.जे.एस.उबेरॉय एंड कं.
सनदी लेखाकार

फर्म का पंजीकरण क्र.–111107 डब्ल्यू
सीए अमरजीत सिंह संधू
भागीदार

सदस्यता क्र.108665
हस्ताक्षर का स्थानः नई दिल्ली
रिपोर्ट का दिनांक– 24 मई, 2018

वित्तीय वर्ष 2017 – 18 हेतु मॉयल कंपनी की स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट का "अनुबंध ग"

(हमारी रिपोर्ट की विधिक व विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट के परि.3(एफ) में दिये गये संदर्भ और अधिनियम की धारा 143(3)(1) के अनुसार के अनुसार)

कंपनी अधिनियम(अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा3 के खंड(1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने दि.31 मार्च, 2018 को **मॉयल लिमिटेड** (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा उसी दिनांक को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के साथ मिला कर की है ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों हेतु प्रबंधन के दायित्व

कंपनी का प्रबंधन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आइसीएआइ) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मर्गदर्शन टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने व स्थापित करने हेतु जिम्मेदार है । इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का स्वरूप निर्धारण, कार्यान्वयन व रखरखाव शामिल है, जो उसके व्यवसाय के प्रभावी एवम् सुचारू संचालन हेतु कार्यरत थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, व उसकी आस्तियों की रक्षा व कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत की गई अपेक्षानुसार विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना शामिल है ।

लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करने की है । हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आइसीएआइ) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मर्गदर्शन टिप्पणी एवम् आइसीएआइ द्वारा जारी लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा आयोजित की, जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रयोज्य सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा143(10) के अंतर्गत निर्धारित मानी जाती है, जो दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू हैं और दोनों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आइसीएआइ) द्वारा जारी हैं ।उन मानकों एवम् मार्गदर्शन टिप्पणी की यह मांग है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और लेखा परीक्षा का आयोजन व निष्पादन यह तर्कसम्मत आश्वासन प्राप्त करने हेतु करें कि क्या वितितीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किये गये थे और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे ।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता व उनकी परिचालनगत प्रभाविकता के बारे में साक्ष्य जुटाने हेतु की जाने वाली कार्यविधि शामिल होती है । वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना,कोई महत्वपूर्ण जोखिम होने की संभावना का पता लगाना और इस प्रकार निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों की प्रभाविकता का परीक्षण करना शामिल था । चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती हैं , जिसमें एकल वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत बयानी का जोखिम शामिल होता है, चाहे वह जालसाजी के कारण हो या चूक के कारण हो ।

हमें विश्वास है कि जो लेखा परीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त की है वह पर्याप्त है और कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर लेखा परीक्षा की राय बनाने हेतु एक उचितआधार तौयार करता है ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में एक तर्कसम्मत आश्वासन प्रदान करने और लेखांकन के आम तौर पर स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनार्थ वित्तीय विवरणों को बनाने हेतु बनाया गया है । कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों एवम् कार्यविधियों का समावेश होता है जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हों, जो पर्याप्त विस्तार में कंपनी की आस्तियों के सही व स्पष्ट व्यवहारों एवम् निपटान का चित्र प्रस्तुत करें (2) इस आशय का एक तर्कसम्मत आश्वासन दे सकें कि यथावश्यक ल्यवहारों को इस प्रकार रेकॉर्ड किया गया है जो आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन के सिद्धांतों को बनाने हेतु आवश्यक हों और कंपनी की प्राप्तियों तथा व्यय का व्यवहार कंपनी के प्रबंधन एवम् निदेशकों के प्राधिकार से ही किये जाते हों व (3) कंपनी की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहणों,उपयोग या निपटान के संबंध में एक तर्कसम्मत आश्वासन प्रदान करं, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों की प्रबंधन द्वारा अवहेलना शामिल हो, के कारण चूक या जालसाजी की वजह से महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है जिसका पता लगाना भी संभव न हो । भविष्य की अवधियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन का कोई भी पूर्वानुमान इस जोखिम के अधीन हो सकता है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो जाएं या नीतियों या कार्यविधियों में गिरावट आ जाए ।

राय

हमारी राय में कंपनी में सभी महत्वपूर्ण संबंधों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आइसीएआइ) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मर्गदर्शन टिप्पणी के आधार पर दि.31 मार्च, 2018 को प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे ।

कृते मे.जे.एस.उबेरॉय एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण क्र.–111107डब्ल्यू

सीए अमरजीत सिंह संधू
भागीदार
सदस्यता क्र.108665

हस्ताक्षर का स्थानः नई दिल्ली
रिपोर्ट का दिनांक– 24 मई, 2018

दि.31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु मॉयल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक द्वारा जारी टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित ढाँचे के अनुसार दि.31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरण बनाने का दायित्व कंपनी का है । अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक का यह दायित्व है कि अधिनियम की धारा 143(10) में निर्धारित लेखा परीक्षण के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत राय व्यक्त करें । ऐसा उनके द्वारा दि.24 मई, 2018 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किये गये उल्लेख के अनुसार किया गया है ।

मैंने भारत के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक की ओर से मॉयल लिमिटेड के दि.31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों का धारा 143(6) (a) के अंतर्गत पूरक लेखा परीक्षा की है । यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात देखे बगैर स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों व कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखांकन अभिलेखों की चुनिंदा जाँच तक सीमित है । मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण बात मेरी जानकारी में नहीं आयी जिससे सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने या जोड़ने की आवश्यकता हो ।

कृते

भारत के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक

स्थान:नई दिल्ली
दिनांक:25 जुलाई,2018

(विक्रम डी मुरुगराज)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक एवम्
लेखा परीक्षा बोर्ड–3
के पदेन सदस्य
नई दिल्ली

दि.31 मार्च, 2018 को एकल तुलन पत्र

(₹ in lakhs)

	विवरण	टिप्पणी क्र.	दि.31मार्च,2018 को चालू वित्तीय वर्ष के अंत के आंकड़े	दि.31मार्च,2017 को पिछले वित्तीय वर्ष के अंत के आंकड़े
	आस्तियां			
1	गैर– चालू आस्तियां			
	(क) संपत्ति, संयंत्र व उपकरण	2.1	33354.90	30532.28
	(ख) चालू पूंजीगत कार्य	2.2	23377.45	11616.14
	(ग) अन्य अगोचर आस्तियां	2.3	1422.38	2087.28
	(घ) विकासाधीन अगोचर आस्तिया	2.4	471.60	0.00
	(ङ) वित्तीय आस्तियां			
	(1) निवेश	3.1	21.29	21.29
	(2) ऋण	4.1	114.65	123.03
	(च) अन्य गैर - चालू आस्तिया	4.2	4795.51	6469.71
2	चालू आस्तियां			
	(क) मालसूची	5.1	9728.37	12217.44
	(ख) वित्तीय आस्तिया			
	(1) निवेश	5.2	2329.87	0.00
	(2) व्यापार की प्राप्य रकमें	5.3	19001.67	24125.09
	(3) नकदी व नकदी समकक्ष	5.4	2417.57	10621.86
	(4) उक्त(3) के अलावा बैंक में शेष	5.5	211495.11	198490.90
	(5) ऋण	6.1	500.82	482.41
	(ग) चालू कर आस्तियां(निवल)	6.2	3243.34	0.00
	(घ) अन्य चालू आस्तियां	6.3	11778.75	12430.70
	कुल आस्तियां		324053.28	**309218.13**
	ईक्विटी आणि देयता			
	ईक्विटी			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	7.1	25760.89	13318.78
	(ख) अन्य इक्विटी	7.2	254158.87	267216.28
	देयताएं			
1	गैर चालु देयताएं			
	(क) प्रावधान	8.1	1029.09	934.57
	(ख) अस्थगित कर देयताएं (निवल)	14.4.2	229.56	603.07
	(ग) अन्य गैर–चालु देयता	8.2	644.68	378.54
2	चालु देयता			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(1) व्यापार के देय	9.1	5157.69	4170.17
	(2) अन्य वित्तीय देयताएं	9.2	10061.37	5723.31
	(ख) अन्य चालु देयताएं	10.1	17271.45	10901.89
	(ग) प्रावधान	10.2	9739.68	4089.62
	(घ) चालु कर देयताएं (निवल)	10.3	0.00	1881.90
	कुल इक्विटी व देयता		324053.28	**309218.13**
महत्त्वपूर्ण लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियां व लेखों पर टिप्पणियां		1 । 14.4		

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते मे.जे.एस.उबेरॉय एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. 111107 डब्ल्यू

सी ए अमरजीत सिंह संधू
भागीदार
सदस्यता क्र. 108665
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक:24 मई, 2018

कृते निदेशक बोर्ड

मुकुंद पी. चौधरी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डी आय एन: 05339308

राकेश तुमान
निदेशक(वित्त)
डीआइएन: 06639859

नीरज पांण्डेय
कंपनी सचिव

दि.31 मार्च, 2018 को लाभ एवं हानी लेखा विवरण

	विवरण	टिप्पणी क्र.	दि.31मार्च,2018 को चालू वित्तीय वर्ष के अंत के आंकड़े	दि.31मार्च,2017 को पिछले वित्तीय वर्ष के अंत के आंकड़
1.	परिचालनों से आय	11.1	132346.08	98984.49
2.	अन्य आय	11.2	17772.15	22112.74
3.	**कुल आय(1+2)**		150118.23	**121097.23**
4.	**व्यय**			
(क)	उपभोग की गई सामग्री का लागत	12.1	2985.32	2646.68
(ख)	तैयार माल, विक्रेय माल व चालू कार्य की सूची में परिवर्तन	13.1	1944.15	4841.62
(ग)	कर्मचारी लाभ व्यय	14.1	40619.16	30766.21
(घ)	संविदात्मक व्यय (परिवहन, रेलिंग व ठेकेदारों के जरिये अन्य कार्य)		6780.49	6987.94
(ङ)	भंडार व पुर्जों पर व्यय		6134.58	5298.49
(च)	ऊर्जा व इंधन		4478.77	4051.34
(छ)	बिक्री व्यय	14.2	9759.30	8497.31
(ज)	मूल्यह्रास व ऋण परिशोधन व्यय	2.1 व 2.3	6244.96	5471.17
(झ)	अन्य व्यय	14.3	7975.18	7835.47
			86921.91	76396.23
	घटाए:अंतर युनिट अंतरण		1596.08	1488.96
5.	**कुल खर्च**		85325.83	**74907.27**
	लाभ / हानी अपवादात्मक मदों व कर से पूर्व(3-4)		64792.40	46189.96
6.	अपवादात्मक मदें		0.00	0.00
7.	**कर - पूर्व लाभ / हानी**		64792.40	**46189.96**
8.	**कर व्यय:**			
(क)	चालू कर		22966.55	16051.01
(ख)	लाभांश कर	14.4.2	-373.51	-444.24
			22593.04	**15606.77**
9.	सतत परिचालनों से लाभ / हानी(7-8)		42199.36	**30583.19**
10.	अन्य व्यापक आय:			
(1)	मदें जिन्हें लाभ या हानी में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-3601.27	-655.61
(2)	आयकर से संबंधित मदें जिन्हें लाभ या हानी में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		1256.79	0.00
11.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय(9-10)		-2344.48	**-655.61**
12.	रु.10 के प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन	14.4.18	39854.88	**29927.58**
	(1) मूल(रु.)		21.08	20.21
	(2) तनूकृत(रु.)		21.08	20.21
लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियां व लेखों पर टिप्पणियां		1 व 14.4		

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते मे.जे.एस.उबेरॉय एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. 111107 डब्ल्यू

सी ए अमरजीत सिंह संधू
भागीदार
सदस्यता क्र. 108665
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक:24 मई, 2018

कृते निदेशक बोर्ड

मुकुंद पी. चौधरी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डी आय एन: 05339308

राकेश तुमान
निदेशक(वित्त)
डीआइएन: 06639859

नीरज पांण्डेय
कंपनी सचिव

दि.31 मार्च,2018 को समाप्त वर्ष हेतु ईक्विटी में परिवर्तनों का एकल विवरण

अ ईक्विटी शेयर पूंजी

(रु.लाख में)

रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परीवर्तन			रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष
	बोनस शेयरों का निर्गम	शेयरों की पुनर्खरीद	निवल	
13318.78	13318.78	876.67	12442.11	25760.89

ब अन्य इक्विटी

	शेयर आवेदन रकम बनाया आंबटन	चक्रवर्धित वित्तीय लिखत का ईक्विटी घटक	प्रारक्षित व अधिशेष				अन्य व्यापक आय के जरियेऋण लिखत	अन्य व्यापक आय के जरिये ईक्विटी लिखत	नकदी प्रवाह बचाव का प्रभावी अंश	पुनर्मूल्यांकन अधिशेष	एक विदेशी परिचालन के अंतरण पर विनिमय अंतर	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें(स्वरूप बताएं)	शेयर वारंटों पर प्राप्त धन	कुल
			पूंजी मोचन प्रारक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम प्रारक्षित	अन्य प्रारक्षित सामान्य प्रारक्षित	प्रतिधारित अर्जन								
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष	–	–	3481.22	–	253664.36	10070.70	–	–	–	–	–	–	–	267216.28
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की चूकें	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.00
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुरउल्लिखित शेष	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.00
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय	–	–	–	–	–	39854.88	–	–	–	–	–	–	–	39854.88
सामान्य प्रारक्षित निधि को अंतरित	–	–	–	–	–	-22000.00	–	–	–	–	–	–	–	-22000.00
लाभांश व लाभांश कर	–	–	–	–	–	-19236.20	–	–	–	–	–	–	–	-19236.20
प्रतिधारित अर्जन से अंतरण	–	–	–	–	22000.00	–	–	–	–	–	–	–	–	22000.00
कोई अन्य परिवर्तन-बोनस शेयरों का निर्गम	–	–	-3481.22	–	-9837.56	–	–	–	–	–	–	–	–	-13318.78
शेयरों की पुनर्खरीद व उस पर व्यय	–	–	876.67	–	-21233.98		–	–	–	–	–	–	–	-20357.31
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष	–	–	876.67	–	244592.82	8689.38	–	–	–	–	–	–	–	254158.87
कुल ईक्विटी(क+ख)	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	279919.76

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते मे.जे.एस.उबेरॉय एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. 111107 डब्ल्यू

सी ए अमरजीत सिंह संधू
भागीदार
सदस्यता क्र. 108665
स्थानः नई दिल्ली
दिनांक:24 मई, 2018

कृते निदेशक मंडल

मुकुंद पी. चौधरी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डी आय एनः 05339308

राकेश तुमाने
निदेशक(वित्त)
डीआइएनः 06639859

नीरज पांण्डेय
कंपनी सचिव

दि. 31 मार्च,2018 को समाप्त वर्ष हेतु एकल नकदी प्रवाह विवरण

रु.लाख में

विवरण	31 मार्च,2018 को चालू रिपोर्टिंग वर्ष के अंत के आंकड़े		31 मार्च,2017 को पिछले रिपोर्टिंग वर्ष के अंत के आंकड़े	
A परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ व लाभांश		64792.40		46189.96
निम्नलिखित हेतु समायोजन-				
(1) मीयादी जमा पर ब्याज	-15242.57		-17293.73	
(2) मूल्यह्रासव ऋण परिशोधन	6244.96		5471.17	
(3) संयंत्र,संपत्ति व उपकरण से कटौतियां	67.87		47.48	
		-8929.74		-11775.08
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालनगत लाभ		55862.66		34414.88
निम्न हेकु समायोजन-				
(1) वस्तुसूची	2489.07		4081.47	
(2) विवीध देनदार में	5123.42		-9920.45	
(3) चालू संपत्ती	-2591.39		-1409.40	
(4) अन्य गैर-चालू संपत्ती	1674.20		1991.44	
(5) ऋण व अग्रिम	-10.03		-69.77	
(6) अन्य व्यापक आय	-2344.48		-655.61	
(7) शेयरों की बायबॅक पर व्यय	-193.85		-380.18	
(8) देयता व प्रावधान	15823.96		-217.70	
		19970.90		-6580.20
परिचालनों से निर्मित नकदी		75833.56		27834.68
अदा किया गया आयकर(निवल)		-22966.55		-16051.01
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी		52867.01		11783.67
ख निवेश की गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
(1) मीयादी जमा पर ब्याज	15242.57		17293.73	
(2) संयंत्र,संपत्ति व उपकरणों तथा अगोचर आस्तियों की खरीद	-20703.46		-10625.23	
(3) शेयरों की पुनर्खरीद	-21040.13		-86334.25	
(4) तीन माह से अधिक की मीयादी जमा में निवेश	-10899.00		20899.00	
(5) तरल म्यूचुअल फंडों में मौजूदा निवेश	-2329.87		0.00	
निवेश की गतिविधियों में लगायी गयी निवल नकदी		-39729.89		-58766.75
ग वित्तपोषण की गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
(1) लाभांश(लाभांश वितरण कर सहित)	-19236.20		-8015.09	
(2) वारंटों के पेंडिंग रहते लाभांश खाते	-38.67		-34.94	
(3) साख पत्रों व बैंक गारंटियों के प्रति मीयादी जमा में निवेश	-2066.54		-3.91	
वित्तपोषण की गतिविधियों में लगायी गयी निवल नकदी		-21341.41		-8053.94
D नकदी व नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि /(-)कमी		-8204.29		-55037.02
E प्रारंभिक नकदी व नकदी समकक्ष		10621.86		65658.88
संवरण शेष व नकदी समकक्ष		2417.57		10621.86
नकदी व नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि / (-) कमी		-8204.29		-55037.02

नकदी प्रवाह विवरण आइएनडी एएस 7 में दिये गये अनुसार अप्रत्यक्ष पद्धती से बनाया गया है।

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते मे.जे.एस.उबेरॉय एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण क्र: 111107डब्ल्यू

सी ए अमरजीत सिंह संधू
भागीदार
सदस्यता क्र.108665

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक:24 मई, 2018

कृते निदेशक बोर्ड
मुकुंद पी.चौधरी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआइएन:05339308

राकेश तुमाने
निदेशक(वित्त)
डीआइएन: 06639859

नीरज पांडेय
कंपनी सचिव

टिप्पणी क्र.1

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और दि.31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

कारपोरेट व सामान्य जानकारी

मॉयललिमिटेड , जिसे कंपनी कहा गया है, का अधिवास व निगमन भारत का है । यह कंपनी अनुसूची झकफ की एक मिनिरत्न श्रेणी का केंद्र सरकार का उपक्रम है ।यह कंपनी देश के सबसे बड़े मैंगनीज अयस्क के उत्पादकों में से एक है ।कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 1ए, काटोल रोड, नागपुर – 440013, महाराष्ट्र में स्थित है ।कंपनी की प्रतिभूतियां स्क्रिपकोड मॉयल एवम् 533286 के अंतर्गत क्रमशः राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज व बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं ।

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1.1 वित्तीय विवरण बनाने का आधार

(क) अनुपालन का विवरण

इन वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखांकन मानकों (आइएनडी एएस) के अनुसार परंपरागत लागत करार के अंतर्गत उपचित आधार पर बनाया गया है(सिवाय कुछ विवरणों के जिनका मापन उचित मूल्यों पर, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लागू सीमा तक एवम् भारतीय प्रतिभूति एवम् विनिमय बोर्ड के दिशानिर्देशानुसार किया जाता है) । इंड एएस का निर्धारण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक नियम, 2015 के नियम 3 व (भारतीय लेखांकन मानक नियम, 2016 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत किया गया है ।

(ख) परिमाप का आधार

निम्नलिखित आस्तियों एवम् देयताओँ को छोड़ कर, जिनका परिमापन उचित मूल्य आधार पर किया जाता है, वित्तीय विवरण परंपरागत लागत आधार पर बनाए जाते हैं –

- कतिपय वित्तीय आस्तियां व देयताएं जिन्हें लाभ और हानी के जरिये उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है या अन्य व्यापक आय के जरिये उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।
- बिक्री हेतु धारित आस्तियां, आवर्ती रकमों और उचित मूल्य रहित लागतमें से कम पर ।
- पारिभाषित लाभ योजना और योजना आस्तियां

(ग) कार्यात्मक व प्रस्तुतीकरण मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों में प्रस्तु किये गये हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है । जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो , रुपये में प्रस्तुत सभी जानकारी दो निकटतम दशमलवों तक पूर्णांकित कर दी गई है ।

(घ) अनुमानों, मान्यताओं एवम् प्रबंधकीय निर्णयों का उपयोग

कंपनी की लेखांकन नीतियों के अनुरूप वित्तीय विवरण बमामे हेतु प्रबंधन को कुछ अनुमाव मान्यताएं करनी होती हैं जो आस्तियों व देयताओं के रिपोर्ट की गयी रकमों तथा वित्तीय विवरण के दिनांक को आकस्मिक देयताओं के प्रकटन को प्रभावित करता है। उन अनुमानो से वास्तविकता भिन्न हो सकती है और अंतर को उस अवधि हेतु मान्य किया जाता है जिस अवधि में उलका निर्धारण किया गया था।

1.2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में लागू महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार नीचे दिया जा रहा है । इन लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों नें प्रस्तुत सभी अवधियों पर सतत रूप से लागू किया गया है

1.2.1 संपत्ती हेतु लेखांकन

(क) संपत्ति, संयंत्र व उपकरण

मान्यता व परिमापन

खरीदी गई संपत्ति, संयंत्रों व उपकरणों की नकदी मूल्य समकक्ष पर प्रारंभिक लागत, जिसमें आयात शुल्क व गैर – प्रत्यर्पणीयखरीद कर, आस्तियों को कामकाजी स्थिति में व कार्स्थल पर लाने हेतु लगने वाली लागतें शामिल हैं ।

संपत्ति, संयंत्रों एवम् उपकरणों का रखरखाव लागत रहित संचित मूल्यह्रास व क्षति, यदि कोई हो, पर किया जाता है ।

(ख) अवास्तवीक संपत्ती का मुल्यांकनं

मान्यता व परिमापन

अवास्तवीक आस्तियों को लागत में से संचित परिशोधित ऋण व हानी, यदि कोई हो, को घटाने के बाद दिखाया गया है ।अगोचर आस्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं–

(क) पट्टा विलेख में विनिर्धारित अवधियों हेतु प्राप्त पट्टाधिकारों की लागत।

(ख) एसएपी लाइसेंसों की खरीद की लागत, जिसका उपयोगी समय 5 वर्षों का हो ।

(ग) एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर की लागत, जिसका उपयोगी समय 3 वर्षों का हो व जिसे तदनुसार परिशोधित किया गया हो ।

(ग) मूल्यह्रास व परिशोधन

विंड टर्बाइन जनरेटरों के संबंध में मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति से निकाला जाता है व अन्य सभी आस्तियों पर ह्रासित मूल्य पद्धति से निकाला जाता है जैसा कि समय- समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-2 में प्रावधान है । महीने के दौरान किसी भी दिन पहली बार उपयोग में लाने पर किसी भी आस्ति पर उस पूरे महीने का मूल्यह्रास निकाला जाता है ।

अंतरित वन भूमि के निवल वर्तमान मूल्य सहित पट्टाधिकार भूमि के मूल्य को पट्टे की संपूर्ण अवधि में परिशोधित किया जाता है ।

खनन अधिकारों को अगोचर संपत्ति माना जाता है और उनकी सभी संबंधित लागतों को उनकी संबंधित अनुमानित उपयोगी अवधियों में परिशोधित किया जाता है ।

(घ) आस्तियों पर होने वाली हानियों को बट्टे खाते डालना

सभी निकाली जा चुकी व विखंडित आस्तियों को यह मानते हुए बट्टे खाते में डाला जाता है कि उनका रद्दी मूल्य शून्य है। जब कभी ऐसी विखंडित आस्तियों का अंशतः या पूर्णतः निपटान किया जाता है तो बिक्री के कारण वर्ष के दौरान प्राप्त रकम को उस वर्ष के लाभ व हानी विवरण में ले जाया जाता है ।

(ङ) निर्माण की अवधि के दौरान व्यय

विशिष्ट परियोजनाओं पर निर्माण की अवधि के दौरान होने वाले ऐसे व्ययों को, जिन्हें ऐसी परियोजनाओं से संबंधित अभिनिर्धारित किया जा सके, पूर्णता के दिनांव व उसके प्रारंभ होने तक उक्त परियोजना के खर्चों में नामे डाला जा सकता है ।

(च) निर्माण अवधि के दौरान ब्याज

निर्माण की अवधि के दौरान व उसके पूर्ण होने तक ऋणों पर ब्याज (ऋणों की अन्य वित्तीय लागतों सहित) को पूंजीगत किया जाता है ।

(छ) आस्तियों की हानी

कंपनी हर तुलन पत्र के दिनांक को इस बात का जायजा लेती है कि क्या आस्ति के क्षतिग्रस्त होने कुछ संकेत हैं । यदि ऐसे कोई संकेत हुए तो कंपनी आस्तियों के वसूली योग्य रकम का निर्धारण करती है । यदि इस प्रकार वसूली जाने योग्य रकम उसकी रखाव लागत से कम हो तो रखाव लागत को उसकी वसूली योग्य रकम तक घटा दिया जाता है । इस कमी को अनर्जक हानी माना जाता है और उसे लाभ - हानी खाते में दर्शाया जाता है । यदि ऐसे संकेत हों कि पहले निर्धारित अनर्जक हानी अब मौजूद नहीं हो तो वसूली योग्य रकम का फिर से निर्धारण किया जाता है और आस्ति को वसूली योग्य रकम पर दर्शाया जाता है ।

1.2.2 निवेश

शेयरों में दीर्घकालिक निवेशों को लागत पर दर्शाया जाता है । यदि कोई मूल्यह्रास हो तो, अस्थायी स्वरूप का न होने पर उसका प्रावधान किया जाता है।

किसी भी निवेश को सूचीबद्ध नहीं किया गया है और इसलिये संयुक्त उद्यमों में निवेश (जाहां हानी के लिये पर्याप्त प्रावधान किया गया है) को छोड़ कर अन्य किसी भी निवेश में मूल्यह्रास नहीं है ।

1.2.3 मालसूची

मालसूची का मूल्यांकन निम्नलिखित आधार पर किया जाता है:

(क) तैयार माल

(1) सभी श्रेणियों के मैंगनीज अयस्क (अपरिष्कृत, कोयला धूल व एचआइएनएस अपशिष्ट को छोड़ कर) - खदानों में मूल्य पर जिसमें खदान आस्तियों पर मूल्यह्रास या वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, शामिल है ।

(2) मैंगनीज अयस्क, अपरिष्कृत, कोयला धूल व एचआइएनएस अपशिष्ट- छँटाई द्वारा वर्गीकरण, प्रक्रमण, परिवहन आदि पर प्रति टन लागत पर, तकनीकी अनुमानों या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर आबंटित ।

(3) बंदरगाह पर मैंगनीज अयस्क- बंदरगाह पर उतारने तक की लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो । उतारने तक की लागत में माल भाड़ा, उतराई प्रभार,नमूना चयन प्रभार आदि शामिल हैं ।

भौतिक एवम् बही स्टॉक के बीच के फर्क का समायोजन तब तक नहीं किया गया है जब तक कि खदानों में स्टॉक की समग्र स्थितिसमग्र बही स्टॉक के मुकाबले अधिक पायी जाती है । जब भी अयस्क का वास्तविक प्रेषण होता है हर खेप के परिवहन या नौवहन के बाद आधिक्य या कमी का निर्धारण किया जाता है और उसे उस वर्ष की कंपनी की बहियों में हिसाब में लिया जाता है ।

(4) इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाइ ऑक्साइड (ईएमडी) (जिसमें दि.31 मार्च को उत्पादन के विभिन्न चरणों पर मौजूद स्टॉक शामिल है,जो ईएमडी की पूर्ण युनिटों के प्रतिशत के रूप में तकनीकी प्राक्कलन द्वारा निर्धारित किया जाता है ।)- चालू वर्ष की उत्पादन लागत पर जिसमें संयंत्र पर मूल्यह्रास या अवसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, शामिल है।

(5) (क) फेरो मैंगनीज / सिलिको मैंगनीज तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित दि.31 मार्च को केक फॉर्म में उपलब्ध स्टॉक सहित-चालू वर्ष की उत्पादन लागत पर, जिसमें संयंत्र का मूल्यह्रास(लौह चून का वसूली योग्य मूल्य घटा कर) या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, शामिल है ।

(ख) प्रक्रियाधीन स्टॉक- फेरो मैंगनीज / सिलिको मैंगनीज की प्रक्रियाधीन मात्रा का वजन नहीं किया जा सकता है और न ही उसे देखा या मूल्यांकित किया जा सकता है । अतः कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता है ।

(ग) लौह - चून का स्टॉक- लौह चून फेरो मैंगनीज के उत्पादन के दौरान निर्मित अशुद्धियों का एक पिघला हुआ ढेर होता है, जिसे रद्दी माल मान लिया जा3ता है और तदनुसार उसे निवल वसूली योग्य कीमत पर मूल्यांकित किया जाता है ।

(ख) गोदाम माल सूची (भंडार, पुरजे,इमारती लकड़ी, विस्फोटक, इंधन , चिकनाई व कच्चा माल)– लागत व आइएनडी ओओस2 के अनुसार निवल वसूली योग्य मूल्य में से कम पर और तदनुसार निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित होता है ।लागत के निर्धारण का आधार भारित औसत पद्धति होती है ।

(1) हर वर्ष के अंत में पूरे भंडार, पुरजों आदि की भौतिक जाँच की जाती है । भौतिक स्टॉक व बही स्टॉक के बीच के फर्क की जाँच की जाती है और बही खातों में यथावश्यक समायोजन किये जाते हैं ।

(2) फेरो मैंगनीज संयंत्र के मामले में हर वर्ष के अंत में संयंत्र में उपलब्ध मैंगनीज अयस्क को छोड़ कर कच्चे माल के स्टॉक का मूल्यांकन भारित औसत पद्धति से निर्धारित लागत व निवल वसूली योग्य मूल्य में से कम लागत पर किया जाता है ।संयंत्र पर मैंगनीज अयस्क के स्टॉक का मूल्यांकन चालू वर्ष की उत्पादन लागत व निवल वसूली योग्य मूल्य में इंडएएस2 के अनुसार परिवहन की लागत व अन्य प्रभार जोड़ते हुए दोनों में से कम लागत पर किया जाता है ।संयंत्र में स्थित अयस्क के प्रारंभिक व अंतिम स्टॉक को कच्चे माल का स्टॉक शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है ।

(ग) वस्तु सूची की भौतिक जाँच वर्ष के अंत में की जाती है ।

(घ) मैंगनीज अयस्क व थोक कच्चे माल एवम् फेरो मैंगनीज के उत्पादन व मालसूची का निर्धारण उत्पादन / तकनीकी विभाग द्वारा भार मात्रा अनुपात द्वारा किया जाता है और तदनुसार हिसाब में लिया जाता है ।

1.2.4 नकदी व नकदी समकक्ष

नकदी व नकदी समकक्ष में हाँथ में नकद,अत्यधिक तरल अल्पावधि निवेशों (मूल परिपक्वता अवधि 3 माह से कम) सहित मांग जमाराशियां शामिल होती हैं, जिन्हें आसानी से नकदी की विदित मात्रा में बदला जा सके और जिनके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम न के बराबर हो ।

1.2.5 वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य परिमाप

कंपनी वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य निर्धारण हेतु मूल्यांकन की तकनीक अपनाती है । इसमें लिखत के मूल्य निर्धारण हेतु बाजार में सहभागिता के अनुरूप अनुमान लगाना व मान्यताएं शामिल हैं ।कंपनी के अनुमान यथासंभव दर्शनीय डाटा पर अन्यथा उपलब्ध सर्वोत्कृष्ट जानकारी पर आधारित होते हैं । अनुमानित उचित मूल्य उन वास्तविक मूल्यों से भिन्न हो सकते हैं जो रिपोर्ट के दिनांक को पहुँच के भीतर हों ।

1.2.6 निरावृत लागत

विकास निरावृत लागत

खनिज भंडार तक पहुँचने हेतु खदान के प्रारंभिक विकास के समय अपशिष्ट व व्यर्थ पदार्थों को हटाने की लागत को व्यय माना जाता है और उसे आस्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाता है । उस पर मूल्यह्रास का परिकलन प्रबंधन द्वारा अनुमानित उपयोगी अवधि के आधार पर किया जाता है ।

उत्पादन निरावृत लागत

खदान के संपूर्ण उत्पादन चरण के दौरान खदान से अधिभार व अपशिष्ट पदार्थ को हटाने को व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है ।

1.2.7 आयकर

आयकर मे वर्तमान और स्थगित कर शामिल है। आयकर व्यय को लाभ और हानी के विवेचन मे पहचाना जाता है। उन्हे छोडकर जो सिधे इक्विटी या अन्य समय मे आने वाली आय मे मान्यता प्राप्त है।

(क) चालु आयकर

चालू अवधि हेतु चालू आयकर का आकलन अवधिहेतु कर योग्य आय के आधार पर कर प्राधिकारियों से वसूले जाने वाले या को अदा की जाने वाली रकम पर किया जाता है । चालू कर की रकम के आकलन हेतु उपयोग में लायी गई कर की दरों व कर की विधि वे होती हैं जिन्हें रिपोर्टिंग के दिनांक तक अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दिया गया हो व जो उस अवधि पर लागू हो ।कंपनी चालू कर आस्तियों व चालू कर देयताओं को प्रति संतुलित करती है, जहां उसके पास मान्यताप्राप्त रकमों के समंजन का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और जहां उसका आशय निवल आधार पर निपटान का हो या आस्ति व देयता को एक साथ वसूल करने का हो ।

(ख) आस्थगित आयकर

आस्थगित आयकर का निर्धारण तुलन पत्र तरीका अपनाते हुए किया जाता है । आस्थगित आयकर की कर आस्तियों व कर देयताओं का निर्धारण आस्तियों एवम् देयताओं के कर – आधार के बीच पैदा होने वाले कटौती योग्य या कर योग्य अस्थायी फर्क हेतु व वित्तीय विवरणों में ले जायी जाने वाली उनकी रकम हेतु किया जाता है, सिवाय उन मामलों के जहां पर आस्थगित आयकर साख के प्रारंभिक निर्धारण या किसी ऐसे व्यवहार में आस्ति या देयता के निर्धारण से पैदा होजिसका व्यवसाय से कोई संबंध न हो और जो व्यवहार के समय न तो लेखांकन की प्रक्रिया को प्रभावित करता हो और न ही कर योग्य लाभ या हानी को ।आस्थगित आयकर आस्तियों का निर्धारण उस हद तक किया जाता है जहां तक कर योग्य लाभ का उपयोग कटौती योग्य अस्थायी फर्क व आगे ले जाए गये अनुपयुक्त कर जमा व अनुपयुक्त कर हानियों के लिये करना संभव हो ।

आस्थगित आयकर निर्धारण सभी कर योग्य अस्थायी फर्कों हेतु किया जाता है । आस्थगित आयकर आस्तियों की आवर्ती रकम का हर रिपोर्टिंग दिनांक को पुनरीक्षण किया जाता है और उसे उस हद तक घटा दिया जाता है कि आस्थगित आयकर आस्ति के पूर्णतः या अंशतः उपयोग हेतु पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध रहने की संभावना ही न रहे ।आस्थगित आयकर आस्तियों व देयताओं का निर्धारण उन दरों पर किया जाता है जिनके उस अवधि में लागू होने की अपेक्षा हो जब उन कर –दरों (व कर विधि) के आधार पर आस्ति की वसूली हो या देयता का निपटान हो, जो रिपोर्टिंग के दिनांक को अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित थे ।

1.2.8 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों का निर्धारण तब किया जाता है जब इसका एक तर्कसम्मत आश्वासन हो कि कंपनी उनसे संबंधित शर्तों का पालन करेगी व अनुदान प्राप्त होंगे।

सरकारी अनुदानों का एक सुनियोजित ढंग सेलाभ – हानी खाते में उन अवधियों में निर्धारण किया जाता है जिसमें कंपनी ने संबंधित लागतों को व्यय माना हो, जिसकी प्रतिपूर्ति के लिये अनुदान अपेक्षित था ।

जहां अनुदान का संबंध आस्ति के मूल्य से हो, उसे आस्थगित आय माना जाता है और आस्ति की अपेक्षित उपयोगी अवधि में परिशोधित किया जाता है। अन्य अनुदानों को लाभ – हानी विवरण में उस व्यय के अनुरूप निर्धारित किया जाता है जिससे वह अनुदान संबंधित / अपेक्षित हो ।

जहां कंपनी को गैर – मौद्रिक अनुदान प्राप्त होता हो, वहां आस्ति व अनुदान को सकल रूप से उचित मूल्य पर रेकॉर्ड किया जाता है व आय विवरण में अंतर्निहित आस्ति की उपयोगी अवधि व लाभ के उपयोग के स्वरूप के अनुसार जारी किया जाता है ।

1.2.9 अर्जन प्रति शेयर

प्रति शेयर मूल अर्जन का परिकलन वर्ष के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग करते हुए किया जाता है ।

तनूकृत प्रति शेयर मूल अर्जन (ईपीएस) का परिकलन करोपरांत लाभ को ईक्विटी की भारित औसत संख्या से विभाजित करते हुए किया जाता है जिन्हें मूल प्रति शेयर मूल अर्जन (ईपीएस) के परिकलन हेतु विचार में लिया गया था ।

1.2.10अन्वेषण व मूल्यांकन

अन्वेषण व मूल्यांकन व्यय को अनुसंधान व विकास व्यय माना जाता है और लाभ – हानी विवरण को प्रभारित किया जाता है ।

1.2.11परिचालनों से आय – बिक्री

रेलवे रसीद / लॉरी रसीद / सुपुर्दगी चालान पर आधारित माल के प्रेषणके बाद ही बहीखातों में बिक्री के इनवॉइस जारी किये जाते हैं और आय का निर्धारण किया जाता है ।

(क) मैंगनीज अयस्क की बिक्री

(1) प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट की प्राप्ति पर मात्रा में परिवर्तन हेतु पूरक इनवॉइसें जारी की जाती हैं ।बाद के वर्ष में एक निर्दिष्ट दिनांक तक प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट का प्रेषण के वर्ष में विचार किया जाता है।तदनुसार उसी वर्ष में इनवॉइसें जारी की जाती हैं व हिसाब में ली जाती हैं ।निर्दिष्ट दिनांक के बाद प्राप्त विश्लेषण रिपोर्टों के संबंध में उन्हें बाद के वर्ष में जारी किया जाता है ।

(2) बिक्री में रॉएल्टी, जिला खनिज निधि व राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के अंशदान शामिल हैं ।

(3) मैंगनीज अयस्क की अपरिष्कृत सामग्री,लौह चून , धूल व एचआइएमएस अपशिष्ट को जब कभी बिक्री होने पर उत्पादन के रूप में माना जाता है और तदनुरूपी बिक्री को खनन उत्पादों से होने वाली आय माना जाता है ।

(ख) ईएमडी / फेरो मैंगनीज / सिलिको मैंगनीज / लौह – चून की बिक्री

ईएमडी / फेरो मैंगनीज / सिलिको मैंगनीज / लौह – चून की बिक्री में उत्पाद शुल्क व उस पर लागू शिक्षण उप कर शामिल होता है ।

(ग) म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को बिजली की बिक्री

आय का निर्धारण बिक्री हेतु ग्रिड कोबिक्री हेतु दी गई ऊर्जा के आधार पर ऊर्जा खरीद करार में तय हुई दरों पर किया जाता है ।

1.2.12अन्य आय

(क) विविध देनदारों से हुई ब्याज आय का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है –

(1) जहां वसूली देनदारों से बैंक के जरिये साख पत्र द्वारा समर्थित हो, वहां वसूली के बारे में निश्चितता होने पर, निर्धारण उपचित आधार पर किया जाता है, ।

चालू वित्तीय वर्ष से अधिक उदार की शर्तों पर ग्राहकों को लगाये गये ब्याज का निर्धारण उस वर्ष में किया जाता है जिससे वह संबंधित हो ।

(2) जहां वसूली बैंक के जरिये साख पत्र द्वारा समर्थित न हो और प्रबंधन के अनुभव के आधार पर, वसूली संदिग्ध होने पर कंपनी द्वारा सीधे लगाया गया हो, वहां जब कभी वसूली होगी, उसे आय माना जाएगा ।

(ख) जमाराशियों एवम् अग्रिमों पर ब्याज आय का निर्धारण उपचित आधार पर किया जाता है ।

(ग) प्रतिस्थापित / खराब पुरजों / रद्दी हो चुकी पूंजीगत मदों के संबंध में ज्ञापन अभिलेख रखे गये हैं । उनका निपटान किये जाने पर होने वाली आय को उस वर्ष की विविध प्राप्ति के रूप में लिया जाता है .

(ख) कॅण्टीव उपभोग

मैंगनीज अयस्क

मैंगनीज अयस्क,अपरिष्कृत धातु, ईएमडी / फेरो मैंगनीज के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में जारी एचआइएमएस अपशिष्ट का मूल्यांकन चालू वर्ष के उत्पादन की लागत पर किया जाता है और एचआइएमएस पशिष्ट का मूल्यांकन प्रति टन की दर से किया जाता है,जैसा कि स्टॉक के मूल्यांकन हेतु किया जाता है ।अयस्क के उपयोग का हिसाब औसत मूल्य पर रखा जाता है । जारी किये गये अयस्क के मूल्य को अयस्क रेजिंग परिचालन खर्च से कम कर दिया जाता है और उसे विनिर्माण व्ययों में कच्चे माल का उपभोग माना जाता है ।

बिजली

खदान / संयंत्र पर विंड टर्बाइन जनरेटरों से निर्मित ऊर्जा को निर्माण लागत पर संबंधित युनिटों को प्रभारित किया जाता है ।

1.2.14बिक्री कर, आयकर, जीएसटी आदि

1.2 बिक्री कर, आयकर, जीएसटी आदि के संबंध में मूल्यांकन आदेश के अनुसार देय या प्राप्य रकमों का हिसाब उस वर्ष हेतु किया जाता है जिसमें मूल्यांकन आदेश प्राप्त हुआ हो, व कंपनी द्वारा ल्वीकार किया हो, चाहे आदेश से संबंधित वर्ष कोई भी हो ।

1.3 समंजन / निविष्टि कर जमा को खरीदारी पर बिक्री कर / जीएसटी पर क्लेम किया जाता है ।

1.2.15कर्मचारी लाभ

(क) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ को संबंधित सेवा प्रदान करने के वर्ष के लाभ – हानी विवरण में अबट्टाकृत रकम पर व्यय के रूप में निर्धारित किया जाता है ।

(ख) सेवा उपरांत लाभ

सेवा उपरांत लाभों में भविष्य निधि, उपदान, छुट्टी नकदीकरण, पेंशनव चिकित्सा सुविधाएं जैसे लाभ शामिल होते हैं ।

(1) पारिभाषित लाभ योजनाएं

उपदान, छुट्टी नकदीकरण व सेवा उपरांत चिकित्सा सुविधाएं जैसै सोवा उपरांत लाभों को उस वर्ष के लाभ – हानी विवरण में व्यय के रूप में निर्धारित किया जाता है जिस वर्ष में कर्मचारी ने सेवा प्रदान की हो । इन व्ययों को जीवनांकिक तकनीक का उपयोग करते हुए देय रकमों के वर्तमान मूल्य पर निर्धारित किया जाता है । इन सेवा उपरांत के संबंध में जीवनांकिक लाभ या हानी को लाभ – हानी विवरण में प्रभारित किया जाता है ।

चिकित्सा सुविधाओं जैसे लाभों को बीमा पॉलिसियों द्वारा कवर किया जाता है और बीमा प्रीमियम की रकम को उस वर्ष के लाभ – हानी विवरण में प्रभारित किया जाता है जिसमें उसका वहन किया गया हो ।

(2) पारिभाषित अंशदान योजनाएं

पारिभाषित अंशदान योजनाएं ऐसी सेवा उपरांत लाभ योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत कंपनी अलग – अलग निधियों में निश्चित अंशदान अदा करती है ।पारिभाषित अंशदान योजनाओं में कंपनी के अंशदान को उस वर्ष से संबंधित लाभ – हानी विवरण में निर्धारित किया जाता है जिससे वह संबंधित हो ।

कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि(ईपीएफ) में सरकार द्वारा छूट प्राप्त ट्रस्ट (अंशतः छूट प्राप्त) हेतु अनुमोदित विनिर्दिष्ट दर पर अंशदान जमा करती है ।छूट प्राप्त ट्रस्ट सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम ब्याज दर से ब्याज अदा करती है ।

कंपनी कर्मचारियों के अधिवार्षिकी लाभ के प्रति सरकार द्वारा अनुमोदित 10 % की स्थायी दर से भारतीय जीवन बीमा निगम को अंशदान करती है ।

1.2.16स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति(वी.आर.एस.) व्यय

कंपनी इस व्यय की पूरी रकम को वहन करने के वर्ष में लाभ – हानी खाते में प्रभारित करती है ।

1.2.17 कल्याण आयुक्त से अर्थ साहाय्य का लेखांकन

(क) श्रमिक क्वार्टर्स

कंपनी ने कुछ श्रमिक क्वार्टर्स का निर्माण किया है व कुछ निर्माणाधीन हैं , जिनके लिये कंपनी को श्रम आयुक्त से अर्थ साहाय्य प्राप्त होती है ।चूंकि जिस भूमि पर ऐसे क्वार्टर्स का निर्माण हुआ है वह भूमि श्रम आयुक्त को अभ्यर्पित कर दी गई है और संपत्ति (निर्मित क्वार्टर्स) कल्याण आयुक्त के पास है अतः कंपनी द्वारा वहन की गई पूरी रकम को प्रभारित कर दी गई है व प्राप्त अर्थसाहाय्य भी उस वर्ष की आय में जमा कर दी गई है जिस वर्ष व्यय का वहन किया गया था व अर्थ साहाय्य प्राप्त हुआ था।

(ख) कल्याणकारी आस्तियां

कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आस्तियों, जैसे स्कूल बस, ऐम्बुलेंस,, जल आपूर्ति योजना आदि के अधिग्रहण हेतु किया गया संपूर्ण व्यय को उस वर्ष के संबंधित आस्ति खाते में नामे डाला जाता है जिस वर्ष व्यय का वहन किया गया था । प्राप्त अर्थ साहाय्य की रकम को प्राप्ति के वर्ष में उसी खाता शीर्ष में जमा किया जाता हैजिसमें अर्थसाहाय्य प्राप्त हुआ था ।

1.2.18कंपनी द्वारा दावे

वर्ष के दौरान क्लेम की गई रकम के आधार पर व उनके वसूली की निश्चितता का निर्धारण कर लेने पर बीमा कंपनी / रेलवे में प्रस्तुत दावों की रकम का लेखांकन किया जाता है और यदि कोई फर्क हो तो उसका समायोजन दावों के निपटान पर किया जाता है ।

1.2.19 पूर्वदत्त व्यय

व्ययों को केवल तब ही पूर्वदत्त माना जाता है जब हर मामले में भुगतान रु.1.00 लाख से अदिक हो ।

1.2.20संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान

दो वर्ष से अधिक से बकाया विविध देनदारों की हर मामले की पुनरीक्षा के आधार पर अशोध्य व संदिग्ध ऋणों का प्रावधान किया जाता है । निजी पक्षों से तीन वर्ष से अधिक से बकाया ऋणों या दंड लगाने के कारण शेष देय रकमों, जिन्हें वसूली हेतु संदिग्ध समझा जाता है, का प्रावधान निश्चित रूप से किया जाता है ।

1.2.21अनुसंधान व विकास व्यय

अनुसंधान व विकास व्यय को उल वर्ष के लाभ – हानी विवरण में प्रभारित किया जाता है जिसमें उन्हें वहन किया गया हो । किंतु अनुसंधान व विकास से संबंधित अचल आस्तियों पर किये गये व्यय का निर्धारण उसी प्रकार किया जाता है जैसे अन्य अचल आस्तियों के बारे में किया जाता है ।

1.2.22 खदान बंद करने से संबंधित व्यय

संबंधित अधिनियमों व नियमों के अंतर्गत अंतिम रूप से खदान को बंद करने की योजनाओं के वित्तीय परिणामों का सभी खदानों में उपलब्ध अयस्क भंडार के आधार पर तकनीकी अनुमान लगाया जाता है ।

1.2.23 वन भूमि का गैर वन प्रयोजनों के लिये परिवर्तन हेतु निवल वर्तमान मूल्य।

संबंधित प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमति मिल जाने पर देयता का निर्धारण किया जाता है ।

टिप्पणी 2.1- संयंत्र, संपत्ती एव अवजार

(₹ in lakhs)

क्रम स	आस्तियों का विवरण	सकल खंड				मूल्यह्रास				निवल खंड	
		01.04.2017 को	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां /समायोजन	31.03.2018 को	01.04.2017 तक	वर्ष के लिय	कटौतियां / समायोजन	31.03.2018 तक	31.03.2018 को	31.03.2017 को
1	पूर्ण स्वामित् वाली भूमी	1277.35	170.22	0.00	1447.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1447.57	1277.35
2	भवन	17785.25	5049.89	28.67	22806.47	6295.23	1298.86	19.54	7574.55	15231.92	11490.02
3	संयंत्र व उपकरण	48127.08	3014.50	807.43	50334.15	30908.04	3986.59	750.87	34143.76	16190.39	17219.04
4	फर्नीचर व जुड़नार	454.26	2.62	1.50	455.38	318.85	36.94	1.41	354.38	101.00	135.41
5	वाहन	1200.57	76.00	33.55	1243.02	848.04	126.27	31.87	942.44	300.58	352.53
6	कार्यालय उपकरण	614.77	44.59	8.13	651.23	556.84	18.67	7.72	567.79	83.44	57.93
		69459.28	8357.82	879.28	76937.82	38927.00	5467.33	811.41	43582.92	33354.90	30532.28

1 भवनों में भूमि भी शामिल है, जहां भी भूमि का

2 वर्ष के मूल्यह्रास में निम्नलिखित पर मूल्यह्रास

	2017-18 हेतु	2016-17 हेतु
(र) मूल्य अलग से कंपनी द्वारा नहीं अदा किया गया हो	75.90	102.41
(ल) बिजली उत्पाद संयत्र की आस्तीया	174.68	174.68

3 तुलम पत्र के दिनांक को कोई अनर्जक हानी नहीं है।

टिप्पणी 2.2–चालू पूंजीगत कार्य

क्रम स	विवरण	31.03.2018 को	31.03.2017 को
1	**निर्माणाधीन पूंजीगत आस्तियां**	23377.45	11616.14

टिप्पणी 2.3– अन्य अवास्तविक आस्तियां

क्रम स	आस्तियों का विवरण	सकल खंड				मूल्यह्रास				निवल खंड	
		01.04.2017 को	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां /समायोजन	31.03.2018 को	01.04.2017 तक	वर्ष के लिय	कटौतियां / समायोजन	31.03.2018 तक	31.03.2018 को	31.03.2017 को
1	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1493.90	112.73	0.00	1606.63	168.33	652.62	0.00	820.95	785.68	1325.57
2	पट्टाधिकार भूमि(खनन अधिकार)	2502.72	0.00	0.00	2502.72	1741.01	125.01	0.00	1866.02	636.70	761.71
		3996.62	112.73	0.00	4109.35	1909.34	777.63	0.00	2686.97	1422.38	2087.28

टिप्पणी 2.4 – विकासाधीन अवास्तविक आस्तियां

क्रम स	Particulars	31.03.2018 को	31.03.2017 को
1	पट्टाधिकार भूमि(खनन अधिकार)	471.60	0.00

दि.31 मार्च, 2018 के तुलन पत्र की टिप्पणियां

(रु.लाख में)

विवरण	31 मार्च,2018 के अंत के आंकड़े		31 मार्च,2017 के अंत के आंकड़े	
वित्तीय आस्तियां				
ईक्विटी शेयरों में टिप्पणी3.1				
लागत पर व्यापारित व अनुद्धरित:				
संयुक्त उपक्रम मे निवेश				
(क) 100000(100000)सैल एंड मॉयल फेरो एलॉय लि.में पूर्णतः समादत्त प्रत्येक रु.10 के ईक्विटी शेयर	10.00		10.00	
(ख) 100000(100000)रिनमॉयल फेरो एलॉयज लि.में पूर्णतः समादत्त प्रत्येक रु.10 के ईक्विटी शेयर	10.00		10.00	
		20.00		20.00
लागत पर व्यापारित व अनुद्धरित:				
विभिन्न खदानों में सहकारिता स्टोर सोसायटियों मेंपूर्णतः समादत्त शेयर:				
(क) सहकारी स्टोरों(अपंजीकृत) के प्रत्येक रु.5 के 500(500) ईक्विटी शेयर	0.03		0.03	
(ख) सहकारी स्टोरों के प्रत्येक रु.25 के 1612(1612) ईक्विटी शेयर	0.40		0.40	
(ग) सहकारी स्टोरों के प्रत्येक रु.10 के 8556(8556) ईक्विटी शेयर	0.86		0.86	
		1.29		1.29
कुल		21.29		21.29
टिप्पणी 4.1 गैर – चालू ऋण				
कर्मचारियों को ऋण व अग्रिम:				
(क) जमानती, अच्छा माना जाने वाला		111.60		117.59
(ख) गैर – जमानती, अच्छा माना जाने वाला		3.05		5.44
कुल		114.65		123.03
टिप्पणी 4.2 अन्य गैर – चालू आस्तियां				
(क) पूंजीगत अग्रिम		1231.06		1406.65
(ख) पूंजीगत अग्रिमों से इतर अग्रिम				
(1) आयकर का अग्रिम भुगतान(निवल)		2111.25		3993.16
(2) संबंधित पक्ष (संयुक्त उद्यम कंपनी) को भुगतान				
सैल एंड मॉयल फेरो एलॉय लि को अग्रिम		400.00		400.00
रिनमॉयल फेरो एलॉयज लि. को अग्रिम		33.21		33.21
(3) मीयादी व अन्य जमाराशियों पर उपचित किंतु अदेय ब्याज		78.57		2.81
(4) कर्मचारियों को प्रदत्त ऋणों पर उपचित किंचु अदेय ब्याज		49.38		36.92
(5) रेलवे, विद्युत बोर्ड व अन्यों के पास जमा(गैर जमानती)		892.04		596.96
कुल		4795.51		6469.71
चालू आस्तियां				
टिप्पणी5.1 वस्तुसूची (प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित व प्रमाणित)				
(क) कच्चा माल		128.20		64.68
(ख) प्रक्रियाधीन कार्य		8.49		9.58
(ग) तैयार माल		7585.48		9702.35
(घ) स्टोर व पुरजे	2007.63		2442.26	
(-) पुराने स्टोर व पुरजों हेतु प्रावधान	1.43		1.43	
		2006.20		2440.83
कुल		9728.37		12217.44

मालसूजी का मूल्यांकन लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है, जो भी कम हो ।

1 कच्चे माल की सूची में 4202.74 (225.86) एमटी मांगनीज अयस्क का माल शामिल है जिसका मूल्य रु.35.58 (रु.12.80) लाख है जो दि.31.03.2018 को फेरो मैंगनीज संयंत्र के स्थान पर था ।

दि.31 मार्च, 2018 के तुलन पत्र की टिप्पणियां

(रु.लाख में)

विवरण		31 मार्च,2018 के अंत के आंकड़े		31 मार्च,2017 के अंत के आंकड़े	
वित्तीय आस्तियां					
टिप्पणी 5.2निवेश					
व्यापारित व बाजार मूल्य पर					
व्यापारित व बाजार मूल्य पर उद्धृतः	कुल		2329.87		0.00
तरल म्यूचुअल फंडों में चालू निवेश					
टिप्पणी 5.3 व्यापार से प्राप्य					
गैर जमानती (जिसे अच्छा माना जाता है)			19001.67		24125.09
संदिग्ध ऋण		75.14		73.16	
(-) संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान		75.14	0.00	73.16	0.00
	कुल		19001.67		24125.09
टिप्पणी 5.4 नकदी व नकदी समकक्ष					
(क) हाँथ में नकद			2.19		10.20
(ख) बैंकों में शेष					
मीयादी जमा में(3 माह से अधिक किंतु1 वर्ष से कम की मूलपरिपक्वता सहित)			2230.00		7253.17
चालू खातों में			185.38		3358.49
			2417.57		10621.86
टिप्पणी 5.5 बैंक में शेष (उपर्युक्त के अतिरिक्त)					
(क) मीयादी जमा में(3 माह से अधिक किंतु1 वर्ष से कम की मूलपरिपक्वता सहित)			208850.00		197951.00
(ख) लाभांश खातों में(वारंटों का नकदीकरण होने तक)			194.34		155.67
(ग) मीयादी जमा में(बैंक गारंटियों पर मार्जिन रकम के रूप में) कुल			2450.77		384.23
	कुल		211495.11		198490.90
टिप्पणी6.1चालू ऋण					
(1) कर्मचारियों को ऋण व अग्रिम					
(क) जमानती (जिन्हें अच्छा माना जाता है)			110.33		92.32
(ख) गैर जमानती (जिन्हें अच्छा माना जाता है)			254.75		241.97
(2) अन्यों को ऋण व अग्रिम– गैर जमानती					
(क) स्टोर, पुरजे आदि की खरीद हेतु अग्रिम		131.60		121.93	
(-) संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान		11.75		11.75	
			119.85		110.18
(ख) ठेकेदारों व अन्यों को अग्रिम		39.67		61.72	
(-) संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान		23.78		23.78	
			15.89		37.94
(ग) प्राप्य दावे		0.53		0.53	
(-) संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान		0.53		0.53	
			0.00		0.00
	कुल		500.82		482.41
टिप्पणी6.2 चालू कर आस्तियां(निवल)			3243.34		0.00
टिप्पणी 6.3 अन्य चालू आस्तियां					
(क) मीयादी व अन्य जमाराशियों पर उपचित ब्याज			6265.77		7016.87
(ख) प्राप्य विविध			4641.77		4210.73
(ग) पूर्व दत्त व्यय			871.21		1203.10
	कुल		11778.75		12430.70

प्रावधान – आइएनडीएएस37 के अनुसार विवरणों का प्रकटीकरण निम्नानुसार है

प्रवधानों के विवरण	प्रारंभिक शेष 01.04.2017	प्रावधान	प्रतिलेखित/ उपयुक्त प्रावधान	संवरण शेष 31.03.2018
अशोध्य व संदिग्ध ऋण व अग्रिम	109.22	1.98	–	111.20
	(67.91)	(41.31)	–	(109.22)

दि.31 मार्च, 2018 के तुलन पत्र की टिप्पणियां

(रु.लाख में)

Particulars	Figures as at end of 31st March, 2018		Figures as at end of 31st March, 2017	
ईक्विटी				
टिप्पणी7.1 ईक्विटी शेयर पूंजी				
अधिकृत				
ईक्विटी शेयर: संख्या	300000000.00		250000000.00	
अंकित मूलय(रुपये में)		10.00		10.00
कुल रकम		30000.00		25000.00
जारी, अभिदत्त, एवं पुर्णत: प्रदत्त पुंजी				
ईक्विटी शेयर: संख्या	257608888		133187804	
अंकित मूलय(रुपये में)		10.00		10.00
कुल रकम		25760.89		13318.78

प्रारक्षित निधियों के पूंजीकरण द्वारा जारी बोनस शेयरों के विवरण निम्नानुसार हैं–

वित्तीय वर्ष	शेयरों की सं.	Reserves capitalised	
		सामन्य प्रारक्षित	पूंजी मोचन प्रारक्षित निधि
2017–18	133187804	9837.56	3481.22

शेयर से संबंधित शर्तें / अधिकार–

कंपनी के पास प्रत्येक रु.10 के ईक्विटी शेयरों के रूप में शेयरों का केवल एक ही वर्ग है जिसके लिये एक ईक्विटी शेयर हेतु एक मतदान का अधिकार व शेयर धारण के अनुपात के बराबर लाभांश का अधिकार है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में ईक्विटी धारक शेयरधारकों द्वारा धारित ईक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में शेष आस्तियों को प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

समाधान विवरण

प्रारंभ में शेयरों की सं.	133187804		168000000	
जोड़े: वर्ष के दौरान जारी बोनस शेयर	133187804		0	
घटाए: वर्ष के दौरान शेयरों की प्रतिखरीद	8766720		34812196	
अंत में शेयरों की सं.	257608888		133187804	

5 % से अधिक शेयर धारण करने वाले हर शेयरधारक के शेयरधारण के विवरण

शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की सं.	शेयरधारण का%	धारित शेयरों की सं.	शेयरधारण का%
भारत के राष्ट्रपति(भारत सरकार की ओर से)	144280693	56.01	74869435	56.21
भारतीय जीवन बीमा निगम	18338326	7.12	9899959	7.43

विवरण	31 मार्च, 2018 के अंत के आंकड़े		31 मार्च,2017 के अंत के आंकड़े	
अन्य ईक्विटी				
टिप्पणी7.2 प्रारक्षित व अधिशेष				
सामान्य प्रारक्षित				
अंतिम तुलन पत्र के अनुसार	253664.36		327878.79	
(–) पूंजी मोचन प्रारक्षित निधि को अंतरित	876.67		3481.22	
(–) पुनर्खरीद से संबंधित व्यय	193.85		380.18	
(–) शेयरों की बायबॅक	20163.46		82853.03	
(–) बोनस शेयर जारी करने हेतु पूंजीकरण	9837.56		0.00	
(+) लाभ व हानी खाते में अधिशेष से अंतरण	22000.00		12500.00	
		244592.82		253664.36
पूंजी मोचन प्ररक्षित निधि				
अंतिम तुलन पत्र के अनुसार	3481.22			
(–)बोनस शेयर जारी करने हेतु पूंजीकरण	3481.22			
(+)बायबॅक के कारण वर्ष के दौरान वृद्धि	876.67	876.67	3481.22	3481.22
लाभ व हानी खाते में अधिशेष				
अंतिम तुलन पत्र के अनुसार	10070.70		658.21	
जोड़ें– लाभ व हानी विवरण से कुल व्यापक आय	39854.88		29927.58	
विनियोजन हेतु उपलब्ध रकम	49925.58		30585.79	
घटाएं– विनियोजन –				
अंतरिम लाभांश @ 30% (50%) (F.Y. 2017–18)	7991.27		6659.39	
अंतिम लाभांश @ (60% - F.Y.2016–17)	7991.27		0.00	
अंतरिम लाभांश पर कर,अधिभार व उपकर सहित	1626.83		1355.70	
अंतिम लाभांश पर कर,अधिभार व उपकर सहित	1626.83		0.00	
सामान्य प्रारक्षित निधि को अंतरित	22000.00		12500.00	
	41236.20		20515.09	
शेष आगे ले जाया गया		8689.38		10070.70
कुल		254158.87		267216.28

1 विचाराधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने1 :1 1 के अनुपात में 33187804 ईक्विटी शेयर बोनस शेयरों के पूप में जारी किये ।

2 विचाराधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी नेरु.21040.30 लाख के प्रत्येक रु.240 मूल्य के 8766720 ईक्विटी शेयरों की पुनर्खरीद की ।

3 शेयरों पर अंतिम लाभांश को कंपनी ने शेयरधारकों के अनुमोदन के दिनांक को एक देयता माना है । अंतरिम लाभांश को कंपनी के निदेशक के बोर्ड की घोषणा के दिनांक को एक देयता माना है ।

दि.31 मार्च, 2018 के तुलन पत्र की टिप्पणियां

(रु.लाख में)

विवरण		31 मार्च,2018 के अंत के आंकड़े		31 मार्च,2017 के अंत के आंकड़े	
गैर – चालू देयताएं					
वित्तीय देयताएं					
टिप्पणी8.1गैर – चालू प्रावधान					
अंतिम खदान बंदी व्ययहेतु प्रावधान	कुल		1029.09		934.57
टिप्पणी 8.2 अन्य गैर – चालू देयताएं					
आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों व अन्यों से अमानती जमा कुल	कुल		644.68		378.54
चालू देयताएं					
लित्तीय देयताएं					
टिप्पणी 9.1 व्यापार देय					
(क) एमएसएमई के कुल बकाया देय		500.66		131.66	
(ख) अन्यों की कुल बकाया रकम		4657.03		4038.51	
	कुल		5157.69		4170.17
टिप्पणी 9.2 अन्य वित्तीय देयताएं					
(क) वारंटों का नकदीकरण होने तक अदावाकृत लाभांश			194.34		155.67
(ख) आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों व अन्यों से अमानती जमा			4103.98		2903.80
(ग) पूंजीगत व्ययों हेतु देयताए **			5763.05		2663.84
	कुल		10061.37		5723.31
टिप्पणी10.1 अन्य चालू देयताएं					
(क) ग्राहकों के जमा शेष			2290.44		1944.11
(ख) व्ययों हेतु देयताए			11272.13		5431.04
(ग) अन्य देयताएं			248.73		825.54
(घ) सरकारी / सांविधिक देय रकमों हेतु देयता			3460.15		2701.20
	कुल		17271.45		10901.89
टिप्पणी10.2 प्रावधान					
(क) अनुपलब्ध छुट्टी हेतु प्रावधान–					
तुलन पत्र के दिनांक को देयता		4877.73		4366.98	
(–) भारतीय जीवन बीमा निधि के पास निधि		5472.85		5311.69	
	*	-595.12		-944.71	
(ख) उपदान हेतु प्रावधान–			4163.41		2090.34
(ग) पेंशन निधि हेतु प्रावधान			2366.44		1812.69
(घ) संयुक्त उद्यमों व अग्रिमों पर हानी हेतु प्रावधान			188.36		186.59
(ङ) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान			3021.47		0.00
	कुल		9739.68		4089.62
टिप्पणी10.3 चालू कर देयता(निवल)	कुल		0.00		1881.90

* जीवन बीमा निगम / अन्य बीमाकर्ताओं के पास अतिरिक्त निधि को पूर्वदत्त व्ययों के अंतर्गत (टिप्पणी6.3(ग)) अन्य चालू आस्तियों के साथ जोड़ा गया है ।

** व्ययों हेतु दायित्व में एमएसएमई को देयरु.334.11 लाख शामिल हैं ।

1 पारिभाषित दायित्व –आइएनडी एएस19 के अनुसार प्रकटीकरण–कर्मचारी लाभ निम्नानुसार है:

(रु.लाख में)

उपदान	ग्रच्युटी		नकदीकरण	
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
स्वतंत्र जीवनांकिक द्वारा निर्धारित निधिक बाध्यता के प्रारंभिक व संवरण शेष का समाधान				
वर्ष के प्रारंभ में बाध्यता का वर्तमान मूल्य	14343.31	12692.96	3899.10	4102.65
चालू सेवा लागत	937.51	1139.33	371.63	340.98
ब्याज लागत	1057.10	1015.44	287.36	328.21
जीवनांकिक(-)लाभ / हानी	3101.47	994.34	562.00	-124.12
अदा किये गये लाभ	-1501.20	-1498.76	-242.36	-280.74
वर्ष के अंत में बाध्यता का वर्तमान मूल्य	17938.19	14343.31	4877.73	4366.98
संयंत्र के उचित मूल्य के प्रारंभिक व संवरण शेष का समाधान				
वर्ष के प्रारंभ में संयंत्र की आस्तियों का उचित मूल्य	12252.97	11079.02	5311.69	5171.78
संयंत्र की आस्तियों पर वार्षिक आय	934.45	1051.05	404.46	420.65
जीवनांकिक(-)लाभ / हानी	0.00	0.00	0.00	0.00
निधि प्रबंधन प्रभार	-11.50		-0.94	0.00
नियोक्ता का अंशदान	2100.06	1621.66	0.00	0.00
अदा किये गये लाभ	-1501.20	-1498.76	-242.36	-280.74
वर्ष के अंत में	13774.78	12252.97	5472.85	5311.69
आस्तियों के उचित मूल्य व निधिक बाध्यताओं का समाधान				
वर्ष के अंत में संयंत्र आस्तियों का वर्तमान मूल्य	13774.78	12252.97	5472.85	5311.69
संयंत्र की आस्तियों से अपेक्षित आय	17938.19	14343.31	4877.73	4366.98
तुलनपत्र मे मान्यता प्राप्त दायीत्व /(-) प्रीपेड खर्चे	4163.41	2090.34	-595.12	-944.71
लाभ एव हानी लेखे मे मान्यता प्राप्त खर्च				
वर्तमान सेवा लागत	937.51	1139.33	371.63	340.98
ब्याज लागत	1057.10	1015.44	287.36	328.21
योजना संपत्ती पर अपेक्षीत वापसी	-934.45	-1051.05	-404.46	-420.65
जीवनांकिक(-)लाभ / हानी	3101.47	994.34	562.00	-124.12
निधि प्रबंधन प्रभार	11.50	0.00	0.94	0.00
	4173.13	2098.06	817.47	124.43
मृत्यु दर सारणी (भाजीबीनि)	(2006-08) (अंतिम)	(1994-96) (अंतिम)	(2006-08)) (अंतिम)	(1994-96) (अंतिम)
छूट की दर(प्रति वर्ष)	7.65%	7.37%	7.65%	7.37%
योजना संपत्ती पर अपेक्षीत वापसी (प्रती वर्ष)	7.75%	8.40%	7.75%	8.40%
संयंत्र की आस्तियों से अपेक्षित आय	5.50%	5.00%	5.50%	5.00%

2.सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम(एमएसएमई) से संबंधित प्रकटीकरण

(रु.लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2018 को	31.03.2017 को
1	एमएसएमई) को अदत्त मूलधन की रकम	834.77	224.64
2	उपर्युक्त को देय ब्याज, जो अदत्त हो	शून्य	शून्य
3	एमएसएमई) विकास अधिनियम(एमएसएमईडीए)की धारा 16 के अनुसार अदा ब्याज वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद किये गये भुगतानों समेत	शून्य	शून्य
4	भुगतान में विलंब के कारण देय बकाया ब्याज(अदा किया गया किंतु नियत दिन के बाद) किंतु एमएसएमईडीए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज जोड़े बगैर हर लेखा वर्ष के अंत में उपचित किंतु अदत्त ब्याज जोड़े बगैर	शून्य	शून्य
5	हर लेखा वर्ष के अंत में उपचित किंतु अदत्त ब्याज	शून्य	शून्य
6	परिवर्ती वर्षों में बकाया व देय अतिरिक्त ब्याज(ऐसे दिनांक तक जब तक छोटे उद्यमों को देय ब्याज वास्तविक रूप से देना पड़े) एमएसएमईडीए की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में इनकार करने के प्रयोजनार्थ ।	शून्य	शून्य

3. प्रावधान – एएस37 के अनुसार विवरणों के प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं–

प्रावधानों के विवरण	प्रारंभिक शेष प्रावधान 01.04.2017	प्रतिलेखित	उपयुक्त प्रावधान	संवरण शेष 31.03.2018
अंतिम खदान बंदी व्यय	934.57	94.53	–	1,029.10
	(861.82)	(72.75)	–	(934.57)
अंतिम खदान बंदी हेतु प्रावधान के संबंध में , खदान की बंदी के समय नकदी बहिप्रवाह होने की अपेक्षा है ।प्रकृति में खदान की अवधि को निरंतर माना गया है ((सतत आधार पर) ।				

31 मार्च, 2018 हेतु लाभ व हानी विवरण पर टिप्पणियां

(रु.लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	
टिप्पणी11.1परिचालनों से आय				
उत्पादों की बिक्री				
(क) खनन उत्पाद	121078.65		90534.37	
(ख) निर्मित उत्पाद	10564.66		7666.73	
		131643.31		98201.10
अन्य परिचालन आय				
ऊर्जा की बिक्री		702.77		783.39
कुल		132346.08		98984.49
टिप्पणी11.2 अन्य आय				
1 अन्य आय				
(क) ब्याज आय				
1 बैंकों में मीयादी जमा पर	15242.57		17293.73	
2 अन्य	849.88		1266.63	
		16092.45		18560.36
(ख) लाभांश आय		4.89		0.00
(ग) कर्मचारियों से वसूली		10.29		9.55
(घ) कबाड़ की बिक्री		1.20		14.09
(ङ) विद्युत शुल्क की वापसी		0.00		2323.07
(च) विविध आय		712.35		1196.49
2 प्रति लेखित प्रावधान				
(क) स्टोर व पुरजों में आधिक्य / कमी हेतु प्रावधान		0.00		9.18
(ख) आगे अनावश्यक प्रावधान		950.97		0.00
कुल		17772.15		22112.74

31मार्च,2018 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ व हानी विवरण की टिप्पणियां

विवरण	31 मार्च,2018 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च,2017 को समाप्त वर्ष हेतु	
टिप्पणी 12.1 उपभोग किये गये कच्चे माल की लागत				
इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाइ ऑक्साइड संयंत्र				
(क) मैंगनीज अयस्क	30.20		16.59	
(ख) सलफ्यूरिक एसिड	21.92		19.05	
(ग) सोडियम कार्बोनेट	3.55		2.98	
(घ) अन्य	3.28		1.90	
		58.95		40.52
फेरो मैंगनीज संयंत्र				
(क) मैंगनीज अयस्क	1899.62		1757.80	
(ख) कोयला	832.22		597.04	
(ग) कार्बन पेस्ट	35.95		51.63	
(घ) अन्य	158.58		199.69	
		2926.37		2606.16
कुल		2985.32		2646.68
टिप्पणी13.1 तैयार माल, विक्रेय माल व प्रक्रियाधीन कार्य की मालसूची में परिवर्तन				
(क) खनन उत्पाद				
संवरण स्टॉक*	5869.64		8188.59	
(-) प्रारंभिक स्टॉक	8188.59		13045.91	
		-2318.95		-4857.32
(ख) निर्मित उत्पाद				
संवरण स्टॉक	1716.19		1341.39	
(-) प्रारंभिक स्टॉक	1341.39		1325.69	
		374.80		15.70
निवल वृद्धि / कमी(क-ख) कुल		-1944.15		-4841.62
टिप्पणी14.1कर्मचारी लाभ व्यय				
वेतन, पारिश्रमिक व बोनस		29636.06		22799.80
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान		6112.08		6160.54
कल्याण व्यय		4871.02		1805.87
कुल		40619.16		30766.21

* मूल्यांकन औसत लागत पर संयुक्त लागत प्रभाजन पर आधारित । मूल्यांकन में परिवर्तन का निवल प्रभाव 1213.59लाख (मूल्य में कमी) है ।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ व हानी विवरण पर टिप्पणियां

विवरण		31 मार्च,2018 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च,2017 को समाप्त वर्ष हेतु	
टिप्पणी 14.2 बिक्री व्यय					
1 रायल्टी व उप कर *		7533.97		5684.97	
2 बिक्री पर नकदी छूट		482.13		432.50	
3 आंशिक मालभाड़ा प्रतिपूर्ति		1213.31		1525.03	
4 ई – नीलामी पर सेवा प्रभार		54.00		42.87	
5 निर्मित उत्पादों पर उत्पाद शुल्क		453.13		791.88	
6 नमूना छँटाई व्यय		22.76		20.06	
	कुल		9759.30		8497.31
टिप्पणी14.3 अन्य व्यय					
1 भवनों की मरम्मत व रखरखाव		867.65		782.03	
2 संयंत्र व मशीनरी की मरम्मत व रखरखाव		1214.17		1654.75	
3 अन्यों की मरम्मत व रखरखाव		527.35		385.46	
			2609.17		2822.24
4 किराया			40.72		19.23
5 कर एवम् दरें			558.49		407.82
6 बीमा			262.52		214.36
7 लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक					
यथा लेखा परीक्षा शुल्क		22.83		15.10	
कराधान मामलों हेतु		1.25		1.48	
अन्य सेवाओं हेतु		5.22		4.95	
व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु		0.35		0.00	
			29.65		21.53
8 निदेशकों का बैठक शुल्क			9.30		14.42
9 विज्ञापन			179.74		89.64
10 कारपोरेट सामाजिक दायित्व वनिरंतर विकास पर व्यय			961.63		1143.10
11 विविध व्यय			2161.16		2024.89
12 आयकर पर ब्याज			0.00		277.65
13 खदानों में अन्वेषणात्मक खुदाई		320.67		253.28	
14 विस्फोट / शैल यांत्रिकी / स्टॉप डिजाइन अध्ययनों आदि पर व्यय		643.08		215.00	
			963.75		468.28
15 परित्यक्त आस्तियों को बट्टे डालना		67.87		47.54	
16 स्टोर व पुरजों में कमी को बट्टे डालना		33.23		0.00	
17 संदिग्ध ऋणों व अग्रिमोंहेतु प्रावधान		1.98		33.80	
18 संयुक्त उद्यम वाली कंपनियों में निवेश से हानी हेतु प्रावधान		1.44		178.22	
19 अंतिम खदान बंदी के व्ययों हेतु प्रावधान		94.53		72.75	
			199.05		332.31
	कुल		7975.18		7835.47

* जिला खनिज निधि व राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट अंशदान सहित ।

टिप्पणी14.4

31मार्च,2018 को समाप्त वर्ष हेतु लेखों पर टिप्पणियां

1 दिय31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी का एकल वित्तीय विवरण निदेशक बोर्ड द्वारा दि.24 मई, 2018 को अनुमोदित है .

1क कंपनी द्वारा प्राप्त ब्याज व किराये पर स्रोत पर काटा गया आयकर रु.1520.96(1728.96) लाख है । कुछ मामलों में कर कटौती प्रमाणपत्र प्राप्त होने की प्रतीक्षा है ।.

2 आस्थगित कर आस्तियां / देयता – आइएनडी एएस12 के अनुसार प्रकटीकरण निम्नानुसार है –

क्रम सं	विवरण	2017-18/ 31 मार्च,2018	2016-17/ 31 मार्च,2018
1	आस्थगित कर देयता		
	मूल्यह्रास हेतु संदर्भित	603.07	1047.32
2	आस्थगित कर आस्तियां		
	आयकर अधिनियम के अंतर्गत इनकार	-373.52	444.25
	निवल आस्थगित कर देयता / आस्ति	229.55	603.07
	लाभ व हानी खाते हेतु आस्थगित करः-देयता में वृद्धि / कमी	373.52	-444.25

लाभ व हानी विवरण में आयकर व्यय में चालू वर्ष के चालू व आस्थगित आयकर शामिल हैं ।आस्थगित आयकर आस्तियों व देयताओं का निर्धारण आस्तियों व देयताओं के कर आधारों के बीच के अस्थायी अंतरों के लिये किया गया है ।

3 व्यापार में प्राप्य व व्यापार में देय रकमों से संबंधित वर्ष के अंत के शेष पुष्टिकरण पत्र संबंधित पक्षों को भेज दिये गये हैं ।दि.31.03.2018 को रु.25263 लाख के कुल बकाया में से रु.7366.23 लाख की रकम का समाधान हो चुका है । प्राप्त पुष्टिकरणों के संबंध में कंपनी शेष रकमों की संवीक्षा करने व उनका समाधान करने की प्रक्रिया में है ।

4 अन्य व्ययों(टिप्पणी14.2) में निम्नलिखित का समावेश हैः-

(रु.लाख में)

क्रम सं	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
1	निम्नलिखित के यात्रा व्यय		
	(क) अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	14.83	26.56
	(ख) निदेशक	6.50	28.39
	(ग) मुख्य वित्त अधीकारी तथा कंपनी सचिव	1.55	2.31
	कुल	22.83	57.26
2	लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक(सांविधिक लेखा परीक्षा)		
	(क) लेखा परीक्षक के रूप में	5.42	4.33
	(ख) कराधान मामलों हेतु	1.25	1.44
	(ग) अन्य सेवाओं हेतु	3.32	6.11
	कुल	9.99	11.88
3	विज्ञापनों में जन संपर्क व प्रचार परकिया गया खर्च शामिल है ।	29.41	27.10

5 ससंबंधित पक्षों से व्यवहार – आइएनडी एएस24 के अनुसार कंपनी अधिनियम,2013 के अंतर्गत संबंधित पक्षों से व्यवहारों के प्रकटीकरण निम्नानुसार हैः-

(i) संबंधित पक्षों व संबंधों की सूची

(क)	महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक	पदनाम
i	श्री एम.पी. चौधरी	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
ii	श्री टी.के.पटनाईक	निदेशक (वाणिज्य)
iii	श्री दीपंकर शोम (12.09.2017 से)	निदेशक (उत्पादन ऐव योजना)
iv	श्री डी.एस.अहलूवालिया (27.09.2017 तक)	निदेशक (वित्त) अतिरिक्त प्रभार
v	श्री राकेश तुमाने (28.09.2017 से)	निदेशक (वित्त)
	(14.11.2017 से)	मुख्य वित्त अधिकारी
vi	श्री एन.पी.कजरेकर (13.11.2017 तक)	मुख्य वित्त अधिकारी
vii	श्री एन.डी.पाण्डेय	कंपनी सचिव

श्री टी.के पटनाईक ने दि.11.09.2017 तक निदेशक (उत्पादन व आयोजन) का अतिरिक्त पद भी संभाला व श्री डी.एस अहलुवालिया, निदेशक(वित्त) एनएमडीसी को दि.01.12.2016 से दि.27.09.2017 तक यल लिमिटेड के निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौपा गया था।

(क) संयुक्त उद्यम कंपनियां

1 सैल एंड मॉयल फेरो एलॉयज प्रा.लि.

2 रिनमॉयल फेरो एलॉयज प्रा.लि.

(ii) (2)उपर्युक्त (1)(क) में उल्लिखित संबंधित पक्षों से व्यवहार:

क्रम सं.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
1	प्यबंधकीय पारिश्रमिक		
	(क)वेतन व भत्ते	165.89	126.64
	(ख) भविष्य निधि में अंशदान	10.15	9.29
	(ग) परिलब्धियों का वास्तविक अनुमानित मूल्य	4.64	3.56
	(घ) कुल	180.68	139.49
2	यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति	22.88	57.26

6 संयुक्त उद्यम – आइएनडीएएस31 के अनुसार प्रकटीकरण: संयुक्त उद्यमों में हित निम्नानुसार है:

(ख) संयुक्त उद्यम कंपनियों के बारे में विवरण

संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	निगमन के विवरण		स्वामित्व का अनुपात	पूंजी हेतु अंशदान (रु.लाख में)
	देश	दिनांक		(रु.लाख में)
सैल एंड मॉयल फेरो एलॉयज प्रा.लि.	भारत	31.07.2008	50%	10.00
रिनमॉयल फेरो एलॉयज प्रा.लि.	भारत	29.07.2009	50%	10.00

(ग) वित्तीय विवरण (रु.लाख में)

क्रम सं	विवरण	वित्तीय विवरण	
		31.03.2018	31.03.2017
			(लेखापरीक्षित)
(i)	संयुक्त उद्यम कंपनियों के खातों के अनुसार कंपनियों की कुल रकम– सैल एंड मॉयल फेरो एलॉयज प्रा.लि.*		
	शेयर पूंजी	10.00	10.00
	प्रारक्षित निधि व अधिशेष	-172.97	-176.25
	गैर – चालू देयताएं	400.00	400.00
	चालू देयताएं	139.57	600.14
	अचल आस्तियां(निवल) व चालू पूंजीगत कार्य	284.75	745.50
	दीर्घकालिक ऋण व अग्रिम	0.01	0.01
	चालू आस्तियां	91.84	88.38
	आय	3.73	7.07
	व्यय	0.46	25.35
	आकस्मिक देयताएं वपूंजीगत प्रतिबद्धताएं	25.40	25.40
	रिनमॉयल फेरो एलॉयज प्रा.लि //		
	शेयर पूंजी	10.00	10.00
	प्रारक्षित निधि व अधिशेष	-3.40	-2.56
	गैर – चालू देयताएं	0.00	0.00
	चालू देयताएं	77.71	77.73
	अचल आस्तियां(निवल) व चालू पूंजीगत कार्य	81.24	81.47
	गैर – चालू आस्तियां	2.13	2.11
	चालू आस्तियां	0.94	1.59
	आय	0.10	0.29
	व्यय	0.94	2.83
	आकस्मिक देयताएं वपूंजीगत प्रतिबद्धताएं	399.21	399.12
टिप्पणी	* वित्तीय वर्ष 2017 – 18 हेतुअलेखापरीक्षित लेखे(अनंतिम) # वित्तीय वर्ष 2017 – 18 हेतु लेखा परीक्षित लेखे		

7 आकस्मिक देयताएं, इंड ए एस 371 कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निम्नानुसार है.

(1) कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना जाता है

रु.लाख में

	दावों के विवरण	31.03.2018	31.03.2017
(1)	पारिश्रमिक व अन्य लाभों के लिये कर्मचारियों द्वारा	93.00	98.00
(2)	तिरोडी खदान से अयस्क के परिवहन हेतु मार्गस्थ शुल्क के भुगतान हेतु वन विभाग द्वारा	86.08	86.08
(3)	विवाचन के निर्णय व ठेकेदार के दावे पर ब्याज	1056.43	1024.48
(4)	मैंगनीज अयस्क पर उत्पाद शुल्क लगाने हेतु केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जबलपुर	0.00	14435.84
(5)	प्रवेश कर, केंद्रीय बिक्री कर व मूल्य वर्धित कर तथा कर्मचारियों का व्यवसाय कर	106.51	95.79
(6)	अपील के अंतर्गत विवादित आयकर(पहले ही अदा किया गया आयकर रु.2251.57)(रु.1697.62) लाख)	2251.57	1697.62
(7)	बैंक गारंटियों / साख पत्रों के अंतर्गत वित्तीय आश्वासन पर आकस्मिक देयताएं (समान रकम की मीयादी जमाराशि के रूप में)	2450.77	184.23

8 पूंजीगत प्रतिबद्धता

पूंजी खाते पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित रकम (रु.65127.83 रु.14656.35) लाख है जिसके लिये प्रावधान नहीं किया गया है ।। ऐसी संविदाओं हेतु अदा अग्रिम रु.1231.06 (रु.1406.66) लाख है ।

9 कंपनी की 761.60 वर्गमीटर भूमि नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा समन्वित सड़क विकास योजना हेतु अधिगृहीत की गई है । इस हेतु प्रतिपूर्ति की मांग करते हुए कंपनी द्वारा दायर रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है । रिट याचिका का नतीजा आने तक बहियों में कोई समायोजन नहीं किया गया है ।

10 वर्ष के दौरान पूंजीगत माल का आयात रु.शून्य(रु.शून्य) लाख है ।

11 यात्रा हेतु विदेशी मुद्रा में खर्च रु.14.14 (रु.12.50) लाख व विविध व्यय हेतु रु.शून्य (रु.1.01) लाख है ।

12 कारपोरेट सामाजिक दायित्व(सीएसआर) एवम् निरंतर विकास(एसडी)- कंपनी ग्राम सड़क निर्माण, सार्वजनिक स्थलों और स्कूलो में शौचालय निर्माण व कौशल विकास कार्यक्रम आदि जैसी विभिन्न कारपोरेट सामाजिक दायित्व(सीएसआर)गतिविधियां करती है । इसी प्रकार वह वृक्षारोपण व कचरा पुनर्वसन के भी कार्य करती है । वर्ष के दौरान इस संबंध में हुए खर्च की रकम रु.921.82 (रु.1126.77)लाख के मुकाबले रु.961.63 (रु.1143.10) लाख है । इन गतिविधियों का अनुमोदन कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति द्वारा किया जाता है और सांविधिक सीमाओं में किसी भी कमी को बाद के वर्षों में उपयोग करने हेतु कारपोरेट सामाजिक दायित्व(सीएसआर) के प्योजनार्थ निर्मित एक अलग ट्रस्ट खाते में जमा किया जाता है ।

13 वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त जानकारी

(क) उत्पादन, बिक्री, प्रारंभिक व संवरण स्टॉक

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष		31.03.2017 को समाप्त वर्ष	
विवरण	मात्रा(एमटी)	रु.लाख में	मात्रा(एमटी)	रु.लाख में
1) उत्पादन निर्माण-				
मैंगनीज अयस्क	1201113	-	1004845	-
ई एम डी	875	-	731	-
फेरो मैंगनीज	10573	-	9950	-
फेरो मैंगनीज लौह चून	14665	-	14009	-
पवन ऊर्जा (KWH)	29009933	-	32305629	-
2) बिक्री-				
मैंगनीज अयस्क	1186929	121078.64	1129146	90534.37
ई एम डी	915	773.83	952	782.55
फेरो मैंगनीज	11095	8545.35	9540	5977.56
फेरो मैंगनीज लौह चून	15439	1245.48	12489	906.62
एमपीईडीसीएलको ऊर्जा(के डब्ल्यूएच)	20915820	702.77	23300523	783.39
3) प्रारंभिक स्टॉक-				
मैंगनीज अयस्क	142348	8188.59	294713	13045.98
ई एम डी	73	57.53	294	217.98
फेरो मैंगनीज	3008	1099.31	2598	1026.20
फेरो मैंगनीज लौह चून	2685	184.55	1165	81.51
4) संवरण स्टॉक-				
मैंगनीज अयस्क	121049	5869.64	142348	8188.59
ई एम डी	33	28.54	73	57.53
फेरो मैंगनीज	2486	1573.56	3008	1099.31
फेरो मैंगनीज लौह चून	1911	114.08	2685	184.55
टिप्पणी:				
निम्नलिखित के उत्पादन हेतु जारी अयस्क के समायोजन के बाद मैंगनीज अयस्क के संवरण स्टॉक का आकलन किया गया है ।				
ईएमडी	4838		2458	
फेरो मैंगनीज	30645		25606	
पवन चक्कियों से ऊर्जा निर्माण में निष्क्रिय उपभोग हेतु उपयोग शामिल है(के डब्ल्यूएच)	8094113		9005107	

14 लाइसेंसीकृत व स्थापित क्षमता व क्षमता उपयोग

	विवरण	मात्रा(एमटी)	क्षमता उपयोग	मात्रा(एमटी)	क्षमता उपयोग
क)	लाइसेंसीकृत व स्थापित क्षमता				
	ईएमडी	1000	87.50%	1000	73.10%
	फेरो मैंगनीज	10000	105.73%	10000	99.50%
	पवन ऊर्जा(के डब्ल्यूएच)	40000000	72.52%	40000000	80.76%
ख)	उत्पादन व क्षमता उपयोग				
	ईएमडी	875		731	
	फेरो मैंगनीज	10573		9950	
	पवन ऊर्जा(के डब्ल्यूएच)	29009933		32305629	

15 आय का निर्धारण 15.2 एम डब्ल्यू क्षमता के पवन टर्बाइन जनरेटर द्वारा बिक्री हेतु ग्रिड को प्रदत्त ऊर्जा के आधार पर किया जाता है ।

16 खदान / संयंत्र में एम 4.8 डब्ल्यू क्षमता के पवन टर्बाइन जनरेटर द्वारा निर्मित उपभोग की गई ऊर्जा संबंधित युनिटों को निर्माण की दर से प्रभारित की जाती है ।

17 48 के डब्ल्यू क्षमता के सौर्य ऊर्जा निर्माण करने वाले पैनलों द्वारा निर्मित ऊर्जा का उपयोग प्रधान कार्यालय में सीमित उपयोग हेतु किया जाता है ।

18 दि.31.03.2018 के प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) का परिकलन (दि.29.09.2017 को बोनस शेयर जारी करने हेतु) और दि.27.03.2018 को शेयरों की पुनर्खरीद के कारण) भारित औसत समादत्त पूंजी पर किया गया है।दि.31.03.2017 के प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) का परिकलन(दि. 07.10.2016 को शेयरों की पुनर्खरीद के कारण) किया गया है ।

प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) का परिकलन निम्नानुसार किया गया है–

विवरण	31.03.2018 को	31.03.2017 को
सतत परिचालनों से निवल लाभ / हानी रु. लाख में	42199.36	30583.19
वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयर	133187804	16,80,00,000
वर्ष के दौरान जारी बोनस शेयर	133187804	
वर्ष के दौरान शेयरों की पुनर्खरीद	8766720	34812196
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	257608888	133187804
शेयरों की औसत भारित सं.(ख)	200208961	151309221
मूल प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (क)/ (ख) रु.	21.08	20.21
तनूकृत प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (क)/ (ख) रु.	21.08	20.21
• कंपनी के पास कोई संभावित तनूकृत ईक्विटी नहीं है ।		

19 पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दर्शाये गये हैं और जहां भी आवश्यक हो वहां तुलनात्मक दृष्टि से पुनर्वर्गीकृत किये गये हैं ।

टिप्पणी क्र.1 से 14.4 तक वित्तीय विवरण का अंतर्निहित भाग है ।

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते मे.जे. एस. उबेरॉय एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. 111107 डब्ल्यू

सी ए अमरजीत सिंह संधू
भागीदार
सदस्यता क्र. 108665
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक:24 मई, 2018

कृते निदेशक बोर्ड

मुकुंद पी. चौधरी
अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक
डी आय एन: 06639859

राकेश तुमाने
निदेशक (वित्त)
डीआइएन: 06639859

नीरज पाण्डेय
कंपनी सचिव

व्यवसाय के क्षेत्रों के बारे में जानकारी

कंपनी ने इंड एएस108 के अनुसार व्यनसाय के तीन क्षेत्रों का अभिनिर्धारण किया है - यथा, खनन, निर्माण व ऊर्जा निर्माण

		खनन		विनिमन		बिजली निर्मान		विलोपन		समेकित	
क्रम सं	विवरण	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
1	**आय**										
	(क)बाहरी बिक्री(सकल)	121078.65	90534.37	10564.66	7666.73	702.77	783.39	0.00	0.00	132346.08	98984.49
2	(ख)क्षेत्रांतर्गत बिक्री	1596.08	1488.96	0.00	0.00	619.38	681.23	2215.46	-2170.19	0.00	0.00
	(ग)कुल आय	122674.73	92023.33	10564.66	7666.73	1322.62	1464.62	-2215.46	2170.19	132346.08	98984.49
	परिणाम								0.00	47020.25	
	(क)क्षेत्र परिणाम	42269.74	22187.26	3772.32	771.80	978.19	1118.16	0.00		17772.15	24077.22
	(ख)अन्य आय(बट्टा सहित)	17772.15	22112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64792.40	22112.74
	(ग)कुल क्षेत्र परिणाम	60041.89	44300.00	3772.32	771.80	978.19	1118.16	0.00	0.00	64792.40	46189.96
	(घ)कर पूर्व लाभ									22966.55	46189.96
	(ड़)आयकर हेतु प्रावधान									-373.51	16051.0
	(च)आस्थगित कर देयता/ आस्ति									42199.36	-444.241
	(छ) करोपरांत लाभ										30583.19

		खनन		विनिमन		बिजली निर्मान		विलोपन		समेकित	
क्रम सं	विवरण	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
3	**अन्य जानकारी**										
	(1) **क्षेत्र आस्तियां**	75060.31	74146.86	3417.75	2603.66	6179.27	2897.22	239395.68	227688.50	324053.28	307336.24
	(2) **क्षेत्र देयताएं**	18196.53	12322.57	669.55	852.78	1575.06	115.63	23692.38	13510.20	44133.52	26801.18
	(3) **नियोजितपूंजी(क)-(ख))**	56863.78	61824.29	2748.20	1750.88	4604.48	2781.59	215703.30	214178.30	279919.76	280535.06
	(4) **पूंजीगत व्यय**	14276.48	9906.41	49.79	9.94	3306.80	0.00	3070.39	708.88	20703.46	10625.23
	(5) **समाप्त अवधि हेतु मूल्यह्रास**	5994.36	5194.07	75.91	102.42	174.68	174.68	0.00	0.00	6244.95	5471.17

टिप्पणीः उपभोगकर्ता युनिटों के विद्युत प्रभारों को मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा ऊर्जा निर्माण के कारण ऊर्जा बिलों में की गयी जमा की रकम द्वारा समायोजित किया गया है और उसे ऊर्जा निर्माण में लगी युनिट की अंतर्क्षेत्रीय आय के रूप में माना गया है ।

इसमें अनाबंटित पूंजीगत व्यय, संस्थागत आस्तियां व संस्थागत देयताएं शामिल हैं ।

स्वतंत्र लेखा परीक्षककी रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्य,
मॉयल लिमिटेड,
नागपुर

समेकित वित्तीय विवरणोंपर रिपोर्ट

हमने मॉयल लिमिटेड (जिसे इससे आगे कंपनी कहा गया है) के व उसके संयुक्त उद्यमों(जिसे इसके बाद सामूहिक रूप से समूह कहा गया है) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिनमें दि.31 मार्च, 2018 का तुलन पत्र, लाभ व हानी का समेकित विवरण, अन्य व्यापक आय, ईक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण व तत्समय समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्पूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश व अन्य स्पष्टीकरणात्मक विवरण शामिल हैं (जिन्हें इससे आगे समेकित वित्तीय विवरण कहा गया है) ।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का निदेशकमंडल कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु जिम्मेदार है जो भारतीय लेखांकन मानकों(आइएनडीएएस) के अनुसार समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित नकदी प्रवाह, समूह के ईक्विटी में होने वाले समेकित परिवर्तनों की सही व सत्य जानकारी दे, जैसा कि कंपनी(भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित, के साथ पठित अधिनियम की धारा133 के अंतर्गत व भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट है ।समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक बोर्ड समूह की आस्तियों के रक्षण हेतु व जालसाजियों एवम् अन्य अनियमितताओं की रोकथाम करने हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखांकन के पर्याप्त अभिलेखों को रखने हेतु जिम्मेदार हैं । उन पर यथोचित लेखांकन नीतियों को चुनने व उनका अनुप्रयोग करने, दायित्वपूर्ण निर्णय लेने व तर्क सम्मत व विवेकपूर्ण अनुमान लगाने तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का स्वरूप निर्धारित करने, कार्यान्वित करने व उनका रखरखाव करने का भी दायित्व है, जो लेखांकन के उन अभिलेखों की सटीकता व संपूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे जो कंपनी के निदेशकों द्वारा उक्तनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजनार्थ समेकित वित्तीय विवरणों को बनाने व प्रस्तुत करने में प्रासंगिक थे व एक सही व सत्य चित्र प्रस्तुत करते थे और किसी भी महत्वपूर्ण गलतबयानी से रहित थे, चाहे वह जालसाजी के कारण हो या चूक के कारण हो ।

लेखा परीक्षकका दायित्व

हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है । अपनी लेखा परीक्षा करने में हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन व लेखा परीक्षा के मानकों, अधिनियम व उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के प्रवधानों के अनुसार लेखा परीक्षा में शामिल किये जाने वाले विषयों का विचार किया है ।

हमने अपनी लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन के मानकों के अनुसार आयोजित की है । उन मानकों की यह अपेक्षा है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और लेखा परीक्षा का आयोजन व निष्पादन यह तर्क सम्मत आश्वासन प्राप्त करने हेतु करें कि समेकित वित्तीय विवरण किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं अथवा नहीं ।

लेखा परीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों की रकमों एवम् प्रकटन के बारे में लेखा परीक्षा के साक्ष्य जुटाने हेतु कार्यविधियां करना शामिल होता है । चयनित कार्यविधियां लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिनमें समेकित वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिम का निर्धारण शामिल है, चाहे वह जालसाजी के कारण हो या चूक के कारण हो । ऐसे जोखिम निर्धारणों में, लेखा परीक्षक कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को ध्यान में रखता है, जो उन परिस्थितियों में आवश्यक लेखा परीक्षा की कार्यविधियों के स्वरूप के निर्धारण में एक सही व स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करें । लेखा परीक्षा में उपयोग में लायी गई लेखांकन की नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन व कंपनी के निदेशकों द्वारा किये गये लेखांकन के प्राक्कलनों के औचित्य का निर्धारण तथा समेकित वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है ।

हमें विश्वास है कि समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर अपनी राय देने हेतु हमने जो लेखा परीक्षा के साक्ष्य जुटाए हैं वे पर्याप्त हैं और लेखा परीक्षा की हमारी राय बनाने हेतु एक उचित आधार प्रदान करते हैं ।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी व हमें प्रदत्त स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम में अपेक्षित जानकारी यथापेक्षित ढंग में प्रदान करते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन के सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के दि.31 मार्च,2018 के समूह के समेकित कार्यों का व उस दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु उसके लाभ, कुल व्यापक आय, ईक्विटी में परिवर्तनों और उसके नकदी प्रवाह का सही व स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

एक संयुक्त उद्यम कंपनी सैल एंड मॉयल फेरो एलॉयजप्राइवेट लिमिटेड के स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा प्रदत्त राय पर उक्त संयुक्त उद्यम कंपनी के प्रबंधन द्वारा यथोचित स्पष्टीकरण दिया गया है, जो **अनुबंध–ए** के रूप में यहां संलग्न है ।

समेकित वित्तीय विवरणों पर उक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है ।

अन्य मामले

हमने उसके संयुक्त नियंत्रण की संस्थाओं ड्ड रिनमॉयल फेरो एलॉएज प्रा.लि. तथा सैल एंड मॉयल फेरो एलॉएज प्रा.लि. के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण दि.31 मार्च, 2018 को क्रमशः रु.84.31 लाख व रु. 176.60 लाख की कुल आस्तियां 0.10 लाख व रु.3.73 लाख की कुल आय और रु.0.92 लाख व रु.3.66 लाख के निवल नकदी प्रवाह दर्शाते हैं जिनका विचार समेकित वित्तीय विवरणों में किया गया है । वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखापरीक्षक द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई थी और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय केवल अन्य लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है जहां तक कि संयुक्त नियंत्रण वाले उद्यमों के संबंध में शामिल रकमों एवम् प्रकटीकरण का संबंध है तथा अधिनियम की धारा143 की उप धारा(3) व (11) के अनुसार हमारी रिपोर्ट पर आधारित है, जहां तक कि संयुक्त नियंत्रण वाले उद्यमों से उसका संबंध है ।

समोकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय, और नीचे दी गई अन्य कानूनी और नियाामक पुनर्मूल्यांकन पर हमारी रिपोर्ट, और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और वित्तीय सांख्यिकी / वित्त पोषण प्रबंधन द्वारा प्रमाणित जानकारी उपर्युक्त मामले के संबंध में संशोधित नहीं किया गया है.

अन्य विधिकव विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

अधिनियम की धारा143(3) की आवश्यकतानुसार हम अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर यह रिपोर्ट करते हैं कि:-

(1) हमने वे सभी जानकारियां व स्पष्टीकरण हाँसिल किये जो हमापी सर्वोत्म जानकारी एवम् विश्वास क अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे ।

(2) हमारी राय में कंपनी द्वारा उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित विधि द्वारा आवश्यक यथोचित खाता बहियां रखी हैं, जैसा कि उन बहियों की हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा एवम् संयुक्त उद्यमों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है ।

(3) समेकित तुलन पत्र,समेकित लाभ व हानी विवरण(अन्य व्यापक आय सहित), ईक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण व नकदी प्रवाह का समेकित विवरण, जिनकी इस रिपोर्ट में चर्चा की गई है, कंपनी द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को बनाने के प्रयोजनार्थ रखी गई संबंधित बहियों और संयुक्त नियंत्रण वाले उद्यमों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से मेल खाते हैं ।

(4) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये संबंधित नियमों के साथ पठित उसकी धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं ।

(5) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दि.5 जून, 2015 की अधिसूचना क्र.जीएसआर463(ई) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) कंपनी पर लागू नहीं है ।

(6) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता व ऐसे नियंत्रणों की कार्यात्मक प्रभाविकता के संबंध में **अनुबंध ब** में हमारी अलग रिपोर्ठ देखें जो कंपनी व भारत में निगमित उसके संयुक्त उद्यमों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है । हमारी रिपोर्ट समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता व कार्यात्मक प्रभाविकता के संबंध में असंशोधित राय व्यक्त करती है ।

(7) कंपनी (लेखा परीक्षा व लेखा परीक्षक) नियम, 2014, यथासंशोधित के नियम11 के अनुसारलेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में व हमारी सर्वोत्तम जानकारी व हमें प्रदत्त स्पष्टीकरणों के अनुसार-

1) समेकित वित्तीय विवरण समूह की समेकित वित्तीय स्थिति पर पेंडिंग मुकदमों के प्रभाव को प्रकट करते हैं ।(वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 14.4.7 देखें) ।

2) व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई भी ऐसी दीर्घकालिक संविदाएं नहीं हैंजिनके संबंध में महत्वपूर्ण परिहार्य हानियों के लिये प्रावधान आवश्यक हो ।

3) समूह द्वारा निवेशक शिक्षण व संरक्षण निधि को रकमों का अंतरण करने में कोई विलंब नहीं हुआ है ।

कृते
मे.जे.एस.उबेरॉय एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण क्रमांक:-111107डब्ल्यू
सीए अमरजीत सिंह संधू
भागीदार
सदस्यता क्रमांक:-108665

रिपोर्ट का दिनांक:-22 जून,2018
हस्ताक्षर का स्थान:- नागपुर

स्वतंत्र लेखा परीक्षककी रिपोर्ट का अनुबंध ए

(वित्तीय वर्ष 2017 – 18 की हमारी रिपोर्ट केराय वाले परिच्छेद में किये गये उल्लेख केअनुसार)

क्रम सं.	स्वतंत्र लेखा परीक्षककी टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
1	लेखे सतत आधार पर तैयार किये गये हैं चाहे ङ्क (1) संयुक्त उद्यम कंपनी यथा सैल एंड मॉयल फेरो एलॉएज प्रा.लि. के निगमन हेतु संयुक्त उद्यम करार दि. 11.02.2008 को स्टील अथॉरिटी ऑफइंडिया लिमिटेड(सैल) व मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (मॉयल) केबीच में दोनों पक्षों केबीच बराबर की सहभागिता केसाथ हुआ था । (2) कंपनी ने व्यवहार्यता अध्ययन करने,व्यावसायिक योजना बनानेव फेरो एलॉय संयंत्र परियोजना के संबंध में तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करने हेतु समय समय पर विभिन्न सलाहकारों की नियुक्तिकी थी , जिसकेलिये संयुक्त उद्यम की स्थापना की गई थी व संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया था । (3) दि.11.02.2008 अर्थात संयुक्त उद्यम स्थापित करने केदिनांकसे अभी तककोई भौतिककाम शुरू नहीं किया गया है, यहां तककिवर्ष केदौरान परियोजना भूमि हेतु पट्टा विलेख भी समाप्त हो गया और इसकेभौतिककार्यान्वयन हेतु कंपनी द्वारा कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाये गये । (4) कंपनी ने पिछले वर्षो केरु.3.16 करोड केमुकाबले दि.31 मार्च, 2018 को रु.12.67 करोड की संचित हानी उठायी । उपर्युक्तघटनाएं आगे सतत रूप से चालू रहने में कंपनी की क्षमता पर पर्याप्त संदेह पैदा करती है । साथ ही, उक्त आधार का औचित्य परियोजना को समय पर पूरा करने में कंपनी की क्षमता और / या व्यवहार्यता पर निर्भर होगा, जिसकेलिये उसका सृजन किया गया था ।	संयुक्त उद्यम के भागीदार विभिन्न विकल्पों की तलाश कर रहे हैं , जिनमें मौजूदा आर्थिक परिदृश्य व कच्चे माल की उपलब्धता को देखते हुए परियोजना स्थापित करने हेतु वैकल्पिक स्थान का चयन शामिल है ।प्रबंधन ने बालाघाट खदान में एकफेरो एलॉय संयंत्र स्थापित करने केअपने निर्णय व सैल केसाथ सैल एंड मॉयल फेरो एलॉयज प्रा.लि. केसाथ संयुक्तउद्यम बनाने केअपने इरादे केबारे में सूचित किया है । इस प्रकार से प्रबंधन की राय में परियोजना स्थापित करने में हो रहे विलंब का लाभप्रदता की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा ।
2	जहां तकपरियोजना भूमि का संबंध है, पट्टा विलेख केअनुसार एकबारगी प्रीमियम व चुकौती ही पट्टे का प्रतिफल है । खंड 4.3 में यह उल्लेख है किसंयुक्तउद्यम कंपनी रु.12 करोड का अप्रतिदेय एकबारगी प्रीमियम अदा करेगी ।संयुक्तउद्यम कंपनी द्वारा अभी तकउक्तप्रतिफल का भुगतान पट्टेदार को नहीं किया है ।	

कृते
मे.जे.एस.उबेरॉय एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण क्रमांकः–111107डब्ल्यू
सीए अमरजीत सिंह संधू
भागीदार
सदस्यता क्रमांकः–108665

रिपोर्ट का दिनांकः–22 जून,2018
हस्ताक्षर का स्थानः– नागपुर

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध ब

(विधिक व विनियामक आवश्यकताओं पर अपनी रिपोर्ट के परि.1(f) में किये गये उल्लेख व अधिनिम की धारा 143(3)(1) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017 – 18 हेतु)

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड(1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने मॉयल (मूल कंपनी) के दि.31.मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु व उसके समेकित आइएनडीएएस वित्तीय विवरणों के साथ मूल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंगपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की भी लेखा परीक्षा की है और उस दिनांक को भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों की स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर विश्वास किया है ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों हेतु प्रबंधन का दायित्व

मूल कंपनी व भारत में निगमित उद्यमों के निदेशक बोर्ड, मूल कंपनी व संयुक्त नियंत्रण वाले उद्यमों द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया (आइसीएआइ) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार स्थापित, वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंडों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने व उनके अनुप्रवर्तन हेतु जिम्मेदार हैं ।इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त वित्तीय नियंत्रणों के स्वरूप निर्धारण, कार्यान्वयन व अनुप्रवर्तन शामिल है, जो उसके व्यवसाय के उचित व प्रभावी संचालन हेतु कार्य कर रहे थे, जिनमें अधिनियम की अपेक्षानुसार संबंधित कंपनियों की आस्तियों के रक्षण, जालसाजियों व चूकों के निर्धारण, लेखांकन के अभिलेखों की सटीकता व पूर्णता व विश्वसनीय जानकारी की समय पर तैयारी के संबंध में नीतियों का पालन भी शामिल है ।

लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करना है । हमने आइसीएआइ द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शी टिपपणी के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा आयोजित की है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा143(10) के अंतर्गत निर्धारित मानी गयी हैं ।उन मानकों एवम् दिशानिर्देशी टिपपणी की यह अपेक्षा है कि हम उन नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें व यह तर्क सम्मत आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखा परीक्षा का आयोजन करें कि क्या पर्याप्त आंतरिक विततीय नियंत्रणों की स्थापना व अनुप्रवर्तन किया गया था व क्या हर महत्वपूर्ण संदर्भों में ऐसे नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे ।

हमारी लेखा परीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों की रकमों एवम् प्रकटन के बारे में व विततीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता व उनकी कार्यात्मक प्रभाविकता के संबंध में लेखा परीक्षा के साक्ष्य जुटाने हेतु कार्यविधियां करना शामिल होता है । वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में इस जोखिम का निर्धारण शामिल था कि क्या कोई महत्वपूर्ण दुर्बलता तो मौजूद नहीं है, और इस प्रकार निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों की कार्यात्मक प्रभाविकता के स्वरूप का परीक्षण वमूल्यांकन करना भी शामिल था । चयनित कार्यविधियां लेखा परीक्षक के इस निर्णय पर आधारित होती हैं जिनमें आइएनडी एएस वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिम का निर्धारण शामिल है, चाहे वह जालसाजी के कारण हो या चूक के कारण हो । ऐसे जोखिम निर्धारणों में, लेखा परीक्षक कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को ध्यान में रखता है, जो उन परिस्थितियों में आवश्यक लेखा परीक्षा की कार्यविधियों के स्वरूप के निर्धारण में एक सही व स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करें । लेखा परीक्षा में उपयोग में लायी गई लेखांकन की नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन व कंपनी के निदेशकों द्वारा किये गये लेखांकन के प्राक्कलनों के औचित्य का निर्धारण तथा समेकित वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है ।

हमें विश्वास है कि समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर अपनी राय देने हेतु हमने जो लेखा परीक्षा के साक्ष्य जुटाए हैं वे पर्याप्त हैं और लेखा परीक्षा की हमारी राय बनाने हेतु एक उचित आधार प्रदान करते हैं ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में एक तर्क सम्मत आश्वासन प्रदान करने और लेखांकन के आम तौर पर स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनार्थ वित्तीय विवरणों को बनाने हेतु बनाया गया है । कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों एवम् कार्यविधियों का समावेश होता है जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हों, जो पर्याप्त विस्तार में कंपनी की आस्तियों के सही व स्पष्ट व्यवहारों एवम् निपटान का चित्र प्रस्तुत करें (2) इस आशय का एक तर्क सम्मत आश्वासन दे सकें कि यथावश्यक ल्यवहारों को इस प्रकार रेकॉर्ड किया गया है जो आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन के सिद्धांतों को बनाने हेतु आवश्यक हों और कंपनी की प्राप्तियों तथा व्यय का व्यवहार कंपनी के प्रबंधन एवम् निदेशकों के प्राधिकार से ही किये जाते हों व (3) कंपनी की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहणों,उपयोग या निपटान के संबंध में एक तर्क सम्मत आश्वासन प्रदान करं, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों की प्रबंधन द्वारा अवहेलना शामिल हो, के कारण चूक या जालसाजी की वजह से महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है जिसका पता लगाना भी संभव न हो । भविष्य की अवधियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन का कोई भी पूर्वानुमान इस जोखिम के अधीन हो सकता है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो जाएं या नीतियों या कार्यविधियों में गिरावट आ जाए ।

राय

हमारी राय में कंपनी में सभी महत्वपूर्ण संबंधों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आइसीएआइ) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मर्गदर्शन टिप्पणी के आधार पर दि.31 मार्च, 2018 को प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे ।

अन्य मामले

जहां तक भारत में निगमित दो संयुक्त नियंत्रण वाले उद्यमों के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता व कार्यात्मक प्रभाविकता का संबंध है, अधिनियम की धारा 143(3)(1) के अंतर्गत हमारी रिपोर्ट भारत में निगमित उक्त कंपनियों के लेखा परीक्षकों की तदनुरूपी रिपोर्टों पर आधारित है ।

कृते
मे.जे.एस.उबेरॉय एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण क्रमांकः–111107डब्ल्यू
सीए अमरजीत सिंह संधू
भागीदार
सदस्यता क्रमांकः–108665

रिपोर्ट का दिनांकः–22 जून,2018
हस्ताक्षर का स्थानः– नागपुर

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक की दि.31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु मॉयल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग के ढाँचे के अनुसार दि.31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित वित्तीय विवरण बनाने का दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है । भारत के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा129(4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार आयोजित स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अपनी राय व्यक्त करने हेतु जिम्मेदार हैं । ऐसा उनके द्वारा दि.22 जून, 2018 की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा किये जाने का उल्लेख है ।

मैंने भारत के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक की ओर से दि.31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6) (a) के अंतर्गत दि.31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु एक पूरक लेखा परीक्षा आयोजित की है । हमने मॉयल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की है किंतु सैल एंड मॉयल फेरो एलॉएज प्रा.लि. और रिनमॉयल फेरो एलॉएज प्रा.लि. के उस दिनांक को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा नहीं की है । यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात को देखे बगैर स्वतंत्र रूप से की गई है व सांविधिक लेखा परीक्षकों एवम् कंपनी के कार्मिकों से प्रारंभिक रूप से की गई पूछताछ व लेखांकन के कुछ अभिलेखों के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है ।

मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं आयी जिससे सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कुछ टिप्पणी की जा सके या कुछ जोड़ा जा सके।

कृते
भारत के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक
(विक्रम डी मुरुगराज)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के मुख्य निदेशक
एवम् लेखा परीक्षा बोर्ड–3 के पदेन सदस्य

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक:25 जुलाई,2018

दि.31 मार्च,2018 का समेकित तुलन पत्र

रु.लाख में

विवरण	टिप्पणी क्र.	31 मार्च,2018 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े	31 मार्च,2017 को समाप्त पिछले रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े
आस्तियां			
1 गैर चालू आस्तिया			
(क) संपत्ति, संयंत्र व उपकरण	2.1	33354.90	30532.28
(ख) चालू पूंजीगत कार्य	2.2	23377.45	11616.14
(ग) अन्य अगोचर आस्तियां	2.3	1422.38	2087.28
(घ) विकासाधीन अगोचर आस्तियां	2.4	471.60	0.00
(ङ) ईक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित निवेश	3.1	6.60	7.44
(च) वित्तीय आस्तियां			
(1) निवेश	3.2	1.29	1.29
(2) ऋण	4.1	114.65	123.03
(छ) अन्य गैर-चालू आस्तियां	4.2	4395.51	6303.46
2 चालू आस्तियां			
(क) वस्तु सूची	5.1	9728.37	12217.44
(ख) वित्तीय आस्तियां			
(1) निवेश	5.2	2329.87	0.00
(2) व्यापार से प्राप्य	5.3	19001.67	24125.09
(3) नकदी व नकदी समकक्ष	5.4	2417.57	10621.86
(4) उपर्युक्त(3) के अलावा बैंक में शेष	5.5	211495.11	198490.90
(5) ऋण	6.1	500.82	482.41
(ग) चालू कर आस्तियां(निवल)	6.2	3243.34	0.00
(घ) अन्य चालू आस्तियां	6.3	11778.75	12430.70
कुल आस्तियां		323639.88	**309039.32**
ईक्विटी व देयताएं			
ईक्विटी			
(क) ईक्विटी शेयर पूंजी	7.1	25760.89	13318.78
(ख) अन्य ईक्विटी	7.2	253701.54	267215.69
देयताएं			
1 गैर – चालू देयताएं			
(क) प्रावधान	8.1	1029.09	934.57
(ख) आस्थगित कर देयताएं(निवल)	14.4.2	229.56	603.07
(ग) अन्य गैर चालू देयताएं	8.2	644.68	378.54
2 चालू देयताएं			
(क) विततीय देयताएं			
(1) व्यापार के देय	9.1	5157.69	4170.17
(2) अन्य विततीय देयताए	9.2	10061.37	5723.31
(ख) अन्य चालू देयताए	10.1	17271.45	10901.89
(ग) प्रावधान	10.2	9783.60	3911.40
(घ) चालू कर देयताएं(निवल)	10.3	0.00	1881.90
कुल ईक्विटी व देयताएं		323639.88	**309039.32**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां व लेखों पर टिप्पणियां	1 । 14.4		

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते मे.जे.एस.उबेरॉय एंड कं. मुकुंद पी.चौधरी
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. 111107 डब्ल्यू

सी.ए.अमरजीत सिंह संधु
भागीदार
सदस्यता क्र. 108665
स्थान: नागपूर
दिनांक: 22.06.2018

कृते निदेशक मंडल

मुकुंद पी. चौधरी
अध्यक्ष–तथा व्यवस्थापकीय संचालक
डी आय एन: 05339308

राकेश तुमाने
निदेशक(वित्त)
डी आय एन: 06639859

नीरज पाण्डेय
कंपनी सचिव

दि. 31 मार्च, 2018 को लाभ एवं हानी लेखा विवरण

रु.लाख में

	विवरण	टिप्पणी क्र.	31 मार्च,2018 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े	31 मार्च,2017 को समाप्त पिछले रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े
1	परिचालनों से आय	11.1	132346.08	98984.49
2	अन्य आय	11.2	17772.15	22112.74
3	**कुल आय(1+2)**		150118.23	**121097.23**
4	व्यय			
	(क) उपभोग की गई सामग्री की लागत	12.1	2985.32	2646.68
	(ख) तैयार माल,विक्रेय माल व प्रक्रियाधीन माल की सूची में परिवर्तन	13.1	1944.15	4841.62
	(ग) कर्मचारी लाभ व्यय	14.1	40619.16	30766.21
	(घ) संविदात्मक व्यय(परिवहन,रेलिंग व ठेकेदार के जरिये अन्य कार्य		6780.49	6987.94
	(ङ) स्टोर व पुरजों का उपभोग		6134.58	5298.49
	(च) ऊर्जा व इंधन		4478.77	4051.34
	(छ) बिक्री व्यय	14.2	9759.30	8497.31
	(ज) मूल्यह्रास व मोचन व्यय	2.1 । 2.3	6244.96	5471.17
	(झ) अन्य व्यय	14.3	7973.74	7657.25
			86920.47	76218.01
	घटाए: अंतर युनिट अंतरण		1596.08	1488.96
	कुल व्यय(4)		85324.39	**74729.05**
5	**निवेशों में लाभ / हानी का अंश ईक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित**	14.4.17 एवं 18	**-458.17**	**-20.83**
6	**अपवादात्मक मदों व कर पूर्व लाभ / हानी((3-4+5)**		64335.67	**46347.35**
7	अपवादात्मक मदें		0.00	0.00
8	कर पूर्व लाभ / हानी(6-7)		64335.67	**46347.35**
9	कर व्यय			
	(क) चालू कर		22966.55	16051.01
	(ख) आस्थगित कर	14.4.2	-373.51	-444.24
			22593.04	**15606.77**
10	सतत परिचालन से लाभ / हानी(8-9)		41742.63	**30740.58**
11	अन्य व्यापक आय			
	(1) वे मदें जो लाभ या हानी के रूप में पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाएंगी		-3601.27	-655.61
	(2) उन मदों से संबंधित आयकर, जो लाभ या हानी के रूप में पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाएंगी		1256.79	0.00
			-2344.48	**-655.61**
12	अवधि हेतु कुल व्यापक आय(10+11)		39398.15	**30084.97**
13	रु.10 प्रत्येक का प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन(सतत परिचालनों हेतु)	14.4.16		
	(1) मूल(रु.)		20.85	20.32
	(2) तनूकृत(रु.)		20.85	20.32
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां व लेखा टिप्पणियां	1 । 14.4		

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते मे.जे.एस.उबेरॉय एंड कं. मुकुंद पी.चौधरी
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. 111107 डब्ल्यू

सी.ए.अमरजीत सिंह संधु
भागीदार
सदस्यता क्र. 108665
स्थान: नागपूर
दिनांक: 22.06.2018

कृते निदेशक मंडल

मुकुंद पी. चौधरी
अध्यक्ष-तथा व्यवस्थापकीय संचालक
डी आय एन: 05339308

राकेश तुमाने
निदेशक(वित्त)
डी आय एन: 06639859

नीरज पाण्डेय
कंपनी सचिव

दि.31 मार्च,2018 को समाप्त वर्ष हेतु ईक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण

अ ईक्विटी शेयर पूंजी

(रु.लाख में)

रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष				रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष
	बोनस शेयरों का निर्गम	शेयरों की पुनर्खरीद	निवल	
13318.78	13318.78	876.67	12442.11	25760.89

ब अन्य इक्विटी

आबंटन पेंडिंग रहने तक शेयरआवेदन रकम	शेयर अविदन रकम बकासया आबंटन	चक्रवर्धित वित्तीय लिखत का ईक्विटी घटक	प्रारक्षित व अधिशेष				अन्य व्यापक आय के जरियेऋण लिखत	अन्य व्यापक आय के जरिये ईक्विटी लिखत	नकदी प्रवाह बचाव का प्रभावी अंश	पुनर्मूल्यांकन अधिशेष	एक विदेशी परिचालन के अंतरण पर विनिमय अंतर	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें(स्वरूप बताएं)	शेयर वारंटों पर प्राप्त धन	कुल
			पूंजी मोचन प्रारक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम प्रारक्षित	अन्य प्रारक्षित सामान्य प्रारक्षित	प्रतिधारित अर्जन								
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष	–	–	3481.22	–	253664.36	10070.70	–	–	–	–	–	–	–	267216.28
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की चूकें	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.00
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुरुउल्लिखित शेष	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.00
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय	–	–	–	–	–	39854.88	–	–	–	–	–	–	–	39854.88
सामान्य प्रारक्षित निधि को अंतरित	–	–	–	–	–	-22000.00	–	–	–	–	–	–	–	-22000.00
लाभांश व लाभांश कर	–	–	–	–		-19236.20	–	–	–	–	–	–	–	-19236.20
प्रतिधारित अर्जन से अंतरण	–	–	–	–	22000.00	–	–	–	–	–	–	–	–	22000.00
कोई अन्य परिवर्तन-बोनस शेयरों का निर्गम	–	–	-3481.22	–	-9837.56	–	–	–	–	–	–	–	–	-13318.78
शेयरों की पुनर्खरीद व उस पर व्यय	–	–	876.67	–	-21233.98	–	–	–	–	–	–	–	–	-20357.31
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष	–	–	876.67	–	244592.82	8689.38	–	–	–	–	–	–	–	254158.87
कुल ईक्विटी(क+ख)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	279919.76

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते मे.जे.एस.उबेरॉय एंड कं. मुकुंद पी.चौधरी
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. 111107 डब्ल्यू

सी.ए.अमरजीत सिंह संधु
भागीदार
सदस्यता क्र. 108665
स्थानः नागपूर
दिनांकः 22.06.2018

कृते निदेशक मंडल

मुकुंद पी. चौधरी
अध्यक्ष-तथा व्यवस्थापकीय संचालक
डी आय एनः 05339308

राकेश तुमाने
निदेशक(वित्त)
डी आय एनः 06639859

नीरज पाण्डेय
कंपनी सचिव

दि.31 मार्च,2018 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह का समेकित विवरण

(रु.लाख में)

	विवरण	दि.31 मार्च,2018 को समाप्तरिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े		दि.31 मार्च, 2017 को पिछले रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े	
क	**क परिचालन की गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	कर व लाभांश से पूर्व निवल लाभ		64335.67		46347.35
	(क) मीयादी जमा पर ब्याज	-15242.57		-17293.73	
	(ख) मूल्यह्रास व मोचन	6244.96		5471.17	
	(ग) निवेशों में लाभ / हानी का अंश ईक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित	458.17		20.83	
	(घ) संयंत्र, संपत्ति व उपकरणों से कटौतियां	67.87		47.48	
			-8471.57		-11754.25
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों से पहले परिचालनगत लाभ		55864.10		34593.10
	निम्नलिखित हेतु समायोजन-				
	(क) मालसूची	2489.07		4081.47	
	(ख) व्यापार से प्राप्य	5123.42		-9920.45	
	(ग) चालू आस्तियां	-2591.39		-1409.40	
	(घ) अन्य गैर चालू आस्तियां	1674.20		1991.44	
	(ङ) ऋण व अग्रिम	-10.03		-69.77	
	(च) अन्य व्यापक आय	-2344.48		-655.61	
	(छ) शेयरों की पुनर्खरीद पर व्यय	-193.85		-380.18	
	(ज) देयता व प्रावधान	15822.52		-395.92	
			19969.46		-6758.42
	परिचालनों से सृजित नकदी		75833.56		27834.68
	अदा किया गया आयकर(निवल)		-22966.55		-16051.01
	परिचालन की गतिविधियों से निवल नकदी		52867.01		11783.67
ख	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	(क) मीयादी जमाराशियों पर ब्याज	15242.57		17293.73	
	(ख) संयंत्र,संपत्ति व उपकरणों तथा अगोचर आस्तियों की खरीद	-20703.46		-10625.23	
	(ग) शेयरों की वायबॅक	-21040.13		-86334.25	
	(घ) तीन महीनों से अधिक की जमाराशियों में निवेश	-10899.00		20899.00	
	(ङ) तरल म्यूचुअल फंडों में चालू निवेश	-2329.87		0.00	
	निवेश की गतिविधियों में उपयुक्त निवल नकदी		-39729.89		-58766.75
ग	वित्तपोषण की गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
	(क) लाभांश(लाभांश वितरण कर सहित)	-19236.20		-8015.09	
	(ख) वारंटों का नकदीकरण होने तक लाभांश खाते	-38.67		-34.94	
	(ग) साखपत्रों व बैंक गारंटियों के प्रति मीयादी जमा में निवेश	-2066.54		-3.91	
	वित्तपोषण की गतिविधियों में उपयुक्त निवल नकदी		-21341.41		-8053.94
घ	नकदी व नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि / (-) कमी		-8204.29		-55037.02
ङ	प्रारंभिक नकदी व नकदी समकक्ष		10621.86		65658.88
	संवरण नकदी व नकदी समकक्ष		2417.57		10621.86
	नकदी व नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि / (-) कमी		-8204.29		-55037.02

नकदी प्रवाह विवरण इंड. एएस7 में दिये गये अनुसारअप्रत्यक्ष पद्धति से बनाया गया है।

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते मे.जे.एस.उबेरॉय एंड कं. मुकुंद पी.चौधरी
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. 111107 डब्ल्यू

सी.ए.अमरजीत सिंह संधु
भागीदार
सदस्यता क्र. 108665
स्थान: नागपूर
दिनांक: 22.06.2018

कृते निदेशक मंडल

मुकुंद पी. चौधरी
अध्यक्ष-तथा व्यवस्थापकीय संचालक
डी आय एन: 06639859

राकेश तुमाने
निदेशक(वित्त)
डी आय एन: 06639859

नीरज पाण्डेय
कंपनी सचिव

टिप्पणी क्र.1

दि.31 मार्च,2018 को समाप्त वर्ष हेतु महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां व समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

कारपोरेट व सामान्य जानकारी

मॉयल लिमिटेड(जिसे आगे कंपनी कहा गया है) का अधिवास एवम् निगमन भारत का है । कंपनी अनुसूची क की एक मिनिरत्न श्रेणी का एक केंद्र सरकार का उपक्रम है । कंपनी देश के सबसे बड़े मैंगनीज उत्पादकों में से एक है ।कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 1-ए, काटोल रोड,नागपुर-440013 में स्थित है .कंपनी की प्रतिभूतियां नैशनल स्टॉक एक्सचेंज एवम् बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्रमशः स्क्रिप कोड मॉयल व 533286 के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं ।इन समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी व संयुक्त उद्यमों(जिसे समूह कहा गया है) में उसके हित शामिल हैं ।

1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1.1 समेकित विवरणों को बनाने का आधार

(क) अनुपालन का विवरण

ये समेकित विवरण भारतीय लेखांकन मानकों (आइएनडी एएस)के अनुसार परंपरागत लागत सम्मेलन के अंतर्गत उपचित आधर पर बनाये गये हैं(कुछ वित्तीय लिखतों को छोड़ कर, जिन्का निर्धारण उचित मूल्यों पर,अधिसूचना की सीमा तक कंपनी अधिनियम,2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है आइएनडी एएस कंपनी(भारतीय लेखांकन मानक)नियम,2015 व कंपनी(भारतीय लेखांकनमानक) संशोधन नियम,2016 के नियम3 के साथ पठित धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित हैं ।

(ख) परिमाप का आधार

निम्नलिखित आस्तियों व देयताओं को छोड़ कर, जिन्हें उचित मूल्य पर निर्धारित किया गया है, समेकित वित्तीय विवरण परंपरागत लागत आधार पर बनाये गये हैं ।

कुछ वित्तीय आस्तियां व देयताएं, जिन्हें लाभ व हानी के जरिये उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है या अन्य व्यापक आय के जरिये उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

बिक्री हेतु धारित आस्तियां रखाव लागतऔर उचित मूल्यरहित लागतमें से कम पर हैं ।

पारिभाषित लाभ योजनाएं व योजना आस्तियां

(ग) कार्यात्मक व प्रस्तुतीकरण मुद्रा

समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों में प्रस्तुत किये गये हैं , जो समूह की कार्यात्मक मुद्रा है । रुपये में प्रस्तुत सभी समेकित वित्तीय जानकारी लाख के निकटतम दो दशमलवों तक पूर्णांकित किये गये हैं, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो ।

(घ) अनुमानों, मान्यताओं व प्रबंधन के निर्णयों का उपयोग

कंपनी की लेखांकन नीतियों के अनुरूप समेकित विवरण बनाने में प्रबंधन को अनुमान व मान्यताएं करनी होती हैं, जो आस्ति व देयताओं की रिपोर्ट की गई रकमों व समेकित वित्तीय विवरणों के दिनांक के आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को व रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आय तथा व्यय की रकमों को प्रभावित करते हैं ।वास्तविक रकमें इन अनुमानों से अलग हो सकते हैंव इस अंतर को उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसमें उनका निर्धारण हुआ हो ।

(ङ) इन समेकित विवरणों का संबंध उस समूह से है जिसमें कंपनी व दो संयुक्त उद्यम वाली कंपनियों में हित शामिल हैं, जिसके विवरण निम्नानुसार हैः-

क्रम सं.	कंपनी का नाम व निगमन का देश	दि.31.03.2018 को शेयरधारण का अनुपात (%)	दि.31.03.2018 को शेयरधारण का अनुपात (%)
1	रिनमॉयल फेरो एलॉयज प्रा.लि.	50 %	50 %
2	सैल एंड मॉयल फेरो एलॉयज प्रा.लि.	50 %	50 %

इन संयुक्त उद्यम वाली कंपनियों को इससे आगे संयुक्त उद्यम (जेवी) कहा गया है । संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों का सनेकन रिनमॉयल फेरो एलॉयज प्रा.लि. और सैल एंड मॉयल फेरो एलॉयज प्रा.लि. के दि.31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं ।

1.1.1 समेकन के सिद्धांतः

समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किये गये हैः

1) संयुक्त उद्यमों में निवेश का लेखांकन भारतीय लेखांकन मानक 28 - सहायक व संयुकत उद्यमों में निवेश के अनुसार ईक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए किया गया है ।

2) समेकित वित्तीय विवरण समान व्यवहारों व समान स्वरूप की अन्य घटनाओं हेतु एक समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करते हुए तैयार किये गये हैं और उन्हें कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो ।

समेकित वित्तीय विवरण बनाने में अपनायी गई लेखांकन नीतियां वही हैं, सिवाय मूल्यह्रास के मामले में जहां संयुक्त उद्यम के मामले में सभी आस्तियों पर मूल्यह्रास (मूल कंपनी में अपनायी गई ह्रासित मूल्य पद्धति के विपरीत) सीधी रेखा पद्धति से प्रभारित किया गया है ।

1.2.1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारः

(क) संपत्ति, संयंत्र व उपकरण

मान्यता व परिमाप

खरीदे गये संपत्ति, संयंत्र व उपकरणों के नकदी मूल्य की प्रारंभिक लागत में उनका खरीद मूल्य,आयात शुल्क व अप्रतिदेय खरीद कर व आस्तियों को कामकाज की स्थिति व कार्यस्थल तक लाने में प्रत्यक्ष रूप से लगने वाली लागतें शामिल होती हैं ।

संपत्ति, संयंत्र व उपकरणों का रखरखाव लागत में से संचित मूल्यह्रास व हानी,यदि कोई हो, को घटा कर किया जाता है ।

(ख) अवासविक आस्तियां

अवासविक आस्तियां लागत में से संचित मोचन व हानी, यदि कोई हो, को घटा कर दर्शाया जाता है ।

अगोचर आस्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं-

(क) पट्टा विलेख में निर्धारित अवधियों हेतु प्राप्त पट्टाधिकार की लागत ।

(ख) एसएपी लाइसेंस की खरीद की लागत, जिसकी 5 वर्षों की उपयोगी अवधि शेष हो ।

(ग) एमएसऑफिस सॉफ्टवेयर की लागत जिसकी 3 वर्षों का उपयोगी अवधि शेश हो व तदनुसार मोचन हुआ हो ।

(ग) मूल्यह्रास व मोचन:

(1) पवन टर्बाइन जनरेटरों के संबंध में मूल्यह्रास का परिकलन सीधी रेखा पद्धति से किया जाता है और (2)अन्य सभी आस्तियों परविभिन्न आस्तियों के उपयोगी अवधि के आधार पर ह्रासित मूल्य पद्धति से किया जाता है जैसा कि समय समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 में प्रवधान है।जब भी किसी आस्ति को महीने के दौरान पहली बार उपयोग में लाया जाता है, पूरे महीने के मूल्यह्रास का परिकलन किया जाता है ।

परिवर्तित वन्य भूमि के निवल वर्तमान मूल्य समेत पट्टाधिकार भूमि की लागत को पट्टे की अवधि में मोचित किया जाता है ।

खनन अधिकारों को अगोचर आस्तां माना जाता है और उनकी सभी संबंधित लागतों को सीधी रेखा पद्धति के आधार पर उनके संबंधित अनुमानित उपयोगी अवधि में मोचित किया जाता है ।

(घ) आस्तियों पर हानियों को बट्टे खाते डालना

सभी निकाली गई और विखंडित आस्तियों के कबाड़ मूल्य को शून्य मानते हुए उन्हें बट्टे खाते में डाला जाता है । जब कभी ऐसी निकाली गई आस्तियों का आंशिक या पूर्ण रूप से निपटान किया जाता है तब बिक्री से वर्ष के दौरान प्राप्त रकम को उस वर्ष के लाभ - हानी विवरण में ले जाया जाता है ।

(ड़) निर्माण अवधि के दौरान व्यय

विशिष्ट परियोजनाओं पर निर्माण अवधि के दौरान हुए ऐसे सभी व्ययों, जिन्हें ऐसी परियोजनाओं से संबंधित माना जा सके, को उस परियोजना के पूर्ण होने व प्रारंभ के दिनांक तक उक्त परियोजनाओं में नामे डाला जा सकता है ।

(च) निर्माण अवधि के दौरान ब्याज

निर्माण अवधि से पूर्ण होने तक की अवधि के दौरान विशिष्ट आस्तियों पर वहन किये गये व्ययों को पूंजीगत किया जाता है ।

(छ) आस्तियों पर हानी

हर तुलन पत्र के दिनांक को समूह द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि क्या किसी आस्ति के हानीग्रस्त होने के संकेत हैं । यदि ऐसे कोई संकेत हों तो समू द्वारा आस्तियों के वसूली योग्य मूल्य का अनुमान लगाया जाता है । यदि ऐसी वसूली योग्य रकम उसके रखरखाव की लागत से कम हो तो रखरखाव की लागत को वसूली योग्य रकम तक कम कर दिया जाता है .इस कमी को अनर्जक हानी माना जाता है व लाभ व हानी के विवरण में मान्य किया जाता है ।यदि ऐसे संकेत हों कि अब पहले निर्धारित अनर्जक हानी मौजूद न हो तो वसूली योग्य रकम का पुनर्निर्धारण किया जाता है और आस्ति को वसूली योग्य रकम पर दर्शाया जात है ।

1.2.2 निवेश

शेयरों में दीर्घकालिक निवेशों को लागत पर दर्शाया जाता है ।यदि मूल्य में कोई ह्रास हो तो अस्थायी स्वरूप कता न होने पर प्रावधान किया जाता है .

कोई भी निवेश सूचीबद्ध नहीं हैं और इसलिये किसी भी निवेश के मूल्य में ह्रास नहीं है, सिवाय संयुक्त उद्यमों में निवेश के, जिसके लियेहानी हेतु पर्याप्त प्रावधान किया गया है।

1.2.3 मालसूची

मालसूची का मूल्यांकन निम्नलिखित आधार पर किया जाता है ।

(क) तैयार माल

(1) सभी श्रेणियों के मैंगनीज अयस्क(अपरिष्कृत धातु, कोयले का चून,एचआइएमएस अवशिष्ट के अतिरिक्त)-खदानों पर लागत पर जिसमें खदान की आस्तियों पर मूल्यह्रास समेत लागत पर या निवल वसूली योग्य मूल्य पर, जो भी कम हो ।

(2) मैंगनीज अयस्क अपरिष्कृत, कोयले का चून व एचआइएमएस अवशिष्टः- नमूना छँटाई / प्रक्रमण ,परिवहन आदि के प्रति टन लागत परतकनीकी अनुमान या निवल वसूली योग्य मूल्य पर, जो भी कम हो ।

(3) बंदरगाह पर मैंगनीज अयस्कः-बंदरगाह पर उतराई लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य पर, जो भी कम हो । उतराई लागत में मालभाड़ा, उतराई प्रभार, नमूना छँटाई प्रभार आदि शामिल हैं ।

जब तक कि समग्र बही मूल्य की तुलना में खदानों में स्टॉक की समग्र स्थिति अधिक नहीं पाई जाती, बही स्टॉक व भौतिक स्टॉक के बीच के फर्क का समायोजन नहीं किया जाता है । जब भी अयस्क का वास्तविक प्रेषण किया जाता है, हर खेप के परिवहन / पोतलदान की जाँच करने के बाद आधिक्य या कमी का निर्धारण किया जाता है और उस वर्ष की समूह की बहियों में दर्शाया जाता है ।

(4) (ईमडी) की पूर्णांकित युनिटों के प्रतिशत के रूप में तकनीकी अनुमान द्वारा निर्धारित इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाइ ऑक्साइड(ईएमडी) (उत्पादन के विभिन्न चरणों में 31 मार्च के स्टॉक सहित)-संयंत्र के मूल्यह्रास समेत चालू वर्ष की उत्पादन लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जोभी कम हो ।

(5) (क) फेरो मैंगनीज / सिलिको मैंगनीज, दि.31 मार्च को केक स्वरूप में स्टॉक समेत , जो तकनीकी निर्धारण द्वारा तय किया गया हो ।

(ख) प्रक्रियाधीन स्टॉकः– फेरो मैंगनीज / सिलिको मैंगनीज की मात्रा का वजन नहीं लिया जा सकता है और न ही उसे देखा जा सकता है या निर्धारण किया जा सकता है अतः कोई मूल्य समनुदेशित नहीं किया गया है ।

(ग) लौह चून का स्टॉकः– लौह चून फेरो मैंगनीज के निर्माण के दौरान उत्पन्न अशुद्धियों का एक पिघला हुआ पुंज होता है जिसे कबाड़ माना जाता है और तदनुसार उसका मूल्यांकन निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है ।

(ख) **स्टोर मालसूची** (स्टोर,पुरजे,लकड़ी, विस्फोटक,इंधन व चिकनाई तथा कच्चा माल)– लागत एवम् इंड. एएस2 के अनुसार निवल वसूली योग्य मूल्य में से कम पर । लागत निर्धारण का आधार भारित औसत पद्धति है ।

(1) सभी स्टोर, पुरजों आदि की भौतिक जाँच हर वर्ष के अंत में की जाती है ।भौतिक स्टॉक व बही स्टॉक के बीच के फर्क की जाँच की जाती है और खाता बहियों में आवश्यक समायोजन किये जाते हैं ।

(2) फेरो मैंगनीज संयंत्र के मामले में,संयंत्र पर मौजूद मैंगनीज अयस्क को छोड़ कर, कच्चे माल के स्टॉक का मूल्यांकन भारित औसत पद्धति और निवल वसूली योग्य मूल्य द्वारा निर्धारित लागत में से कम पर किया जाता है ।संयंत्र पर मौजूद मैंगनीज अयस्क के स्टॉक का मूल्यांकन चालू वर्ष की उत्पादन लागत व निवल वसूली योग्य मूल्य में से कम पर किया जाता है और उसमें आइएनडी एएस2 के अनुसार परिवहन की लागत एवम् अन्य प्रभार, यदि कोई हों, जोड़ दिये जाते हैं । संयंत्र पर मौजूद अयस्क के प्रारंभिक व संवरण स्टॉक को कच्चे माल के स्टॉक शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है ।

(ग) मालसूची की भौतिक जाँच वर्ष के अंत में की जाती है ।

(घ) मैंगनीज अयस्क तथा थोक कच्चे माल व फेरो मैंगनीज के उत्पादन व मालसूची का निर्धारण उत्पादन / तकनीकी विभाग द्वारा वजन मात्रा अनुपात के अनुसार किया जाता है और तदनुसार उसका लेखांकन किया जाता है ।

1.2.4 नकदी व नकदी समकक्ष

नकदी व नकदी समकक्ष में हाँत में नकदी व मांग जमाराशि अन्य अल्पावधि अत्यधिक तरल निवेशों(3 महीने से कम की मूल परिपक्वता अवधि वाले) सहित शामिल होते हैं, जिन्हें आसानी से नकदी की विदित मात्रा में बदला जा सके व जिनके मूल्य में परिवर्तन का कोई विशेष जोखिम न हो ।

1.2.5 वित्तीय लिखतों के परिमाप का उचित मूल्य

(जहां सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध न हों) वहां वित्तीय लिखतों के व गैर वित्तीय आस्तियों के यथोचित मूल्य के निर्धारण हेतु समूह मूल्यांकन की तकनीकों का पालन करता है ।इसमें लिखत के मूल्य निर्धारण हेतु अनुमान व मान्यताएं विकसित करना शामिल है जो बाजार के सहभागियों के अनुरूप हों ।जहां तक संभव हो, समूह की मान्यताएं प्रदर्शनीय डाटा पर अन्यथा उपलब्ध सर्वोत्कृष्ट जानकारी पर आधारित होती हैं। अनुमानित उचित मूल्य रिपोर्टिंग के दिनांक को मौजूद वास्तविक मूल्य से भिन्न हो सकते हैं, जिन्हें किसी निकटवर्ती व्यवहार से प्राप्त किया जाता है ।

1.2.6 पृथक ब्याज लागत

विकास पृथक ब्याज लागत

खनिज भंडार तक पहुँचने हेतु खदान स्तर के प्रारंभिक विकास के दौरान अधिभार व अन्य खदान अवशिष्ट पदार्थ को हटाने की अन्य लागत को आस्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाता है । उस पर मूल्यह्रास का परिकलन प्रबंधन द्वारा अनुमानित उपयोगी अवधि के आधार पर किया जाता है ।

उत्पादन पृथक ब्याज लागत

उत्पादन के पूरे चरण के दौरान हटाये गये अधिभार व अन्य खदान अवशिष्ट को व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है ।

1.2.7 आयकर

आयकर में चालू व आस्थगित कर शामिल हैं । लाभ व हानी विवरण में आयकर व्यय को केवल ईक्विटी या अन्य व्यापक आय में प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित मदों के संबंध में मान्य किया जाता है ।

(क) चालू आयकर

चालू अवधि हेतु चालू आयकर का परिकलन कराधान प्राधिकारियों को उस अवधि हेतु कर योग्य आय पर अदा की गयी या वसूली गयी या वसूली जाने वाले रकम के आधार पर किया जाता है । चालू कर के परिकलन हेतु रिपोर्टिंग के दिनांक को लागू कर की दरों व पर्याप्त रूप से अधिनियमित विधियों का उपयोग किया जाता है ।जहां पर समूह को मान्य रकमों के समंजन का कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त होता है व जहां उसका आशय समायोजन के आधार पर मान्य रकमों के निपटान करने का हो या आस्तियों व देयताओं के एक साथ उगाही का हो वहां समूह चालू आस्तियों व चालू देयताओं को प्रति संतुलित कर देता है ।

(ख) आस्थगित आयकर

आस्थगित आयकर का निर्धारण तुलन पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए किया जाता है ।आस्थगित आयकर आस्तियों व देयताओं का निर्धारण आस्ति व देयताओं के कर आधार के बीच पैदा होने वाले कटौती योग्य व कर योग्य अस्थायी अंतरों तथा समेकित वित्तीय विवरणों में ले जायी जाने वाली उनकी रकमों के लिये किया जाता है, सिवाय उन मामलों के जब आस्थगित आयकर साख के प्रारंभिक निर्धारण या किसी आस्ति या देयता के ऐसे व्यवहार के कारण पैदा होता है जिसका व्यवसाय से संबंध न हो व जो व्यवहार के समय न तो लेखांकन को प्रभावित करे और न ही कर योग्य लाभ या हानियों को । आस्थगित आयकर आस्तियों का निर्धारण उस सीमा तक किया जाता है जहं तक यह संभव हो कि कर योग्य लाभ का उपयोग कटौती योग्य अस्थायी अंतरों व आगे ले जाए गये अप्रयुक्त कर की जमा रकमो तथा अप्रयुक्त कर हानियों के प्रति किया जा सके ।

आस्थगित आयकर देयताओं का निर्धारण सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिये किया जता है ।आस्थगित आयकर आस्तियों की आवर्ती रकमों की पुनरीक्षा हर रिपोर्टिंग के दिनांक को की जाती है व उसे उस सीमा तक घटाया जाता है कि आस्थगित आयकर आस्ति के पूर्ण या आंशिक उपयोग हेतु पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध हो ।आस्थगित आयकर आस्तियों व देयताओं का निर्धारण रिपोर्टिंग के दिनांक को पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर की दरों व (कर के कानून) के आधार पर कर की उन दरों पर किया जाता है जो उस अवधि पर लागू हो जब आस्ति की उगाही हो या देयता का निपटान हो।

1.2..8 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों का निर्धारण तब किया जाता है जब इस बात का तर्कसम्मत आश्वासन हो कि समूह द्वारा उन्हें लागू शर्तों का पालन किया जाए गा व अनुदान प्राप्त होंगे ।

सरकारी अनुदान का निर्धारण लाभ व हानी विवरण में एक सुनियोजित रूप से उस अवधि हेतु किया जाता है जब समूह ने उन संबंधित लागतों का व्यय के रूप में निर्धारण किया हो जिसकी क्षतिपूर्ति अनुदान से करने का आशय हो ।

जहां अनुदान का संबंध किसी आस्ति मूल्य से हो, उसका निर्धारण आस्थगित आय के रूप में किया जाता है व उसका मोचन आस्ति की अपेक्षित उपयोगी अवधियों के दौरान किया जाता है । अन्य अनुदानों का निर्धारण लाभ व हानी विवरण में उन व्ययों के समवर्ती किया जाता है जिनसे ऐसे अनुदान संबंधित हों प्रयुक्त किये जाने हों ।

जहां समूह को गैर – मौद्रिक अनुदान प्राप्त होते हों, वहां आस्ति व अनुदान को उचित मूल्यों पर सकल रूप से रेकॉर्ड किया जाता है व अंतर्निहित आस्ति की अपेक्षित उपयोगी अवधि के दौरान,व उसके लाभ के उपभोग के स्वरूप के अनुसार आय विवरण में जारी किया जाता है ।

1.2.9 प्रति शेयर अर्जन

मूलभूत प्रति शेयर अर्जन का परिकलन वर्ष के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग करते हुए किया जाता है ।

तनूकृत प्रति शेयर अर्जन(ईपीएस) का परिकलन करोपरांत लाभ को मूलभूत ईपीएस के निर्धारण हेतु विचार में ली गई ईक्विटी की भारित औसत संख्या द्वारा विभाजित करते हुए किया जाता है और उन सभी भावी तनूकृत ईक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर जारी किये जा सकने वाले ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भी विभाजित करते हुए किया जाता है ।

1.2.10 अन्वेषण व मूल्यांकन

अन्वेषण व मूल्यांकन के व्ययों को अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय माना जाता है और लाभ व हानी विवरण को प्रभारित किया जाता है ।

1.2.11 परिचालनों से आय – बिक्री

रेलवे रसीद/ लॉरी रसीद / सुपुर्दगी चालान के आधार पर माल के प्रेषण के बाद ही बहिखातों में बिक्री के इनवॉइस बनाये जाते हैं और आय का निर्धारण किया जाता है।

(क) मैंगनीज अयस्क की बिक्री

(1) प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट की प्राप्ति पर मात्रा में परिवर्तन हेतु पूरक इनवॉइस बनाये जाते हैं ।बाद के वर्षों में एक निर्दिष्ट दिनांक तक प्राप्त विश्लेषण रिपोर्टों को प्रेषण के वर्ष से संबंधित माना जाता है ।तद्नुसार पूरक इनवॉइस बनाये जाते हैं और उन्हें उसी वर्ष में लेखांकित किया जाता है । निर्दिष्ट दिनांक के बाद प्राप्त विश्लेषण रिपोर्टों को बाद के वर्ष में जारी किया जाता है ।

(2) बिक्री में रायल्टी, जिला खनिज निधि,व राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट को अंशदान शामिल है ।

(3) परिचालन के दौरान उत्पन्नअपरिष्कृत मैंगनीज अयस्क, कोयला –चून, एचआइएमएस अवशिष्ट को बिक्री हो जाने पर उत्पादन माना जाता है व तदनुरूपी बिक्री को खनन उत्पादों से हुई आय माना जाता है ।

(ख) ईएमडी फेरो मैंगनीज सिलिको मैंगनीज लौह चून की बिक्री

ईएमडी फेरो मैंगनीज सिलिको मैंगनीज लौह चून की बिक्री में उत्पाद शुल्क व उस पर लागू शिक्षा उप कर शामिल होता है ।

(ग) म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को बिजली की बिक्री

आय का निर्धारण बिक्री हेतु ग्रिड को ऊर्जा खरीद करार में सहमत दर पर दी गई बिजली के आधार पर किया जाता है ।

1.2.12 अन्य आय

(क) विविध देनदारों से प्राप्त ब्याज आय का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है

(1) यदि वसूली देनदारों से बैंक के जरिये साख पत्र द्वारा समर्थित हो तो, जहां उसके वसूली की निश्चितता हो, वहा निर्धारण उपचित आधार पर किया जाता है।

ग्राहकों को चालू वित्तीय वर्ष से अधिक प्रभारित ब्याज का निर्धारण उस वर्ष में किया जाता है जिससे वह संबंधित हो ।

(2) जहां पर वसूली बैंक के जरिये साख पत्र द्वारा समर्थित न हो व उसकी वसूली अनिश्चित हो तथा समूह द्वारा सीधे प्रभारित हो, वहां प्रबंधन के अनुभव के आधार पर वास्तविक वसूली होने पर आय का निर्धारण किया जाता है ।

(ख) जमाराशियों व अग्रिमों पर ब्याज आय का निर्धारण उपचित आधार पर किया जाता है ।

(ग) प्रतिस्थापित / घिस चुके /रद्दी पूंजीगत मदों के संबंध में ज्ञापन अभिलेख रखे जाते हैं । जब उनका निपटान किया जाता है तब उससे हुई आय को उस वर्ष की विविध प्राप्ति माना जाता है ।

1.2.13कण्टीव उपभोग

मैंगनीज अयस्क

ईएमडी फेरो मैंगनीज के उत्पादन हेतु अपरिष्कृत मैंगनीज अयस्क, कोयला –चून, एचआइएमएस अवशिष्ट को कच्चे माल के रूप में जारी किया जाता है व उनका मूल्यांकन चालू वर्ष की उत्पादन लागत पर किया जाता है तथा अपरिष्कृत धातु व एचआइएमएस अवशिष्ट का मूल्यांकन प्रति टन की दर से किया जाता है, जैसा कि स्टॉक के मूल्यांकन हेतु किया जाता है ।अयस्क के उपभोग का लेखांकन औसत लागत पर किया जाता है ।जारी किये गये अयस्क का मूल्य रेजिंग परिचालन के मूल्य में से घटा दिया जाता है व उसे निर्माण व्यय में कच्चे माल के उपभोग के रूप में माना जाता है ।

विद्युत

पवन टर्बाइन युनिटों में सृजित व खदानों में उपभोग की गई ऊर्जा संबंधित युनिटों को ऊर्जा के उत्पादन की लागत पर प्रभारित की जाती है ।

1.2.14बिक्री कर, आयकर, जीएसटी आदि

1.2 बिक्री कर, आयकर, जीएसटी आदि के संबंध में मूल्यांकन आदेश के अनुसार देय या प्राप्य रकमों का लेखांकन उस वर्ष में किया जाता है जिसमें आदेश प्राप्त हुआ हो चाहे आदेश से संबंधित वर्ष कोई भई हो ।

1.3 खरीदारी पर लगने वाले बिक्री कर जीएसटी पर समंजन / निविष्टि कर जमा को क्लेम किया जाता है । क्लेम किये गयेसमंजन / निविष्टि कर जमा व वास्तविक समंजन / निविष्टि कर जमा के अंतर का समायोजन उस वर्ष में किया जाता है जिस वर्ष मूल्यांकन आदेश प्राप्त हुआ हो व समूह द्वारा स्वीकार किया गया हो ।

1.2.15 कर्मचारी लाभ

(क) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ को उस वर्ष के लाभ व हानी विवरण में अबट्टागत रकम के व्यय के रूप में निर्धारित किया जाता है, जिस वर्ष में संबंधित सेवा प्रदान की गई हो ।

(ख) सेवा उपरांत लाभ

सेवा उपरांत लाभ के अंतर्गत भविष्य निर्वाह निधि, उपदान, छुट्टी नकदीकरण, पेंशन व चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं ।

(1) पारिभाषित लाभ योजनाएं

उपदान, छुट्टी नकदीकरण व सेवा उपरांत चिकित्सा सुविधाओं को उस वर्ष के लाभ व हानी विवरण में व्यय माना जाता है जिस वर्ष में कर्मचारी दवारा सेवा प्रदान की हो ।ऐसे व्ययों का निर्धारण देय रकमों के मौजूदा मूल्यों पर जीवनांकिक मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करते हुए किया जाता है । इन सेवा उपरांत लाभों से संबंधित जीवनांकिक लाभों व हानियों को लाभ व हानी विवरण में प्रभारित किया जाता है ।

चिकित्सा सुविधा(भर्ती रोगी) जैसे लाभ बीमा पॉलिसी द्वारा कवर किये गये हैं व बीमा प्रीमियम की रकम को उस वर्ष के लाभ व हानी विवरण में प्रभारित किया जाता हैजिसमें उनका वहन किया गया हो ।

(2) पारिभाषित अंशदान योजनाएं

पारिभाषित अंशदान योजनाएं (भविष्य निर्वाह निधि, पेंशन) सेवा उपरांत लाभ योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत कंपनी अलग – अलग निधियों में नियत अंशदान करती है ।पारिभाषित अंशदान योजनाओं में समूह के अंशदान का निर्धारण लाभ व हानी विवरण में किया जाता है जिस वर्ष से वह संबंधित हो ।

समूह पारिभाषिक अंशदान योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा अनुमोदित एक छूट प्राप्त(आंशिक छूट प्राप्त) ट्रस्ट कोएक निर्धारित दर पर कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में अंशदान करते हैं । छूट प्राप्त ट्रस्ट सदस्यों के खाते में सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम ब्याज दर से अधिक दर से ब्या अदा करता है ।

समूह भारतीय जीवन बीमा निगम को सरकार द्वारा कर्मचारियों के अधिवार्षिकी लाभ (पेंशन योजना) के प्रति अनुमोदित 10 की नियत दर से अंशदान करते हैं

1.2.16स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति(वीआरएस) व्यय:–

समूह इस व्यय की पूरी रकम वहन करने के वर्ष में लाभ व हानी विवरण को प्रभारित करते हैं ।

1.2.17कल्याण आयुक्तसे प्राप्त अर्थ साहाय्य का लेखांकन

(क) श्रमिकों के क्वार्टर

समूह ने श्रमिकों के लिये कुछ क्वार्टरों का निर्माण किया है जिनके लिये उन्हें कल्याण आयुक्त से अर्थसाहाय्य की रकम प्राप्त होती है । चूँकि जिस भूमि पर ऐसे क्वार्टर बनाये जाते हैं वह भूमि कल्याण आयुक्त को अभ्यर्पित कर दी जाती है और उस संपत्ति (निर्मित क्वार्टर) पर कल्याण आयुक्त का अधिकार माना जाता है अतः समूह द्वारा वहन की गई व्यय की संपूर्ण रकम को उस वर्ष में प्रभारित किया जाता है व प्राप्त अर्थ साहाय्य की रकम को उस वर्ष, की आय के रूप में जमा किया जाता है जिसमें उस व्यय का क्रमशःवहन किया गया था या अर्थ साहाय्य प्राप्त हुआ था ।

(ख) कल्याणकारी आस्तियां

कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत स्कूल की बसों, ऐम्बुलेंसों के अधिग्रहण व जल आपूर्ति योजनाओं आदि से संबंधित संपूर्ण व्यय को उस वर्ष के संबंधित आस्ति क खाते में नामे डाला जाता है जिस वर्ष उस व्यय का वहन किया गया था । प्राप्त अर्थ साहाय्य की रकम को प्राप्ति के वर्ष में उसी आस्ति के शीर्ष के अंतर्गत जमा कर दिया जाता है व उस वर्ष से आस्ति की घटाए गये मूल्य पर मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है ।

1.2.18 समूह द्वारा दावे

बीमा कंपनी / रेलवे को प्रस्तुत दावों की रकम का लेखांकन वर्ष के दौरान किये गये दावों की रकम के आधार पर उनकी वसूली के तर्कसम्मत निश्चितता के आश्वासन पर किया जाता है व यदि कोई फर्क हो तो उसका समायोजन दावों के निपटान पर किया जाता है ।

1.2.19पूर्वदत्त व्यय

व्ययों को केवल उन मामलों में ही पूर्वदत्त माना जाता है जहां पर भुगतान हर मामले में रु.1.00 लाख से अधिक हो ।

1.2.20संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान

दो वर्षों से अधिक से बकाया विविध देनदारों के हर मामले की पुनरीक्षा के आधार पर अशोध्य व संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान किया जाता है ।तीन वर्षों से अधिक निजी पक्षों के बकाया ऋणों या वसूली हेतु संदिग्ध माने जाने वाले दंड लगाने के कारण शेष देय रकमों के लिये निश्चित रूप से प्रावधान किये जाते हैं ।

1.2.21अनुसंधान व विकास व्यय

अनुसंधान व विकास व्यय को व्यय को वहन करने के वर्ष के लाभ व हानी विवरण को प्रभारित किया जाता है । किंतु अनुसंधान व विकास से संबंधित अचल आस्तियों पर किये गये व्यय के संबंध में वही व्यवहार किया जाता है जैसा अन्य अचल आस्तियों के संबंध में किया जाता है ।

1.2.22 खनन बंदी व्यय

संबंधित अधिनियमों व नियमों के अंतर्गत खनन बंदी की योजनाओं के प्रति वित्तीय प्रभावों का सभी खदानों में उपलब्ध कुल अयस्क भंडार के आधार पर तकनीकी ढंग से अनुमान लगाया जाता है । बाद में सभी खदानों के समग्र उत्पादन को ध्यान में रखते हुए वर्षानुवर्ष आधार पर खातों में प्रावधान किया जाता है ।

1.2.23 गैर वन्य प्रयोजनों हेतु वन्य भूमि के परिवर्तन का निवल मौजूदा मूल्य

देयता का निर्धारण संबंधित प्राधिकारियों से यथावश्यक अनुमति प्राप्त होने पर किया जाता है ।

दि.31 मार्च,2018 को तुलन पत्र की समेकित टिप्पणियां

टिप्पणी 2.1 संयंत्र, संपत्ति व उपकरण

(रु.लाख में)

क्रम सं.	आस्तियों का विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
		01.04.2017 को	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां /समायोजन	31.03.2018 को	01.04.2017 तक	वर्ष हेतु	कटौतियां /समायोजन	31.03.2018 तक	31.03.2018 को	31.03.2017 को
1	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	1277.35	170.22	0.00	1447.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1447.57	1277.35
2	भवन	17785.25	5049.89	28.67	22806.47	6295.23	1298.86	19.54	7574.55	15231.92	11490.02
3	संयंत्र व उपकरण	48127.08	3014.50	807.43	50334.15	30908.04	3986.59	750.87	34143.76	16190.39	17219.04
4	फर्नीचर व जुड़नार	454.26	2.62	1.50	455.38	318.85	36.94	1.41	354.38	101.00	135.41
5	वाहन	1200.57	76.00	33.55	1243.02	848.04	126.27	31.87	942.44	300.58	352.53
6	कार्यालय उपकरण	614.77	44.59	8.13	651.23	556.84	18.67	7.72	567.79	83.44	57.93
		69459.28	8357.82	879.28	76937.82	38927.00	5467.33	811.41	43582.92	33354.90	30532.28

1 भवनों में भूमि भी शामिल है, जहां पर भी भूमि का प्रतिफल कंपनी द्वारा अदा नहीं किया गया है ।

2 अवधि हेतु मूल्यह्रास में निम्नलिखित पर मूल्यह्रास शामिल है

	2017 -18 हेतु	2016 -17 हेतु
(क) विनिर्माणकारी इकाइयों की आस्तियां	75.90	102.41
(ख) ऊर्जा का निर्माण करने वाली इकाइयों की आस्तियां	174.68	174.68

3 तुलन पत्र के दिनांक को कोई अनर्जक हानी नहीं है ।

टिप्पणी 2.2 चालू पूंजीगत कार्य

क्रम सं.	विवरण	दि.31.03.2018 को	दि.31.03.2017 को
1	**निर्माणाधीन पूंजीगत आस्तियां**	23377.45	11616.14

टिप्पणी 2.3 अन्य अवास्तविक आस्तियां

क्रम सं.	आस्तियों का विवरण	सकल ब्लॉक				मोचन				निवल ब्लॉक	
		01.04.2017 को	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां /समायोजन	31.03.2018 को	01.04.2017 तक	वर्ष हेतु	कटौतियां /समायोजन	31.03.2018 तक	31.03.2018 को	31.03.2017 को
1	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1493.90	112.73	0.00	1606.63	168.33	652.62	0.00	820.95	785.68	1325.57
2	पट्टाधिकार भूमि(खनन अधिकार)	2502.72	0.00	0.00	2502.72	1741.01	125.01	0.00	1866.02	636.70	761.71
		3996.62	112.73	0.00	4109.35	1909.34	777.63	0.00	2686.97	1422.38	2087.28

टिप्पणी2.4 विकासाधीन अवास्तविक आस्तिया

क्रम सं.	विवरण	दि.31.03.2018 को	दि.31.03.2017 को
1	**पट्टे पे जमीन (खननअधिकार)**	471.60	0.00

दि.31 मार्च,2018 को तुलन पत्र की समेकित टिप्पणियां

(रु.लाख में)

विवरण		31 मार्च,2018 के अंत के आंकड़े		31 मार्च,2017 के अंत के आंकड़े	
टिप्पणी 3.1 ईक्विटी शेयरों में					
ईक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए निवेशों का लेखांकन:					
संयुक्तउद्यमों में निवेश(प्रारंभिक अंशदान) लागत पर:					
व्यापारित व अनुद्धरित लागत पर:					
(1) रिनमॉयल फेरो एलॉएज प्रा.लि. में रु.10 प्रत्येक के पूर्णतः समादत्त 100000(100000) ईक्विटी शेयर		6.60		7.44	
			6.60		7.44
वित्तीय आस्तियां					
टिप्पणी 3.2 ईक्विटी शेयरों में					
अव्यापारित व अनुद्धरित लागत पर:					
विभिन्न खदानों पर सहकारी स्टोरों / सोसायटियों के पूर्णतः समादत्त शेयर:					
(क) सहकारी स्टोरों(अपंजीकृत) के प्रत्येक रु.500(500) के ईक्विटी शेयरः		0.03		0.03	
(ख) सहकारी स्टोरों के प्रत्येक रु.1612(1612) के ईक्विटी शेयरः		0.40		0.40	
(ग) सहकारी स्टोरों के प्रत्येक रु.8556(8556) के ईक्विटी शेयरः		0.86		0.86	
			1.29		1.29
टिप्पणी 4.1गैर चालू ऋण					
कर्मचारियों को ऋण व अग्रिम					
(क) जमानती (अच्छा समझा जाने वाला)			111.60		117.59
(ख) गैर जमानती (अच्छा समझा जाने वाला)			3.05		5.44
	कुल		114.65		123.03
टिप्पणी4.2 अन्य गैर– चालू आस्तियां					
(क) पूंजीगत अग्रिम			1231.06		1406.65
(ख) पूंजीगत अग्रिमों के अलवा अन्य अग्रिम					
(1) आयकर का अग्रिम भुगतान(निवल)			2111.25		3993.16
(2) संबंधित पक्ष(संयुक्तउद्यम) को अग्रिम					
सैल एंड मॉयल फेरो एलॉयज प्रा.लि.को अग्रिम			0.00		233.75
रिनमॉयल फेरो एलॉयज प्रा.लि.को अग्रिम			33.21		33.21
(3) मीयादी व अन्य जमाराशियों पर उपचित किंतु अदेय ब्याज			78.57		2.81
(4) कर्मचारियों के ऋणों पर उपचित किंतु अदेय ब्याज			49.38		36.92
(5) रेलवे, विद्युत बोर्डों व अन्यों के पास जमा(गैर जमानती)			892.04		596.96
	कुल		4395.51		6303.46
टिप्पणी5.1 मालसूची(प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित व प्रमाणित)					
(क) कच्चा माल			128.20		64.68
(ख) चालू कार्य			8.49		9.58
(ग) तैयार माल			7585.48		9702.35
(घ) स्टोर व पुरजे		2007.63		2442.26	
(–) पुराने स्टोर व पुरजों हेतु प्रावधान		1.43		1.43	
			2006.20		2440.83
	कुल		9728.37		12217.44

*मालसूची का मूल्यांकन लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है, जो भी कम हो।

1 कच्चे माल की मालसूची में 4202.74(225.86)एमटी के रु.35.58(रु.12.80)लाख मूल्य का मैंगनीज अयस्क का स्टॉक शामिल है (जो दि.31.03.2018 को फेरो मैंगनीज संयंत्र में पड़ा हुआ है ।

दि.31 मार्च, 2018 के तुलन पत्र की समेकित टिप्पणियां

(रु.लाख में)

विवरण		31 मार्च,2018 के अंत के आंकड़े		31 मार्च,2017 के अंत के आंकड़े	
वित्तीय आस्तियां					
टिप्पणी5.2 निवेश					
बाजार मूल्य पर व्यापारित व उद्धरितः					
तरल म्यूचुअल फंडों में चालू निवेश					
	कुल		2329.87		0.00
टिप्पणी 5.3 व्यापार से प्राप्य					
गैर जमानती जिन्हें अच्छा माना गया			19001.67		24125.09
संदिग्ध ऋण		75.14		73.16	
(-) संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान		75.14	0.00	73.16	0.00
	कुल		19001.67		24125.09
टिप्पणी 5.4नकदी व नकदी समकक्ष					
(क) हाँथ में नकदी			2.19		10.20
(ख) बैंकों में शेषः					
मीयादी जमा में(3 माह से कम की			2230.00		7253.17
चालू खातों में			185.38		3358.49
	कुल		2417.57		10621.86
टिप्पणी 5.5 बैंकों में शेष(उपर्युक्तसे इतर)					
(क) मीयादी जमा में (3 माह से अधिक किंतु 1 वर्ष से कम की मूल परिपक्वता वाली)			208850.00		197951.00
(ख) वारंटों का नकदीकरण होने तक लाभांश खातों में			194.34		155.67
(ग) मीयादी जमा में(बैंक गारंटियों साख पत्रों पर मार्जिन के रकम के रूप में)			2450.77		384.23
	कुल		211495.11		198490.90
टिप्पणी 6.1 चालू ऋण					
(1) कर्मचारियों को ऋण व अग्रिम					
(क) जमानती, जिन्हें अच्छा माना जाता है।			110.33		92.32
(ख) गैर -जमानती, जिन्हें अच्छा माना जाता है।			254.75		241.97
(2) अन्यों को ऋण व अग्रिम- गैर जमानती					
(क) स्टोर व पुरजों आदि की खरीद हेतु अग्रिम		131.60		121.93	
(-) संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान		11.75		11.75	
			119.85		110.18
(ख) ठेकेदारों व अन्यों को अग्रिम		39.67		61.72	
(-) (-)संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान		23.78		23.78	
			15.89		37.94
(ग) प्राप्य दावे		0.53		0.53	
(-) संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान		0.53		0.53	
			0.00		0.00
	कुल		500.82		482.41
टिप्पणी 6.2 चालू कर आस्तियां(निवल)			3243.34		0.00
टिप्पणी6.3 अन्य चालू आस्तियां					
(क) मीयादी व अन्य जमाओं पर उपचित ब्याज			6265.77		7016.87
(ख) विविध प्राप्य			4641.77		4210.73
(ग) पूर्वदत्त व्यय			871.21		1203.10
	कुल		11778.75		12430.70

प्रावधान आइंड एएस के अनुसार प्रकटीकरण निम्नानुसार हैः

प्रावधानों के विवरण	प्रारंभिक शेष	प्रावधान	प्रतिलेखित / उपयुक्त प्रावधान	संवरण शेष
	01.04.2017			31.03.2018
अशोध्य व संदिग्ध ऋण व अग्रिम	109.22	1.98	-	111.20
	(67.91)	(41.31)	-	(109.22)

दि.31 मार्च, 2018 के तुलन पत्र की समेकित टिप्पणियां

(रु.लाख में)

विवरण	31 मार्च,2018 के अंत के आंकड़े		31 मार्च,2017 के अंत के आंकड़े	
ईक्विटी				
टिप्पणी 7.1 ईक्विटी शेयर पूंजी				
प्राधिकृत				
ईक्विटी शेयरः संख्या	300000000.00		250000000.00	
अंकित मूल्य		10.00		10.00
रुपयों में रकम		30000.00		25000.00
जारी, अभिदत्त व पूर्णतः समादत्त				
ईक्विटी शेयरः संख्या	257608888		133187804	
अंकित मूल्य		10.00		10.00
रुपयों में रकम कुल		25760.89		13318.78

प्रारक्षित निधि के पूंजीकरण द्वारा जारी बोनस शेयरों के विवरण निम्नानुसार हैः

वित्तीय वर्ष	शेयरों की सं.	पूंजीकृत भंडार	
		सामान्य प्रारक्षित निधि	पूंजी मोचन प्रारक्षित निधि
2017-18	133187804	9837.56	3481.22

जारी, अभिदत्त व पूर्णतः समादत्त

कंपनी के पास र.10 प्रति ईक्विटीशेयरों का केवल एक वर्ग है जिसमें एक ईक्विटी शेयर पर एत मताधिकार व शेयरधारकों को अपने शेयरधारण के अनुपात में लाभांश क अधिकार है । कंपनी के परिसमापन की स्थिति में ईक्विटी धारक शेयरधारकों द्वारा धारित ईक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में शेष आस्तियों को पाने के हकदार होंगे।

सुलह विवरण

समाधान विवरण प्रारंभ में शेयरों की सं.	133187804		168000000	
जोड़ेः वर्ष के दौरान जारी बोनस शेयर	133187804		0	
घटाएः वर्ष के दौरान शेयरों की पुनर्खरीद	8766720		34812196	
अंत में शेयरों की सं.	257608888		133187804	

शेयरधारक के शेयरधारण का विवरणः

5 % से अधिक शेयर धारण करने वाले हर

शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की सं.	शेयरधारण का %	धारित शेयरों की सं.	शेयरधारण का %
भारत के राष्ट्रपति(भारत सरकार की ओर से)	144280693	56.01	74869435	56.21
भारतीय जीवन बीमा निगम	18338326	7.12	9899959	7.43

दि.31 मार्च, 2018 के तुलन पत्र की समेकित टिप्पणियां

(रु.लाख में)

विवरण	31 मार्च,2018 के अंत के आंकड़े		31 मार्च,2017 के अंत के आंकड़े	
ईक्विटी				
टिप्पणी 7.2 ईक्विटी शेयर				
सामान्य प्रारक्षित				
अंतिम तुलन पत्र के अनुसार	253664.36		327878.79	
(–) पूंजी मोचन प्रारक्षित निधि को अंतरण	876.67		3481.22	
(–) पुनर्खरीद से संबंधित व्यय	193.85		380.18	
(–) शेयरों की पुनर्खरीद	20163.46		82853.03	
(–) बेनस शेयरों के निर्गम हेतु पूंजीकरण	9837.56		0.00	
(+) लाभ व हानी खाते में अधिशेष से अंतरण	22000.00		12500.00	
		244592.82		253664.36
पूंजी मोचन प्रारक्षित निधि				
अंतिम तुलन पत्र के अनुसार	3481.22			
(–) बोनस शेयर जारी करने हेतु पूंजीकरण	3481.22			
(+) पुनर्खरीद के कारण वर्ष के दौरान वृद्धि	876.67	876.67	3481.22	3481.22
लाभ व हानी खाते में अधिशेष				
अंतिम तुलन पत्र के अनुसार	10070.11		500.23	
जोड़ः लाभ व हानी विवरण से कुल व्यापक आय	39398.15		30084.97	
विनियोजन हेतु उपलब्ध रकम	49468.25		30585.20	
घटाएः विनियोजन ड्ड				
अंतरिम लाभांशऽ30%(50%)((वित्त वर्ष2017–18)	7991.27		6659.39	
अंतिम लाभांशऽ (60%––वित् वर्ष2016–17)	7991.27		0.00	
अधिभार व उप कर सहित अंतरिम लाभांश पर कर	1626.83		1355.70	
अधिभार व उप कर सहित अंतिम लाभांश पर कर	1626.83		0.00	
सामान्य प्रारक्षित निधि को अंतरण	22000.00		12500.00	
	41236.20		20515.09	
आगे ले जाया गया शेष		8232.05		10070.11
कुल		253701.54		267215.69

1 विचाराधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने 1:1 के अनुपात में 133187804 ईक्विटी शेयर जारी किये हैं ।

2 विचाराधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने रु.240 प्रति शेयर की दर से रु.21040.30 लाख के 8766720 ईक्विटी शेयरों की पुनर्खरीद की है ।

3 शेयरों पर अंतिम लाभांश को कंपनी के शेयरधारकों द्वारा कंपनी के निदेशक बोर्ड की घोषणा के दिनांक को देयता के रूप में रेकॉर्ड किया गया है ।

दि.31 मार्च, 2018 के तुलन पत्र की समेकित टिप्पणियां

(रु.लाख में)

विवरण		31 मार्च,2018 के अंत के आंकड़े		31 मार्च,2017 के अंत के आंकड़े	
गैर चालू दैयताएं					
वित्तीय देयताएं					
टिप्पणी 8.1 गैर चालू प्रावधान					
अंतिम खदान बंदी व्ययों हेतु प्रावधान	कुल		1029.09		934.57
टिप्पणी 8.2 अन्य गैर चालू देयताएं					
आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों व अन्यों से प्रतिभूति	कुल		644.68		378.54
चालू देयताएं					
वित्तीय देयताएं					
टिप्पणी 9.1 व्यापार की देय रकमें					
(क) एमएसएमई को कुल बकाया देय		500.66		131.66	
(ख) अन्यों को कुल बकाया देय		4657.03		4038.51	
	कुल		5157.69		4170.17
टिप्पणी 9.2 अन्य वित्तीय देयताएं					
(क) वारंटों का नकदीकरण होने तक अदत्त लाभांश			194.34		155.67
(ख) आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों व अन्यों से प्रतिभूति जमा			4103.98		2903.80
(ग) पूंजीगत व्यय हेतु देयता**			5763.05		2663.84
	कुल		10061.37		5723.31
टिप्पणी 10.1 अन्य चालू देयताएं					
(क) ग्राहकों के जमा शेष			2290.44		1944.11
(ख) व्ययों हेतु देयताएं			11272.13		5431.04
(ग) अन्य देयताए			248.73		825.54
(घ) सरकारी देयता / सांविधिक देय			3460.15		2701.20
	कुल		17271.45		10901.89
टिप्पणी 10.2 प्रावधान					
(क) अनुपलब्ध छुट्टी हेतु प्रावधान					
तुलन पत्र के दिनांक को देयता		4877.73		4366.98	
(-) भारतीय जीवन बीमा निगम के पास निधिया		5472.85		5311.69	
	*	-595.12		-944.71	
(ख) उपदान हेतु प्रावधान			4163.41		2090.34
(ग) पेंशन निधि हेति प्रावधान			2366.44		1812.69
(घ) अग्रिमों पर हानी हेतु प्रावधान			8.70		8.37
(ङ) सेवा उपरांत चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान			3021.47		0.00
(च) ईक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित निवेश पर हानी हेतु प्रावधान			223.58		0.00
	कुल		9783.60		3911.40
टिप्पणी 10.3चालू कर देयता(निवल)	कुल		0.00		1881.90

* भारतीय जीवन बीमा निगम व अन्य बीमाकर्ताओं के पास देयता पर निधियों के आधिक्य को पूर्व दत्त व्ययों क अंतर्गत(टिप्पणी6.3(ग) अन्य चालू आस्तियों के अंतर्गत सहयोजित किया गया है ।

** व्यय हेतु देयता में एमएसएमई को देय रु.334.11 लाख शामिल हैं।

\# सैल एंड मॉयल फेरो एलॉयज प्रा.लि. को ऋण एवम् अग्रिमों पर देयता के आधिक्य के विवरणों के लिये टिप्पणी14.4.18(1)(क) देखें ।

दि.31 मार्च, 2018 के तुलन पत्र की समेकित टिप्पणियां (रु.लाख में)

विवरण		31 मार्च,2018 के अंत के आंकड़े		31 मार्च,2017 के अंत के आंकड़े	
गैर चालू दैयताएं					
वित्तीय देयताएं					
टिप्पणी 8.1 गैर–चालू प्रावधान					
अंतिम खदान बंदी व्ययों हेतु प्रावधान	कुल		1029.09		934.57
टिप्पणी 8.2 अन्य गैर–चालू देयताएं					
आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों व अन्यों से प्रतिभूति	कुल		644.68		378.54
चालू देयताएं					
वित्तीय देयताएं					
टिप्पणी 9.1 व्यापार की देय रकमें					
(क) एमएसएमई को कुल बकाया देय		500.66		131.66	
(ख) अन्यों को कुल बकाया देय		4657.03		4038.51	
	कुल		5157.69		4170.17
टिप्पणी 9.2 अन्य वित्तीय देयताएं					
(क) वारंटों का नकदीकरण होने तक अदत्त लाभांश			194.34		155.67
(ख) आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों व अन्यों से प्रतिभूति जमा			4103.98		2903.80
(ग) पूंजीगत व्यय हेतु देयता**			5763.05		2663.84
	कुल		10061.37		5723.31
टिप्पणी 10.1 अन्य चालू देयताएं					
(क) ग्राहकों के जमा शेष			2290.44		1944.11
(ख) व्ययों हेतु देयताएं			11272.13		5431.04
(ग) अन्य देयताए			248.73		825.54
(घ) सरकारी देयता / सांविधिक देय			3460.15		2701.20
	कुल		17271.45		10901.89
टिप्पणी 10.2 प्रावधान					
(क) अनुपलब्ध छुट्टी हेतु प्रावधान					
तुलन पत्र के दिनांक को देयता		4877.73		4366.98	
(-) भारतीय जीवन बीमा निगम के पास निधिया		5472.85		5311.69	
	*	-595.12		-944.71	
(ख) उपदान हेतु प्रावधान			4163.41		2090.34
(ग) पेंशन निधि हेति प्रावधान			2366.44		1812.69
(घ) अग्रिमों पर हानी हेतु प्रावधान			8.70		8.37
(ङ) सेवा उपरांत चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान			3021.47		0.00
(च) ईक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित निवेश पर हानी हेतु प्रावधान			223.58		0.00
	कुल		9783.60		3911.40
टिप्पणी 10.3चालू कर देयता(निवल)	कुल		0.00		1881.90

* भारतीय जीवन बीमा निगम व अन्य बीमाकर्ताओं के पास देयता पर निधियों के आधिक्य को पूर्व दत्त व्ययों क अंतर्गत(टिप्पणी6.3(ग) अन्य चालू आस्तियों के अंतर्गत सहयोजित किया गया है ।

** व्यय हेतु देयता में एमएसएमई को देय रु.334.11 लाख शामिल हैं।

\# सैल एंड मॉयल फेरो एलॉयज प्रा.लि. को ऋण एवम् अग्रिमों पर देयता के आधिक्य के विवरणों के लिये टिप्पणी14.4.18(1)(क) देखें ।

1 पारिभाषित बाध्यताएं इंड एएस19 के अनुसार प्रकटीकरण: कर्मचारी लाभ निम्नानुसार है:

(रु.लाख में)

विवरण	ग्रच्युटी		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
स्वतंत्र जीवनांकिक द्वारा मूल्यांकित निधिक बाध्यता के प्रारंभिक व संवरण शेष का समाधान				
वर्ष के प्रारंभ में बाध्यता का मौजूदा मूल्य	14343.31	12692.96	3899.10	4102.65
चालू सेवा लागत	937.51	1139.33	371.63	340.98
ब्याज लागत	1057.10	1015.44	287.36	328.21
जीवनांकिक(-)लाभ / हानी	3101.47	994.34	562.00	-124.12
अदा किये गये लाभ	-1501.20	-1498.76	-242.36	-280.74
वर्ष के समापन पर बाध्यता का मौजूदा मूल्य	17938.19	14343.31	4877.73	4366.98
संयंत्र की आस्तियों के उचित मूल्य के प्रारंभिक व संवरण शेष का समाधान				
वर्ष के प्रारंभ में संयंत्र की आस्तियों का उचित मूल्य	12252.97	11079.02	5311.69	5171.78
संयंत्र की आस्तियों पर वास्तविक आय	934.45	1051.05	404.46	420.65
जीवनांकिक(-)लाभ / हानी	0.00	0.00	0.00	0.00
निधि प्रबंधन प्रभार	-11.50	0.00	-0.94	0.00
नियोक्ता का अंशदान	2100.06	1621.66	0.00	0.00
अदा किये गये लाभ	-1501.20	-1498.76	-242.36	-280.74
वर्ष के समापन पर	13774.78	12252.97	5472.85	5311.69
आस्तियों एवम्निधिक बाध्यताओं के उचित मूल्य का समाधान				
वर्ष के अंत में संयंत्र की आस्तियों का मौजूदा मूल्य	13774.78	12252.97	5472.85	5311.69
वर्ष के अंत में बाध्यताओं का मौजूदा मूल्य	17938.19	14343.31	4877.73	4366.98
तुलन पत्र में निर्धारित देयता (-) पूर्व दत्त व्यय	4163.41	2090.34	-595.12	-944.71
लाभ व हानी खाते में निर्धारित व्यय				
चालू सेवा लागत	937.51	1139.33	371.63	340.98
ब्याज लागत	1057.10	1015.44	287.36	328.21
संयंत्र की आस्तियों पर अपेक्षित आय	-934.45	-1051.05	-404.46	-420.65
जीवनांकिक(-)लाभ / हानी	3101.47	994.34	562.00	-124.12
निधि प्रबंधन प्रभार	11.50	0.00	0.94	0.00
लाभ व हानी विवरण में निर्धारित कुल व्यय	4173.13	2098.06	817.47	124.43
जीवनांकिक मान्यताएं				
मृत्यु दर सारणी(जीबीनि)	(2006-08) अंतिम	(1994-96) अंतिम	(2006-08)) अंतिम	(1994-96) अंतिम
छूट की दर(प्रति वर्ष)	7.65%	7.37%	7.65%	7.37%
संयंत्र की आस्तियों से अपेक्षित आय	7.75%	8.40%	7.75%	8.40%
वेतन में वृद्धि की दर(प्रति वर्ष)	5.50%	5.00%	5.50%	5.00%

2. प्रावधान – आइ एसएनडी19 के अनुसार प्रकटीकरण: निम्नानुसार हैं–

प्रावधानों केविवरण	प्रारंभिकशेष	प्रावधान	प्रतिलेखित	संवरण शेष
	01.04.2017		उपयुक्तप्रावधान	31.03.2018
अंतिम खदान बंदी व्यय	934.57	94.53	-	1029.10
	(861.82)	(72.75)	-	(934.57)
अंतिम खदान बंदी व्ययों हेतु प्रावधान के संबंध में खदान के बंदी के समय नकदी का बहिर्प्रवाह अपेक्षित होता है । प्रकृति में खदान के जीवन को निरंतर (सतत आधार पर) माना जाता है ।				

दि.31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ व हानी विवरण की समेकित टिप्पणियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	
टिप्पणी 11.1 परिचालनों से आय				
उत्पादों की बिक्री				
(1) खनन उत्पाद	121078.65		90534.37	
(2) निर्मित उत्पाद	10564.66		7666.73	
		131643.31		98201.10
अन्य परिचालन आय				
ऊर्जा बिक्री		702.77		783.39
कुल		132346.08		98984.49
टिप्पणी11.2 अन्य आय				
1 अन्य आय				
(1) ब्याज आय				
(i) बैंकों में मीयादी जमा पर	15242.57		17293.73	
(ii) अन्य	849.88		1266.63	
		16092.45		18560.36
(2) लाभांश आय		4.89		0.00
(3) कर्मचारियों से वसूली		10.29		9.55
(4) कबाड़ की बिक्री		1.20		14.09
(5) विद्युत शुल्क की वापसी		0.00		2323.07
(6) विविध आय		712.35		1196.49
2 प्रतिलेखित प्रावधान				
(1) स्टोर व पुरजों के आधिक्य / कमी हेतु प्रावधान		0.00		9.18
(2) प्रावधान अब और अपेक्षित नहीं		950.97		0.00
कुल		17772.15		22112.74

दि.31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ व हानी विवरण की समेकित टिप्पणियां (रु. लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	
टिप्पणी12.1 उपयोग किये गये कच्चे माल की लागत					
इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाइ ऑक्साइड संयंत्र					
(1) मैंगनीज अयस्क		30.20		16.59	
(2) सलफ्यूरिक एसिड		21.92		19.05	
(3) सोडियम बाइकार्बोनेट		3.55		2.98	
(4) अन्य		3.28		1.90	
			58.95		40.52
फेरो मैंगनीज संयंत्र					
(1) मैंगनीज अयस्क		1899.62		1757.80	
(2) कोयला		832.22		597.04	
(3) कार्बन पेस्ट		35.95		51.63	
(4) अन्य		158.58		199.69	
			2926.37		2606.16
	कुल		2985.32		2646.68
टिप्पणी13.1 तैयार माल, विक्रेय माल की मालसूची में परिवर्तन और चालू कार्य					
(1) खनन उत्पाद					
संवरण स्टॉक*		5869.64		8188.59	
(-) प्रारंभिक स्टॉक		8188.59		13045.91	
			-2318.95		-4857.32
(2) निर्मित उत्पाद					
संवरण स्टॉक		1716.19		1341.39	
(-) प्रारंभिक स्टॉक		1341.39		1325.69	
			374.80		15.70
निवल वृद्धि/ कमी (क-ख)	कुल		-1944.15		-4841.62
टिप्पणी 14.1 कर्मचारी लाभ व्यय					
वेतन, पारिश्रमिक व बोनस			29636.06		22799.80
भविष्य निधि व अन्य			6112.08		6160.54
निधियों में अंशदान			4871.02		1805.87
कल्याण व्यय	कुल		40619.16		30766.21

● मूल्यांकन औसत लागत के मुकाबले संयुक्त लागत विनियोजन पर आधारित है। मूल्यांकन में परिवर्तन का निवल प्रभाव रु.1213.59 लाख है।(मूल्यांकन में कमी)

दि.31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ व हानी विवरण की समेकित टिप्पणियां (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	
टिप्पणी14.2 बिक्री के व्यय:				
1. रायल्टी व उप कर*	7533.97		5684.97	
2. बिक्री पर नकदी छूट	482.13		432.50	
3. आंशिक मालभाड़ा प्रतिपूर्ति	1213.31		1525.03	
4. ई नीलामी पर सेवा प्रभार	54.00		42.87	
5. निर्मित उत्पादों पर उत्पाद शुल्क	453.13		791.88	
6. नमूना छँटाई व्यय	22.76		20.06	
कुल		9759.30		8497.31
टिप्पणी 14.3 अन्य व्यय				
1. भवनों की मरम्मत व रखरखाव	867.65		782.03	
2. संयंत्रों व मशीनरी की मरम्मत व रखरखाव	1214.17		1654.75	
3. अन्यों की मरम्मत व रखरखाव	527.35		385.46	
		2609.17		2822.24
4. किराया		40.72		19.23
5. दरें व कर		558.49		407.82
6. बीमा		262.52		214.36
7. लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक				
लेखा परीक्षा शुल्क के रूप में	22.83		15.10	
कराधान मामलों में	1.25		1.48	
अन्य सेवाओं के मामले में	5.22		4.95	
व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.35		0.00	
		29.65		21.53
8. निदेशकों के बैठक शुल्क		9.30		14.42
9. विज्ञापन		179.74		89.64
10. कारपोरेट सामाजिक दायित्व व निरंतर विकास पर व्यय		961.63		1143.10
11. विविध व्यय		2161.16		2024.89
12. आयकर पर ब्याज		0.00		277.65
13. खदानों में अन्वेषणात्मक खनन	320.67		253.28	
14. विस्फोट शैल यांत्रिकी स्टॉप डिजाइन आदि के अध्ययन हेतु प्रावधान	643.08		215.00	
		963.75		468.28
15. निकाली गई आस्तियों को बट्टे खाते डालना	67.87		47.54	
16. स्टोर एवम् पुरजों में कमी को बट्टे खाते डालना	33.23		0.00	
17. अशोध्य एवम् संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	1.98		33.80	
18. संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश पर हानी हेतु प्रावधान	0.00		0.00	
19. अंतिम खदान बंदी के व्ययों हेतु प्रावधान	94.53		72.75	
		197.61		154.09
कुल		7973.74		7657.25

● जिला खनिज निधि एवम् राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट को अंशदान सहित

टिप्पणी 14.4 दि.31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लेखों पर समेकित टिप्पणियां

1. दि.31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के एकल वित्तीय विवरण का अनुमोदन निदेशक बोर्ड द्वारा दि.24 मई, 2018 को किया गया था । दि.31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरण का अनुमोदन निदेशक बोर्ड द्वारा दि.22 जून, 2018 को किया गया था ।

1क. समूह द्वारा प्राप्त ब्याज व किराये से स्रोत पर काटा गया कर रु.1520.96(रु.1728.96) लाख था ।कुछ मामलों में कर कटौती के प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा की जा रही है ।

2. **आस्थगित कर आस्तियां / देयता**–आइएनडी एएस12 के अनुसार प्रकटीकरण– आयकर निम्नानुसार हैं–

रु.लाख में

क्रम सं.	विवरण	2017/ 18 31 मार्च,2018	2016 / 17 31 मार्च,2017
1	आस्थगित कर देयता		
	मूल्यह्रास से संबंधित	603.07	1047.32
2	आस्थगित कर आस्तियां		
	आयकर अधिनियम के अंतर्गत नामंजूरियां	-373.52	444.25
	निवल आस्थगित कर देयता /(-)आस्ति	229.55	603.07
	लाभ व हानी खाते हेतु आस्थगित करः देयता में वृद्धि / (-) कमी	373.52	-444.25

आयकर व्यय में लाभ व हानी विवरण में चालू वर्ष के मौजूदा व आस्थगित आयकर शामिल हैं ।आस्थगित आयकर आस्तियों व देयताओं का निर्धारण आस्तियों व देयताओं के कर आधारों के बीच उत्पन्न सभी अस्थायी अंतरों और वित्तीय विवरणों में ले जायी गई उनकी रकमों के लिये है ।

3. व्यापार में प्राप्य व व्यापार में देय रकमों के वर्ष के अंत के शेष पुष्टिकरण पत्र ग्राहकों को भेजे जा चुके हैं ।दि.31.03.2018 को रु.25263.50 लाख के कुल बकाया में से रु.7366.23 लाख के शेष रकमों का समाधान कर लिया गया है । प्राप्त पुष्टिकरणों के संबंध में समूह शेष रकमों की संवीक्षा व लसमाधान की प्रक्रिया में लगा हुआ हुआ है ।

4. **अन्य व्यय(टिप्पणी14.3) में निम्नलिखित का समावेश है–**

रु. लाख में

क्रम सं.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
1	निम्नलिखित के यात्रा खर्च		
	(1) अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	14.83	26.56
	(2) निदेशक	6.50	28.39
	(3) मु.वि.अधि. व कंपनी सचिव	1.55	2.31
		22.88	57.26
2	विज्ञापनों में जन संपर्क व प्रचार से संबंधित व्यय शामिल हैं।	29.41	27.10

5. **संबंधित पक्षों से व्यवहार–** आइएनडी एएस24 के अनुसार संबंधित पक्षों से व्यवहार का प्रकटीकरण निम्नानुसार है ।

(1) महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक	पदनाम
1. श्री एम.पी. चौधरी	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
2. टी.के. पटनाईक	निदेशक (वाणिज्यिक)
3. श्री दीपंकर शोम(12.09.2017 से)	निदेशक (उत्पादन व आयोजन)
4. श्री डी.एस.अहलूवालिय (27.09.2017तक)	निदेशक (वितत)-अतिरिक्त प्रभार
5. श्री राकेश तुमाने(28.09.2017 से)	निदेशक (वित्त)
(14.11.2017 से)	मुख्य वित्त अधिकारी
6.श्री एन.पी.कजरेकर(13.11.2017 तक)	मुख्य वित्त अधिकारी
7.श्री एन.डी.पाण्डये	कंपनी सचिव

श्री टी. के.पटनाईक ने 11.09.2017 तक निदेशक (उत्पादन व आयोजन) का भी अतिरिक्त प्रभार संभाला व श्री डी.एस अहलूवालिया निदेशक(वित्त) एनएमडीसी लिमिटेड को दि.01.12.2016 से दि.27.09.2017 तक मॉयल के निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त पदभार सौंपा सौंपा गया था ।

(2) संयुक्त उद्यम वाली कंपनियां

1. सैल एंड मॉयल फेरो एलॉयज प्रा.लि..
2. रिनमॉयल पेरो एलॉयज प्रा.लि.

(2) उपर्युक्त (1) (क) में वर्णित वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों से व्यवहारः

रु. लाख में

क्रम सं.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
1	प्रबंधकीय पारिश्रमिक		
	(1) वेतन व भत्ते	165.89	126.64
	(2) भविष्य निधि में अंशदान	10.15	9.29
	(3) परिलब्धियों का वास्तविक अनुमानित मूल्य	4.64	3.56
	(4) कुल	180.68	139.49
2	यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति	22.88	57.26

6 **संयुक्तउद्यमः** आइएनडी एएस28 के अनुसार प्रकटीकरणः सहायक कंपनियों एवम् संयुक्त उद्यमों में हित निम्नानुसार है–

(1) संयुक्त उद्यम वाली कंपनियों के विवरण

(2)

संयुक्तउद्यम कंपनी का नाम	खपर्लोोंरिंळेप वशींरळश्री		स्वामित्व का अनुपात	पूंजी हेतु अभिदान
	देश	दिनांक		रु. लाख में
सैल एंड मॉयल पेरो एलॉयज प्रा.लि.	भारत	31.07.2008	50%	10.00
रिनमॉयल फेरो एलॉयज प्रा.लि.	भारत	29.07.2009	50%	10.00

7 **आकस्मिकदेयताएं इंड एएस37 के अनुसारः–** कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रावधान, आकस्मिक देयताए,व आकस्मिक आस्तियां निम्नानुसार हैं।

(1) समूह के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना गया है

रु. लाख में

	दावों के विवरण	31/03/2018	31/03/2017
(1)	कर्मचारियों द्वारा पारिश्रमिक व अन्य लाभों के लिये	93.00	98.00
(2)	वन विभाग द्वारा तिरोडी खदान से अयस्क के परिवहन पर मार्गस्थ शुल्क के भुगतान हेतु	86.08	86.08
(3)	विवाचन के निर्णय व ठेकेदार के दावे पर ब्याज	1056.43	1024.48
(4)	केंद्रीय उत्पाद आयुक्तालय, जबलपुर मैंगनीज अयस्क पर उत्पाद शुल्क लगाने हेतु	0.00	14435.84
(5)	प्रवेश कर, केंद्रीय बिक्री कर व मूल्य वर्धित कर तथा कर्मचारी व्यवसाय कर	106.51	95.79
(6)	अपील के अधीन विवादित आयकर(पहले ही भरा गया आयकररु.2251.57(रु.1697.62) लाख) बैंक गारंटियों साख पत्रों के अंतर्गत वित्तीय आश्वासनों पर आकस्मिक देयता (बराबर की रकम की मीयादी जमा के रूप में)	2251.57	1697.62

पूंजीगत प्रतिबद्धताः–

8. पूंजी खाते पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित रकम रु.65327.44 (रु.14860.75) लाख है, जिनका प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसी संविदाओं हेतु अदा किये गये अग्रिम की रकम रु.1231.06 (1406.66) लाख है।

9. मॉयल की 761.60 वर्ग मीटर की भूमि का अधिग्रहण नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा अपनी समन्वित सड़क विकास योजना हेतु किया गया है।समूह द्वारा दायर रिट याचिका को उच्च न्यायालय, नागपुर द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।रिट याचिका का फैसला आने तक बहियों में कोई समायोजन नहीं किया गया है.

10 यात्रा हेतु विदेशी मुद्रा का व्यय रु.14.14(रु.12.50) लाख है तथा विविध खर्च रु.शून्य(रु.1.01) लाख है।

11 मॉयल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त जानकारी

(1) उत्पादन, बिक्री, प्रारंभिक व संवरण स्टॉक

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष		31.03.2017 को समाप्त वर्ष	
	मात्रा(एमटी)	रु. लाख में	मात्रा	रु. लाख में
क) उत्पादन/ निर्माण–				
मैंगनीज अयस्क	1201113	--	1004845	--
ईएमडी	875	--	731	--
फेरो मैंगनीज	10573	--	9950	--
फेरो मैंगनीज लौह चून	14665	--	14009	--
पवन ऊर्जा(के डब्ल्यूएच)	29009933	--	32305629	--
ख) बिक्री				
मैंगनीज अयस्क	1186929	121078.64	1129146	90534.37
ईएमडी	915	773.83	952	782.55
फेरो मैंगनीज	11095	8545.35	9540	5977.56
फेरो मैंगनीज लौह चून	15439	1245.48	12489	906.62
एमपीईडीसीएल को ऊर्जा(के डब्ल्यूएच	20915820	702.77	23300523	783.39
ग) प्रारंभिक स्टॉक–				
मैंगनीज अयस्क	142348	8188.59	294713	13045.98
ईएमडी	73	57.53	294	217.98
फेरो मैंगनीज	3008	1099.31	2598	1026.20
फेरो मैंगनीज लौह चून	2685	184.55	1165	81.51
घ) संवरण स्टॉक				
मैंगनीज अयस्क	121049	5869.64	142348	8188.59
ईएमडी	33	28.54	73	57.53
फेरो मैंगनीज	2486	1573.56	3008	1099.31
फेरो मैंगनीज लौह चून	1911	114.08	2685	184.55
छींश :				
टिप्पणी:				
मैंगनीज अयस्क के संवरण स्टॉक का आकलन निम्नलिखित के उत्पादन हेतु अयस्क के समायोजन के बाद किया गया है				
ईएमडी	4838		2458	
फेरो मैंगनीज	30645		25606	
पवन ऊर्जा (के डब्ल्यूएच) कॅण्टीव उपभोग के साथ	8094113		9005107	

12 लायसेंसीकृत व स्थापित क्षमता व क्षमता उपयोग–

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष		31.03.2017 को समाप्त वर्ष	
	मात्रा(एमटी)	क्षमता उपयोग	मात्रा(एमटी)	क्षमता उपयोग
1) लायसेंसीकृत व स्थापित क्षमता				
ईएमडी	1000	--	1000	--
फेरो मैंगनीज	10000	--	10000	--
पवन ऊर्झा (के डब्ल्यूएच)	40000000	--	40000000	--
2) उत्पादन व क्षमता उपयोग				
ईएमडी	875	87.50%	731	73.10%
फेरो मैंगनीज	10573	105.73%	9950	99.50%
पवन ऊर्जा (के डब्यूएच)	29009933	72.52%	32305629	80.76%

13. आय का निर्धारण 15.2 एमडब्ल्यू क्षमता के विंड टर्बाइन जनरेटर द्वारा ग्रिड को बिक्री हेतु दी गई ऊर्जा के आधार पर ऊर्जा खरीद करार में तय टैरिफ दर से किया जाता है ।

14. 4.8 एमडब्ल्यू के विंड टर्बाइन जनरेटर द्वारा निर्मित व खदान / संयंत्र पर उपभोग की गई ऊर्जा को निर्माण की लागत से संबंधित युनिटों को प्रभारित किया जाता है ।

15. 48 के डब्ल्यू क्षमता के सौर्य ऊर्जा पैनलों द्वारा निर्मित ऊर्जा का प्रधान कार्यालय में सीमित उपभोग हेतु उपयोग किया जाता है ।

16. दि.31.03.2018 को प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) का परिकलन भारित औसत समादत्त पूंजी पर किया गया है (29.09.2017 को बोनस शेयर जारी करने के कारण व दि.27.03.2018 को शेयरों की बायबॅक के कारण)। दि.31.03.2017 को प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) का परिकलन भारित औसत समादत्त पूंजी पर किया गया है (दि.07.10.2016 को शेयरों की बायबॅक के कारण)।

प्रति शेयर अर्जन का परिकलन निम्नानुसार किया गया है:

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
निरंतर परिचालन से निवल लाभ / (हानी) (क) रु. लाख में	41742.63	30740.58
वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयर	133187804	168000000
वर्ष के दौरान जारी शेयर	133187804	--
वर्ष के दौरान पुनर्खरीद किये गये शेयर	8766720	34812196
वर्ष के अंत में बकया शेयर	257608888	133187804
शेयरों की भारित औसत सं.(ख)	200208961	151309221
मूल ईपीएस(क) / (ख)रु.	20.85	20.32
तनूकृत ईपीएस(क) / (ख)रु.	20.85	20.32
● समूह के पास कोई संभावित तनूकृत ईक्विटी नहीं हैं ।		

17 **भारतीय संयुक्तउद्यम– रिनमॉयल फेरो एलॉयज प्रइवेट लिमिटेडः–**

(1) रिनमॉयल फेरो एलॉयज प्रइवेट लिमिटेडः एक संयुक्त उद्यम है जिसमें समूह का संयुक्त नियंत्रण है व स्वामित्व में 50% का हित है । मुख्य उद्देश्य फेरो मैंगनीज व सिलिका मैंगनीज का उत्पादन है । रिनमॉयल फेरो एलॉयज प्रइवेट लिमिटेडः की संरचना एक अलग विधिक संस्था के रूप में है व समूह का उक्त संस्था की आस्तियों में हित निहित है । तदनुसार समूह ने रिनमॉयल फेरो एलॉयज प्रइवेट लिमिटेड में अपने हितों को एक संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया है । कंपनी ने वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं किया है । निम्नलिखित सारणी से रिनमॉयल फेरो एलॉयज प्रइवेट लिमिटेड की वित्तीय जानकारी एवम् उक्त संस्था में समूह के संचयी रकम का सार दिया गया है ।

रु. लाख में

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
स्वामित्व हित का प्रतिशत	50%	50%
क. चालू आस्तियां		
(1) संपत्ति, संयंत्र व उपकरण	14.74	15.21
(2) चालू पूंजीगत कार्य	147.74	147.74
(3) वित्तीय आस्तियां		
(क) ऋण	0.31	0.31
(4) आस्थगित कर आस्तियां(निवल)	3.95	3.92
ख. चालू आस्तियां		
(1) वित्तीय आस्तियां		
(क) अन्य चालू आस्तियां	1.84	3.14
(ख) अन्य चालू आस्तियां	0.04	0.04
(2) चालू कर आस्तियां(निवल)	0.01	-
ग कुल आस्तियां(क+ख)	168.62	170.35
ईक्विटी व देयताएं		
घ गैर चालू देयताएं		
(1) अन्य वित्तीय देयताएं	155.43	155.47
कुल ईक्विटी व देयताएं	155.43	155.47
नवल आस्तियां(ग-घ)	13.19	14.88
निवल आस्तियों का समूह का अंश(50%)	6.60	7.44
संयुक्तउद्यम में संचयी रकम	6.60	**7.44**

(ख)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
स्वामित्व में हित का प्रतिशत	50%	50%
ब्याज आय	0.19	0.58
मूल्यह्रास व परिशोधन व्यय	0.47	0.55
अन्य व्यय	1.41	1.31
आयकर व्यय(चालू कर व आस्थगित कर)	(1.69)	3.81
लाभ	-	(5.08)
अन्य व्यापक आय		-
कुल व्यापक आय	(1.69)	(5.08)
लाभ में समूह का अंश(50%)	(0.84)	(2.54)
ओसीआइ में समूह का अंश	-	-
कुल व्यापक आय में समूह का अंश(50%)	(0.84)	(2.54)

18 **भारतीय संयुक्तउद्यम सैल एंड मॉयल फेरो एलॉयज प्रा.लि.–**

(1) सैल एंड मॉयल फेरो एलॉयज प्रा.लि एक संयुक्त उद्यम है जिसमें समूह का 50% स्वामित्व हित है । मुख्य उद्देश्य फेरो मैंगनीज व सिलिका मैंगनीज का उत्पादन है । सैल एंड मॉयल फेरो एलॉयज प्रइवेट लिमिटेडः की संरचना एक अलग विधिक संस्था के रूप में है व समूह का उक्त संस्था की आस्तियों में हित निहित है । तद्नुसार समूह ने सैल एंड मॉयल फेरो एलॉयज प्रइवेट लिमिटेड में अपने हितों को एक संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया है । कंपनी ने वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं किया है । निम्नलिखित सारणी में सैल एंड मॉयल फेरो एलॉयज प्रइवेट लिमिटेड की वित्तीय जानकारी एवम् उक्त संस्था में समूह की संचयी रकम का सार दिया गया है ।

रु. लाख में

क	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
	स्वामित्व में हित का प्रतिशत	50%	50%
क	गैर चालू आस्तियां		
	(1) संपत्ति, संयंत्र व उपकरण	0.74	922.25
	(2) चालू पूंजीगत कार्य	168.76	168.76
	(3) अन्य गैर चालू आस्तियां	0.01	0.01
ख	चालू आस्तियां		
	(1) वित्तीय आस्तियां		
	(1) नकदी व नकदी समकक्ष	182.94	175.62
	(2) अन्य चालू आस्तियां	0.75	1.15
ग	कुल आस्तियां(क) +(ख)	353.19	1,267.78
	ईक्विटी व देयताएं		
घ	गैर चालू देयताएं		
	1) अन्य गैर चालू देयताएं	400.00	400.00
ड	चालू देयताएं		
	(1) अन्य चालू देयताएं	1,200.36	1,200.29
	कुल ईक्विटी देयताएं(घ) + (ड्)	1,600.36	1,600.29
	निवल आस्तियां(ग)- (घ	(1,247.17)	(332.51)
	निवल आस्तियों में समूह का अंश(50%)	(623.58)	-166.25
	संयुक्तउद्यम में हित की संचयी रकम	**-623.58**	**-166.25**
	सैल एंड मॉयल फेरो एलॉयज प्रा.लि. को अग्रिम	400.00	400.00
	गैर चालू आस्तियों में ईक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए समायोजन के बाद संयुक्तउद्यम में निवेश	**0.00**	**233.75**
	ईक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित निवेश पर हानी हेतु प्रावधान	**-223.58**	**0.00**

ख

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
स्वामित्व में हित का प्रतिशत	50%	50%
ब्याज आय	7.47	14.13
मूल्यह्रास व परिशोधन व्यय	921.51	36.63
अन्य व्यय	0.62	14.08
आयकर व्यय(चालू कर व आस्थगित कर)	–	–
लाभ	(914.66)	(36.58)
अन्य व्यापक आय	–	–
कुल व्यापक आय	(914.66)	(36.58)
लाभ में समूह का अंश(50%	(457.33)	(18.29)
ओसीआइ में समूह का अंश(50%)	–	–
कुल व्यापक आय में समूह का अंश(50%)	(457.33)	**(18.29)**

19 **टिप्पणी 1.1.1 (ii) समेकन का सिद्धांत केसंबंध में अतिरिक्तजानकारी**

संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा मूल्यह्रास के परिकलन हेतु उपयोग में लायी जाने वाली पद्धति का प्रभाव निम्नानुसार है:–

क्रम सं.	विवरण	रकम(संयु.उ.) रु. लाख में	कुल समेकित रु. लाख में	अनुपात	अभ्युक्तियां
रिनमॉयल फेरो एलॉयज प्रा.लि.(संयु.उ.)					
1	अचल आस्तियां(निवल)	81.23	58154.73	0.14%	ह्रासित मूल्य पद्धति के बजाए सीधी रेखा पद्धति
2	वर्ष हेतु मूल्यह्रास	0.23	6244.96	0.00%	
सैल एंड मायल फेरो एलॉयज प्रा.लि. (संयु. उ.)					
1	अचल आस्तियां(निवल)	84.75	58154.73	0.15%	ह्रासित मूल्य पद्धति के बजाए सीधी रेखा पद्धति
2	वर्ष हेतु मूल्यह्रास	460.75	6244.96	7.38%	

20 **अचल आस्तिया:–**

(1) वर्ष 2016–17 में भूमि में कंपनी द्वारा पट्टे पर ली गई 108.59 एकड़ की भूमि शामिल थी जिसकेसंबंध में पट्टा विलेख पंजीकरण हेतु पेंडिंग था । दि. 26 जुलाई, 2017 को संपन्न सैल एंड मॉयल फेरो एलॉयज के निदेशक बोर्ड की 37 वीं बैठक में यह निर्णय किया गया था कि पट्टा विलेख को निरस्त कर दिया जाए व भूमि सैल बीएसपी को इस प्रावधान के साथ लौटा दिया जाए कि उक्त पटटा विलेख के निरसन के वित्तीय परिणामों को संयुक्त उद्यम के दोनों भागीदारों द्वारा निपटा लिया जाएगा। तदनुसार दि. 21 अगस्त, 2017 को भूमि का पट्टा निरस्त कर दिया गया व भूमि दि.18 अगस्त, 2017 को सैल बीएसपी को लौटा दी गई। अतः दि.01.04.2018 को पट्टा धिकार भूमि का अपरिशोधित मूल्य विचाराधीन वर्ष के दौरान पूर्णतः परिशोधित हो चुका था ।

(2) दि. 26 जुलाई, 2017 को संपन्न सैल एंड मॉयल फेरो एलॉयज के निदेशक बोर्ड की 37 वीं बैठक में यह निर्णय किया गया था किदि. 18 कंपनी के फर्नीचर, कंप्यूटर व एयर कंडीशनर आदि सैल एंड मॉयल फेरो एलॉयज प्रा.लि. को दे दिये जाएं । उक्त अचल आस्तियां बिना किसी वित्तीय प्रभाव के अंतरित की गई थीं। एसी अचल आस्तियों के अंतरण हेतु किसी भी कंपनी की बहियों में कोई भी प्रविष्टि पारित करा जरूरी नहीं था ।

21 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची3 क्प्रभाग 2 केअनुशीलन में अतिरिक्तजानकारी

क्रम सं.	उद्यम का नाम	कुल आस्तीया क्रुण कुल देयताए		लाभ या हानी मे अंश		अन्य विस्तृत आय मे अंश		संपुर्ण विस्तृत आय मे अंश	
		समेकित निवल आस्तियों के% केरूप में	रकम (रु.लाख में)	समेकित लाभ या हानी के% केरूप में	रकम (रु.लाख में)	समेकित अन्य व्यापकआय के % केरूप में	रकम (रु.लाख में)	कुल व्यापक आय के% के रूप में	रकम (रु.लाख में)
	मूल कंपनी								
1	मॉयल लिमिटेड	100.1636	279919.76	101.0942	42199.36	100.00	-2344.48	-101.1593	39854.88
	भारतीय संयुक्त उद्यम								
	संयु. उद्यम (ईक्विटी पद्धति के उपयोग द्वारा लेखांकित निवेश)								
2	सैल एंड मॉयल फे रो एलॉयज प्रा.लि.	-0.2231	-623.58	-10956	-457.33	0.00	0.00	-1.1608	-457.33
3	सैल एंड मॉयल फे रो एलॉयज प्रा.लि.	0.0024	6.60	-0.0020	-0.84	0.00	0.00	-0.0021	-0.84
4	उन्मूलन	0.0571	159.66	0.0034	1.44	0.00	0.00	0.0037	1.44
	कुल	100.00	279462.43	100.00	41742.63	100.00	-2344.48	100.00	39398.15

22 पिछले वर्ष के तदनुरूपी आंकड़े कोष्ठक में दर्शाये गये हैं और जहां कहीं आवश्यक हो, तुलना की दृष्टि से उन्हें पुनर्वर्गीकृत / पुनर्नियोजित किया गया है । टिप्पणी 1 से 14.4 वित्तीय विवरणों का अंतर्निहित भाग हैं ।

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते मे.जे. एस. उबेरॉय एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. 111107 डब्ल्यू

सी ए अमरजीत सिंह संधू
भागीदार
सदस्यता क्र. 108665
स्थानः नई दिल्ली
दिनांक:24 मई, 2018

कृते निदेशक बोर्ड

मुकुंद पी. चौधरी
अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक
डी आय एनः 05339308

राकेश तुमाने
निदेशक (वित्त)
डीआइएनः 06639859

नीरज पाण्डेय
कंपनी सचिव

माननीय इस्पात मंत्री श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, माननीय इस्पात राज्य मंत्री श्री विष्णु देव साई व
इस्पात सचिव डॉ. अरुणा शर्मा हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में ।

माननीय खनन राज्य मंत्री, भारत सरकार श्री हरीभाई चौधरी से मॉयल खदानों हेतु 5 सितारा
पारितोषिक स्वीकार करते हुए मॉयल के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

मॉयल लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

CIN : L99999MH1962GOI012398
PAN : AAACM8952A

मॉयल भवन ,1-ए काटोल रोड, नागपूर-440 013
ईमेल: compliance@moil.nic.in **टेलिफैक्स:** 07122591661
www.moil.nic.in

Orient Press Ltd. Tel.: 4028 5888